खण्ड-06 सत्र -08 (भाग-02) / अंक-102

वृहस्पतिवार 22 अगस्त, 2019 / 31 श्रावण, 1941 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

आठवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-08 (भाग-02) में अंक 102 के अंक 104 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र–8 (02) बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2019 / 31 श्रावण, 1941 (शक) अंक–102

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शौक संवेदनाएं	5–9
3.	सदन में अव्यस्था	9–12
4.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	12–71
5.	सदन में अव्यवस्था	71–79
6.	ध्यानाकर्षण (नियम–54) पर चर्चा जारी...	79–93
7.	संकल्प	93–96
8.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–1 से 20)	97–140
9.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–52, 53, 68 एवं 77 को छोड़कर)	140–356
10.	सदन पटन पर प्रस्तुत कागजात	357–358

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-8 भाग (2) बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 (शक) अंक-102

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1 श्री शरद कुमार

2 श्री संजीव झा

3 श्री पंकज पुष्कर

4 श्री पवन कुमार शर्मा

5 श्री अजेश यादव

6 श्री महेन्द्र गोयल

7 श्री राम चंद्र

8 श्री सुखबीर सिंह दलाल

9 श्री. ऋतुराज गोविन्द

10 श्री संदीप कुमार

11 श्री रघुविन्दर शौकीन

12 श्रीमती बंदना कुमारी

13 श्री जितेन्द्र सिंह तोमर

14 श्री राजेश गुप्ता

15 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

16 श्री सोमदत्त

17 सुश्री अलका लाम्बा

18 श्री आसिम अहमद खान

19 श्री विशेष रवि

20 श्री हजारी लाल चौहान

21 श्री शिव चरण गोयल

22 श्री गिरीश सोनी

23 श्री जरनैल सिंह

24 श्री राजेश ऋषि

25 श्री महेन्द्र यादव
26 श्री आदर्श शास्त्री
27 कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28 सुश्री भावना गौड़
29 श्री सुरेन्द्र सिंह
30 श्री विजेन्द्र गर्ग
31 श्री प्रवीण कुमार
32 श्री मदन लाल
33 श्री सोमनाथ भारती
34 श्रीमती प्रमिला टोकस
35 श्री नरेश यादव
36 श्री करतार सिंह तंवर
37 श्री प्रकाश
38 श्री अजय दत्त
39 श्री दिनेश मोहनिया
40 श्री सौरभ भारद्वाज
41 सरदार अवतार सिंह कालका
42 श्री सही राम
43 श्री नारायण दत्त शर्मा
44 श्री अमानतुल्लाह खान
45 श्री मनोज कुमार
46 श्री नितिन त्यागी
47 श्री ओम प्रकाश शर्मा
48 श्री एस.के. बग्गा
49 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50 श्रीमती सरिता सिंह
51 मो0 इशराक
52 श्री श्रीदत्त शर्मा
53 चौ. फतेह सिंह
54 श्री जगदीश प्रधान
55 श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-8 भाग (2) बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 (शक) अंक-102

सदन अपराह्न 2.03 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इस सत्र के दूसरे दिन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत।

माननीय अध्यक्षः बैठिए अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज। पहले बैठिए। कुछ शोक संवेदनाएँ हैं, मुझे उनको पूरा कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, प्लीज बैठिए। मैं अभी कुछ नहीं सुनूँगा। पहले कुछ शोक संवेदनाएँ, उनको पूरा करने दीजिए। बैठिए, बैठिए प्लीज। सदन नियमों से चलेगा न। सदन नियम से चलेगा न।

...(व्यवधान)

---

[1]संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः मैं बोल रहा हूँ कि शोक संवेदनाएँ पहले होंगी। बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए। शोक संवेदनाएँ करने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, प्लीज। हाँ मैं बाद में देखता हूँ। नितिन जी, पहले शोक संवेदनाएँ हैं, उनको पूरा करने दीजिए।

छठी विधान सभा के आठवें सत्र के द्वितीय भाग में आप सब का हार्दिक स्वागत है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, दो मिनट बैठिए। मुझे शोक संवेदनाएँ पहले पूरी कर लेने दीजिए। शोक संवेदनाएँ, उनको पूरा कर लेने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार–बार। राखी जी, आप बैठिए एक बार।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए पहले। आप बैठिए एक बार।

छठी विधान सभा के आठवें सत्र के द्वितीय भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक और कम से कम समय में अपने विचार रखें और सदन का समय व्यर्थ न होने दें। सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता है।

अतः आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग दें। जैसा कि आप सबको...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं क्या कह रहा हूं? मैं शोक संवेदनाएँ पढ़ रहा हूँ। आप... नेता विपक्ष हैं, थोडा... उनको रोक लिया मैंने। सब बैठ गए।

शोक संवेदनाएँ

माननीय सदस्यगण! जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 20 जुलाई, 2019 को दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का निधन हो गया। वे 81 वर्ष की थीं। 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में जन्मी श्रीमती दीक्षित कुछ दिन बीमार रहीं और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे पहली बार वर्ष 1984 में उत्तर–प्रदेश के कन्नौज से साँसद बनी थीं। इस दौरान वे लोकसभा की विभिन्न समितियों में रहने के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का प्रतिनिधि रहीं। वर्ष 1986 में केन्द्र सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनीं। वे वर्ष 1998 से वर्ष 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। वे वर्ष 2014 में केरल की राज्यपाल भी बनीं।

उन्होंने अपनी विनम्रता तथा मिलनसार स्वभाव और बातचीत करने के अंदाज से सभी के दिलों में सहज ही अपनी जगह बना ली थी। समाज के प्रत्येक वर्ग से उनका जुड़ाव था। अपने धैर्य, सौम्यता और निर्णय क्षमता के कारण वे पक्ष तथा विपक्ष में समान रूप से लोकप्रिय रहीं। दिल्ली के ढाँचागत विकास के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा। उन्होंने मैट्रो, सीएनजी, हरित क्षेत्र विकास और फ्लाइ ओवर निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी प्रशासनिक क्षमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे व्यक्तिगत रूप से सभी योजनाओं की निगरानी करती थीं। उनके निधन से दिल्ली को अपूर्णीय क्षति हुई है। देश के राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रीमती शीला दीक्षित के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! जैसा कि आप सबको विदित हैं कि दिनांक 06 अगस्त, 2019 को दिल्ली की प्रथम महिला मुख्य मंत्री तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का निधन हो गया। 14 फरवरी 1952 को अम्बाला छावनी में जन्मी श्रीमती सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन बहुत सक्रिय और उल्लेखनीय रहा। वे विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़ गई थीं। वर्ष 1977 में वे केवल 25 वर्ष की आयु में विधायक चुनी गयी और हरियाणा सरकार में केबिनेट मंत्री बनीं। इसके बाद वर्ष 1987 में हरियाणा से विधायक निर्वाचित हुईं और मंत्री भी बनीं। वर्ष 1990 में वे राज्य सभा सदस्य चुनी गई तथा वर्ष 1996 में लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं और वाजपेयी जी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनीं तथा वर्ष 1998 में पुनः लोकसभा सदस्य चुनी गईं। उन्होंने 13 अक्टूबर से 03 दिसम्बर 1998 तक दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला। वे वर्ष 2000 तथा 2006 में राज्य सभा की सदस्य बनीं। केन्द्र सरकार में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2009 में वे लोकसभा की सदस्य चुनी गईं और विपक्ष की पहली महिला नेता बनीं। वर्ष 2014 में वे विदेश मंत्री बनीं। वे विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रहीं और उन्हें उत्कृष्ट सांसद का सम्मान भी प्राप्त हुआ था। वे जन्मजात प्रतिभा वाली संवेदनशील महिला थी। उन्होंने साहस, प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से कार्य किया और भारतीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जायेगा। उन्होंने विदेशों में फँसे हुए अनेक

कामगारों को भारत लाने का कार्य किया। उनके निधन से भारतीय राजनीति को अत्यधिक क्षति हुई है।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! आपको यह जानकर अत्यधिक दुःख होगा कि दिनांक 25 जुलाई, 2019 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सुशील चौधरी का निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। वे वर्ष 1983 से 1990 तक महानगर पार्षद रहे तथा पहली बार वर्ष 1998 में दिल्ली विधान सभा के सदस्य चुने गये और वर्ष 2003 में पुनः निर्वाचित हुए। वे कस्तूरबा नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वाध्याय और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में बखूबी उठाया और जनकल्याण के लिए कार्य किया। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री सुशील चौधरी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की षक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! आपको यह जानकर अत्यधिक दुःख होगा कि दिनांक 20 जुलाई, 2019 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मांगे राम गर्ग का निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। वे वर्ष 2003 में वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र से तीसरी दिल्ली विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। समाज सेवा तथा धार्मिक स्थलों के भ्रमण में उनकी गहन रुचि थी। दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ी समस्याओं को सक्रियतापूर्वक उठाया। दिल्ली की राजनीति में उनकी कमी

को हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री मांगे राम गर्ग के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! आपको यह जानकर अत्यधिक दुःख होगा कि दिनांक 21 मार्च, 2019 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मोती लाल सोढ़ी का निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। वे वर्ष 1993 में पहली बार दिल्ली विधान सभा के सदस्य चुने गये थे और वर्ष 2003 में पुनः राम नगर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। जन प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा और सजगतापूर्वक कार्य किया।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री मोती लाल सोढी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! आपको यह जानकर अत्यधिक दुःख होगा कि दिनांक 16 मार्च, 2019 को दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व सदस्य श्री दलजीत कुमार टंडन का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे वर्ष 1972 से 1977 तक महानगर पार्षद रहे तथा दरियागंज क्षेत्र से चुने गये थे। वे वकालत भी करते थे और उनकी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष रूचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में बखूबी उठाया और जनकल्याण के लिए कार्य किया।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री दलजीत कुमार टंडन के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना

करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अब हम सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन द्वारा दो मिनट के लिए मौन धारण किया गया)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी,

सदन में अव्यवस्था

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं बोल रहा हूँ विजेन्द्र जी, मैं बता रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम–54 तथा नियम–55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा, ध्यानाकर्षण नियम–144 में बधाई प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों को...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठें।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य वेल में आ गए।)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ढ़ाई बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार शाँत हो जाएँ। मैं माननीय सदस्यों से... अजय दत्त जी, जरा सुन लीजिए एक बार। अजय दत्त जी। दो मिनट शाँत हो जाएँ। अजय दत्त जी दो मिनट प्लीज। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, मैं फिर पढ़ रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया बैठें। अजय दत्त जी, बैठिए। हाँ, मैं ले रहा हूँ बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कृपया बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने स्थान पर बैठें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया शाँत हो जाएँ। माननीय सदस्यगण! अपने स्थान पर बैठिए तो सही।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण! मैं सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को... मैं माननीय सदस्यों से... बैठिए—बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य अपने स्थान पर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठिए सब। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। प्लीज बैठिए। सभी सदस्य बैठें अपने स्थान पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही पौने तीन बजे तक स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 2.47 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः राखी जी, आप चलिए। राखी जी, अपनी सीट पर चलिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्षः राखी बिड़ला जी, राखी जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। राखी जी, वापस चलिए अपनी सीट पर। राखी जी, आप सीट पर चलिए पहले। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, जरा आप दो मिनट रुकेंगे? तभी तो चर्चा कराऊँगा। आप शोर मचाते रहेंगे, चर्चा कैसे करा लूँगा?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, चर्चा कैसे करा लूँगा? शोर मचाते रहेंगे। शान्त होंगे तभी तो बात बनेगी न। मैं सदस्यों की भावनाओं और पूरे सदन की भावनाओं को देखते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। आज कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी ताराँकित और अताराँकित प्रश्नों के उत्तर सदन—पटल पर प्रस्तुत कर दिए जाएँगे और नियम—280 के अन्तर्गत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के मामलों को भी पढ़ा हुआ माना जाएगा।

ध्यानाकर्षण (नियम—54)

अब श्री विशेष रवि जी, डीडीए द्वारा तुगलकाबाद क्षेत्र में गुरूजी रविदास जी के ऐतिहासिक मन्दिर को गिराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः जी, बहुत—बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करायी है। अध्यक्ष जी, 9 अगस्त की शाम को हर रोज की तरह गुरूजी रविदास मन्दिर जो तुगलकाबाद में फॉरेस्ट क्षेत्र में पड़ता है, हर रोज की तरह शाम को 7:00 बजे के आस—पास वहाँ

सत्संग चल रहा था और लगभग 8 और 8:30 बजे के बीच में हजारों की संख्या के अंदर पुलिस बल ने अचानक उस पूरे मंदिर परिसर को उन्होंने आ के घेर लिया। सत्संग चलते वक्त वहाँ पर महिलाएँ भी उपस्थित थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, संचालन समिति के सदस्य भी थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ और इतने पुलिस बल और इतनी सुरक्षा अचानक कैसे मंदिर के आसपास आ गई! एक घंटे बाद सुरक्षा बल और पुलिस के लोग मंदिर में घुसते हैं और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे, सत्संग कर रहे थे, उन सभी को एक कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं और ये कहा जाता है कि आप सब जो है, जब तक मंदिर तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाती है, आप सबको कहीं जाने की अनुमति नहीं है। आप सब लोग वहीं रहेंगे। देर रात तक यही चलता रहा और सुबह 6:00 बजे डीडीए के अधिकारी वहाँ बुलडोजर ले के पहुँचते हैं। लगभग 8:00 बजे, 10 तारीख को सुबह, लगभग 8:00 बजे डीडीए के लोगों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया। लगभग दो घंटे के अंदर डीडीए ने एक–एक कर पहले समाधि वाला कमरा, उसके बाद जिस कमरे के अंदर सत्संग होता था, वो कमरा और उसके बाद आस–पास का जो एरिया था, उस सारे एरिया को तोड़ दिया। वहाँ पर उपस्थित लोगों ने, जो सत्संग कर रहे थे, महिलाएँ जो रात से वहाँ पर उपस्थित थी और जो दूसरे लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने डीडीए के अधिकारियों से और पुलिस कर्मियों से ये मंदिर को तोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि आप ये जो काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हजारों साल से स्थापित इस स्थल पर जहाँ पर गुरूजी जी की मूर्ति है और प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे इस तरह से आप मंदिर को तोड़ देना, वो ठीक नहीं है और इससे लाखों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचेगा। लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने और पुलिस के अधिकारियों ने नहीं सुनी और न सिर्फ मंदिर तोड़ा बल्कि जो मंदिर से

जुड़ी हुई पुरानी प्रतिमाएँ थी और जो वहाँ पर जो पुराने कागजात रखे हुए थे मंदिर के और जो ग्रंथ जो रखा हुआ था, मंदिर का पुराना, उसकी भी बेअदबी की गई, वहाँ अधिकारियों द्वारा, डीडीए और पुलिस अधिकारियों के द्वारा। 10 तारीख को ही ये जो जमीन है, ये जहाँ–पनाह सिटी फॉरेस्ट के नाम से है जो दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और टोटल एरिया इसका 1000 एकड़ का है जिसमें 12 बीघा की जमीन, ये मंदिर परिसर के पास थी, 10 तारीख को जब इस मंदिर को वहाँ ढहाया गया, तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो एक कोना, यानि एक हजार एकड़ की ये जमीन के अंदर चारों तरफ डीडीए का फॉरेस्ट एरिया था, उसमें 12 बीघा की जमीन मंदिर के पास थी और उसी का दरवाजा सिर्फ खुला हुआ था, बाकी पूरे एरिया की बाउंडरी हुई–हुई थी। 10 तारीख को मंदिर ढ़हाने के बाद जो दरवाजा, जो मंदिर को जाता था, उसको सील कर दिया गया, दीवार से चिनवा दिया गया और उसी के बाद से पूरे देश के अंदर ये खबर चली और धीरे–धीरे लोगों को पता लगता गया, ये कैसे इतने पुराने प्राचीन मंदिर को डीडीए ने वहाँ पर पुलिस बल का उपयोग करते हुए उसको तोड़ दिया।

सर, इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो अखबारों के माध्यम से पिछले 4–5 दिन के अंदर सभी को खबर लगी है लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ सदन की जानकारी के लिए रख रहा हूँ कि 1509 के अंदर संत गुरूजी रविदास जी जब बनारस से पंजाब के लिए जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम करने के लिए इस जगह पर रुके थे और यहाँ ठहरने पे, वहीं उनके अनुयायियों ने मिल के एक कुँआ भी खोदा था जो आज भी वहाँ मौजूद है और उसी समय वहाँ पर जो उस समय के एक राजा थे, जो लोधी साम्राज्य से आते थे, तानाशाह वो राजा थे लेकिन उन्होंने गुरूजी जी से प्रभावित होकर और गुरूजी जी ने जब उनको नाम दान दिया तो उन्होंने गुरूजी को वो स्थान, उनको दिया और कहा कि आप यहाँ पर रहें और यहाँ पर अपना मंदिर

बनाकर अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर आप पूजा अर्चना करें। गुरूजी जी तो कुछ समय के बाद वहाँ पर अपना संदेश और अपना विचार लोगों को प्रवचन के माध्यम से चले गए लेकिन उसके बाद से ही सन् 1509 के बाद से ही वहाँ पर हजारों सालों से जो रवि दास जी, गुरूजी जी के जो हमारे अनुयायी हैं, हम सब लोग, हमने वहाँ पर उस मंदिर को, गुरूजी जी का स्थान मानकर वहाँ पर डेली पूजा–अर्चना और सत्संग से वहां, मंदिर की कार्यवाही चल रही थी।

सर, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से डीडीए का रुख रहा और उसके बाद जिस तरह से माननीय कोर्ट का रुख रहा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस तरह से डीडीए ने इस मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया; जब ये मामला कोर्ट में पहली बारी गया तो एक लोकल कमिश्नर एप्वाइंट किए गए, उन लोकल कमिश्नर की ड्यूटी ये लगाई गई कि आप जाएं, आप ये देखें और बताएँ कि इस मंदिर के पास कितना एरिया था, ये कितना प्राचीन है, कब से ये मंदिर वहाँ पर है और ये मूर्ति स्थापना और जगह जो है, मंदिर संचालन समिति के पास कब से है। ये जो लोकल कमिश्नर एप्वाइंट किए गए थे, अंसुल वर्मा उनका नाम था और उन्होंने कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट सब्मिट करी कि ये जो मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, इसके फर्द वगैरह भी, समिति के लोगों ने उन लोकल कमिश्नर को सुपुर्द किया। वो भी उन्होंने वहाँ पर लगाया और लोकल कमिशनर ने ये कोर्ट को बताया कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पर बहुत समय से लोग यहाँ पर आस्था कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है। न सिर्फ मंदिर पुराना है, बल्कि यहाँ पर जो देश के पूर्व प्रधान मंत्री रहे हैं, बाबू जगजीवन राम जी, उन्होंने भी सन् 1964 के अंदर यहाँ पर आकर मंदिर की एक नई इमारत का शिलान्यास किया था और उन्हीं के द्वारा उस मंदिर की इस

इमारत को को बनाया गया था। ये भी उन्होंने रिकॉर्ड में डाला और ये कोर्ट के सामने रखा गया, सारी चीजें बताई गई लेकिन न जाने क्या कारण रहे और कोर्ट को वो बात समझ में नहीं आई और उसके बाद भी कोर्ट की तरफ से ये डाइरेक्शन मंदिर के विरूद्ध में गई।

हमारा ये कहना है कि क्योंकि ये मंदिर इतना पुराना था तो डीडीए का रुख और शहरी विकास मंत्रालय का रुख कोर्ट के अंदर जिस तरह से होना चाहिए था, वो नहीं रहा। हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ के लोकल साँसद के कहने पर डीडीए ने कोर्ट के अंदर इस पूरी घटना को, उस पूरे विषय को इस तरह प्रस्तुत किया, इस तरह से रखा कि कोर्ट को भी ये लगा कि ये मंदिर जो है, वहाँ पर जो है, वो नहीं होना चाहिए। उसको हटाया गया। लोकल साँसद रमेश विधुड़ी हैं, क्योंकि पिछले पाँच साल से भी वही हैं और अभी भी वही हैं और इस पूरे घटना के बाद, पूरे देश के अंदर जो गुरूजी जी के अनुयायी हैं और जो गुरूजी जी को मानते हैं, जो दलित समाज के लोग हैं और जो गैर दलित समाज के लोग हैं, जो गुरूजी में और संत महात्माओं में विश्वास रखते हैं, उनकी वाणी में विश्वास रखते हैं, उनमें रोष है, भारी रोष है, क्रोध है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनके एक लोकल प्रतिनिधि के द्वारा कोर्ट के अंदर एक विभाग को गलत तरह से प्रस्तुत करना और उसके बाद उस जगह को खाली कराने की जो पूरी कार्रवाई रही है, बहुत ही शर्मनाक रही है। मैं आज सदन के सामने एक रैजूल्यूशन रखना चाह रहा हूॅ और मैं चाहता हूँ कि सदन इस पर विचार करे और उस पर अपना निर्णय ले। आपकी अनुमति से गुरूजी रविदास मंदिर के मामले में संकल्प राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा 22 अगस्त, 2019 को अपनी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो बाद में कर लेंगे, पढ़ लेने दो, बाद में करेंगे।

श्री विशेष रविः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा 22 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में संकल्प करती है कि ये सदन दक्षिणी दिल्ली तुगलकाबाद स्थिति संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने से आहत लाखों भारतीयों की भावनाओं में सहभागी है। यह सदन दलित समुदाय के इस विश्वास का सम्मान करता है कि यह जगह अफगान तानाशाह सिकंदर लोधी द्वारा संत रविदास को दान की गई थी जिसके व्यापक रूप से दलित और अन्य समुदाओं द्वारा पूजा की जाती है। जहाँ यह एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जहाँ स्वयं रविदास कुछ दिन आकर रहे थे और यहाँ दलित समुदाय की पहचान और अधिकारों के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक है। इस मंदिर को तोड़े जाने से न केवल धार्मिक भावनाएँ क्षत–विक्षत हुई है बल्कि दलित समुदाय के संघर्ष का भी इतिहास है।

यह सदन संकल्प करता है कि केंद्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष उनके मामले का समर्थन न करके इस मामले का गलत तरीके से निपटारा किया, जिसके कारण इसका अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण विध्वंस हुआ। ये सदन लाखों लोगों की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुँचाने का भी संकल्प करता है और माँग करता है कि केंद्र सरकार इस पर तुरंत अध्यादेश लाकर यह भूमि संत रविदास मंदिर के लिए आबंटित करे।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि केंद्र सरकार से भूमि आबंटन के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इस जगह पर एक भव्य मंदिर बनाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): धन्यवाद,

अध्यक्ष जी। जो अभी माननीय सदस्य विशेष रवि जी ने एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा और ये बड़ा गम्भीर मुद्दा सदन के सामने रखा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है। दूसरी बात इस स्थान के निर्माण में किसी भी तरह की सरकारी जमीन को कोई कब्जा नहीं किया गया। डीडीए 1957 में बनी है और संत रविदास समिति 1948 में रजिस्टर्ड हुई है और मैं आपके सामने कुछ दस्तावेज रखना चाहूँगा, सदन के सामने, एक तो ये जो केस चला कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो लोकल कमिशनर एप्वांइट हुआ, उसने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट भी मैं सदन के सामने रखूँगा और ऐसे दस्तावेज भी सदन के सामने रखूँगा, जो दस्तावेज ये साबित करते हैं कि सन् 1948 में, 1948–49 में कॉपी ऑफ जमाबंदी जिसमें इस जगह को, उस तालाब का भी नाम भी उस जाति के नाम से था चूँकि, पहले क्या होता था हमारे देश के अंदर, जिस तरह मतलब छुआछूतपन था तो हिंदुओं के मंदिरों में, कुंए पर दलितों को चढ़ने पर पाबंदी थी, उनके कुंए से पानी लेने पर पाबंदी थी। उनके जोहड़ में अपने जानवर लेकर जाने पर या पानी लेने पर पाबंदी थी। उनके जोहड़ अलग होते थे। तो ये दस्तावेज इस बात को साबित करता है कि 1948–49 में यहाँ पर चमार वाला जोहड़ पहले से था, जो हमारे समाज के कब्जे में था, हमारे समाज का था।

दूसरा, 1509 में जब संत गुरूजी रविदास जी सिकंदर लोधी जी के सामने वहाँ आए थे और उनको नाम देने के बाद, नामदान देने के बाद जब ये जगह उनको दी गई कि आप यहाँ अपना आश्रम बनाइए, तो उन्होंने अपनी छोटी सी वहाँ कुटिया बनाई थी और कुछ दिन के बाद अपने शिष्यों को वो अपना संदेश देने के बाद वहाँ से चले गए। तो तब से लगातार उनके शिष्य वहाँ पर, उसी जगह पर पूजा अर्चना का काम करते आये।

1959 में उस वक्त के हमारे समाज के बहुत बड़े नेता – बाबू जगजीवन राम जी, उन्होंने खुद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके 1959 में उसका अनावरण किया था और ये संस्था 1948 में रजिस्टर्ड हुई थी। ये सारे दस्तावेज और ये लोकल कमिशनर की रिपोर्ट ये साबित करती है कि ये जगह मंदिर समिति की थी। मंदिर समिति ने किसी ग्रीन बेल्ट में या जहाँपनाह सिटी फॉरेस्ट में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया। ये तो डीडीए बहुत बाद में बनी है। उससे पहले 'दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट' था। उसके बनने से भी पहले से यहाँ पर पूजा अर्चना काम चलता आ रहा था। हमारे धर्म गुरूओं की वहाँ पर समाधि भी बनी हुई थी।

इतने सारे तथ्य होने के बावजूद क्या डीडीए ने जिस तरीके से कोर्ट में बात को रखा, इन सारे तथ्यों को छुपाकर जिस तरह की जो प्रजेंटेशन कोर्ट के अंदर हुआ और उसके बाद इस जगह को, जिस तरीके से इस मंदिर को तोड़ा गया, 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, ये साफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और ये अचानक से नहीं हुआ है। जब आप सिलसिले वार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनी, उसके बाद से अगर आप एक–एक करके देखेंगे और तथ्यों को, कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल मामला मंदिर का नहीं है, ये मामला मानसिकता का है। ये दलितों के खिलाफ जो सोच है, ये मामला उस सोच का है। जैसे ही इनकी सरकार बनी उना के अंदर, गुजरात के अंदर जिस तरीके से हमारे लोगों को ये कहते हुए कि ये जानवर की खाल उतार रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि क्या जानवर की खाल उतारने का काम कोई नया शुरू हुआ है? क्या समाज का जब वर्गीकरण आर्यन्स ने भारत में आने के बाद किया और हमारे लोगों को चौथे पायदान पर शूद्र के रूप में और अछूत के रूप में हमारा वर्गीकरण कर दिया और हमारी जिम्मेदारी लगा दी। हमारे समाज को इतनी

सारी जातियों में बाँट दिया; किसी को काम दिया– आपका काम साफ सफाई का, झाडू लगाने का, लैट्रिन उठाने का है। किसी को काम दिया – आपका काम जानवरों को उठाकर उनकी खाल उतारने का, उसको डिस्पोज करने का, चूँकि अगर वो ऐसा न करते तो महामारी फैल जाती, ये काम दिया गया। किसी को कुंए से पानी लाकर, पानी देने की जिम्मेदारी दी। कुछ को गाय भैंस पालने की या जिनकी बकरियाँ होती थी, उनको चराने की जिम्मेदारी दी। यानी कि काम के हिसाब से समाज का वर्गीकरण किया। तो जिन जातियों को जानवर उठाकर, मरे हुए मवेशियों को उठाकर उनकी खाल उतारने का काम दिया और आजादी के बाद तो उसके ठेके छूटते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी होती है, कहीं भी अगर कोई जानवर मरता है, अगर गउशाला में जानवर मरते हैं तो गऊशाला वाले म्युनिसिपैलिटी को सूचना देते है कि हमारे यहाँ इतने जानवर मर गए, आप ये उठाकर ले जाइए। और टेंडर भी करोड़ों रूपये में छूटते हैं। वो जो लोग थे, उना के अंदर जो खाल उतारने का काम कर रहे थे, वो कोई अवैध काम तो नहीं कर रहे थे, वो कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह उनके कपड़े उतारकर, नंगे बदन पर लोहे की रॉड से जिस तरह उनकी पिटाई की गई, ये मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह गुजरात के अंदर एक व्यक्ति को मूँछ रखने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई कि तुम मूँछ रखोगे तो हम क्या रखेंगे? जिस तरह यू.पी. के कानपुर के अंदर हमारे एक युवा ने शादी अपनी घोड़े पर निकालने की बात की और वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि हम घोड़े पर आपकी बारात नहीं निकलने देंगे। उस युवा ने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट की शरण ली और कोर्ट से परमिशन माँगी कि मुझे पुलिस की मदद उपलब्ध कराया जाए ताकि मैं घोड़े पर बारात निकाल सकूँ और यू.पी. में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहाँ पर कोर्ट में जवाब दिया कि हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है, हम

इस तरह की कोई मदद इस व्यक्ति की नहीं कर सकते। क्या इतनी भी पुलिस नहीं है कि एक युवा की शादी की बारात को घोड़े पर चढ़कर निकलने दें? ये मानसिकता का सवाल है सर, और रही बात जैसे अभी आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर। हमारे अयोध्या न्यास कमिटी के जो बड़े–बड़े वकील पेश हो रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े–बड़े वकील पेश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रूफ तो हमारी आस्था ही प्रूफ है। आपकी आस्था तो प्रूफ है और हमारी आस्था? हमारी तो आस्था से बढ़कर ये दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों के होने के बावजूद, एक तरफ तो आप आस्था को प्रूफ मानते है और दूसरी जब डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है, आप उसको प्रूफ नहीं मानते हैं। ऐसे नहीं चलेगा।

इसके बाद जिस तरह आपको पता होगा; हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई, उनको कम्पेल कर दिया, उसको होस्टल से बाहर निकाल दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। वो एक सांस्थानिक हत्या थी। इस तरह कब तक चलेगा?

इसी तरह का एक केस आपको याद होगा सफदरजंग हॉस्पीटल के अंदर हमारे 25 बच्चों को कई साल तक लगातार फेल किया गया। उसके बाद वो मुद्दा संसद के अंदर उठा। संसद के अंदर उठने के बाद हाई कोर्ट ने उन कॉपियों को बाहर जाँचने का ऑर्डर किया। जब वो कॉपियाँ बाहर जाँच करवाई गई तो वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। इस तरह का अत्याचार देश के अंदर चलेगा क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, देश मंदिरों को तोड़ने से नहीं बनता, देश दिलों को जोड़ने से बनता है। आप दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, मंदिरों को तोड़ने का काम बंद कीजिए।

आपका मन्दिर, मन्दिर है और हमारा मन्दिर, मन्दिर नहीं है। आपकी आस्था, आस्था है और हमारी आस्था, आस्था नहीं है। ये नहीं चलेगा। ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या डीडीए को केन्द्र की सरकार को तथ्यों को कोर्ट के सामने ठीक से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था? क्या डीडीए अगर बीजेपी के मुख्यालय के लिए इतने मतलब इतनी महत्वपूर्ण जगह पर इतना बड़ा प्लाट दे सकती है डीडीए के, एमसीडी बीजेपी का मुख्यालय बनाने के लिए तो क्या रविदास मन्दिर की थोड़ी सी जगह को नहीं छोड़ सकती थी? रविदास मन्दिर बनाने के लिए किसी पेड़ को काटने का काम नहीं किया गया। वहाँ पर पेड़ बाग में बने हैं; 500–600 साल से वहाँ पर पहले से ही एक छोटी सी कुटिया थी। मन्दिर 1959 में उसको पक्का करके दोबारा बनाया गया। तो ये जो किया जा रहा है, ये हमारी आस्था को कुचलने का काम किया जा रहा है।

अभी अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा, तीन दिन पहले, मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। एक–एक करके भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, न केवल हमारे समाज के लोगों पे जुल्म बढ़े हैं बल्कि एक–एक करके वो अपनी मानसिकता को अपने एजेंडे को लागू करने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास आज ही सूचना मिली, अभी परसों कड़कड़डूमा कोर्ट के अन्दर मनुस्मृति बाँटी जा रही हैं। देश के अन्दर संविधान का शासन चलेगा या उस मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा जो लोगों को जातियों में बाँटता हैं। जो लोगों के दिलों में फ्रैक्शन पैदा करता है। जो देश को तोड़ने की योजना तैयार करता है, उससे देश चलेगा। मनुस्मृति का मतलब अगर किसी जुर्म को कोई ब्राह्मण करे तो कोई सजा नहीं। उसी जुर्म को अगर कोई क्षत्रिए करे तो चार कोड़े, उसी जुर्म को कोई अगर वैसे करे तो आठ कोड़े और उसी जुर्म कोई अगर शूद्र करे

तो 12 कोड़े ऐसा अन्याय पर आधारित विधान मनुस्मृति क्या उससे देश चलना चाहिए? क्या वास्तव में उससे भारत, भारत बनेगा, क्या उसे भारत एकजुट होगा, क्या उससे भारत ताकतवर होगा? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, देश दिलों को जोड़ने से बनेगा, तोड़ने से नहीं बनेगा। तो आज इस सदन में कुछ इस प्रकार के तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखने के लिए मजबूर हुआ हूँ। जैसा अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही महीने पहले बॉम्बे के अन्दर डॉ. पायल तड़वी जो एमडी का कोर्स कर रही थी, उसको उसके साथी डॉक्टर्स ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया, उसकी अनुसूचित जनजाति का होने की वजह से इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। तो पहले रोहित वेमुला सुसाइड करते हैं, उसके बाद पायल तड़वी करती है और पायल तड़वी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने वाले लोगों के बारे में पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि वो जान–बूझ के जातिगत टिप्पणियाँ करते थे, फब्तियाँ करते थे और उसका वो सुसाइड नोट भी मिल गया। इसके बावजूद उन कसूरवार डॉक्टर्स को तीन–तीन महीने भी नहीं हुए उससे जमानत हो गई। ये मानसिकता का मामला है। ये देश को मजबूत करने वाला नहीं है, ये देश को तोड़ने वाला है। मुझे लगता है इंसान–इंसान सब बराबर हैं, सबका खून एक है। अगर किसी की जान जा रही हो, उसको खून की जरूरत हो तो क्या वो ये कहेगा मुझे तो इस जाति का खून चाहिए या वो ये कहेगा, कोई भी खून दे दे, मुझे 'ओ ग्रुप' चाहिए तो वो कोई भी दे दे चाहे, मेरी जान का सवाल है। वहाँ तो कोई जाति नहीं पूछता। अगर किसी की किडनी खराब हो गई और किडनी डोनेट करने वाली बात आए, वहाँ तो कोई जाति नहीं पूछता। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए, जिस तरीके का आजकल व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह पक्षपातपूर्ण रवैया इख्तियार किया हुआ है, उससे देश मजबूत नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष जी, आज सवाल ये है कि देश मजबूत कैसे हो? मजबूत तो तब होगा जब देश की सरकारें सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। अभी पिछली सरकारों ने जान–बूझ के सरकारी स्कूलों के अन्दर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, पहले क्या था, कोई अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी, किसी ने मजबूरी की, किसने डिमांड की कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई। सब जानते हैं, सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे आगे न बढ़ पाएँ, इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की, ताकि वो कुछ सीख न पाएँ। आठवीं तक लगातार ऐसे ही पास हो जाए और उसके बाद नौवीं में फेल हो के स्कूल से बाहर। ये तो डिमांड बच्चों ने नहीं की थी, ये डिमांड तो बच्चों के पैरेंट्स ने नहीं की थी। तो ये जो मामला है पक्षपात का, ये जो मामला है गरीब को और गरीब बनाने का, ये जो मामला है कमजोर को और कमजोर बनाने का, इससे देश मजबूत नहीं होगा। मुझे लगता है सबको, सभी राजनीतिक दलों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर प्रखरता से सामने आना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, अगर हरदेव पुरी जी चाहते तो उस जगह को बचा सकते थे। आपको याद होगा। मैंने खुद 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी और मैंने उनसे निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इससे 40 करोड़ लोगों कि आस्था का सवाल है। आप इस जगह को जल्दी से वापस दीजिए, मन्दिर को वापस पुनःस्थापित करवाइए। लेकिन मेरी 12 अगस्त, 2019 को लिखी चिट्ठी का न कोई जवाब आया, न केन्द्र की सरकार ने, न उनके किसी मंत्री ने उसका कोई जवाब दिया। उसके बाद 19 तारीख को हमने बीजेपी के मुख्यालय का घेराव किया, उस दिन भी हमने माननीय प्रधान मंत्री जी से और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया कि कृपया आप

इस जगह को वापस समाज को दीजिए, वापस मन्दिर पुनःस्थापित करवाइए, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मजबूरी में आप तो कहेंगे, पूरे देश... मैं कहता हूँ, मेरे पास इस बात के पूरे फोटो सहित प्रमाण हैं। देश में ही नहीं, दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल अमेरिका में भी प्रदर्शन हुआ है, परसों इंग्लैंड में प्रदर्शन हुआ है, अभी पीछे आस्ट्रिया में प्रदर्शन हुआ है, जर्मनी में प्रदर्शन हुआ, आस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुआ है, फ्रांस में प्रदर्शन हुआ है। वहाँ पर जो संत गुरूजी रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर देश के अन्दर पंजाब बंद है, पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं, हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिमाचल में प्रदर्शन हो रहे हैं, राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस छोटी सी जगह के लिए। सवाल मन्दिर का नहीं है, सवाल आस्था का है। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, मन्दिर को बनवाने के लिए और एक तरफ बना बनाया मन्दिर जिसका प्रमाण सब कुछ है, उसको तोड़ दिया गया। ये केन्द्र की मानसिकता, ये प्रदूषित मानसिकता है। ये नहीं चलेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के बीच में जो अभी हमारे विशेष रवि साथी ने जो रखा है प्रस्ताव, मैं भी उसके समर्थन में हूँ और वो प्रस्ताव सदन में पास किया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री सही राम जी।

श्री सही रामः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, जब कभी किसी अखबार में या किसी न्यूज में तुगलकाबाद की चर्चा आती है या उसकी खबर आती है तो उस समय जितने भी लोग हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं या

जानना चाहते हैं, वो राजा तुगलक के इतिहास को देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उसका अपना एक इतिहास है और जब राजा तुगलक की याद लोग करते हैं तो उससे पहले संत रविदास जी को भी याद करते हैं। जैसा मेरे साथियों ने बताया कि ये मन्दिर जिस तरह से... मैं तो कहूँगा जिस तरह से वो राजा तुगलक का किला एक देश की धरोहर थी और ये मन्दिर उससे भी पहला था तो मैं कहूँगा कि ये भी एक देश की धरोहर ही मानी जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1954 में संत रविदास जी के अनुयायियों ने यहाँ पर मन्दिर की स्थापना की थी। अध्यक्ष महोदय, जब ये मन्दिर की स्थापना हुई उस समय डीडीए डिपार्टमेंट का ही गठन नहीं हुआ था, न उस समय कोई वन विभाग था, तो ये डीडीए की प्रोपर्टी कैसे बनी? ये एक सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, इस मन्दिर में एक चमत्कारी तालाब भी है जिसका हमारे मंत्री जी ने जिक्र किया जो कि अभी भी है। जिसका जिक्र मंत्री जी थोड़ा उच्चारण गलत कर गए वो चारवाड़ा। अध्यक्ष महोदय, वहाँ एक विषमकारी... आबादी मौजूद है और इतना ही नहीं, वहाँ गुरूजी जी के एक ओर उनके शिष्यों की समाधि भी है। अध्यक्ष महोदय, जिनको पुलिस द्वारा तोड़ दिया गया। इन सब बातों से ये ज्ञात होता है कि ये कितना पवित्र स्थल था और लोगों की कितनी बड़ी आस्था इस पवित्र स्थान के लिए थी। डीडीए और केन्द्र सरकार ने अपने इस षड़यंत्र का शिकार इसे बनाया और मन्दिर को दिनांक 10/07/2019 को तोड़कर इस पवित्र जमीन को हड़पने का काम किया है। मैं तो कहूँगा, इस बहुत बड़े षड़यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि मुझे जो जानकारी आई, मेरी विधान सभा से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है और मेरी विधान सभा की ही खतिया खतौनी में इस जमीन की चर्चा है। वहाँ के लोगों ने जो यहाँ संत रविदास जी के सेवक लोग हैं, जो उनकी आराधना पूजा वहाँ करते थे, अर्चना करते हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया अध्यक्ष महोदय, कि

कुछ समय पहले यहाँ उस मन्दिर में जो ये 12 बीघा 7 बिस्वा जमीन है, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने एक हजार गज का प्लाट माँगा था और ये कहा था कि तुम्हारी जमीन को कुछ नहीं होगा।

श्री सौरभ भारद्वाजः कौन? विधूड़ी जी?

श्री सहीरामः एक ही तो शहंशाह, जन भू–माफिया, भू–माफिया एक ही तो है जिसने पूरे संगम विहार और तुगलकाबाद बेचकर खा गये। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है, मुझे तो अध्यक्ष महोदय, इसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ लगता है, उनका षड़यंत्र है इसमें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई उनकी आवाज सुनने दीजिए प्लीज।

श्री सहीरामः तो उन्होंने इस तरह से इसमें कार्रवाई करने का काम किया। संत श्री रविदास जी किसी एक समाज के प्रतीक नहीं हैं, वो तो कई धर्मों के प्रतीक हैं। बल्कि गुरूजी रविदास जी महाराज जी को तो सब के आज मंदिर को गिराए जाने के लेकर बाहर के ही नहीं, जैसा मंत्री जी ने चर्चा की कि विदेशों में भी लोग नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मनुवादी सोच के खिलाफ दिनांक 09/08/2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का घेराव कर दिया। 10/08/19 को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, लगभग 500–600 साल पुराने मंदिर का जिसका वर्णन इतिहास में दर्ज है। तो अध्यक्ष महोदय, इतिहास तो हमारा डीडीए से पहले बना था लेकिन पता नहीं, ये बीजेपी वालों ने अगर हमारे डीडीए के गठन करने के बाद अगर इतिहास बनाया हो तो इतिहास वो तो इनके पास ही होगा, देश की जनता के पास नहीं है। साफ जाहिर है कि ये काम किसी खास साजिश के तहत हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा धार्मिक फैसलों में सावधानी बरतते हैं। जैसा कि आपने आज अखबार पढ़ा है, उसकी भी ऐसी भावना रही लेकिन इस मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी धार्मिक भावना का ध्यान नहीं रखा और एक खास वर्ग के लोग फैसला सुनाते हुए, मनुवादी सोच का परिचय दिया है। महोदय, हमारी माँग है कि रविदास समाज की ओर से उनसे जुड़े अन्य समाज की धार्मिक आस्था को जो क्षति पहुँचाई है, उसकी भरपाई के लिए मंदिर का पूर्ण स्थापन फिर से जल्द से जल्दी, वहीं उसी स्थान पर कराया जाए और मंदिर की सारी जमीन फिर से सद्‌गुरू श्री रविदास समाज को वापिस दी जाए।

अध्यक्ष जी, आज इस विधान सभा में तुगलकाबाद के 500 साल पुराने संत रविदास जी के मंदिर को गिराए जाने के विषय में इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। किस तरह से संत गुरूजी श्री रविदास जी का और उनके 30–40 करोड़ अनुयायियों का अपमान किया बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे देश के सवा सौ करोड़ लोगों का ये अपमान है। महोदय, अगर ये इतिहास नहीं होता अध्यक्ष महोदय, तो मैं डीडीए के अधिकारियों से और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरदीप जी से ये जानना चाहूँगा कि अगर ये इतिहास नहीं है तो वहाँ आप जाओगे, वहाँ संत रविदास मार्ग जहाँ से दिनेश मोहनिया जी की विधान सभा शुरू होती है, वहाँ कोने पर बोर्ड लगा हुआ है– 'संत रविदास मार्ग।' उसके आगे जहाँ मंदिर है, उस पर ऐरो मार्क लगा हुआ है – 'संत रविदास मंदिर' और ये बोर्ड दो तीन जगह नहीं है, संगम विहार से लेकर कालका मंदिर तक उस पूरे रोड का नाम 'संत रविदास मार्ग' है। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे किसी आम आदमी के नाम पर तो नाम नहीं रखे जाते, ये तो महापुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं, संतो के नाम

पर रखे जाते हैं, देवी–देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं। तो इसमें मैं अध्यक्ष महोदय, कहूँ, एक बहुत बड़ा षड़यंत्र।

श्री विशेष रविः एक बस स्टॉप भी है।

श्री सही रामः हाँ, बस स्टॉप एक नहीं, कई हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा देश के साथ क्या धोखा होगा। जैसा अभी मंत्री जी ने चर्चा की, एक तरफ तो ये राम मंदिर के नाम पर सरकारें बनाते हैं, वोट माँगते हैं मंदिर के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट में बड़े–बड़े वकील खड़े करते हैं और दूसरी तरफ एक संत महापुरुष का मंदिर तोड़ने में कोई देरी नहीं करते, अध्यक्ष महोदय, कोई देरी नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, एक और अन्याय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा मैं। कुछ साथी प्रेस के कह रहे थे, अभी मेरे पास आए थे, हजारों लोग अध्यक्ष महोदय, मैंने वो दिग्दर्शन कल... उस भय और उस रैली को मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। हजारों नहीं, अध्यक्ष जी, उसमें लाखों लोग थे लाखों लोग, और जब वो मंदिर के पास पहुँचे, कुछ लोग मंदिर प्राँगण में पहुँचे तो इनकी साजिश थी अध्यक्ष महोदय, वहाँ की दोनों तरफ की लाइटें कटवा दीं, बिजली कटवा दी और जब अंधेरा हो गया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले जो साथी थे, जो बिल्कुल शाँति से कर रहे थे; अपना धरना प्रकट कर रहे थे, दोनों तरफ से लाइट काटकर उनके ऊपर पूरी निर्दयता से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और यहाँ तक नहीं रुके ये लोग कि लाठी चार्ज करें, उस अंधेरे में इन्होंने दिल्ली पुलिस से, सीआरपीएफ से गोलियाँ चलवाने का काम किया। ऑन द रिकॉर्ड है। कहीं भी आप चैक कर सकते हो, गोलियाँ चलाने का काम किया। एक तरफ से इन्होंने तो सोच लिया कि इसको भी जलियाँवाला बाग बना दें, जरनल डायर की तरह इस तरह से इनकी हरकतें इतनी गंदी मैं तो कहूंगा, इतना घटिया काम

ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि इसका आने वाले समय में कोई इतिहास बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दो और बड़ी बात हैं...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, सहीराम जी, प्लीज।

श्री सही रामः बस, एक मिनट लूँगा अध्यक्ष महोदय। केन्द्र सरकार के भी आदेश हैं, दिल्ली सरकार के भी आदेश हैं। आज हम कभी अपनी झुग्गी–झोपड़ी वालों की लड़ाई लड़ते हैं तो उसका भी एक रिकॉर्ड होता है और उसके लिए कानून भी है। पहले कानून था; 15 साल पुरानी झुग्गी नहीं हटा सकते, मकान नहीं हटा सकते, कहीं भी बसे हुए हैं। अब वो 2015 कर दिया हमारी सरकार ने कि अगर कहीं 2015 से पहले झुग्गी बसी हुई है तो बिल्कुल पहले उसे वैकल्पिक जगह देकर, तब वहाँ से आप उसे हटाओगे। ये तो 600 साल का इतिहास है, अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें षड़यंत्र नहीं है तो और क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि इतने गंभीर मामले पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमारः बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी। पूरे सदन को जय भीम, जय रविदास। आज जो सदन इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए एक साथ बैठकर के चर्चा कर रहा है, बड़ा दुःख होता है कि इस चर्चा को यहाँ करना पड़ा सदन में। ये इतिहास रहा है अभी तक का कि दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार किये गये थे, आज वो प्रमाण सामने आ गया है। आज जो आम इंसान था, उसके साथ कितने अत्याचार हुए, वो हमने इतिहास में पढ़ा है, अपने पूर्वजों से सुना है। परन्तु आज जो 10

तारीख को घटना घटी दिल्ली के अंदर उसे देखकर ये साबित होता है कि संत महापुरुषों के भी साथ इन्होंने कितना अत्याचार किया था। पूरे देश भर में रोष है, पूरी दुनिया में रोष है कि संत रविदास जी का जो मंदिर इतना पुराना था, जिसका 600 साल पुराना इतिहास है, वो तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। पूरी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, बार–बार कह रहे हैं कि डीडीए की जमीन पर था। क्या संत रविदास जी से पहले डीडीए बनी थी या अब जाकर बनी है? डीडीए का इतिहास कितना पुराना है? 60 साल, 70 साल, 50 साल? ये मंदिर तो इतिहास बताता है कि 600 साल पुराना मंदिर था।

श्री सौरभ भारद्वाजः बीजेपी का इतिहास बताओ।

श्री मनोज कुमारः धूमिल हो जाएगा कुछ साल बाद इनका भी जो काम ये कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बहुत जल्दी 5–7 महीने बाद।

श्री मनोज कुमारः मुझे तो इतना दुःख हुआ, सदन में ये भाजपा के तीन साथी बैठे हैं, जब मैंने अपना रोष प्रदर्शित किया यहाँ पर आकर के वैल में, ये हँस रहे थे हमारे ऊपर। ये विजेन्द्र गुप्ता हँस रहे थे, ये प्रधान जी हँस रहे थे, ओमप्रकाश शर्मा जी हँस रहे थे। ये क्या समझते हैं दलितों को? अगर मेरा खून लाल है, तुम्हारा काला खून है? सिर्फ दलितों को वोट बैंक समझकर रखा है इन्होंने। पूरी दुनिया में आज हा–हाकार मचा हुआ है कि संत रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया गया; दिल्ली पुलिस लगाकर के, सीआरपीएफ लगाकर के, आरएपी लगाकर के और डीडीए ने तुरंत जाकर तोड़ा। एक तरफ मंदिर के लिए तुम वोट माँग कर के सत्ता में पहुँच गए, राम के नाम पर पहुँच गए। इस मंदिर से दलितों की ही नहीं, सभी सर्व

समाज की आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। संकल्प पढ़ा मैंने, अभी इसमें लिखा हुआ है, 'अफगान तानाशाह सिकंदर', तानाशाह सिकंदर नहीं था, उसने संत रवि दास जी के लिए आश्रम बनवाया था, वो जमीन दान की थी, तानाशाह है मोदी सरकार, ये भाजपा, जिसने ये मंदिर तोड़ा है। कल पूरी रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में दलित इकट्ठे हुए। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, मेरी पार्टी के सभी समाज के विधायक इकट्ठा हुए, परंतु इनमें से कोई एक भी गया? पूरे देश भर में संसद के अंदर इतने सारे इनके सांसद हैं, किसी ने एक बार भी टिप्पणी की?

...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः ये यही चाहते हैं कि दलित समाज, ये पढ़ लिख करके आगे क्यों बढ़ गया? इसको कुचलना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। इनकी मंशा साफ–साफ ये दर्शाती है। पूरी दिल्ली में डीडीए की जमीनों पर कब्जा हो रखा है। बिल्डिंरों ने कब्जा कर रखा है, भू–माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, पार्किंगों पर कब्जे कर रखे हैं। परंतु उसको हटाने की इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे धंधे इन्हीं के अपने रिश्तेदार या इनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन एक शूद्र का मंदिर है, एक दलित का मंदिर है, उसको तोड़ दो। उसके बराबर में और भी तो मंदिर थे। पूरी दिल्ली में जगह– जगह मंदिर बने हुए हैं। आज हम कहते हैं कि दिल्ली नशे की तरफ जा रही है, क्यों जा रही है? बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसमें जो चीजें बनी हुई हैं, पार्कों में कब्जे किये गये हैं डीडीए के, उन्हें डीडीए नहीं हटा सकती। डीडीए हटा सकती है। तो सोचते हैं, कौन कमजोर दिखता है, मैं उसको हटा के ये बार बार टेस्ट कर रहे हैं दलितों को। अभी पीछे रोस्टर जब इन्होंने हटाया, तब चेक करा कि दलितों में करेंट है कि नहीं है, प्रदर्शन होगा

कि नहीं होगा। जब हुए, तो वापस ले लिया। आज मंदिर तोड़ दिया। जगह जगह पर बाबा साहब की मूर्तियाँ खंडित करवाई जाती हैं। भगवान बुद्ध के बुद्ध विहारों को तोड़ा जाता है। दलितों को पकड़के बाँध करके मारा–पीटा जाता है कि तुम हमसे आगे क्यों चला गया? हमारे जानवर को पानी क्यों नहीं पिलाया? ये अध्यक्ष जी, अब दिल्ली में भी शुरू कर दिया भाजपा ने। पूरे देश भर में तो इन्होंने असहिष्णुता का माहौल बना रखा है, अब दिल्ली के अंदर भी मैं कहूँ कि मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ। मनु सुरक्षित है तो मुझे नहीं पता, शाम को भाजपा के लोग जाके हमला करके मुझे मार देंगे। ये स्थिति पूरी दिल्ली के अंदर बनाके माहौल तैयार किया जा रहा है।

सिकंदर–लोधी को तानाशाह बोल रहे हो। मानते हैं, तानाशाह था सिकंदर। लेकिन मेरे गुरूजी के लिए उसने साष्टांग प्रणाम करके निवेदन करा था, पत्र भेजा था कि आप राजस्थान जा रहे हैं नीरा को देखने, तो एक दिन मेरे दिल्ली में आकर के रुकें। आप मेरी जनता को प्रवचन दें, तब वो जाकर के उनका सेवनार वो आश्रम बनवाया गया था। वो इतिहास जो एक धूमिल करना चाहते हैं, दलितों का इतिहास, इतनी आसानी से नहीं होगा। ये मूल निवासी इस देश के हैं और अगर भागेंगे तो वो लोग भागेंगे, जिनकी सोच दलित विरोधी है।

अध्यक्ष जी, जब उस मंदिर का जीर्णोधार किया गया, तो उस मंदिर का फीता काट के, रिब्बन काट के उद्घाटन करके बाबू जगजीवन राम जी ने, वो समाज को दिया। तब भी तो डीडीए थी, तब भी तो रोका जा सकता था। लेकिन नहीं, सिर्फ इन्होंने एक मोनोपॉली बनाई है कि पहले बाबा साहब को टारगेट किया, क्योंकि दलितों के मसीहा वो रहे हैं। आज जो दूसरा एक ग्रुप है, जो हिंदू धर्म में है, जो रैदास धर्म है, जो रैदासी

हैं, जो गुरूजी संत रविदास जी को मानने वाले हैं, अब उनके मंदिर पे हमला किया गया। इन्हें लगा कि दिल्ली के अंदर इतने लोग नहीं हैं। उनके अनुयायी नहीं हैं, उनके फोलोअर्स नहीं हैं। शायद ये भाजपा भूल गयी, ये डीडीए भूल गयी कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उनका फोलोअर हैं। हर समाज का, हर धर्म का व्यक्ति उनको जानने वाला है, उनके मानने वाला है। वो एक ऐसे संत थे, जिनके आगे सब नतमस्तक हुए। जिन्होंने समरसता का पाठ पढ़ाया, सभी समाज को इकट्ठा किया, सबको धर्म का मार्ग दिखाया कि हम सब बच्चे एक ही धर्म के हैं। हम एक ही परिवार के हैं। हम उसी ईश्वर की संतान हैं, जिसकी हम सब हैं। परंतु आज जो बाँटने का काम किया, जो काम भाजपा ने सहारनपुर में किया। पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए मनोज जी, प्लीज। कन्क्लूड करिए।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, कुछ समय और लूँगा। जब वहाँ पे हिंदू–मुसलमान नहीं हुआ, तो वहाँ पे दलित वर्सेज हिंदू कर दिया। ये कौन सी राजनीति कर रही है भाजपा? क्या आज भी आप हमें हिंदू मानने को तैयार नहीं हैं। हमें मंदिरों में जाने और प्रवेश करने के अधिकार नहीं हैं। हम आपके साथ बैठ के इस सदन में चर्चा करें, क्या इसका अधिकार नहीं है? मेरे अभी साथी ने सबके सामने अपना रोष प्रकट किया। इतना दुःखी, इतना परेशान हो रहा है, उसने कहा, 'मुझे मारो। तुम बाहर मार रहे हो, तुम सदन में मारो।' हम कहीं तो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। वो कौन सी जगह होगी, जहाँ हम ये कहेंगे, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे गुरूजी जी का मंदिर है, ये बाबा साहब की चौपाल है, ये भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार है। यहाँ तो मैं सुरक्षित हूँ? यहाँ वो चीजें भी सुरक्षित नहीं हैं। ये स्थिति जो पूरे देश भर में इन्होंने पैदा करके रखी है।

अध्यक्ष जी, एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा, जो मैंने पढ़ा था। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी की छुट्टी होती थी रविदास जयंती पे। गाजियाबाद में हम लोग थे, तो वहाँ से मेरी मम्मी दो दिन पहले हम सब को लेके करोल बाग जाती थी कि वहाँ पे झाँकी निकलेगी; बाबा साहब और रविदास जयंती की। उसके लिए घंटो खड़े होते थे, हम देखने के लिए। मुझे ये नहीं लगता है कि आज 26 जनवरी देखने लोग जाते हों, लेकिन मेरा परिवार उस आस्था से जुड़ा हुआ है। मेरी विधान सभा उस विचारधारा से जुड़ी हुई है। मेरे यहाँ गुरूजी रविदास मंदिर है, जहाँ पे पूजा, पाठ, कीर्तन होता है। वहाँ पे जब बातें हुईं, तो इतना दुःख मेरी कांस्टीट्टुएंसी में है, जहाँ पे अम्बेडकरवादी और रैदासी समाज के लोग रहते हैं कि कल पूरा राम लीला मैदान में पूरी विधान सभा पहुँची हुई थी। अलग –अलग किसी भी दल के लोग–व्यक्ति रहे, लेकिन कल एक समाज पूरा पूरा रामलीला मैदान में रहा। तो एक मैं किस्सा सुनाना चाह था कि वो ये है अध्यक्ष जी, कि जिस समय संत रविदास जी थे, तो उन्होंने इतने उच्च कोटि के वो संत थे। वो तिलक लगाते थे, जनेऊ धारण करते थे। मनुवादी लोगों को वो पसंद नहीं आया। वो बार–बार उनकी बुराइयाँ करते थे, सारी जगह चर्चाएँ करते थे कि ये **XXX**[1] होके ऐसी बातें करता है, तिलक लगाता है, जनेऊ पहनता है, ये हमारे समाज के खिलाफ है, जो मनुवादी लोग थे। उन्होंने राजा से शिकायत करी कि जी, ये ऐसे–ऐसे काम करता है ये संत। ये हमारे बराबर में खड़ा हो रहा है, हमारे साथ पढ़ना चाहता है, हमसे उच्च कोटि का संत हो रहा है। इसको रोको। राजा ने उन्हें बुलाया। जब उन्होंने बुलाया वो सारी बातें हुई। जो मैंने पढ़ा, उसमें ये था कि उन्होंने अपनी छाती चीर दी। दिखाया उन्होंने कि मैं कितना बड़ा संत हूँ। वो घटना जब सदन में घटी। उस राज महल में घटी, तो राजा ने साष्टाँग होकर के उनसे क्षमा याचना की। पूरे सदन, जो लोग वहाँ पे थे मनुवादी भी, वो भी साष्टाँग

XXX[1] चिह्नित शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।

हुए कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गयी संत जी, हमें माफ करें। वो इतने क्रोधित, इतने परेशान हुए कि वो इतने बड़े संत होके उन्होंने उस दिन वे जनेऊ उतार के रख दिया कि न आज से मैं पहनूँगा, न मेरा कोई अनुयायी पहनेगा। आज का दिन है, कोई भी उनका अनुयायी जो भी है, न वो जनेऊ पहनता है और न वो तिलक लगाता है और आज ये वही करने जा रहे हैं। हम मंदिर बना रहे हैं, हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों मंदिरों में जा रहे हैं? तुम्हारा वो जगह ही नहीं है, आपकी जगह पीछे है। आप सेवक हैं। ये सोच भाजपा की दर्शाती है कि डीडीए के नाम पे इन्होंने जो छल कपट मेरे समाज के साथ किया है, मैं विनती करता हूँ गुरूजी जी के चरणों में कि भाजपा को सदबुद्धि दे, मोदी जी को सदबषद्धि दे कि वो जरा से काम में ट्वीट कर देते हैं, एक इतना बड़ा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसके लिए हमारे को, हमारे गुरूजी जी के लिए, हमारे समाज के लिए वो मंदिर की जगह, वही जगह जहाँ रविदास जी ने अपने चरण–कमल डाले, वो जगह हमें मिले। मैं विनती करता हूँ दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ करके कि वो जगह मिले तो दिल्ली सरकार उस मंदिर को बना करके सर्व समाज को समर्पित करे। जय भीम, जय रविदास।

माननीय अध्यक्षः अभी मनोज जी ने अपने वक्तव्य के दौरान एक असंवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया है, उसको कार्यवाही से हटा दें। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज संत रविदास जी के मंदिर पर जो दुर्भाग्यपूर्ण, जो कार्य हुआ है, उसकी पूरा सदन और पूरा देश निंदा करता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, प्लीज। इतना शाँतिपूर्वक चल रहा है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः जिस प्रकार इस सदन में...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपकी बारी आएगी ना, आप बात नोट करिए, क्या बोल रहे हैं वो। उनको नोट करिए, नोट करके बोलिए आप।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अभी मैं यहाँ सदन में संत रविदास जी का जहाँ तक अभी अनेकानेक लोग, अनेक प्रकार की जो बात कर रहे हैं, सर्व समाज के संत यदि सर्व समाज के संत रविदास जी हैं, तो इस देश का गर्व—गौरव और इस देश के संस्कृति के प्रतीक संत रविदास जी ही हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे धार्मिक ग्रंथ है जिनमें उनकी वाणी को उसमें लोग प्रातः स्मरणीय लोग उनके लिए बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, पूरे देश में जो उसके प्रति रोष है, जब इस प्रकार के कोई संत होते हैं वो किसी भी जाति में उत्पन्न हों। लेकिन एक समय जब वो अपने चरम पर होते हैं तो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में, पूरा देश उनको अपना मानता है। तो मेरा ये कहना है कि संत रविदास किसी वर्ग विशेष के नहीं बल्कि इस पूरे देश की आन—बान—शान और इस देश की संस्कृति के प्रतीक हैं। अभी अनेकानेक बातें यहाँ कहीं गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकद्दमा चला। वहाँ की जो समिति है, उसने मुकद्दमा लड़ा और किन्हीं कारणों से वो मुकद्दमा सही नहीं लड़ा गया। तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं हुई, ये शोध का विषय है और उसके बाद कोर्ट ने जो आदेश दिया, चीफ सैक्रेटरी के द्वारा वो कार्य कार्यान्वित किया गया और यहाँ पर एक

राजनीतिक विद्धेष के नाते हमारे माननीय मंत्री जी भी, मैने उनको भी सुना। भारतीय जनता पार्टी या नरेन्द्र भाई मोदी के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे इस विधान सभा से 500 कदम दूर जहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रवास रहा। नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने एक रिकॉर्ड टाइम पर एक भव्य स्थल बनाया गया। जहाँ—जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रवास रहा। केन्द्रिय सरकार ने उन सभी स्थलों को भव्य स्थल बनाकर पूरे देश में ये स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म को मानने वाली है। इसी प्रकार से हम बौद्ध सर्किट की बात करें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ संत रविदास जी का भव्य मन्दिर बने और इसके लिए सर्व समाज को इसका प्रयास करना चाहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्त्ता होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े संत के विषय में कि वे किसी एक वर्ग विशेष के संत नहीं होते और उन्होंने इस समाज को और इस देश को जो दिशा दी है। हमें उनका नाम लेते हुए अपनी क्षुद्र राजनीति नहीं करनी चाहिए और मैं अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस पूरे सदन की ओर से ये संकल्प का मैं समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और जितना भी हमारा सामर्थ्य है, हम ये चाहेंगे भव्य मंदिर वहाँ बने और पूरा देश और दुनिया उसको देखे, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री अवतार सिंह कालका जी। इसके बाद अजय दत्त जी, आपकी बारी है।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे गुरूजी रविदास जी के जो ये मौका चल रहा है, उसके ऊपर बोलने का अवसर दिया। गुरूजी रविदास जी की आज जो संसार में वाणी चल रही है। 'आप मुकत, मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरूजी

ग्रंथ साहब में गुरूजी रविदास जी की वाणी दर्ज है। आज वो संसार में सभी को तार रही है। जहाँ–जहाँ वो वाणी पढ़ते हैं। जो जीवन को जीने के लिए जात दी जाती है, जो प्ररेणा मिलती है, वो वाणी आज सभी पढ़ते हैं और मन को बड़ी शान्ति मिलती है। तो मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि गुरूजी रविदास जी ने राम–राम करके प्रभु से एक हो गए वो और एक होकर उन्होंने जो वाणी उचारी, वो वाणी आज पढ़ी जाती है।

अब मैं जिस जगह की बात चल रही है, जहाँ मन्दिर था, मैं वहाँ गया और एक हफ्ता पहले मैं वहाँ गया था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था, अंदर जाते ही मन को शाँति मिल गई कि यहाँ पर गुरूजी रविदास जी आए। मैंने वो सारा माहौल देखा। वहाँ पर जब मुझे पता लगा कि ऐसा यहा माहौल चल रहा है तो जहाँ उनका वो एक सरोवर टाइप में बना हुआ था, जो ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर और वो मंदिर को मैंने देखा। फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं उस मंदिर की। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। जब मैं अंदर गया, उस के ऊपर एक बहुत पुराना जिस सन् का वो बना हुआ है, वो सन् लिखा हुआ था। मेरे को ध्यान में नहीं है वो अभी। प्रॉपर अगर जाएँगे तो वहाँ से कमेटी से मिलेगा तो उसके ऊपर जौन से सन का वो बना हुआ है, वो लिखा हुआ है, वह नजर आ जाएगा। वैसे तो 600 साल पुराना है ये। पर वहाँ जाकर मन को शान्ति मिली कि गुरूजी रविदास जी वहाँ पर आए तो मेरा मन भी वहाँ पर श्रद्धा से झुका। क्योंकि मैं गुरूजी ग्रंथ साहेब को मानता हूँ, मूर्ति को नहीं मानता पर वो जो वहाँ पर जगह थी, उस जगह को मैंने नमन किया और मन को अच्छा लगा। परन्तु दुःख की बात है कि वो जगह डीडीए ने कवर करके दे रखी है उनको सालों पहले। उसकी बाउंड्री वाल लगा रखी है पूरी। उसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि वो कैसे इन्होंने इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाकर। क्योंकि अगर बात करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है

कि ये देश धार्मिक परम्पराओं का देश है। हर जगह बहुत आस्था है, सभी लोगों की मन्दिरों में, मस्जिदों में, गुरूद्वारों में। अगर गुरूजी रविदास जी परमात्मा से राम–राम करते जप गए, जब कि उन्होंने राम–राम एक राम दशरथ का बेटा हुआ। राम–राम करता जग मुवा, मरन ना जाने कोय। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा को जपते–जपते अपना जिस राम की हम बात करते हैं; एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण–कण में मिलेगा। जो हर जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वाहे गुरूजी कहते हैं, राम कहते हैं, प्रभु वो एक हैं। उसको जब उनको परमात्मा से जुड़ कर गए और वो एक हो गए, एक मिक हो गए तो उनकी जगह को हमने ऐसा ध्वस्त किया है। जिन्होंने परमात्मा से जुड़कर एक आलौकिक शक्ति मिलती है। जैसे जीवों को तारने के लिए अपना प्ररेणा मिलती है। वो प्रभु से जुड़ चुके थे। तो उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि आज हम एक तरफ तो हम राम का मंदिर बनाने के लिए बात कर रहे है। हमारी जो बीजेपी सरकार है, राम जी की पार्टी कहते हैं जिसको हम। तो एक तरफ तो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ मंदिर तोड़ने की बात आ जाती है। ये दुःख की बात है कि सारे हम राम जी को नमस्कार करते हैं। प्रभु को नमस्कार करते हैं और उसके बावजूद हमारी जो सरकारें हैं... ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है? कभी दरबार साहब पर अटैक हो जाता है। वहाँ पर ढाही ढाही कर दिया जाता है। वहाँ हमारे कई फौजी शहीद हो जाते हैं। कई वहाँ के नागरिक शहीद हो जाते हैं और ऐसा ही कल जो माहौल बना यहाँ पर। जब पहले ही अगर ये सरकारें देख लें कि ये ऐसी व्यवस्था बन सकती है, ऐसा नुकसान हो सकता है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पर मंदिर की बात चल रही है और वहाँ पर ऐसा माहौल बन रहा है तो उसको पहले सरकार को संज्ञान ले लेना चाहिए ताकि मानव जाति को नुकसान न हो। जो कल होने जा रहा था,

उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली पुलिस का भी, जो काफी बचाव रहा। अगर बात करते हैं उसी रोड के ऊपर ये रविदास मार्ग है, जो हमारे पहलवान जी ने बताया कि आरडी मार्ग के नाम से जाना जाता है और उसी रोड के ऊपर एक मंदिर बना है जिसके ऊपर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके ऊपर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है; आरडब्ल्युए ने वो केस लड़ा और गवर्नमेंट की जगह एक मंदिर खूबसूरत बनता बहुत अच्छी बात थी और उसकी लुक भी अच्छी हो। मेरा खुद दिल करता है कि ऐसे–ऐसे मंदिर बनने चाहिए वहाँ पर ताकि देखने में भी अच्छा लगे। पर उसी के ऊपर कोर्ट का केस चला, स्टे लगी हुई है और वो बीजेपी का कार्यकर्त्ता है, वो मंदिर बना गया। स्टे लगी के बीच में मंदिर बन गया और यहाँ पर एक पुरातन जगह है उसको तोड़ कर रख दिया इन्होंने। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि शर्म की बात है एक ऐतिहासिक जगह हो और उसके बाद ये डीडीए ने ये उसको कवर करके दे रखा हो, उसके बावजूद भी उसको तोड़ दिया जाए, ये बड़े दुःख की बात है। क्योंकि बडा दुःख होता है इस चीज से कि अगर वो हिन्दू की... अभी भाई साहब ने बात की, हिन्दु धर्म की; क्या दलित अलग हैं हिन्दु धर्म से? हमें ये सोचने पर विचार करना पडता है कि कभी देखना कि दलित के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आये दिन नंगा करके औरतों को घुमाया जाता है, दलित औरतों को। कहीं उनकी मार पिटाई हो रही है और बुरे हाल हैं। वो तस्वीरें देखकर अपने आप में दुःख होता है कि हम किस देश में रह रहे हैं! ये धार्मिक परम्पराओं का देश है और जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ ऐसा हो, तो बडा दुःख लगता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा महिलाओं के बारे में कोई गलत तो नहीं कहा।

सरदार अवतार सिंह कालका जीः ये हुआ है। ये वीडियो देखी हुई हैं सारी। मैं देखी हुई चीज बोल रहा हूँ। ये सच्चाई है बिल्कुल।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमदत्त जी, मैं देख रहा हूँ।

सरदार अवतार सिंह कालका जीः हमारे प्रधान मंत्री जी नेपाल जाते हैं, दर्शन करने के लिए। हमारे प्रधान मंत्री जी अमर नाथ की यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अगर वहाँ लोग आते हैं अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, वहाँ उस स्थान पे जाते हैं तो क्या ऐसी तकलीफ हो गयी कि वो मंदिर को तोड़ना पड़ गया? मैं चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी देखते हैं सब कुछ, उनको भी एक ट्वीट करना चाहिए था। मेरे भाई ने कहा था कि ट्वीट करके कहना चाहिए कि भई ये अपना इसके ऊपर दोबारा संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे हो रखी है, उसके बावजूद मंदिर बन जाता है इसी आर.डी. मार्ग के ऊपर, तो ये मंदिर तोड़ने का क्या हक? तो इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, किसी की आस्था को ठेस न पहुँचे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद अवतार जी, अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, आज दुःख इतना है मन में कि ऐसा लग रहा है किसी ने हम लोगों को जमीन पे लिटा लिटा के मारा है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ गयी हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारी आस्था को लूट लिया है और अध्यक्ष जी, ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद... मैं देश विदेश में रहा, आईटी इंडस्ट्री में रहा, खूब लोगों से मिले जुले, लेकिन

आज वहाँ जा के कुछ पता नहीं चला दुनिया का लेकिन जब आज ये बीजेपी की सरकार पिछले पाँच सालों में अब जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है, ये हमें बार बार वो अतीत दिखा रहे हैं जिससे... गुप्ता जी, कहां जा रहे हो? बीजेपी वालों के बारे में थोड़ा सुन लो।

माननीय अध्यक्षः अजय जी, आप बिल्कुल बात...

श्री अजय दत्तः सुनना तो इन्हें पड़ेगा बीजेपी के तो ये लोग हैं।

माननीय अध्यक्षः आप अपनी बात रखिए न?

श्री अजय दत्तः मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, ये कर रहे हैं अगर बीजेपी के लोग नहीं सुनेंगे तो हमें कौन सुनेगा? इनके कानों में हमारी गूँज जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, रोष इस बात का है कि हमें क्यों नीचा दिखा रहे हैं बार–बार? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? हमारा गुनाह बताओ? पढ़ने लिखने का क्या फायदा है? आज मुझे इतना रोष... मैं तो बड़ा शाँत व्यक्ति हूँ। शाँति से अपनी बातें रखता हूँ। लेकिन आज ऐसा हमारी इज्जत, आबरू, हमारे मान सम्मान, हमारे गुरुओं की आस्था तक को इन्होंने लूट लिया। आज दिल्ली में आप जहाँ देखें, वहाँ एंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है। डीडीए की जमीन पे बहुत सारे सामंतवादी बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर रखा है। करोड़ों अरबों रुपये की जमीन खा के बैठे हुए हैं? लेकिन एक छोटे से मंदिर की जमीन इनसे सही नहीं गयी और उसपे पूरा का पूरा इन्होंने काफिला... जिस दिन मंदिर को तोड़ा गया, उस दिन वहाँ पर करीबन 700 पुलिस ऑफिसर थे और इस तरीके से मंदिर को... और जो लोग वहाँ कमेटी के थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको धमकाने लगे कि इसको मंदिर

को तोड़ो अभी और मंदिर की एक एक चीज उठा के सब कुछ तोड़ के और फेंक दिया और गुरूजी जी की मूर्ति भी लेके चले गए। और ये 600 साल पुराना इतिहास पहले तो अगर मैं टेक्नीकली इनसे पूछूँ कि वो जो ऐतिहासिक धरोहर है, वो कहाँ गयी? क्या इतिहास की धरोहर का कोई मायने नहीं है? दूसरी बात, अगर हमारे गुरुओं की आस्था... ये बात करते हैं कि हमारी मंदिर में आस्था है। झूठो! तुम्हारी मंदिर में नहीं है आस्था, तुम्हारी सामंतवाद में आस्था है। तुम्हारी जात–पात में आस्था है। तुम इस देश को कभी डेवलप नहीं होने दोगे। इस देश में कुछ चंद लोगों का हुक्म चलाने की तुम्हारी आस्था है। तुम्हारी मनुवादिता ये दिखाती है। तो उस मंदिर को तोड़ने की इन्हें इतनी जल्दी लग गयी, तोड़ के उसको एकदम ध्वस्त कर दिया और अध्यक्ष जी, मैं आपको एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मीरा जी के बारे में सभी ने सुना होगा। मीरा जी ने भी नाम, दान गुरूजी रविदास जी से लिया था। क्या आज आप मीरा जी को नकार दोगे? क्या मीरा जी आज कृष्ण की भक्त और आपकी संत नहीं रही? क्या हमें नहीं आता? भगवत गीताः

मन्मनाः,भव, मद्भक्त मद्याजी माम् नमस्कुरु,

माम, एव,एष्यसि, सत्यम्, ते, प्रतिजाने प्रियः, असि मे। भगवतगीता का पहला श्लोकः

धर्म क्षेत्रो कुरुक्षेत्रो, समवेताः युयुत्सवः

मामकाः पाण्डवाः, च, एव, किम् अकुर्वत, संजय।

अरे! तुम्हें ही पढ़ना आता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई – ये आदि रीति जिसे रघुकुल रीत कर दिया, कोई बात नहीं। और ये रविदास जी हैं जिन्होंने राम को माना, कष्ष्ण को माना, क्यों

इनके मंदिरों को तोड़ रहे हो भैया! क्यों हमारी आस्थाओं पे ठेस है? और उसके बाद अध्यक्ष जी, हद तो तब हो गयी कि अगर मंदिर तोड़ा, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। आप उसकी दूसरी जगह दे दो हरदीप पुरी जी, यूडी के मिनिस्टर बैठे हैं, उनको देनी चाहिए जगह। गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको देनी चाहिए जगह। प्रधान मंत्री जी को देनी चाहिए जगह, सारी जगह तो ये कहते हैं, 'हम मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं।' यहाँ पे क्या हो गया? 600 साल के पुराने मंदिर को आपने तोड़ा है और लोगों को ऐसे अरेस्ट कर लिया, पता नहीं इन्होंने कोई बहुत बड़े अपराध किए हुए हो? और कल अध्यक्ष जी, और हद हो गयी जब पूरे देश के लोग उसमें सिर्फ रविदास जी नहीं थे, उसमें सिर्फ वाल्मिकी नहीं थे, उसमें सिर्फ जाटव समाज के लोग नहीं थे, उसमें सब पूरे धर्म के लोग थे और जैसा अवतार भाई ने बताया कि रविदास जी की वाणी तो गुरूजी ग्रंथ साहिब में भी है। रविदास जी की वाणी से तो रामचरित मानस का पहला दोहा चल रहा है। मीरा जी संत उन्हीं के नाम से बनी हैं और जिनको सिकन्दर लोदी को ये कहते हैं तानाशाह, अरे! तानाशाह वो नहीं थे, तानाशाह तुम हो जिन्होंने हमारी जमीनें छीनी हैं, रविदास जी की जमीनें छीनी हैं, हमारे धर्म को तुम खंडित कर रहे हो, तुम लोग तानाशाह हो। क्या इस दिन के लिए देशवासियों ने तुम्हें वोट दिया था? क्या इस दिन के लिए? बीजेपी वालो, बताओ? तुम लोग राम नाम की रट लगाते हो, कहाँ जा रहा है देश? तुम बताओ, तुमने कोई अच्छा काम किया? आज तक एक मंदिर तुम से बन नहीं पाया, बनाओ, हम तो कह रहे हैं, हम साथ हैं। लेकिन न कोई तुम से स्कूल बन रहा है, न तुम से कोई हॉस्पिटल बन रहा है। आस्थाओं को तोड़ेंगे। 40 करोड़ लोगों की आस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग अध्यक्ष जी। और उसके बाद जब हम शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान के अन्तर्गत, तो उसपे भी इन्होंने कल हमें

मारा–पीटा, लाठी डंडे बरसाये, मेरे भाईयों पर, क्यों? अभी भी मार लो, फाड़ो हमारे कपड़े, बजाओ कोड़े। यही तुम्हारा सिद्धांत है, हम खड़े हैं, मारो। देखते हैं, मारो।

तो अध्यक्ष जी, आज दिल अंदर से बहुत दुःखी हैं और लग रहा है, बाबा साहब के संविधान में सब को समानता दी और धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इन्होंने एट्रोसिटी ऐक्ट बदलने की कोशिश की, जब इन्हें पता चला कि वो हो नहीं सकता, वापिस ले लिया। अब मंदिर तोड़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष जी, इनकी चाल है कि पहले मंदिर तोड़ेंगे, जब सारे लोग रोड पे आएंगे जब ये मारपीट के अपनी खुन्नस निकाल लेंगे तो फिर थोड़ा सा कहेंगे, क्या पता, हम बना भी दें। वो ओम प्रकाश जी यही कह के गए हैं। अरे! तुमने तोड़ा क्यों?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये हमने नहीं तोड़ा, कोर्ट के आदेश हैं?

श्री अजय दत्तः झूठ बोल रहे हो पहले, डीडीए ने आज तक कोई कोर्ट के आदेश नहीं दिए, हजारों कोर्ट के आदेश अध्यक्ष जी..

माननीय अध्यक्षः आपस में बात करेंगे उनको...

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, डीडीए की जमीन पे हजारों कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन आज तक इन्होंने कोई किसी सामंतवादी ने जिसने जमीन हड़प रखी है, उसको कुछ नहीं किया। अध्यक्ष जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, दलितों के लिए क्या किया आपने? बीजेपी वालो! बताओ, एक काम बता दो। वोट माँगने के लिए आ जाते हैं, भीख मांगते हुए। एक काम बता दो, क्या किया तुमने?

माननीय अध्यक्ष: अजय जी कन्क्लूड करिए अब।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, आज थोड़ा सा समय चाहूँगा। बहुत अंदर से दिल दुःखी है। मैं दूसरा, ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने इस बार मेनिफेस्टो बनाया, दलितों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई? बताओ मुझे? पॉलिसी बता दो? 40 करोड़ लोग! उनके लिए क्या किया? तुम सरकार हो या नाकार हो या भ्रष्टाचारी हो? तीसरा, मुझे बता दो कि अगर दलित का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो किसी विशेष कम्युनिटी से है? दलित का मतलब वो है जो गरीब है, जो लाचार है। उसके लिए क्या काम किया तुमने? कोई काम नहीं किया, जो कमजोर है और अभी तो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट भी आ गया है कि आरक्षण पर चर्चा करेंगे अरे काहे बात की चर्चा कर रहे हो? अगर दो रोटी खा रहे हैं, तुम्हें दुःख हो रहा है। ये देश का संविधान 73 साल हो गये, विदेशों में जाकर देखो ना, 200 साल पीछे कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारी मानसिकता ने मेरा देश पीछे कर दिया, दुःख इस बात का है। अध्यक्ष जी, दुःख इस बात का है; बार–बार ये जाति की राजनीति को ले आते हैं। हमें तुच्छ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? तुच्छ मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम इस देश के नागरिक हैं। समानता का अधिकार है, समानता चाहिए। हम तुमसे कोई विशेष नहीं माँग रहे हैं। आरक्षण पर बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आरक्षण पर बात? आरक्षण पर बात करनी है तो बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तुमको पैसे दें? इसी बात का पैसा तुम टैक्स के रूप में लगान हमसे लेते हो।

अध्यक्ष जी, बीजेपी के पाँच राज्यों में अगर आप क्राइम का रेशो देखें तो सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा उत्पीड़न बीजेपी के जहाँ राज्यों में पाँच राज्यों में सरकारें, वहाँ दलितों का हुआ। ये मैं तथ्य के आधार पर

बता रहा हूँ अध्यक्ष जी और उनकी कई जगह तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई है।

अध्यक्ष जी, ये 12 बीघा नौ बिस्वा जो छोटी सी जमीन थी, अगर बीजेपी के लोग बीजेपी की सरकार ये दे देती तो इनका कुछ नहीं जाता। हम तो माँग भी नहीं रहे थे। हम तो कह रहे हैं, हमारा मंदिर वैसा ही है, हमें अपनी पूजा करने दो। हमें अपनी आस्था से जुड़े रहने दो और तुम जब राम मंदिर की बात आती है, तो क्या हमारी आस्था...

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी प्लीज एक मिनट में कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं इनसे सिर्फ इतना चाहता हूँ, आज से दो दिन पहले मुख्य मंत्री साहब के पास पूरा दलित समाज का संत समाज का डेलीगेशन गया था, मैं था उसमें। साथ में मैं लेकर गया था और वहाँ पर जब बात हुई तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि देखो, अगर जो हमारे दायरे के अंदर चीजें आती हैं, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। ये जमीन डीडीए के पास है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम आपको ब्लैंक लैटर दे रहे हैं। डीडीए को जो लिख के दे सकते हो, दे दो, तो हम, पूरी दिल्ली सरकार इस मुददे पर साथ है और मैं अपनी दिल्ली सरकार मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस मुददे पर हमारे साथ हैं, दलितों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं और दिल्ली के साथ हैं। उन्होंने लैटर लिख के दिया है संस्था को और मैं बीजेपी वालों से इतनी सी कहना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है। ये सच्चाई है, कल का जो आपने देखा, दो लाख लोग रोड पर उतरे थे। अभी अगर पूरा देश दिल्ली आ गया, 40 करोड़ लोग अगर दिल्ली आ गये तो तुम्हारे घरों में भी घुस के बैठेंगे। इतने लोग हैं हम। तो ये जगह वापिस दे दो ठाकुर! ये जगह वापिस दे दो और हम दिल्ली में भगवान रविदास गुरूजी के लिये

जगह वापिस लेकर रहेंगे और उसके बाद मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि जब ये जगह वापिस दे दें तो दिल्ली सरकार उस जगह पर भगवान हमारे गुरूजी रविदास जी का मंदिर भव्य बनाये और मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, कसम गुरूजी रविदास जी की खाते हैं, मंदिर वहीं बनायेंगे। बोलो, गुरूजी रविदास भगवान की जय!

जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः टी ब्रेक साढ़े चार बजे तक स्थगित किया जाता है सदन।

(सदन की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4:35 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा जी। माइक चालू है। चालू है।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हालाँकि बहुत सारे फैक्टस हमारे बहुत सारे विधायक साथियों ने और मंत्री जी ने बता दिया कि वाकया क्या था। मुझे 11 अगस्त को जाने का मौका मिला था उस स्थल पे क्योंकि सुखबीर जी, महाराष्ट्रा से उन्होंने जब आये थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब मैं उस स्थल पे गया तो मैं सारा नजारा देखा। जिस तालाब के बारे में बारे बात हो रही थी, वहाँ के लोगों ने बताया कि उसकी आस्था ऐसी है कि अभी भी लोग वहाँ की मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। पहले वहाँ पे स्कूल हुआ करता था, समाधि थी और जिसकी चर्चा हाँलाकि कई साथियों ने कह दिया कि इसका अनावरण उसमें तत्कालीन मंत्री बाबू जगजीवन राम ने खुद किया था। फैक्ट मंत्री जी ने बता ही दिया कि इसके अनावरण

डीडीए की स्थापना के पहले ही हुई। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से इसका डेमोलेशन हुआ, मैं ये मानता हूँ कि ये छोटी घटना नहीं है। ये केवल भगवान रविदास मंदिर का डेमोलेशन नहीं है बल्कि जो उन्होंने समाज को दिया, जो उनकी सोच थी और जिस उनकी सोच से खतरा जिन लोगों का है, मुझे लगता है, उस सोच को मिटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि मैं उनके कुछ दोहे पढ़ रहा था तो जैसा रविदास जी कहते हैं कि हिन्दु तुरक नहीं कुछ भेदा, सभी मह एक रक्त और मासा। दो एको दूजा नांही देखियो, सोई रविदास। मतलब ये है कि जब तक ये हिंदु मुसलमान की सोच को खत्म नहीं करोगे तब तक समाज एक नहीं हो सकता। समाज जुड़ नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि कोशिश है और जिसके बारे में हमारे सारे साथियों ने बताया। हमारे अजय दत्त जी बता रहे थे कि बात केवल इतनी नहीं है, जिस तरह से क्राइम रेट आप देखिए, तो जहाँ–जहाँ बीजेपी की सरकार है, दलितों पर अत्याचार वहाँ उतना ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जान–बूझकर एक कोशिश की गई है। और अभी हमारे साथी जो भाजपा से हैं, हमारे विधान सभा सदस्य को बता रहे थे, ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि डीडीए से कुछ गलती हुई है। तो भला इसकी जाँच हो कि गलती किसने की? किसके इशारे पे ये गलती हुई है? कैसे ये गलती हुई? ये फैक्ट कैसे लाया गया? आपने ओम प्रकाश जी, बताया कि डीडीए से कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो मुझे ये लगता है, वो अपनी बात आप निकाल लीजिएगा। आपने खुद ही कहा था कि डीडीए से अगर ये गलती हुई तो किसके इशारे से हुई थी। कहाँ की गई थी। तो समीक्षा करेगा कौन।

...(व्यवधान)

श्री संजीव झा: नहीं–नहीं, आप

माननीय अध्यक्षः नहीं, ओम प्रकाश जी, आपने अपनी बात कह दी, ठीक है। चलिए।

श्री संजीव झाः आप अपनी बात को निकाल लीजिएगा। आपने ही कहा है।

माननीय अध्यक्षः संजीव जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।

श्री संजीव झाः मैं इनकी बात को ही दोहरा रहा था, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः प्लीज आगे बढ़िए।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि डीडीए से कोई गलती हुई, तो अगर ये गलती हुई तो गलती किसकी थी? ये किसके इशारे पर किया गया? बहुत सारे साथियों ने बताया कि डीडीए की कई तरह की इंक्रोचमेंट है। रातों–रात स्कूल की जमीन ट्रांस्फर करके बहुत बड़ा बीजेपी का कार्यालय बन सकता है। जो जब कि ऐतिहासिक तथ्य ये कह रहा है, आज से 600–700 साल पहले ये जमीन उस समय के तत्कालीन जो भी सल्तनत के राजा थे, उन्होंने दिया था और उस ऐतिहासिक तथ्य को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भाजपा की सोच को दर्शाता है; जिस तरह से पूरे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सब राजनीति करते रहे हैं। मुझे लगता है कि वो फलते–फूलते रहें, इसीलिए कोशिश की गई है। ज्यादा न कहते हुए, जो संकल्प विशेष भाई ने रखा है, हम उस संकल्प के साथ हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज ये सदन बिल्कुल संकल्प करे कि केन्द्र सरकार से भूमि का आबंटन हो और दिल्ली सरकार यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करे ताकि आज से 700 साल पहले जो एक तीर्थ स्थल बना था, उसकी एक ऐतिहासिक महिमा बनी रहे और इस आस्था के मानने वाले जो लोग हैं, आज देश

ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। उन तमाम लोगों के आस्था का अनावरण हो। तो मैं बस हमारे विशेष रवि द्वारा संकल्पित जो बातें थीं, मैं उनके साथ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि केन्द्र सरकार इस भूमि का आबंटन करायेगी और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जयहिंद।

माननीय अध्यक्षः पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का अवसर दिया। वैसे तो पूरे सदन की भावना लगभग इस मामले पर एक दिशा में जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई बार बहुत पाखंड जैसी बातें इसी सदन में कही जाती हैं। इसलिए कुछ बातें थोड़ा जोर दे के मैं कुछ बातें, जो मेरे सदस्यों ने रखी हैं, उसके अतिरिक्त तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो भाव रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये ठीक है कि ये केवल एक मंदिर विशेष पर और केवल संत रविदास जी के मंदिर पर हमला नहीं है, उसको कुचलने की कोशिश नहीं है, ये पूरा हिन्दुस्तान जिस बुनियाद पर रखा गया है और जिस पर आगे बढ़के हमारा भारत का महान संविधान बना है, उस ताने–बाने को कुचलने की कोशिश है। हमारे समाज के ढाँचे को कुचलने की कोशिश है। मैं किस आधार पर ये बात कह रहा हूँ? हमारे महान संत रविदास जी ने कहा कि

जाति–जाति में जाति हैं, जो केतन के पात

रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात।।

एक तरह का एक सा ढाँचा इस देश में बना हुआ है जो कि जातियों पर बंटा हुआ है। और उसको हमारे महानतम संत रैदास जी ने एक वो

रास्ता दिखाया कि जिसमें कि मनुष्य को मनुष्य होना सिखाया, इंसानियत सिखायी और उस बुनियाद के ऊपर एक भारत को खड़ा किया, उस भारत को आगे चलके उस भक्तों की सच्चाई की उस परंपरा पे चलके भारत का संविधान रचा गया। तो ये जो संविधान के बुनियादी उसूल हैं जो कि भारत के सच्चा धर्म, भारत का जो आदि धर्म है, भारत में सबको साथ में लेके चलने वाला जो धर्म है, उसकी बुनियाद पर चोट करने का काम है। ये केवल दलितों पर या केवल दलितों के इतिहास पर हमला नहीं है। केवल संत रविदास जी को मानने के ऊपर हमला नहीं है ये पूरे भारत की संकल्पना के ऊपर हमला है। जो एक एकरस भारत सबको जोड़ने वाला भारत बनाने का सपना है, उस सपने के ऊपर हमला है। अभी यहाँ पर मेरे एक माननीय सदस्य साथी कहके निकल गये कि हम आम आदमी पार्टी के साथियों के द्वारा माननीय मंत्री द्वारा समर्थित भाई विशेष रवि द्वारा संकल्प का समर्थन करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन की घोषणा कर दी। ये संकल्प कहता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट में इस मामले की सही पैरवी नहीं की। न्यायालय न्याय के हिसाब से चलता है। न्यायालय के ऊपर पूरा हमारा विश्वास है,

पूरा अभिवादन है। हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था का बहुत जोरदार समर्थन करते है। न्यायालय की भावना का समर्थन करते है लेकिन न्यायालय जनमत को ध्यान में नहीं रखता। न्यायालय इतिहास को नहीं देखता। न्यायालय उन बातों को रखता है, जो उसके सामने रखी गयी। ये काम सुप्रीम कोर्ट में इस केन्द्र सरकार का था कि वो इस देश के इतिहास, इस देश की विरासत को ध्यान में रखते हुए, सन्तों की परम्परा को ध्यान में रखते हुए, इस पूरे देश को जोड़ने वाला जो एक सपना सन्त रैदास जी ने दिया। उस सपने की जो विरासत है, उस सपने की जो आज पूरी मौजूदगी है, स्मारक है, उसका मन्दिर है। उनका स्वंय का बनाया हुआ कुंआ

है। उसको बचाना इस देश की संकल्पना को बचाना था और वो जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के पास थी। उसमें बैठी बीजेपी के इशारे पर चलने वाली पूरी सत्ता की थी। उस पर डीडीए को शासित करने वाले बीजेपी की थी। ये पाखण्ड का खुलासा होना जरूरी है कि यहाँ मुँह में राम, बगल में छुरी की परम्परा छोड़ें। सदनों में अच्छी–अच्छी बातें कहना छोड़ें। कह दिया कि सर्व समाज के थे वो। अगर सर्व समाज के थे तो सबसे पहले सन्त रैदास जी की उस परम्परा को मानें जिसमें कहा कि:

बाह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन।

पूजिए चरण चण्डाल के, जो होवे गुण प्रवीण।।

सन्त रविदास जी कहते हैं, उस परम्परा के ऊपर भारत का संविधान खड़ा है, उस परम्परा के ऊपर भारत की पूरी बुनियाद खड़ी हुई है। आगे इमारत खड़ी हुई है जो कि इन्सानियत को उसके गुणों से पहचानती है, उसकी जाति से नहीं पहचानती। आज एक इस तरह की सत्ता सामने है जो कि डीडीए का इस्तेमाल करती है और संवैधनिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती, जिसके पीछे एक जातिवादी सोच है। भेदभाव की सोच है। दलितों के सपनों को कुचलना है। इस देश के नौजवानों के सपनों को कुचलना है। डीडीए को इस्तेमाल करना है। आदरणीय महोदय, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। संकल्प का पुरजोर समर्थन का मतलब केवल ये नहीं है कि उसके समर्थन में दो शब्द कह दिए जाए। उस मूल भावना को पकड़ना पड़ेगा जिसकी अभिव्यक्ति हमारे माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी ने की। भाई विशेष रवि जी ने की। मेरे साथी अजय दत्त जी ने की और सभी सम्मानित साथियों ने की। वो मूल भावना क्या है? मूल भावना ये है कि इस देश को, इस देश के गुणों के साथ बचाने की जरूरत है। जो बात सन्त रैदास जी ने कही थी। जो बात सन्त कबीरदास जी ने कही। जो

बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही, उस बात को बचाने की जरूरत है। मन्दिर को कुचलना और उसके साथ–साथ पूरे इतिहास को कुचलने को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरी दुनिया के इन्साफ, लोकतंत्र पसन्द लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिक्र किया गया कि बाबा साहब के जहॉ–जहॉ पर स्थल था, उसको भव्य बना दिया गया। इमारत बनाने से बाबा साहब नहीं बचेंगे। बाबा साहब की विरासत को बचाना पड़ेगा। सन्त रैदास जी की विरासत को बचाना पड़ेगा। उन सारे उसूलों को बचाना पड़ेगा। वो कैसे बचेंगे? वो कौन लोग थे जो कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी पढ़ने वाली जगह में नहीं बैठना देना चाहते थे? वो कौन लोग थे जो कि चारों ओर जो एक बहुत बड़ा एक तालाब सत्याग्रह होता है, वहाँ पर पानी पीने के लिए अलग–अलग जाति के लिए अलग–अलग तालाब हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कि हमला किया, बाबा साहब अम्बेडकर पर? कौन लोग थे जिन्होंने कि सन्त कबीरदास, सन्त रैदास की, उनके जीते जी उनके बाद पूरी परम्परा को कुचलने की कोशिश की। यहाँ पर केवल लिप सर्विस से, होठों को हिलाने से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी के साथ, पूरे इखलाक के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अमल लाना पड़ेगा। उस संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो आज इस सदन की माँग जो है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत भीषण समय में भी संकट के समय में भी इस सदन को बड़ी गरिमा के साथ चलाया है। लेकिन आज इस सदन का एक–एक सदस्य पीड़ित है, आहत है। वो क्यों आहत है कल दो लाख से ज्यादा, पूरे देश के कोने–कोने से आए नौजवानों के ऊपर हमले हुए। ये मीडिया की पक्षधरता पर भी बात करना जरूरी है कि मीडिया किससे डरी हुई है? आज क्या हो गया है कि न्यायालय हो, न्यायपालिका के अन्दर हो, नौकरशाही के अन्दर हो। मीडिया के अन्दर हो, एक आतंक का राज, एक अघोषित इमरजेन्सी लागू की गयी है कि सच मत कहना। दो लाख

के नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएँ रामलीला मैदान पर एकत्रित हैं और अखबारों में सुर्खियाँ बनाई जाती है कि एक कार तोड़ दी। ये किसके इशारे पर सत्य को कुचला जा रहा है? ये किसका डर है? किसका खौफ है कि आज सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है? तो माननीय महोदय, दलित समाज भर की बात नहीं है, इस देश को बचाने की बात है। सच्चाई को बचाने की बात है। इन्साफ को बचाने की बात है। सन्तों की परम्परा को बचाने की बात है और उस बुनियाद को बचाने की बात है जिस बुनियाद पर भारत का महान संविधान खड़ा हुआ है।

मैं आपको उस संवैधानिक विरासत, सन्तों की उस विरासत की दुहाई देते हुए इस पूरे सदन के अन्दर और सदन के बाहर सड़कों पर जितने नौजवान हैं, आम आदमी पार्टी उस सच्चाई की बात करती है, जहाँ कथनी और करनी अलग–अलग नहीं होगी। जहाँ हिन्दू, मुसलमान के नाम पर लड़ाई नहीं होगी। जहाँ सम्प्रदाय के नाम पर लड़ाई नहीं होगी। जहाँ जातियों के नाम पर तोड़–फोड़ नहीं होगी। तो आज सन्त रैदास जी की परम्परा को बचाने का सवाल है। मन्दिर उसका प्रतीक है। हमको मन्दिर चाहिए। सन्त रैदास जी का खोदा हुआ कुँआ, उनकी स्मृति, वो पूरी पावन धरती आज पर्यावरण की आड़ में, फॉरेस्ट की आड़ में माननीय महोदय, मैं तथ्य रख देना चाहता हूँ। पूरे देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा जंगलों की, पर्यावरण की, फॉरेस्ट लैण्ड की लूट हुई है। कारपोरेट द्वारा लूट हुई है। बीजेपी के स्वयं के जुड़े हुए भू–माफिया के द्वारा लूट हुई है और उस पर बीजेपी की किसी राज्य सरकार और दिल्ली के अन्दर डीडीए की कभी उंगली नहीं खड़ी हुई है। भू–माफिया का राज दिल्ली की जमीनों पर, डीडीए के जमीनों पर हो रहा है। पूरे देश के अन्दर जमींदारी खत्म हुई, दिल्ली के अन्दर जमींदारी शुरू हो गयी और दिल्ली के जमींदार का नाम डीडीए है। जिसको हमेशा केन्द्र की सत्ता ने अपनी

मुट्ठी के अन्दर रखा है। हम माँग करते हैं, दिल्ली की जनता के चुने हुए इस सदन के अन्दर, डीडीए आनी चाहिए और डीडीए जमीन के मालिक नहीं है। जमींदार नहीं है, वो चौकीदार है। वो खड़े होके जनता कहेगी कि यहाँ पर हमको सन्त रैदास जी की परम्परा को बचाने के लिए भव्य मन्दिर बनाना है तो वो मन्दिर बनके रहेगा। वहीं बनके रहेगा! वहीं बनके रहेगा! वहीं बनके रहेगा!

माननीय महोदय, इस भावना को व्यक्त करते हुए मैं अन्तिम बात केवल ये कहूँगा, जैसा कहा गया, सन्त रैदास जी भारतीय संवैधानिक परम्परा के महा पितामह हैं। भारत का संविधान बनने से पहले, डीडीए बनने से पहले और बीजेपी के अस्तित्व में आने से पहले, हरदीप पुरी जी के जन्म लेने से पहले, सन्त रैदास जी की परम्परा जीवित है। ये देश उस परम्परा पर चलेगा। किसी हरदीप पुरी जी के कहने पर नहीं चलेगा। किसी डीडीए नाम की चिड़ियॉ के कहने पर नहीं चलेगा। ये जमीन हमारी है। हम भगवान के बेटे और बेटियॉ हैं। ये धरती भगवान ने बनायी है। धरती भगवान ने बनाई है। ये बीच में डीडीए कहां से आई है। ये डीडीए और बीजेपी कहां से आयी है। हम धरती के बेटे और बेटियॉ हैं। ये धरती हमारी है। सन्त रैदास जी उस मूलवासी, उस सच्चे लोगों के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस पूरे देश को आबाद किया है। जल, जंगल, जमीन को आबाद किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत समय दिया। इस पूरे सदन की गरिमा को मैं सलाम करते हुए माननीय न्यायालय को सलाम करते हुए, भारतीय संविधान को सलाम करते हुए, लेकिन उस हजारों साल की सन्त परम्परा को सलाम करते हुए, ये संकल्प का समर्थन करता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य बीजेपी ने भी कहा, वो पूरी तरह से समर्थन कर दें। इससे बीजेपी की निन्दा है। वो खुशी है कि बीजेपी की कोर्ट में पैरवी न करने का उन्होंने समर्थन किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोर्ट, केन्द्र तुरन्त अध्यादेश लेकर

आकर के ये भूमि सन्त रैदास मन्दिर के लिए आबंटित करे। इसका समर्थन बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया है। इसमें सदन संकल्प करता है कि केन्द्र सरकार से भूमि आबंटन के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इस जगह पर एक भव्य मन्दिर बनाएगा क्योंकि वो मन्दिर संविधान के मूल्यों का मन्दिर होगा। समता का, न्याय का मन्दिर होगा। सबको एक मिलाकर हिन्दू, मुसलमान का बराबर का सम्मान करके, हर जाति का सम्मान करके जो बनने वाला न्याय का मन्दिर होगा, वो सन्त रविदास जी का मन्दिर होगा। उस संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हुए इस संघर्ष को हम सदन के अन्दर और सड़कों में और पूरे देश के अन्दर लेकर जाएंगे। ये भावना व्यक्त करते हुए लेकिन केन्द्र सरकार के अन्दर और सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर वो न्याय और विवेक का बोध पूरी तरह से उजागर हो कि सन्त परम्परा का सम्मान करें, इस मन्दिर की रक्षा करें। इस विश्वास के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री जगदीप सिंह जी। बहुत संक्षेप में। पाँच मिनट।

श्री जगदीप सिंहः बहुत–बहुत धन्यवाद, सर। सिर्फ चन्द मिनट का बोलने का मौका दें, सर। गुरूजी ग्रन्थ साहब में बहुत सारे लोग अपनी वाणी को दर्ज कराने के लिए आए थे लेकिन गुरू नानक साहब ने सन्त रविदास को ही मौका दिया और आज पूरा सिक्ख समाज जब गुरूद्वारे में जाके गुरूजी ग्रन्थ साहब को सर नवाता है तो हम लोग कहीं न कहीं सन्त रविदास को भी जाके हम सिर नवाते हैं। सर, ये बात आज की नहीं है, अगर आज हम साढ़े पाँच सौ साल गुरू नानक देव जी का मनाने जा रहे हैं तो 600 साल पुराना एक मन्दिर तोड़ा जाता है। दिल को बहुत आहत किया जाता है। कल पूरे राज्यों से, विभिन्न राज्यों से लोग आये हुए थे। उनको बड़ी बुरी तरह मारा गया। उनको बहुत पुलिस ने प्रताड़ित किया

कल और इसके विरोध में पूरे विश्व में इस बात का विरोध हुआ। मन्दिर तोड़ने पर विरोध हुआ। हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि कोर्ट से कहीं न कहीं गलती है, समर्थन देते हैं। ये उस वक्त कहॉ पर थे जब ये कोर्ट में इस पर बात हो रही थी? इतना बड़ा मंत्री जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम होता है, वो इस बात की खोज–बीन क्यों नहीं कर पाया? इस बात पर मुझे बहुत ज्यादा दुःख है और मैं आपसे बस यही विनती करूँगा कि इस जो हमारे विशेष भाई ने प्रस्ताव रखा है, इसकी हम सब लोग जो है, इन लोगों की, जिन्होंने ये छलावा किया है, जो साजिश रची है, इनकी कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार को कहते हैं कि इसको, जमीन को जरूर देना चाहिए अगर बाकी जगह पर भी जमीन प्रोवाइड की जा रही है तो ये जमीन तो 600 साल पहले दे दी गई थी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, सुश्री राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इतने ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, शिरोमणी संत श्री रविदास जी महाराज 15 वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक, एक कवि, एक दशर्नशास्त्री रहे और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, 'ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न।' जिसका अर्थ है कि वो ऐसा राज्य, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं जिसमें सबको उनकी मूलभूत सुविधाएँ मिल सकें। कोई जाति–पाति न हो, कोई बड़ा छोटा न हो, सब लोग मिलकर प्रेम के साथ, सोहार्द के साथ रहें। लेकिन आज ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरूजी का 600 साल पुराना मंदिर ध्वस्त हो जाना, 19 अगस्त की ये काली रात इस देश के इतिहास के लिए काला दिन और बहुत दुःखद दिन रहा। जिस रात करोड़ो–करोड़ों दलित समुदाय के जो लोग

थे, उनकी भावना, उनके विचार, उनकी मानसिकता के ऊपर कुठाराघात होता है। उनका जो समर्पण है, संत गुरूजी रविदास जी के प्रति, उसके ऊपर जो है, हमला होता है और केंद्र में बैठी हुई सरकार मूक–दर्शक बनकर इसे देखती है।

अध्यक्ष जी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत शालीनता के साथ, बहुत बारीकी के साथ अपने शब्दों को रखा लेकिन चूंकि ये मुद्दा इतना ज्वलंत है, इतना गंभीर है कि मैं अपने वक्तव्य को यहाँ रखने से रोक नहीं पा रही। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। इस हादसे से आज सिर्फ देश का ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले मेरे समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर कुठाराघात हो रहा है देश के अलग–अलग राज्यों में और यूँ कहें कि विश्व के अलग–अलग देशों में इसको लेकर रोष और प्रदर्शन लगातार जारी है और कल हमारे दिल्ली के बीचों–बीच इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार ने आवाज को कुचलने का भरसक प्रयास करते हुए लाठी चार्ज कराया, केस दर्ज कराया और हम लोगों को जेल में बंद कराने की कोशिश भी करी और बंद किया भी।

अब अध्यक्ष जी, सवाल ये उठता है कि 600 साल पुराने मंदिर को यूँ रातों रात ढ़हाने के पीछे क्या सोच रही, क्या मानसिकता रही, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं और निश्चित तौर पर जब इसको गंभीरता से देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझने की कोशिश की जाती है तो इसके पीछे उन लोगों को हम देखते हैं, ऐसी मानसिकता को हम लोग देखते हैं जो लगातार कई सालों से, कई दशकों से इस षड्यंत्र को बनाने में लगी हुई है कि किस प्रकार से देश से दलितों को और आरक्षण को खत्म किया जाए, उसका नाम है बीजेपी और आरएसएस। ये वो लोग

हैं जो देश से सिर्फ दलितों को ही नहीं, दलितों के अधिकारों को, आरक्षण को खत्म करने पर तुले हुए हैं और इसके पुख्ता सबूत भी हैं, अध्यक्ष जी। ये बात मैं इस सदन पटल के अंदर, लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर ऐसे ही हवा में नहीं कह रही, मैं बीजेपी की तरह ऐसे ही आरोप लगा के भागने वालों में से नहीं हूँ, इसके पीछे पूरा एक बड़ा घटनाक्रम है जो सिलसिलेवार चल रहा है। अब इस पर नजर डालिएगा। 20 अगस्त, 2019 यानी परसों के दिन, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी कहते हैं कि देश को खुले मन से आरक्षण के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, कैसी चर्चा? क्यों करनी चाहिए चर्चा? चर्चा आज के समय में बेरोजगारी पर होनी चाहिए, चर्चा आज के समय में महिला सुरक्षा पर होनी चाहिए। चर्चा आज के समय में आर्थिक मंदी पर होनी चाहिए। चर्चा आज के समय में लोकतंत्र को बचाने पर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, दलित विरोधी मानसिकता, आरक्षण विरोधी मानसिकता, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये बेहद दुखद है और ये पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता उदाहरण हैं कि किस प्रकार से संत रविदास जी के मंदिर को तोड़ने का, दलितों को खत्म करने का, आरक्षण को खत्म करने का, बीजेपी का ये सोचा समझा षडयंत्र है, पूरा एक प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम 2 जनवरी, 2018 की बात करें तो भीमाकोरे गाँव की घटना, जहाँ पर पूना के अंदर हजारों–हजार हमारे दलित भाइयों के ऊपर आवाज उठाने पर अत्याचार किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखें हम 2017 में सहारनपुर की घटना, जहाँ पर एक बार फिर से यूपी के अंदर बैठी हुई योगी सरकार, बीजेपी की सरकार, दलितों को अपना निशाना बनाती है और उनके ऊपर अत्याचार करती है। उसी प्रकार से 2014 में गुजरात के ऊना में हमारे दलित परिवारों के ऊपर, दलित भाइयों के ऊपर हुए अत्याचार एक ओर पुख्ता सबूत है, केंद्र में बैठी हुई दलित विरोधी मानसिकता का ये जो है प्रमाण है कि किस

प्रकार से साल दर साल ये दलितों के विरोध में खड़े होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। इसी प्रकार से पाँचवॉ बड़ा उदाहरण रोहित बेमुल की हत्या 2015 की घटना। अध्यक्ष जी, ये वो घटनाएँ हैं जो बड़ी—बड़ी मीडिया हेडलाइंस बनी, अध्यक्ष जी, ये वो घटनाएँ हैं, जो न्यूज पेपर ने कवर करी, लेकिन ऐसी हजारों—लाखों दिनों—दिन घटनाएँ जो एचसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर तीन मिनट के अंदर भारत में किसी न किसी राज्य के अंदर, किसी न किसी बड़े शहर के अंदर, कालोनी के अंदर, हर तीसरे मिनट किसी न किसी दलित विरोधी मानसिकता के चलते दलितों को निशाने पर लाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, जबरन उनके ऊपर केस दर्ज कराएँ जाते हैं। ये दलितों के विरूद्ध मानसिकता है।

अध्यक्ष जी, अब एक नई सोची समझी राजनीति, एक नया सोचा—समझा षडयंत्र, दिल्ली देश की राजधानी जिसके अंदर पिछले दिनों शांति का माहौल था, इस देश की राजधानी में एक ऐसा राज्य जहाँ की चुनी हुई सरकार शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है, जाति—धर्म, मजहब का भेद मिटाकर सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर रही है, तो ऐसे में केंद्र की सरकार ने सोचा कि चुनाव आ रहे हैं, कैसे यहाँ दंगे कराएँ जाएँ, कैसे यहाँ पर धर्म और राजनीति की बात को छेड़ा जाए, किस प्रकार से यहाँ लोगों के आपसी भाई चारे को खत्म करके, मजहब, जाति और धर्म में बाँटा जाए। जब रातों—रात जाते हैं, हमारे 600 साल पुराने मंदिर के अंदर सत्संग हो रहा है, सत्संग को बंद कराया जाता है, सत्संग करने वाले लोगों को कमरे में बंद किया जाता है और तोड़—फोड़ शुरू कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, ये सोची—समझी राजनीति है और ये जो हो रहा है आज देश के अंदर, अलग—अलग राज्यों के अंदर ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही कौन कर रहा है, ये तानाशाही केंद्र मैं बैठी

हुई दलित विरोधी मानसिकता, आरएसएस विरोधी मानसिकता, लोकतंत्र की हत्यारी जो सरकार है, वो इसको कर रही है कि इनके खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, उसको ये बंद कर देंगे, उसको ये दबा देंगे।

अध्यक्ष जी, जो ये डीडीए की संस्था है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर केंद्र के अधीन आती है और केंद्र की नुमाइंदगी इस समय बीजेपी कर रही है और केंद्र के यहाँ से जो जाकर चुने हुए सांसद हैं, वो भी यहाँ से बीजेपी के ही हैं। अध्यक्ष जी, केंद्र के इशारे पर ये सारा का सारा काम हुआ है। और ये किसी से भी छिपा नहीं है कि जो स्थानीय सांसद है वहाँ के, रमेश बिधूड़ी जी, 2015–16 के अंदर उन पर केस दर्ज हुआ, मेरे पास पुख्ता सबूत है कि उन्होंने डीडीए की 2000 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया हुआ है लेकिन डीडीए और दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। क्योंकि वो तो बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जो हम दलितों की आस्था से जुड़ा हुआ हमारा 600 साल पुराना मंदिर है, उसे रातों–रात ध्वस्त कर दिया जाता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये सोची समझी राजनीति, ये सोचा समझा षडयंत्र सिर्फ और सिर्फ देश को अलग–अलग हिस्से, अलग–अलग जाति...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः सर, दो मिनट लूँगी, अपनी पूरी बात रख दूँगी अगर आप टोकेंगे नहीं तो। अलग–अलग जाति–पाति में बाँटकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, यहाँ पर हमारे नेता विपक्ष बैठे हैं, जो बीजेपी की पार्टी से चुनकर आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर डीडीए को इतनी ही अपनी जमीन की चिंता है तो कृपया वो इस सदन को बताना चाहें कि पिछले 15 साल में डीडीए ने

या अगर 2014 से ही अगर आपकी केंद्र में सरकार है तो दिल्ली में डीडीए ने कितनी बार भू–माफियाओं के ऊपर एक्शन लिया? कितनी बार डीडीए पर अवैध कब्जा करे हुए बिल्डर माफिया के ऊपर कब्जा लिया? कितनी बार डीडीए ने अवैध कब्जा करे हुए टेंट माफिया के ऊपर, पार्किंग माफिया के ऊपर कब्जा लिया या और देश में अलग–अलग और दिल्ली में अलग–अलग स्थानों पर जो मंदिर बने हुए हैं, उस पर 2014 से लेकर आज तक कितनी जगहों पर एक्शन लिया? कोई उदाहरण? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वोट और समाज का जो माहौल है, खराब नहीं होगा। यहाँ पर ये कुठाराघात करने की मानसिकता आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी पूर्ण रूप से साबित होती है।

अध्यक्ष जी, मैं गुप्ता जी से एक और बात पूछना चाहती हूँ और अपने बीजेपी के नेताओं से जो सामने बैठे हैं, इनसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि 600 साल पुराना मंदिर जब अस्तित्व में आया, तब डीडीए अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन उन्हें ये अवैध दिखा। लगातार समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा सारे कागज पत्र देने के बावजूद भी मंदिर को अवैध करार दिया जाता है और उसे तोड़ा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से कि बीजेपी को बड़ा सुंदर सा, भारी सा मुख्यालय राजधानी के बीचो–बीच इतनी महंगी जमीन किस आधार पर डीडीए ने दे दी, जो आज बीजेपी का सबसे बड़ा मुख्यालय वहाँ पर है? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, डीडीए पर इनका अधिकार है, तो ये ले सकते हैं। लेकिन हम लोग, दलित समुदाय के लोग अपने 600 साल पुराने मंदिर के अंदर पूजा अर्चना नहीं कर सकते, अपने संतों का गुणगान नहीं कर सकते, उनकी प्रति हम श्रद्धा नहीं रख सकते। लेकिन ये राजनैतिक दल शहर के बीचों–बीच अपना बड़ा मुख्यालय बना सकता है क्योंकि इनकी मनुवादी सोच है, इनका अधिकार है और कुचलने की और आरक्षण को खत्म करने की गंदी सोच है।

इसी प्रकार से किस आधार पर डीडीए ने राज्य सभा के जो सांसद है, श्री विजय गोयल जी, उनको उनका टॉय बैंक बनाने के लिए किस आधार पर डीडीए ने उन्हें लैंड दी? वो भी शहर के बीचो–बीच? करोड़ो–अरबों रूपए की लैंड है, लेकिन डीडीए के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, 600 साल पुराना हमारे दलित समुदाय का जो मंदिर था, उसे तोड़ने के लिए उनके पास पूरा अधिकार भी है, पूरा समय भी है और पूरी पॉवर भी है। लेकिन ये बीजेपी के लोगों के खिलाफ न तो इनके पास बोलने का अधिकार है, न एक्शन लेने का अधिकार है।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, दो मिनट में अपनी बात को मैं खत्म करूँगी कि आज जो देश भर में हो रहा है, वो किसी से नहीं छुपा। देश में देखेंगे आप, अलग–अलग सेक्टर्स में बेरोजगारी आ रही है। अलग–अलग जगहों पर हर पाँच मिनट बाद खबर मिलती है कि फलानी जगह छोटी बच्ची से बलात्कार हो गया, बुजुर्ग से बलात्कार हो गया। रात को महिलाएँ सफर नहीं कर पा रही हैं। इन घटनाओं की ओर सरकार का, केंद्र सरकार का और बीजेपी के लोगों का ध्यान नहीं जाता चूँकि ये एक शहर के बीचों–बीच 600 साल पुराना संत रविदास जी का मंदिर है, उसमें दलित समुदाय के करोड़ों–करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है, आप उसे रातो रात तुड़वा देते हैं।

अध्यक्ष जी, मुझ से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बारीकी से सारी चीजों पर नजर डाली है। मैं कहना चाहती हूँ, मुझसे पहले जिस तरह से अभी एक साथी ने बोला कि संत रविदास जी का ये दोहा अपने आप में बहुत कुछ कहता है,

''जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात,

रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात।''

अध्यक्ष जी, इसका मतलब ये है कि अगर हम केले के पत्ते को खोलने लगें तो पत्ता दर पत्ता, पत्ता दर पत्ता, हम पत्ते को उधेड़ देंगे, केले के तने को उधेड़ देंगे लेकिन उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, उसी प्रकार से इन मनुवादी सोच के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने देश को हिंदू मुस्लिम, छोटी जाति, बड़ी जाति में बाँट दिया है, जिसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अगर इस देश को तरक्की की ओर ले जाना है, इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, इस देश को पुनः आर्थिक मंदी से उबारना है तो जो कहा है संत रविदास ने, ''रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात'' अर्थात जब तक ये जाति हमारे बीच में से नहीं निकलेगी, ये जातियों का भेदभाव हम में से नहीं निकलेगा, जब तक हमारे बीच में एकता नहीं आएगी, इंसान इंसान से प्यार नहीं करेगा, इंसान इंसान के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अध्यक्ष जी, आज ये मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे तोड़ने की राजनीति करके ये विश्व को क्या उदाहरण देना चाहते है? ये क्या उदाहरण पेश करना चाहते है? आज देश के अंदर बेरोजगारी और आर्थिक मंदी 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला हो...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज। नहीं, अब कन्क्लूड करिए।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, बस मैं अंतिम शब्दों में यही कहना चाहती हूँ कि जो आज हमारे साथी विधायक भाई विशेष रवि जी ने सदन पटल के ऊपर जो प्रस्ताव रखा है, मैं और मेरी पूरी आम आदमी पार्टी इसका पूरा समर्थन करते हैं और एक आवाज से इस सदन से यही आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना कि हमारा मंदिर, हमारे संतों का सम्मान हमें वापस दें, नहीं तो कल तो सिर्फ एक छोटा सा आगाज था, इसका

अंजाम केंद्र की सरकार को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, मनुवादी सोच के लोगों को, आरएसएस को, ये जो है, भुगतना पड़ेगा और इसका जो हश्र है, वो बहुत बुरा होने वाला है। आपने मुझे समय दिया, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत–बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि इस सदन की भावनाओं को आप डीडीए तक और केंद्र की सरकार तक पहुँचाते हुए, पुनः मंदिर निर्माण में सहयोग, डीडीए और केंद्र की सरकार से दिलवाने का कष्ट करेंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया।

सबसे पहले मैं समर्थन करूँगा, विशेष रवि जी ने जो सदन के पटल पर ये जो रेजॅलूशन रखा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओम प्रकाश शर्मा जी को, जिन्होंने इस रेजॅलूशन का समर्थन किया और इसके अंदर खास बात ये है, इस रेजॅलूशन में हमने एक लिखा है और सदन की ये भावना है, "This House resolves that Central Government has badly mishandled this issue by not supporting the cause in the issue in the court of law which finally led to the unjustified, unfortunate demolition." अध्यक्ष जी, ये बार–बार मुझे पता है कि भाजपा किस तरह से ऑपरेट करती है दिल्ली में, और हर बार ये किसी टेक्निकल बात को रखकर भोली–भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और ये समस्या तब से ज्यादा है जब से यू.डी. के अंदर, अर्बन डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक मंत्री आए हैं, जिनका नाम है, हरदीप पुरी। वो बहुत बड़े एक्सपर्ट मानते हैं अपने आपको दिल्ली का और हर बात पर उनके पास राय होती है, उनके पास

सलाह होती है, उनके पास क्रिटिसिज्म होता है। बहुत शौक है उनको पत्रकारों को बुलाकर उनको ब्रीफिंग देने का, खबरें प्लांट करने का। छोटी–छोटी चीजों के अंदर प्लांट करना शौक है उनको। मगर जब से वो दिल्ली के अंदर इस यू.डी. डिपार्टमेंट में आए है, डीडीए एक तरह से दिल्ली डकैत एसोसिएशन बन गया है। जहाँ–जहाँ डाका मारा जाता है, अगर आप पीछे देखो तो उसके पीछे डीडीए होता है और डाकुओं के सरगना बन गए हैं, हरदीप पुरी। एक वक्त था जब डीडीए का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। दिल्ली के अन्दर हाउसिंग का काम डीडीए को दिया गया था और किया भी जाता था और आज डीडीए इस शर्मनाक लेवल पे आ गया है कि डीडीए की हाउसिंग सोसायटीज की नीलामी होती है तो लोग घर ही नहीं खरीदते। फ्लैट्स को रखा जाता है।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं समझता हूँ। दर्द हो रहा है।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, अब ये, ओम प्रकाश जी, इतना शाँतिपूर्वक चल...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी विजेन्द्र जी को... नहीं ओम प्रकाश जी, प्लीज। चलिए–चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः क्या होता है जब एक गुरूजी के कई चेले होते हैं तो एक चेले की बात करी जाए तो दूसरे चेले को दर्द होता है। क्योंकि गुरूजी सेम हैं। ये हम भी समझते हैं, सदन भी समझता है। तो डीडीए की आज ये हालत हो गई है कि डीडीए अपनी हाउसिंग स्कीम

निकालती है और लोग उस घर को खरीदने ही नहीं आते हैं। जैसे आपने 8000 फ्लैट निकाले और 5000 हजार ही लोग उसको भरते हैं 3000 इनके बचे रह जाते हैं और जो 5000 लोग खरीद लेते हैं, वो भी कहते हैं कि काश! इनको डीडीए हमसे वापस ले ले। ये हालत आज डीडीए की हमारे जो काबिल मंत्री है, हरदीप पुरी जी, उनके अन्तर्गत हुई है और दिल्ली के अन्दर जो भी विध्वंस हुआ है उसके पीछे डीडीए ही रहा है।

अध्यक्ष जी, पिछले दो ढाई सालों के अन्दर जितनी दिल्ली के अन्दर सीलिंग हुई है, जितनी प्रोपर्टीज की सीलिंग हुई हैं, जितनी दुकानों की सीलिंग हुई है, कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से, पार्किंग चार्जेज की वजह से, कन्वर्जन चार्जेज की वजह से उसके पीछे भी डीडीए था और डीडीए अपनी सारी नाकामी को कोर्ट के पीछे छिपाता है। डीडीए हर चीज के अन्दर कह देता है कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। हालांकि डीडीए ये नहीं बताता कि कोर्ट में आपने क्या किया? इस मामले में भी ये बार–बार मुझे पता है कि जब विजेन्द्र गुप्ता जी माइक संभालेंगे तो ये जो अपनी सारी की सारी जो नाकामी है, अपनी सरकार की सारी की सारी नालायकी है, उसको कोर्ट के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे। मगर ये नहीं बताएंगे कि उस कोर्ट के अन्दर डीडीए ने क्या कहा, क्या उस कोर्ट केस में जब वो लोअर कोर्ट में था, जब वो हाईकोर्ट में था, जब वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, क्या डीडीए ने एक बार भी ये कहा कि हाँ, ये मन्दिर बहुत पुराना है, 600 साल पुराना है? हमारी ग्रीन बेल्ट में आता है, मगर हम चाहते हैं, ये मन्दिर रहे। अगर डीडीए ने एक बारी भी ये कहा हो तो मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को चैलेंज करता हूँ, अभी वो अपना वक्तव्य देंगे, डीडीए का वो एफिडेविट मुझे दिखाएँ। इस सदन को दिखाएँ। इस सदन के माध्यम से सारे दलितों को दिखाएँ और सारे समाज को दिखाएँ कि डीडीए ने उस समाज की लड़ाई कोर्ट के अन्दर लड़ी। अध्यक्ष जी डीडीए ने नहीं लड़ी,

डीडीए हमेशा से... शुरू से लेकर अंत तक उस मन्दिर के खिलाफ रहा। डीडीए ने हर बार ये कहा कि हाँ जी, ये मन्दिर एंक्रोचमेंट है। ये इल्लीगल है लिहाजा इसको हटाया जाए। अध्यक्ष जी, तरीके बहुत थे, तरीके और भी थे और आज भी तरीका बाकी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ताले हैं, वो बंद हो गए। आज भी तरीका है जो इस रेजुलेशन के अन्दर है। अगर हमारे भाजपा के मित्रों को थोड़ा सा भी इस मामले के अन्दर संवेदना है और जो वो बात कह रहे हैं कि हम इनमें साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, ये तो वो ही बात हो गई जैसे ये व्यापारियों को कहते रहे कि हम आपके साथ, हम सीलिंग के विरोध में हैं। मगर करेंगे हम कुछ नहीं तो इनके पास एक और मौका है अपने पाप धोने का कि ये आज बताएँ विजेन्द्र गुप्ता जी, मेरे बाद शायद बोलेंगे तो ये बताएँ कि कितने बजे ये हरदीप पुरी जी के पास हम सबको लेके चलेंगे? हम विधायक इनके साथ चलेंगे। ये हमें बताएँ और ये बताएँ कि कल लाएँगे या परसों लाएँगे? एक ऑर्डनेंस लाएँ, केन्द्र सरकार बहुत चीजों के लिए ऑर्डनेंस लाती है। छोटी–छोटी चीजों के लिए अपने अफसरों के एप्वाइंटमेंट तक के लिए ऑर्डनेंस लाए हैं। तो ये बताएँ कि ये कल या परसों या नरसों किस दिन ऑर्डनेंस लाएंगे, एक छोटा सा तीन लाइन का ऑर्डनेंस लाना है, जिससे वो जो मन्दिर की जगह वापस केन्द्र सरकार इन लोगों को दे सकती है, समाज को दे सकती है और मन्दिर बन सकता है। और ये रेजुलेशन मेरा मानना है कि ये हाउस के आगे जब ये रेजुलेशन रखा जाएगा, हाउस इसको सर्वसम्मती से पास करेगा तो इस रेजुलेशन में ये बात भी है और ये वादा भी है कि एक बार अगर केन्द्र सरकार ये जमीन दिल्ली के इन लोगों को दे देगी तो दिल्ली सरकार अपना पैसा खर्च करके एक भव्य मन्दिर का निर्माण वहाँ पर करेगी। और मैं एक बात और बताऊँ, मेरे पीछे अमानत भाई बैठे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मामला न भी निकले तो

कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड से पैसा देंगे, उससे भी मन्दिर बनवाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी भावना की बात है। हालाँकि दिल्ली सरकार सक्षम है मन्दिर बनाने में। मगर ये भावना है कि अमानत भाई जो चेयरमैन हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कहा कि ये मन्दिर का पैसा जो है, दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा। मैं सलाम करता हूँ अमानत भाई के इस जज्बे को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने तो सदस्य यहाँ XXX[2] रहे थे और हमारी चर्चा की मांग को...

सदन में अव्यवस्था

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बहुत बढ़िया चल रहा था क्यों ऐसी चीजें बोलते हो? इतना बढ़िया चल रहा था, इतना बढ़िया सदन चल रहा था।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आपका आभार प्रकट करके बात करी है। हाँ, तो बात तो पूरी हो जाए।

माननीय अध्यक्षः नहीं आपके कहा XXX रहे थे, क्यों ये भाषा बोलते हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपका आभार प्रकट किया हो।

XXX[2] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।

माननीय अध्यक्षः आप शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। आप XXX रहे हैं!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये XXX[3] शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाए। मनोज जी, बैठिए। ये शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाए। जगदीश जी, मनोज जी, आप चलिए अभी, मनोज जी, अपनी सीट पर चलिए। मनोज जी, सीट पर चलिए। मनोज जी, चलिए। ये विजेन्द्र गुप्ता जी का ये शब्द XXX कार्यवाही से हटा दिया जाए भई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी। चलिए, प्लीज। चलिए, चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया आप बैठिए अपनी सीट पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, बैठिए। मैंने उस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया।

...(व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः अपनी भावनाओं को कह सकते हैं। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो ये माफी माँगे, ये माफी माँगे सारे सदन से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सारा माहौल खराब करते हैं बेमतलब।

सुश्री राखी बिड़लाः ये कैसे कह सकते हैं? अभी की अभी माफी मंगवाइए, अध्यक्ष जी। अभी की अभी माफी मँगवाइए उनसे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। मैंने ये शब्द कार्यवाही से निकलवा दिया।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप अपनी पर सीट तो जाएं। सीट पर तो जाएं, प्लीज। सीट पर पहुँचे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय जी, अभी बैठिए। प्लीज, बैठिए गंभीर होते तो ये बात ही नहीं होती।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए।

सुश्री राखी बिड़लाः हम नहीं जाएँगे। माफी मंगवाइए, अवमानना का केस चलाइए। ऐसे कैसे ये हमारे समाज का अपमान कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, बैठ जाइए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने वेल में आकर श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से माफी माँगने की माँग की)

सुश्री राखी बिड़लाः ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मनुवादी सोच के लोग हमारी भावनाओं को...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। विजेन्द्र जी, मैं बड़े सम्मान के साथ एक बात कह रहा हूँ। उसको गंभीरता से... एक सैकेण्ड में...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज। मैं देख रहा हूँ सब। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए ये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सदस्य ने गाली दी है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः देखिए मैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, थोड़ा बहुत...

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरी बात सुनिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः यहाँ पर डेकोरम बना के रखना नहीं है न?

माननीय अध्यक्षः आप बात को घुमा रहे हैं। मैं अपनी बात एक बार पूरी कर लूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय जी, अजय जी, बैठिए। अजय जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। अजय जी, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय जी, बैठिए। अजय जी, दो मिनट बैठिए।

सदन इतनी गंभीरता से चल रहा था। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि सदस्यों की भावनाएँ आहत हुईं, वो वैल में आये, नारेबाजी हुई। अगर हम उसको आपके अनुसार XXX कहेंगे तो आप जो मेज पर खड़े हुए थे, तो उसको मुझे आतंकवाद कहना पड़ेगा। मैं बहुत क्लीयर बोल रहा हूँ, उसको मुझे आतंकवाद कहना पड़ेगा, वो सदन में आतंकवाद था।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपको जो कहना है, कहिए। जो मुझे कहना है, मुझे कहने दीजिए। मैंने किसी को रोका तो नहीं।

माननीय अध्यक्षः आप कितनी बार यहाँ आए? लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः न आपको मैं रोक रहा हूँ, न मैं उनको रोक रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः ये तरीका ठीक नहीं है कि XXX शब्द।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे जो कहना है, मुझे कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः ये सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप मेरी भावनाओं ...(व्यवधान) नहीं सकते आप।

माननीय अध्यक्षः अभी मेरी पूरी बात... मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुझे

बहुत पीड़ा हुई है। आप सदन के माननीय... एक सेकंड, बात मुझे पूरी करने दीजिए। विजेन्द्र जी, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं। हम समय बढ़ाएँगे। मेरा ये कहना है, आप नेता विपक्ष के हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं। आप वो शब्द सम्मान पूर्वक वापस ले लीजिए, उसमें सदन की गरिमा होगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप सेंसर नहीं कर सकते, आप आदेश दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए आप, ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने जो आदेश दिए, मैं उसमें कोई वो नहीं करता।

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा कि वापस ले लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः आप शब्द वापस ले लीजिए, विषय खत्म हो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं कह रहा हूँ, आपको अपना आदेश देने का अधिकार है। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, बात खत्म, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मैंने जो कहना था, कह दिया इससे ज्यादा नहीं कह सकता, बैठिए महेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, समय आपने मुझे दिया है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः मैं समय दूँगा आपको, चाहे 10 मिनट लेकिन आपने इस समय को खराब करने का...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लोकतंत्र का तकाजा है कि विपक्ष की भावनाएँ भी समक्ष आनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः दोष आपको जाता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे अपनी बात कहने दी जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई महेन्द्र जी, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उनकी टर्न पर बोल रहा था?

माननीय अध्यक्षः आप बोल दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, बोल दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप अपने उसको बोलिए।

श्री महेन्द्र गोयलः माननीय नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो सदस्यों की...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे अध्यक्ष जी, मेरी बात है न, आप मेरे बोलने के बाद उनको बुलवा लीजिए, मुझे तो अपनी बात कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड, रुक जाओ। आपको बुलवाया था, बड़ी इज्जत से बुलवाया मैंने।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने तो शुरू किया है न, मैंने क्या गलत किया बताइए?

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः नेता प्रतिपक्ष ने हमारे सदस्यों की जो भावनाओं को XXX का शब्द बोला है ये रिकार्ड के अंदर रहना चाहिए और ये रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना चाहिए, ये शब्द रिकॉर्ड से निकलना नहीं चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। किस बात के लिए ये शब्द निकाले गये? क्या लोगों की भावनाओं के साथ ये ऐसे खेलते रहेंगे? देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, हमने उनको बधाई दी। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटायी उसके लिए हमने बधाई दी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 370 पर भी बहस करिए।

श्री महेन्द्र गोयलः 35–ए वहाँ पर तोड़ी गई, उसके लिए हमने बधाई दी। संत रविदास का मंदिर तोड़ा उसके लिए भर्त्सना करते हैं।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, बैठिए। सभी माननीय मंत्रियों को बोलना है, बैठिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ विजेन्द्र जी, शुरु करिए आप। प्यार से शुरू करिए। ये सदन को डिस्टर्ब मत करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं अध्यक्ष जी, ये कहूँगा, आप सदस्यों को ये कहिए कि वो मुझे भी अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर दें और सुनें, मैंने सबको सुबह से सुना है, मैंने एक शब्द नहीं बोला।

माननीय अध्यक्षः भावनाएँ ये व्यक्त करने का वो तरीका नहीं था, अब आप बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इतनी मर्यादा जरूर होनी चाहिए की विपक्ष जो बात कह रहा है, उसे सुना जाए।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आपको भी शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं शुरू करूँ, अध्यक्ष जी?

माननीय अध्यक्षः हाँ, करिए शुरू।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं आपका...

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। पौने छः बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

सदन 5 : 45 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष(श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

ध्यानाकर्षण (नियम – 54) पर चर्चा *जारी...*

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि जनता के समक्ष सच जाना चाहिए और पक्ष और विपक्ष, दोनों की भावनाओं से लोगों को अवगत होने की आवश्यकता है। ये बात सदन के समक्ष स्पष्ट होनी चाहिए कि...

घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों की भावनाओं को आहत करती है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेशानुसार और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को इसकी जिम्मेदारी सौंपकर यानी कि दिल्ली सरकार अपनी भूमिका से इस पूरे मामले में अपने को अलग नहीं कर सकती। क्योंकि मैं वो लाइन पढ़ देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की: Chief Secretary of the Government of NCT of Delhi shall ensure that the structure is removed.'

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पूरा पढ़ देता हूँ। पूरा पढ़ देता हूँ, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः हाँ, पूरा पढ़िए–पढ़िए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, पूरा पढ़ देता हूँ। आपका आदेश सर माथे पर। देखिए, इसमें लिखा है कि 'Let the Commissioner, Delhi Police personally ensure that structure is removed with the help of adequate police force as the case order is not complied with.... let the Commissioner Delhi Police remain present in this court on the next date of hearing. Chief Secretary of the Government of NCT of Delhi also ensure that the structure is removed.'

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, एक मिनट। कोई बात नहीं। इसके साथ–साथ कोर्ट ने कमेटी को भी कहा, जो कमेटी है समिति उसके लिए क्योंकि अदालत में एक मिस अण्डरस्टैंडिंग हुई। अगर आप कहेंगे तो बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है। चार छः लाइनों का ऑर्डर है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑर्डर कहता है सुप्रीम कोर्ट काः 'It is stated by the learned counsel appearing

for the respondents that the premises have not been vacated. It is stated that the learned counsel… एक मिनट हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तो मुख्य मंत्री जी को बोलना है। तो कौन सा इसमें... it is stated by the learned counsel for the respondent that the premises have not .... देखिए, पेटिशनर है इसमें कमेटी...

माननीय अध्यक्षः रिस्पोंडेंट।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः रिस्पोंडेंट है डीडीए।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, इसमें मुझे अपनी बात कहने दी जाए, अध्यक्ष जी। मुझे बात कहने दी जाए, आप फैसला कर लीजिएगा। मुझे अदालत का ऑर्डर पढ़ने दीजिएः 'Ón the previous date a false statement was made in this court by the counsel of being instructed by the office bearers of the Guru Ravidas Jayanti Samahro Samiti that the premises have been vacated.' झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि जो स्टेटमेंट वहाँ हुआ, उससे एक मिसअण्डरस्टैण्डिंग हुई और कोर्ट ने उसको फाल्स डिक्लेयर कर दिया... 'When we have listed the case today, Miss Garima Prasad, Learned Counsel appearing for the DDA has stated that the premises have not been vacated and obstruction is being caused by the Guru Ravidas Jayanti Samahro Samiti. This is a serious kind of breach committed by the Committee of Guru Ravidas Jayanti Samahro Samiti. They cannot act in this method and manner in which they have acted…

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट आप पढ़ने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, एक बार उनको प्लीज...

SHRI VIJENDERA GUPTA: Let the premises be vacated by tomorrow and the structure removed by the DDA with the help of the police. We also direct to...

...(Interruptions)

SHRI VIJENDERA GUPTA: provide adequate police help to the needful and let the structure be removed and compliance reported to this court on 13.10.2019… *ab iske baad jo asli important hai, who sabse important hai.* Mr. Rishi Pal, President Guru Ravidas Jayanti Samahro Samiti and all the committee members and office bearers of the Samiti be personally present in this court. In case of non-compliance, cause be also shown as to why contempt process due to the compliance of the order against the Guru Ravidas Jayanti Samiti be not drawn.’

यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति को भी नॉन कम्पलाएंस में कण्टैम्प्ट का वो बना दिया कि अगर ये एक्शन नहीं हुआ तो आप अगली बार उस डेट पर आएँ, 13 तारीख को या जो भी डेट थी और उस दिन आपके एगेंस्ट भी कण्टैम्प्ट की कार्यवाही होगी। यानी कि समिति जो इस पूरे संघर्ष को कर रही है, उनके एगेंस्ट भी कण्टैम्प्ट का मुद्दा बन गया। अध्यक्ष जी, मैं इसको...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये सारा विषय, एक सेकंड...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता।

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड, ये सारा विषय अखबारों में आ चुका, हम सब जानते हैं। मंदिर वहाँ बनना चाहिए, ये सारा विषय अखबारों में आ चुका। हम सब जानते हैं, आपने पढ़ दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं आगे की बात...

माननीय अध्यक्षः अब इस समस्या का निदान क्या है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा।

माननीय अध्यक्षः ये बताइए आप?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बहुत अच्छा। इस समस्या का निदान बहुत ही आसान है। कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर चाह रहे हैं, गजों में मंदिर बने। हम चाहते हैं एकड़ों में बने। पहली बात, कई एकड़ में बने। सब चाहते हैं, वहाँ पर संत रविदास जी का स्मारक बने। अब मैं मुख्यमंत्री जी से कमिटमेंट भी चाहता हूँ और इस रेज्यल्यूशन में जुड़वाना चाहता हूँ क्योंकि जो नोडल ऑफिसर है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, क्योंकि इमरान भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी मर्जी के बगैर तो कोई एक पेड़ नहीं कट सकता दिल्ली में, आप ये तो मालिक हैं साहब। ठीक है? क्योंकि ये 1980 में 435 एकड़... क्योंकि कौन सा एरिया फॉरेस्ट रहेगा, ये दिल्ली सरकार तय करती है। 1980 में स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, डिक्लेयर किया कि ये 435 एकड़ टोटल एरिया ये फॉरेस्ट एरिया है और ये एरिया भी उसका पार्ट है। अब सवाल ये है कि मंदिर इतना पुराना है। 1980 में जब ये 435 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हुआ तो उसी समय इस बात का ध्यान करना चाहिए था। लेकिन खैर मैं पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, अभी भी दिल्ली सरकार, इसमें ऐड किया जाए, दिल्ली सरकार आज ही रात को

इस विषय पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट का, कि नोडल ऑफिसर मुख्यमंत्री जी की इजाजत से रिकमंड कर दें। आज मैं एनवायरन्मेंट मिनिस्टर को मिला था, जावड़ेकर जी को और हमने अपनी चिंता व्यक्त की थी। हमने स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ पर संत रविदास जी का एक बड़ा स्मारक बने जिसको पूरी दुनिया के लोग देखने आएं, वहाँ पर उनकी भावनाओं को समझें। तो एक हमारा कहना है कि This is declared for us under the Forest Act, 1927. इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार तुरंत आज ही दफ्तर खुलवा के अगर बंद हो गया हो, अफसरों को बुला के और तुरंत एनवायरन्मेंट मिनिस्टरी को रिकमंडेशन दे दे कि हम पूरा ढ़ाई एकड़ एरिया हम इसको डि–फॉरेस्ट हम इसको नॉन फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इसकी कार्रवाई आगे करिए। मैं अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से, आपके समक्ष पूरे सम्मान के साथ इस सदन को, मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज दिल्ली सरकार अपनी रिकमंडेशन आज भेज देती है तो कल की तारीख में अगली कार्रवाई हम जाकर के करवाएंगे, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, बैठिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी।

माननीय मुख्यमंत्रीः (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये सदन बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहा है। जिस तरह से संत रविदास जी महाराज जी का मंदिर तोड़ा गया, उससे केवल दलितों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है। संत रविदास जी महाराज का, सभी समाज के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग उनका बेहद सम्मान करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। संत

रविदास जी महाराज ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहाँ सब लोग बराबर हों, जहाँ कोई गरीब न हो, जहाँ सबको खाने को मिले, जहाँ सबको एक जैसी सुविधाएँ मिलें, जहाँ सबको अच्छी शिक्षा मिले, जहाँ सबको खाने को अन्न मिले, जहाँ कोई जात–पात न हो। उन्होंने जिस किस्म के समाज की परिकल्पना की थी, जिस किस्म के राज की परिकल्पना की थी, मैं उनकी वाणी यहाँ पे कहना चाहूँगा उन्होंने कहा था, 'ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे–बड़े सम सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले, कोई छोटा बड़ा न हो, सब बराबर हों। आज दिल्ली सरकार जिस तरह से चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि संत रविदास जी महाराज अदृश्य तौर पे अपने आशीर्वाद से दिल्ली सरकार को चला रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के हर नागरिक को, चाहे वो गरीब से गरीब नागरिक हो, उसे हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए अच्छे अस्पतालों का, स्वास्थ्य का इंतजाम कर रहे हैं। उसके लिए अन्न का इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी सड़कों का, बिजली का, पानी का। आज दिल्ली के अंदर किसी के पास पैसा न हो, गरीब से गरीब इंसान हो, तो उसको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंतजाम दिल्ली सरकार ने और अन्न की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इंतजाम दिल्ली सरकार ने कर दिया। दूसरी बात, मैंने अखबारों में पढ़ा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वाली जमीन छोड़ दो, कहीं और, किसी और जमीन पे हम बड़ा मंदिर बनवा देंगे। एक तरफ ये करोड़ों लोगों की आस्था का तो सवाल है ही, लेकिन आस्था के साथ–साथ वो लोग ये नहीं समझते कि वहाँ संत रविदास जी महाराज कुछ दिनों के लिए रहे थे। वहाँ उनकी वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस आपको कहीं और किसी स्थान पे नहीं मिल सकती। अगर संत महात्माओं की ऐसे

स्थान को हम लोग वहाँ पे मंदिर नहीं बनाएँगे तो दूसरी जगह के ऊपर मंदिर बनाना बेमानी है। जो समाज अपने संत महात्माओं का मान सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे बस दुःख इस बात का हो रहा है कि एक तरफ तो मंदिर तोड़ दिया गया और दूसरी तरफ इसके ऊपर गंदी राजनीति चल रही है। मैं सभी पक्षों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति न करें इसके ऊपर। ये मामला राजनीति करने का नहीं है। हम सब लोगों को मिल के ये सोचना चाहिए कि वापिस अपने को वहीं, उसी स्थान पर मंदिर कैसे बनाना है, ये हमारे लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज जैसा मैंने कहा कि केवल दलित समाज के नहीं, सभी समाज के लोगों को इस मंदिर के टूटने से आहत पहुँची है। सभी समाज के लोग संत रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं। लेकिन सीधे–सीधे लगभग 12 से 15 करोड़ लोग देश के रविदास समाज से आते हैं। आज 12 से 15 करोड़ इस देश के लोग केन्द्र सरकार से केवल 4–5 एकड़ जमीन माँग रहे हैं। हम जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपोर्टेंट आवाज होती है। जनता मालिक होती है जनतंत्र में। अगर किसी बात पे 12 से 15 करोड़ लोग 3–4 एकड़ जमीन माँग रहे हैं, 5 एकड़ जमीन माँग रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात माँग रहे हैं। वो तो उनको तुरंत दे देनी चाहिए। ये कहा जाता रहा है कि वो फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट में आती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश का फॉरेस्ट इस चार एकड़ पर ही निर्भर करता है क्या?

मैं आज ये माँग करता हूँ कि ये चार –पांच एकड़ जमीन अगर डीडीए रविदास समाज को दे दे तो दिल्ली सरकार की सौ एकड़ जमीन मैं केन्द्र सरकार को दे दूंगा और जितना फोरेस्ट आप इस चार एकड़ जमीन पर जितना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हवा में तीर चला रहे हो।

माननीय मुख्यमंत्रीः जितना फॉरेस्ट आप का इस चार एकड़ जमीन पर है, उससे कहीं ज्यादा घना फॉरेस्ट हम आपको सौ एकड़ जमीन पर बना के दे देंगे। 25 गुणा जमीन पर आप को बना के दे देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः ये बात... इस बात का समाधान केवल केन्द्र सरकार के पास है। केवल केन्द्र सरकार इसका समाधान कर सकती है। मेरा निवेदन ये है, अभी तक जिस तरह से कोर्ट में केस चला, इस मंदिर की जो सोसाइटी है, उन्होंने कोर्ट में केस किया। केन्द्र सरकार ने और डीडीए ने उसका विरोध किया जिसकी वजह से पहले वो हाइ कोर्ट में हार गये और उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गये। अगर इसका विरोध न किया जाता हाइ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और दोनों पक्ष जा के हाइ कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कहते, 'जी हाँ, ये समाज की जमीन है, संत रविदास जी महाराज की जमीन है और हमें इनको दे देनी चाहिए।' जब दोनों ही पक्ष खड़े हो के कोर्ट में कह देते तो कोर्ट मान जाता। मैं आज केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हम सब लोग सारी पार्टियाँ राजनीति से ऊपर उठ के कोशिश करें कि सब लोग अब जा के जो प्रस्ताव इन्होंने दिया है, दिल्ली सरकार ऐसा ऐफेडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार है...

...(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्रीः हम अपनी तरफ से हम केस में हम पार्टी भी नहीं हैं, दिल्ली सरकार इस केस में पार्टी भी नहीं है। इस केस में केन्द्र सरकार पार्टी है, एलजी पार्टी हैं और डीडीए पार्टी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर रिव्यू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, ये क्या बात कर रहे हो आप?

माननीय मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या बात कर रहे हो आप...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपको फिर वही दिक्कत है। आप...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्यों नहीं है? कोर्ट का आदेश नहीं है, कोर्ट का आदेश नहीं है। बैठ जाइए अब।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है? आप बेवकूफ बना रहे हैं पूरे सदन को। आप लैंड यूज चेंज कर रहे हैं नहीं। लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ओमप्रकाश जी, बैठिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है, लैंड यूज चेंज करने का?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए, प्लीज। बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री ठीक लाइन पर जा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मंदिर बनेगा... बनेगा.. बनेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, माननीय मुख्य मंत्री जी। अब विजेन्द्र जी, प्लीज आप बीच में टोका–टाकी मत करिए। आपने...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, किसको? आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात पूरी की है। आपने तमाशा बना रखा है। बैठ जाइए। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगर मुख्य मंत्री जी को रोका। मैं किसी कीमत पर सहन नहीं करूँगा। मुंख्य मंत्री को अगर रोकेंगे, मैं सहन नहीं करूँगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप पूरी दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी। अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, मुझे बेहद खेद है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की गंदी राजनीति हो इस मुददे के ऊपर लेकिन वो...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आपको लास्ट वार्निंग। इफ यू विल स्पीक आई हेव टू टेक एक्शन।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओमप्रकाश जी, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मार्शल्स! मार्शल्स! ओम प्रकाश जी को, विजेन्द्र को बाहर करें। चलिए, दोनों को बाहर करें। ओमप्रकाश जी को, विजेन्द्र जी को बाहर करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, कोई तमाशा है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सदन के नेता बोल रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है! गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। गुंडागर्दी पर आये हुए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, बाहर करिए, दोनों को। मार्शल्स बाहर करें। जल्दी बाहर करें, तुरंत। तुरंत बाहर करें। चलिए, बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, इधर से नहीं। राखी जी, इधर से मत बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं देख रहा हूँ, अपने आप, आप चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी।

माननीय मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि इसका आपने कोई समाधान निकालना जरूरी है। इसके दो तरीके हैं; एक तरीके तो जैसे अभी कई सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जान बूझ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केन्द्र सरकार ने और डीडीए ने सारे तथ्य नहीं रखे। एक तरह से केन्द्र सरकार ने और डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाई है और ये जमीन से मंदिर तुड़वाया है। अब उनको ये समझ में आ गया कि मामला कितना संगीन है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उससे उनको समझ में आ गया कि किस तरह से कितने बड़े स्तर के ऊपर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जैसा मैंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार और डीडीए चाहती तो कोर्ट के अंदर ही कह देती विरोध करने की क्या जरूरत थी? कोर्ट के अंदर उन्होंने क्यों कहा डीडीए ने कि ये इल्लीगल जमीन है और एनक्रोचमेंट हटाई जाये। कोर्ट के अंदर डीडीए, केन्द्र सरकार और एलजी साहब ने मिल के इसका

विरोध क्यों किया पेटीशन का? जब वो लोग गये थे कोर्ट में, उनको सीधे–सीधे कह देते, 'हाँ जी, हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं।' दोनों अगर पक्ष कह देते तो कोर्ट जजमेंट दे देता इनके पक्ष में लेकिन अब जब इनको समझ में आ गया है, अभी दो तरीके हैं; एक तो ये कोर्ट में जा के रिव्यू पेटीशन या जो भी पेटीशन, वो तो वकील बतायेंगे जो भी डाल के और कोर्ट को सारे तथ्य रखे जायें और कहा जाये, जी, लॉ एंड आर्डर सिचुएशन देखते हुए और लाखों करोड़ो लोगों की भावनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार ये जमीन रविदास समाज को देने के लिये तैयार हैं। अगर ये ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इसको ट्राई किया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मेरी समझ में ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए केन्द्र सरकार को तुरंत और ऑर्डिनेंस, जैसा भी जो प्रस्ताव रखा गया है, ऑर्डिनेंस पास करके ये चार–पाँच एकड़ जमीन तुरंत रविदास समाज को दे दी जाये और जो अभी मैं सुन रहा था, सभी सदस्यों का ये भावना है, सभी सदस्यों की सदन की भावना है कि अगर केन्द्र सरकार ये चार–पाँच एकड़ जमीन रविदास समाज को दे देती है तो सदन के सदस्यों की भावनाओं का मान रखते हुए और पूरे देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और संत रविदास जी महाराज के प्रति हमारा जो सम्मान है, उसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली के मुख्य मंत्री के तौर पर मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि वहाँ पर हम दिल्ली सरकार की तरफ से एक भव्य मंदिर बनवाएँगे, चाहे इसके लिए हमें चाहे जितने भी पैसे खर्च करने पड़े। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अब श्री विशेष रवि उक्त विषय से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति लेंगे।

श्री विशेष रविः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अरे भई, कहां ध्यान है आपका ऊपर ये? इनपे एक्शन लो जरा। ये ठीक नहीं चल रहा इनका। कहाँ ध्यान है आपका इधर? कहां ध्यान है आपका? इन दोनों को कल हटाइये यहाँ से। इन दोनों को जॉब से हटाइये कल।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय, अपने संकल्प की विषय वस्तु का, मैंने अपने भाषण में उल्लेख कर दिया था। अब मैं इसे अधिकारिक रूप से सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेने का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री विशेष रवि जी को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। आप संकल्प प्रस्तुत कर दें। जो आपने शुरू में संकल्प पढ़ा था।

संकल्प

श्री विशेष रविः गुरूजी रविदास मंदिर के मामले में संकल्प।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा 22 अगस्त, 2019 को अपनी बैठक में संकल्प लेती है कि ये सदन दक्षिण दिल्ली तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने से आहत लाखों भारतियों की भावना से सहभागी है;

ये सदन दलित समुदाय के इस विश्वास का सम्मान करता है कि यह जगह अफगान तानाशाह सिकंदर लोधी द्वारा संत रविदास को दान की गई थी जिनके व्यापक रूप से दलित और अन्य समुदाय द्वारा पूजा की जाती है;

यह एक एतिहासिक महत्व का स्थल है जहाँ स्वयं संत रविदास कुछ दिन आकर रहे थे और यह दलित समुदाय की पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक भी है;

इस मंदिर के तोड़े जाने से ना केवल धार्मिक भावनायें क्षत–विक्षत हुई हैं बल्कि दलित समुदाय के संघर्ष का इतिहास भी;

ये सदन संकल्प करता है कि केन्द्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष उनके मामले का समर्थन न करके इस मामले का गलत तरीके से निपटारा किया। इसके कारण अतंतः इसका अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण विध्वंस हुआ। ये सदन लाखों लोगों की भावनाओं को केन्द्र सरकार तक जाने का भी संकल्प करता है और मांग करता है कि केन्द्र सरकार इसपे तुरंत अध्यादेश लाकर यह भूमि संत रविदास मंदिर के लिए आबंटित करे;

ये सदन यह भी संकल्प करता है कि केन्द्र सरकार से भूमि आबंटन

के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इस जगह पर एक भव्य मंदिर बनाए।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी द्वारा इस विषय से संबंधित प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन का समय साढ़े 6:00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपसे पाँच मिनट चाहती हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अभी मैं यह नहीं ले रहा हूँ। यह बहुत बार उठा है सदन में। बहुत बार हमने चर्चा की है। महिलाओं के विषय पर इस सदन में। नहीं, मैं कोई समय नहीं दूँगा। प्लीज, मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ। अलका जी, अलका जी, मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए आप, बैठिए प्लीज। अलका जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बाः मैं सिर्फ दो मिनट चाहती हूँ अध्यक्ष जी। मात्र दो मिनट चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, मैं इस विषय में... आप बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज। मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ इस विषय पर बैठिए आप। सदन को डायवर्ट कर रही हैं आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज। नहीं, बैठिए आप। बैठ जाइए। बैठ जाइए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज। इस सदन ने अनेकों बार चर्चा की है। आप बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए प्लीज। अलका जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठ जाइए। आप बैठ जाइए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप बैठ जाइए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप बैठ जाइए। अलका जी मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई। मैं, मैं कुछ नहीं बुलवा रहा हूँ। आप बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं, कोई कुछ... आप बैठ जाइए प्लीज।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में मार्च 2015 के बाद से लगाए गए बिजली के मीटरों की कुल संख्या;

(ख) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली के मीटर के लंबित मामलों का ब्यौरा;

(ग) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जिनकी बिजली की खपत प्रति माह 400 यूनिट से कम है; और

(घ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जिनकी बिजली की खपत प्रति माह 250 यूनिट से कम है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में मार्च 2015 के बाद 14703 बिजली के नये मीटर जारी किये गए हैं;

(ख) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में नये बिजली मीटर लगाने के 22 मामले लंबित हैं, इनमें से 14 मामले में आवेदकों की ओर से कार्रवाई लंबित है तथा शेष 8 मामलों में आवश्यक कार्रवाई जारी है;

(ग) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 49179 उपभोक्ताओं की बिजली की खपत जून, 2019 में प्रति माह 400 यूनिट से कम है; और

(घ) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 34042 उपभोक्ताओं की बिजली की खपत जून 2019 में प्रति माह 250 यूनिट से कम है।

02. श्री गिरीश सोनी: क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीवरलाइनें बहुत पुरानी हैं;

(ख) क्या विभाग का नई सीवर लाइनें डालने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(घ) इस प्रस्ताव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का संपूर्ण ब्यौरा?

माननीय मुख्यमंत्री: (क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सीवर लाइनें लगभग 35 साल पुरानी हैं; और

(ख) और (घ) नहीं। लेकिन पुरानी लाइनों को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

03. श्री आदर्श शास्त्री: क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार एवं एम.सी.डी. के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए सी.टी.ई.टी. की परीक्षा पास करनी अनिवार्य है;

(ख) यदि हां तो क्या इस अनिवार्यता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली सरकार और एम.सी.डी. के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स को स्वीकृत संख्या क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पेशल एजुकेटर के 1080 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो इन पदों पर भर्तियों की क्या स्थिति है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) जी हां;

(ग) स्पेशल एजुकेटर का कार्य दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना भी है। अतः अधिसूचित भर्ती नियम, 2012 के अनुसार सी.टी.ई.टी. की परीक्षा पास करना अनिवार्य है;

(घ) एम.सी.डी. स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की स्वीकृत संख्या 1667 है तथा दिल्ली सरकार के स्कूलों में इनकी स्वीकृत संख्या 2058 है;

(ङ) जी हां; और

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	विशेष शिक्षा अध्यापक	724
2.	पी.जी.टी. (विशेष शिक्षा अध्यापक)	300
3.	संसाधन केन्द्र समन्वयक	12
4.	पर्यवेक्षक (सम्मिलित शिक्षा क्षेत्र)	29

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
5.	पर्यवेक्षक (सम्मिलित शिक्षा जिला)	12
6.	सहायक निदेशक पर्यवेक्षक (सम्मिलित शिक्षा)	3
	कुल	1080

(च) उपरोक्त उत्तर संख्या (ङ) में दी गई सूची के अनुसार क्रम संख्या 1 के 724 पदों हेतु दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को माँग प्रेषित की जा चुकी है जो कि पद कोड 87/17 में जोड़ी जा चुकी है। तद्नुसार पदों की कुल संख्या 605+724=1329 हो चुकी है, जिनमें से 280 डोज़ियर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 238 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है तथा शेष प्रक्रियारत है। उत्तर संख्या (ङ) में दी गई सूची के पद संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 के भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए इन पदों हेतु भर्ती से संबंधित कार्य भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

ता. 03

विशिष्ट शिक्षा अध्यापकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. विद्यालय प्रमुख की देखरेख में दिव्यांग छात्राओं और अन्य विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए और उनके साथ कार्य करना;
2. विद्यालय प्रमुख और विषय शिक्षक के परामर्श से, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में इन दिव्यांग छात्रों के लिए दैनिक समय–सारणी का विभाजन करना;

3. समावेशी शिक्षा शाखा (IEB) के जिला स्तर की इकाई के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दिव्यांग छात्रों के आंकड़ों का संग्रह और अद्यतनीकरण करना;

4. सभी दिव्यांग छात्रों के व्यवस्थित रिकॉर्ड को बनाए रखना, जिसमें उनके मेडिकल प्रमाण पत्र की एक प्रति शामिल है, उनसे संबंधित आदेश/परिपत्र और उन छात्रों को प्रदान की गई सहायता और उपकरणों के रिकॉर्ड;

5. दिव्यांग छात्रों की व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) तैयार करना ताकि उस छात्र की प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन किया जा सके;

6. साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए और HOS, अभिभावक और विषय शिक्षक को सूचित करना;

7. सी.बी.एस.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संशोधनों के बारे में जागरूकता पैदा करना;

8. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन करने में मदद करना;

9. दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) तैयार करना;

10. दिव्यांग छात्रों की केस–स्टउी का अध्ययन और उसी का निरंतर रूप से अनुवर्तन करना;

11. विद्यालय में लगाई जाने वाली प्रदर्शन–सामग्री को तैयार करना;

12. जिला–समन्वयकों (IE) के साथ बैठकों में परियोजनाओं/नवीन विचारों का प्रस्तुतीकरण करना;

13. दिव्यांग छात्रों के माता–पिता से नियमित बातचीत/परामर्श और उसका रिकार्ड बनाए रखना;

14. दिव्यांग छात्रों के सभी गतिविधियों उदाहरणतः शैक्षणिक/सह–पाठ्यक्रम/खेल/योग की देखरेख/समन्वय करना;

15. अपने आत्म–सम्मान को बढ़ाने के लिए दिव्यांग छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना;

16. मूल्यांकन टीम की आवश्यकताओं/सिफारिशों के अनुसार सहायक उपकरण, भत्ते/वित्तीय सहायता का प्रावधान;

17. विद्यालय प्रमुख के परामर्श से इन दिव्यांग छात्रों के लिए (ज़रूरत अनुसार) लिपिक की व्यवस्था करना;

18. दिव्यांग छात्रों और उनके सहकर्मी समूह के बीच एक सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करना और प्रभावी समावेश के लिए मित्र–प्रणाली का निर्माण करना;

19. विद्यालय में दिव्यांग छात्रों हेतु संसाधन–कक्ष स्थापित करना;

20. विभिन्न हितधारकों जैसे की संबंधित शिक्षक, सहकर्मी समूह, प्रशासन, अन्य स्टाफ सदस्य एवं समुदाय के बीच दिव्यांगों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना;

21. इन दिव्यांग छात्रों के पूर्ण समावेशन हेतु मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए मनोदृष्टि आधारित परिवर्तन लाने के लिए नाना प्रकार की गतिविधियां आयोजित करना;

22. जब भी आवश्यक हो, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य तरीकों से मदद करने के लिए मूल्यांकन टीम में भाग लेना;

23. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के संबंध में समय–समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना;

24. उप–शिक्षा निदेशक (समावेशी शिक्षा शाखा) और विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य।

डॉ. मुकेश चंद

उप–शिक्षा निदेशक (समावेशी शिक्षा शाखा)

04. श्री विशेष रविः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए क्या प्रक्रिया और औपचारिकताएँ हैं;

(ख) क्या कारण है कि उपभोक्ता को पानी का नया कनेक्शन लेने में दो से तीन महीने का समय लगता है जबकि बिजली कनेक्शन लेने में केवल एक सप्ताह का समय लगता है; और

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नया कनेक्शन लेने में लगने वाले समय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदनकर्ता को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करना होता है। फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है अथवा सम्बंधित क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय में फॉर्म जमा कराया जा सकता है या डोरस्टेप (Door Step Delivery) योजना के माध्यम से भी फॉर्म को जमा करवाया जा सकता है।

फॉर्म के साथ पहचान का एक प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं बैंक की पासबुक की कॉपी व जिस प्रॉपटी पर कनेक्शन का आवेदन किया हो उसका मालिकाना हक से सम्बन्धित कागजात को संलग्न करना होता है।

(किसी एक की प्रतिलिपि)—रजिस्टर्ड सेल डीड, लीज डीड, रजिस्टर्ड कन्वेन्स डीड/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटरी द्वारा सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पूरे कागजात की श्रृंखला, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी रेजिस्ट्रेड/नोटरी द्वारा सत्यापित एग्रीमेंट टू सेल/विल। यदि आवेदनकर्ता किरायेदार है तो मकान मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड/फॅमिली सेटलमेंट डीड, रजिस्टर्ड रिलिंकिश डीड, अलोटमेंट लेटर (प्राइवेट बिल्डर) के साथ रजिस्टर्ड सेल डीड/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, डी.डी.ए. अलॉटमेंट/म्युटेशन लेटर/लैंड, डेवलपमेंट लेटर, कोर्ट के आदेश (यदि कोई है तो)। नए जल कनेक्शन का आवेदन फॉर्म सूचनार्थ संलग्न है।

आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच, भवन/प्लाट पर बकाया राशि की जांच, अनाधिकृत जल कनेक्शन की जांच, निर्माण कार्य की जांच, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज/डेवलपमेंट चार्ज की राशि (यदि देय है तो) तथा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा तकनीकी साध्यता (feasibility) की रिपोर्ट के उपरांत कनेक्शन को स्वीकृत किया जाता है तथा नए जल कनेक्शन का बिल आवेदक को भुगतान के लिए दिया जाता है।

(ख) नया जल कनेक्शन लेने के लिए जल बोर्ड की निर्धारित अवधि 15 दिन है। सामान्यतः जल बोर्ड में वर्ष भर में 40 से 50 हजार नए जल कनेक्शन के आवेदन प्राप्त होते थे लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा घटे हुए विकास शुल्क मात्र रु. 100/— प्रति वर्ग मीटर तथा अनाधिकृत जल कनेक्शन की योजना लागू होने के उपरांत नए जल कनेक्शन के आवेदकों

की संख्या में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है, जिस की वजह से नये जल कनेक्शन स्वीकृत करने में अधिक समय लग रहा है।

15 जून 2015 से 10 अगस्त 2019 तक कुल 4,54,387 (चार लाख चौवन हज़ार तीन सौ सत्तासी) नये जल कनेक्शन स्वीकृत किये गए; और

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नया कनेक्शन लेने में लगने वाले समय को कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

(1) दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली वाटर एंड सीवर (टैरिफ एंड मीटरिंग) रेगुलेशन 2012 के अनुसार निर्धारित 35 दिन के समय को घटा कर 15 दिन कर दिया गया है।

(2) नए जल कनेक्शन के फॉर्म का सरलीकरण करते हुए दो (पेज) का कर दिया गया है।

(3) नए जल कनेक्शन को स्वीकृत करने की प्रक्रिया को डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल किया गया है।

(4) एक भूखण्ड अथवा प्लाट में दस (10) कनेक्शनों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

(5) क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए पहले आओ पहले पाओ नियम को लागू किया गया है जिनको प्राप्त होने वाले क्रमांक के अनुसार पंजीकृत (Register) किया जाता हैं आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण इनका आवेदन रेफेरेंस नंबर (ARN) जनरेशन तथा K No. जनरेशन करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) द्वारा एक एप्लीकेशन (App) के जरिये कार्य किया जा रहा है।

(6) सभी ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदकों के आवेदन रेफेरेंस नंबर (ARN) एवं बिल जनरेशन का कार्य क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी को करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

MOST URGENT
VIDHAN SABHA MATTER

GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (I&F)
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT
L.M. BUND OFFICE COMPLEX, SHASTRI NAGAR,
DELHI 110031
Ph. : 011-20210877, E-mail: ceifcd@gmail.com

No. CEF/SSW/DB/V.S. Ques. 05/2019/ Dated:

To

The Deputy Secretary (Question),
Delhi Legislative Assembly Secretariat,
Old Secretariat,
Delhi-110054

Sub. : Vidan Sabha (Starred) Ques. No. 05 raised by Sh. Somnath Bharti, MLA to be replied on 22.08.2019.

Sir,

Please refer to your email dated 11.08.2019 vide which information an the above subject has been sought from I&FC department.

In this connection. I am directed to enclose herewith the reply of the above said question approved by competent authority for further necessary action.

Your faithfully

Encl. : As above

(Shiv Kumar)
Nodal Officer (I&FC)

05. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2014 के बाद से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किए जाने वाले पूरे हो चुके व लंबित कार्यों का ब्यौरा जिसमें परियोजना का नाम व लागत, स्वीकृति की तिथि, समापन की प्रस्तावित तिथि, इसकी अद्यतन स्थिति व परियोजना से संबद्ध अधिकारियों व ठेकेदारों का ब्यौरा सम्मिलित हो;

(ख) अधचीनी चौपाल की वर्तमान स्थिति;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी व इस विषय पर विभिन्न विभागों के साथ अब तक हुई बैठकों का ब्यौरा; और

(घ) जिया सराय, खिड़की गांव, कालू सराय, बेगमपुर और हुमायूंपुर में चौपाल निर्माण के लिए किए गए अनुरोधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) सूची संलग्न है;*

(ख) दिनांक 4–10–2013 को कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निविदायें आमंत्रित की गई और मै. शर्मा कंस्ट्रक्शन को कार्य आबंटन किया गया जिसकी आरंभ और पूर्ण करने की तिथि 12–2–2017 तथा 10–10–2017 थी। कार्य प्रगति पर था परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य को रोकना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य रोका गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस विभाग को सूचित किया गया कि कार्य की ड्राईंग प्लान उनके द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। आदेशानुसार अधचीनी चौपाल की ड्राईंग तथा प्लान दक्षिणी दिलली नगर निगम को अनुमोदित करने के लिए पहुंचा दिए गए;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) कार्य की ड्राईंग तथा प्लान अनुमोदित होने के पश्चात् इस कार्यालय को प्राप्त होते ही दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी और कार्य को चार माह में पूर्ण कर दिया जाएगा। दो बैठक इस कार्य के अंतर्गत दिनांक 1–7–2019 तथा 6–8–2019 को आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति में हो चुकी है; और

(घ)

क. जिया सरायः जिया सराय के लिए कोई भी आवेदन माननीय विधायक जी से प्राप्त नहीं हुआ है;

ख. खिड़की गांवः माननीय विधायक द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 9–4–2018 के अनुसार खिड़की गांव का दौरा इस विभाग के स्टाफ और माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा किया गया और यह ज्ञात हुआ कि जहां चौपाल बनाने का आवेदन माननीय विधायक द्वारा किया गया वहां दिल्ली जल बोर्ड का पंप हाउस स्थित है और कोई भी खाली जगह नहीं दिखाई गई। इसकी सूचना माननीय विधायक जी को दिनांक 18–2–2019 को दे दी गई।

ग. कालू सरायः माननीय विधायक द्वारा दिनांक 19–7–2018 को आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें कालू सराय के अंदर चौपाल बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। 74.66 लाख रुपये की एक योजना विधायक फंड के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजी गई। जिसकी तिथि 24–7–2019 है।

घ. बेगमपुरः माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती के द्वारा दिनांक 28–1–2019 को कुम्हार बस्ती तथा बेगमपुर में चौपाल निर्माण

कार्य के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। दोनों कार्यों की योजनाएं बनाकर एस.सी.एस.टी. कार्यालय को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु भेज दी गई हैं।

ङ हुमायूंपुरः हुमायूंपुर चौपाल का कार्य प्रगति पर है।

06. श्री अजेश यादव जीः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तरी जिला की जिला विकास समिति की अंतिम बैठक कब हुई थी;

(ख) इतने लंबे समय तक इसकी बैठक न होने के क्या कारण हैं और इनके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) बैठक न कराने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के क्या प्रावधान हैं और इस मामले में कार्रवाई कौन करेगा?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) 20/10/2017

(ख) एजेंडे की अनुप्लब्धता के कारण जिला विकास समिति की बैठक नहीं हो पाई; और

(ग) ऐसा कोई दिशा–निर्देश उपलब्ध नहीं है?

07. श्री एस.के. बग्गाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे कब तक लग जाएंगे और जिन स्कूलों में ये लगाए जाएंगे उनकी कुल संख्या;

(ख) दिल्ली सरकार के स्कूलों में नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या;

(ग) वर्ष 2019 में हुई बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों के जिन विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए उनकी संख्या;

(घ) दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए कमरे बनाए जाने का लक्ष्य व बनाए गए कमरों की संख्या; और

(ङ) दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के क्या अधिकार है और दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है?

राजस्व मंत्रीः (क) दिल्ली सरकार के समस्त स्कूलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य प्रगति पर है और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए अनुबंध में निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाएगा;

(ख) दिल्ली सरकार के स्कूलों में नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है–

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पद	अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक	कुल रिक्त पद
1.	प्रवक्ता	5057	3695	1362
2.	टी.जी.टी.	15680	12721	2959
3.	विविध श्रेणी शिक्षक	7378	4512	2866
	कुल	28115	20928	7187

- नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक कार्यरत है।

(ग) वर्ष 2019 में हुई बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं कक्षा में 1481 विद्यार्थियों ने एवं 12वीं कक्षा में 1089 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं;

(घ) दिल्ली सरकार के स्कूलों में दूसरे चरण में 12748 समकक्ष कमरों के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी गई है वे प्रथम चरण के दौरान बनाए गए समकक्ष कमरों की संख्या 7963 है; और

(ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21(2) के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित दायित्वों का पालन करती है–

(क) विद्यालय के समस्त कार्य की निगरानी करना,

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना,

(ग) सरकार या स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना, और

(घ) ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करना, जो चिन्हित किए गए हों।

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.10.2018 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल के विकास एवं रखरखाव इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए निम्न राशि का प्रावधान किया गया है–

1. 1500 विद्यार्थियों के नामांकन तक – रुपए 5,00,000/– प्रति वर्ष

2. 1501 से 2500 विद्यार्थियों के नामांकन तक – रुपए 6,00,000/– प्रति वर्ष

3. 2501 एवं उससे अधिक विद्यार्थियों के नामांकन तक – रुपए 7,00,000/– प्रति वर्ष

08. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली जल बोर्ड के केशोपुर एसटीपी में संस्थापित सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की कुल संख्या व उनकी क्षमता;

(ख) इनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी एजेंसी का ब्यौरा व इस पर होने वाला कुल वार्षिक खर्च;

(ग) क्या यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है;

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संयंत्र से निकलने वाली बदबू की समस्या के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा, जिसके कारण आसपास के नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है;

(च) दिनांक 01.01.2015 के बाद से केशोपुर एसटीपी के समीपस्थ स्टॉफ कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा; और

(छ) इस क्षेत्र में अभी भी चल रहे कार्यों का ब्यौरा?

राजस्व मंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड के केशोपुर एस.टी.पी. में तीन सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र है जिनकी क्षमताः

1. 12 एम.जी.डी.
2. 20 एम.जी.डी.
3. 40 एम.जी.डी.

(ख)

1. 12 एम.जी.डी. और 40 एम.जी.डी. प्लांट के रख रखाव का जिम्मेदार Va Tech Wabag Wabag house No. 1. 7,200 Feet Radial Road, S. Kolathur (Near kamakshi Hospital) Chenai 600117, India है। इसका कुल खर्च लगभग 45 लाख प्रति महीना है।
2. 20 एम.जी.डी. दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है;

(ग) जी हां;

(घ) के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता;

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने प्लांटों के पुनर्वास के लिए कंसलटैंट का चयन कर लिया है जिससे एफ्लुएंट पैरामीटर 10/10 रहेंगे; और

(च) एवं (छ) संलग्न (अनुलग्नक 'अ')

Office of the Superintending Engineer (SDW) III
Sewage Treatment Plant, Keshopur
New Delhi - 110018

No.F-/DJB/SE(SDW)III/2019-20 Dated: 19.08.2019

Sub:- Vidhan Sabha Question Monsoon session-2019 pertaining to Delhi Jal Board due for 22.08.2019.

In reference to starred question No.-08 asked by Sh. Jarnail Singh

दिल्ली जल बोर्ड के केशोपुर प्लांट पर निम्नलिखित तीन सीवेज ट्रीटमेंट संयत्र है

12 एमजीडी

12 एमजीडी क्षमता का संयत्र, 1957 में स्थापित हुआ था। जिसका 2012 में नवीनीकरण किया गया और उसका रखरखव से Va Tech Wabag Wabag house No. 1. 7,200 Feet Radial Road, S. Kolathur (Near kamakshi Hospital) Chenai 600117, India द्वारा किया जा रहा है। इस संयत्र को चलाने का खर्च लगभग 20 लाख रुपये प्रतिमाह है।

20 एमजीडी

20 एमजीडी क्षमता का संयत्र 1978 में स्थापित हुआ था जिसके कुछ उपकरणों को 2012–13 में बदला गया था इस प्लांट की विभाग के कर्मचारियों द्वारा चलाया रहा है तथा इस प्लांट के पुनर्वास के लिए कंसलटेंट का चयन किया गया है ताकि यह संयत्र नए नियमों के अनुसार effulant पैरामीटर दे सके को बीओडी 10 से कम और टीएसएस 10 से कम बनाए रख सके।

40 एमजीडी

40 एमजीडी क्षमता का संयत्र 1988 में स्थापित हुआ था जिसके कुछ उपकरणों को 2012–13 में बदला गया था इस प्लांट का रखरखाव Va Tech Wabag Wabag house No. 1. 7,200 Feet Radial Road, S. Kolathur (Near kamakshi Hospital) Chenai 600117, India द्वारा किया जा रहा है। इस संयत्र को चलाने का खर्च लगभग 32 लाख रुपये प्रति माह है

Annexure A

Sl. No.	WO. No./ Year	W.O. Date	Name of Work	Awarded Cost	Agency
1	2	3	4	5	6
1	06(15-16)	09/06/15	Annual repair and maintenance of Keshopur Type-I (four storey staff quarters)	2680679.00	M/s Amit Traders
2	07(15-16)	09/06/15	Construction of park boundary wall of Type-I four storey quarters Keshopur.	824093.00	M/s Amit Traders
3	11(15-16)	03/07/15	Special repair & maintenance of Old G-Block Staff quarters Keshopur	1863740.00	M/s Harjai Const. Co.
4	21(15-16)	31/08/15	Supply of treated effluent (up to drinking water	14417890.00	M/s Mukesh Kumar

1	2	3	4	5	6
			standard) of Keshopur Staff quarters from Keshopur STP constructed by SANA an NGO		
5	11(16-17)	07/10/16	Special repair & maintenance of Type-E staff quarters Keshopur	3153101.00	M/s M.K. Bhardwaj Const. Co.
6	12(16-17)	07/10/16	Const. of room & raising & repair of boundary wall at Booster Pumping station at Keshopur Staff Qtrs.	2078248.00	M/s Raj Const. Co.
7	01(17-18)	18/05/06	Improvement of road & paths at Type-II, Type-I & Type-III staff qtrs. at Keshopur	2606332.00	M/s Mann Enterprises
8	13(18-19)	17/10/18	Repair & maintenance of New G-Block at Keshopur Staff Qtrs.	1610246.00	M/s Adesh Const. Co.

9	24(18-19)	02/01/19	Replacement/ repair of doors, windows and sanitary/water fitings and allied works at Keshopur Staff Quarters	936775.00	M/s Gaurav Jindal
10	25(18-19)	02/02/19	Development of park and adjacent area at staff quarter Keshopur (Civil Work Only)	2514775.00	M/s Gaurav Jindal

Sl. No.	WO. No./ Year	W.O. Date	Name of Work	Awarded Cost	Agency
1	04(19-20)	10/06/19	Improvement of roads in leftout portion at Keshopur Staff Quarters	2256948.00	M/s M.K. Bhardwaj Const. Co.
2	06(19-20)	15/06/19	Construction of Gate, Security post and ramp at Entrance of staff quarters Keshopur	1875575.00	M/s M.K. Bhardwaj Const. Co.

09. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित हकीकत राय स्कूल को बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) हकीकत राय स्कूल के भवन का, जिसे खतरनाक घोषित किया जा चुका है, पुनर्निर्माण कब होगा?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) विद्यालय में नए कमरों के निर्माण के पश्चात् उच्चीकरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी; और

(ग) 20 नए कमरे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं पुराने कमरे खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं तथा बंद कर दिए गए हैं।

10. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिकता–I के अंतर्गत बनाए गए कमरों की संख्या और शिक्षा निदेशालय में इसके लिए स्वीकृति कुल धनराशि;

(ख) प्राथमिकता–I में प्रति वर्ग मीटर क्या लागत आई है और प्रति कमरा क्या लागत आई है;

(ग) इसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी ब्यौरा दें तथा बताएँ कि इसके लिए शर्तें क्या थीं;

(घ) अनुमानित व्यय के विभिन्न घटकों की सूची के साथ बताएं कि व्यय–अनुमान में हॉर्टीकल्चर, लैंडस्केपिंग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सहित कौन–से घटक सम्मिलित किए गए हैं;

(ङ) प्राथमिकता–I में समापन का निर्धारित समय क्या था;

(च) प्राथमिकता–I के अंतर्गत अब तक वास्तव में बन चुके कमरों का भवनवार और समयवार ब्यौरा

(छ) क्या इन कमरों को उनके लक्षित समय बाद सौंपा गया; और

(ज) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है।

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) 7137 समकक्ष कमरों का ''निर्माण प्राथमिकता–1 के अंतर्गत किया गया जिसके लिए रुपए 989.26 करोड़ की राशि को ई.एफ.सी./कैबिनेट के अनुमोदन के उपरान्त व्यय स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस कार्य में विभिन्न सुविधाओं सहित एम.पी. हॉल का निर्माण, स्टेयर केस, शौचालय का निर्माण, कोरीडोर, प्रयोगशालाएं, लाईब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, आर.ओ., बिजली उपकरण, जमीन का समतलीकरण, आंतरिक सड़कें, हार्टिकल्चर ऑपरेशन, स्ट्रीट लाईट्स, इत्यादि विभिन्न कार्य अलग–अलग स्कूलों की अलग–अलग परिस्थितियों के अनुसार शामिल है। यह सिर्फ और सिर्फ कमरे निर्माण के कार्य का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें कमरों के निर्माण के साथ–साथ स्कूलों में अन्य सुविधाएँ देना भी शामिल है;

(ख) प्राथमिकता–1 के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य का प्रारम्भिक प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल में निर्धारित दरों पर आधारित है।

यहाँ यह बताना भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न कार्यों के लिए अनुमोदित राशि के बाद अलग–अलग कार्यों की अंतिम राशि अलग–अलग आती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कुल अनुमोदित राशि एवं कार्य विवरण को ध्यान में रखते हुए प्रति कमरा लागत का निष्कर्ष निकालना गलत होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिकता–1 के अंतर्गत रुपए 24 हजार 665 प्रति वर्ग की निर्माण लागत आई है;

(ग) शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति ई.एफ.सी./कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई तथा स्वीकृति में निम्नलिखित शर्तों के मानक निर्धारित किए गए–

1. चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाला कुल व्यय बजट में उपलब्ध निधि से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. लोक निर्माण विभाग सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करेगा।
3. किसी परिस्थिति में लागत की वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
4. किसी भी स्थिति में लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी।
5. यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा।
6. लोक निर्माण विभाग को समय–समय पर उपर्युक्त कार्य के संबंध में स्थिति रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

हालांकि उपरोक्त शर्तें निर्माण कार्यों के विवरण के आधार पर लागू होती है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग–अलग आवश्यकताओं के आधार पर

नया निर्माण कार्य विवरण भी तैयार किया जाता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव की अनुमति नियमानुसार दी जाती है;

(घ) अनुमानित व्यय के विभिन्न घटक मुख्यतः निम्नलिखित हैं–

1. भवन निर्माणः इसमें इमारत की नींव, निर्माण कार्य, अग्नि सुरक्षा उपकरण, बिजली उपकरण, इत्यादि शामिल है।

2. सेवाएँः इसमें पानी की सुविधा, आर.ओ. आदि शामिल है।

3. विकास कार्यः इसमें जमीन का समतलीकरण, स्ट्रीट लाईट, हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन आदि शामिल है; और

(ङ) से (ज) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार–

9 सप्ताह – कार्य आवंटन के लिए व

27 सप्ताह – निर्माण कार्य हेतु निर्धारित किए गए हैं।

हालांकि यह समय–सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि एन.जी. टी. पर्यावरण आदि विभिन्न संस्थाओं से अनुमति में कितना समय लगता है तथा किसी स्कूल में निर्माण के समय परीक्षा तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के बीच विद्यालय में निर्माण कार्य को किस स्तर पर अनुमति दी जा सकती है, इसलिए अलग–अलग विद्यालय में उपरोक्त समय–सीमा का पालन उसी के अनुसार होता है।

11. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली मेट्रो के लिए उर्जा की दरें 1 अगस्त, 2019 से प्रति यूनिट रु. 8/– से बढ़कर रु. 8.50 हो गई है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड के लिए भी उर्जा की दरें प्रति यूनिट रु. 5.75/– से बढ़कर रु. 6.25/– हो गई है;

(ग) कृषि क्षेत्र में दरें कितनी बढ़ी है;

(घ) क्या मशरूम की खेती को भिन्न श्रेणी में रखा गया है;

(ङ) मशरूम की खेती पर दरों में कितनी वृद्धि की गई है;

(च) दिल्ली मेट्रो, दिल्ली जल बोर्ड और कृषि क्षेत्र में बिजली की दरों में हुई वृद्धि के कारण; और

(छ) क्या इस वृद्धि को वापस लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) जी नहीं;

(ख) जी हां;

(ग) डी.ई.आर.सी. ने सूचित किया है कि कृषि श्रेणी के लिए दरों (Tariff) में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) जी हां, डी.ई.आर.सी. ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2019–20 के टैरिफ आर्डर में 'कृषि' और 'मशरूम खेती' को अलग–अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। मशरूम की खेती की श्रेणी उन उपभोक्ताओं पर लागू होती है जो मशरूम की खेती और प्रसंस्करण में लगे हुए हैं और जिनके स्वीकृत लोड 100 के.वी.ए. तक है;

(ङ) डी.ई.आर.सी. ने सूचित किया है कि मशरूम की खेती के लिए टैरिफ इस प्रकार निर्धारित किया गया है;

फिक्स चार्ज–रु. 200/KW/month

एनर्जी चार्ज–रु. 6.50 / KWh

(च) डी.ई.आर.सी. ने सूचित किया है कि आयोग, डी.ई.आर.सी. (टैरिफ निधारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017 और डी.ई.आर.सी. (बिजनेस प्लान) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट सिद्वांतों के आधार पर, डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणी के लिए टैरिफ को संशोधित करता है; और

(छ) जी नहीं, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है?

12. श्री शिव चरण गोयलः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में केबल ऑपरेटरों एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडस द्वारा बिजली के खंभों पर अपने तार लगाए जाने की प्रक्रिया;

(ख) क्या इसके लिए डिस्कॉम, दिल्ली सरकार या एम.सी.डी. द्वारा कोई धनराशि वसूल की जाती है;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा;

(घ) विगत तीन वित्त–वर्षों में कितनी धनराशि वसूल की गई, संपूर्ण विवरण;

(ङ) जो यह धनराशि नहीं देते हैं उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(च) इन तारों से होने वाली असुविधा के कारण की जाने वाली शिकायतें प्राप्त होने पर इन्हें हटाने का उत्तरदायित्व किस विभाग का है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) टी.पी.डी.डी.एल. एवं बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि केबल ऑपरेटर्स एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट करके बिजली के खम्भों ('सेन्ट्रल वर्ज' और 'एच.टी. पोल' के अलावा) का अपने तार लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं;

(ख) टी.पी.डी.डी.एल. एवं बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि उसके द्वारा नाममात्र की धनराशि ली जाती है;

(ग) टी.पी.डी.डी.एल. एवं बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2019–20 में रुपये 1282.4/पोल/वार्षिक का रेंटल चार्ज लिया जा रहा है;

(घ) डिस्कॉम द्वारा वसूल की गई धन राशि (करों के अलावा) का ब्यौरा इस प्रकार हैः

वर्ष	टी.पी.डी.डी.एल.	बी.आर.पी.एल.
वर्ष 2018–19	रु. 2.05 करोड़	रु. 0.12 करोड़
वर्ष 2017–18	रु. 1.30 करोड़	रु. 0.08 करोड़
वर्ष 2016–17	रु. 0.87 करोड़	रु. 0.04 करोड़

(ङ) टी.पी.डी.डी.एल. एवं बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि जो ऑपरेटर रेन्टल चार्ट नहीं देता है उनकी केवल खम्भों से हटा दी जाती है; और

(च) टी.पी.डी.डी.एल. एवं बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि असुविधा/सुरक्षा जोखिम की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और शिकायत सही पाये जाने पर तारों को तुरन्त हटा दिया जाता है;

13. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर स्थित हैदरपुर नहर के पास की भूमि हरियाणा सरकार की है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार से इस नहर पर कंक्रीट के छठ घाटों का निर्माण करवाए जाने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो कंक्रीट के इन घाटों पर कितनी धनराशि का व्यय अनुमानित है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार इन घाटों के निर्माण के लिए सक्षम है;

(ङ) कंक्रीट के इन घाटों के निर्माण में हो रहे विलंब के कारण;

(च) क्या दिल्ली सरकार ने इन घाटों के निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि का अनुमोदन करने के लिए कुछ शर्तें लगाई है;

(छ) यदि हां, तो क्या हरियाणा सरकार को ये शर्तें स्वीकार्य है; और

(ज) यदि नही तो इन कंक्रीट घाटों के शीघ्रातिशीध्र निर्माण के लिए क्या प्रावधान है?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्रीः (क) जी हां। वजीरपुर स्थित हैदरपुर नहर के पास की भूमि हरियाणा सरकार की है;

(ख) जी हां। माननीय क्षेत्रीय विधायक की अनुसंशा के तहत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस नहर पर कंक्रीट के छठ घाटों का निर्माण करवाए जाने हेतु आग्रह किया है;

(ग) वजीरपुर विधानसभा के अन्तर्गत प्रेम बाड़ी पुल से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक पक्के घाट के निर्माण की अनुमानित लागत 6.69 करोड़ रु. है;

(घ) घाटों की जमीन का स्वामित्व हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग के पास है। अतः घाटों का निर्माण या तो हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा करवाया जा सकता है या हरियाणा सिंचाई विभाग की सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के फलस्वरूप दिल्ली सरकार द्वारा भी किया जा सकता है;

(ङ) लगातार प्रयासों के बावजूद हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग, द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे;

(च) जी हां, यह सत्य है। समझौता ज्ञापन की शर्तें हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग की सहमति से ही तैयार की गई थी;

(छ) हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता ने दिनांक 08—08—2019 को बैठक के दौरान यह बताया कि हरियाणा सरकार उपरोक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती क्योंकि वर्तमान प्रस्ताव भूमि उपयोग के वर्तमान प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। किन्तु इसी क्रम में यह अवगत कराना है कि अब माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि हरियाणा सिंचाई विभाग को बिना समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये बिना निर्गत की जा रही है; और

(ज) यदि हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग सीमेंट कंक्रीट के घाटों का निर्माण नहीं करता तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अस्थाई घाट का निर्माण कार्य करवायेगा?

14. श्रीमती बंदना कुमारीः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनके नाम वर्ष 2018–19 में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए ड्रॉ में निकले हैं;

(ख) जिन विद्यार्थियों ने ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लिया है और जिन्हें अब तक प्रवेश नहीं मिल सका, उनकी संख्या;

(ग) उन प्राइवेट स्कूलों का ब्यौरा जिनमें वर्ष 2018–19 के लिए प्रवेश अभी तक लंबित है;

(घ) क्या विभाग को प्राइवेट स्कूलों द्वारा जानबूझकर ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में प्रवेश न देने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम; और

(च) क्या ऐसे प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है?

माननीय उपमुख्यमंत्री/मंत्रीः (क) स्कूल में दाखिले की जानकारी विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं रखी जाती है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) सभी उपयुक्त सफल आवेदकों को विभाग से सम्पर्क करने पर प्रवेश सुनिश्चित किया गया है;

(घ) ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. में प्रवेश से संबंधित शिकायतें विभिन्न कारणों से प्राप्त होती हैं;

(ङ) ऐसे सभी स्कूलों को विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं; और

(च) ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एण्ड रूल्स, 1973 एवं आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश एवं ज्ञापन दिये गये हैं?

15. सुश्री अलका लांबाः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2012 में दिल्ली में परिचालित वाटर टैंकरों की संख्या;

(ख) वर्ष 2019 में दिल्ली में उपलब्ध वाटर टैंकरों की संख्या;

(ग) ऐसे वाटर टैंकरों की संख्या जिनमें जी.पी.एस. लगा हुआ है और इनमें से कितने जी.पी.एस. काम कर रहे हैं या निष्क्रिय है; और

(घ) वाटर टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मात्रा तथा वे क्षेत्र जहाँ यह आपूर्ति की जा रही है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) वर्ष 2012 में 219 विभागीय एवं 598 किराये पर रखे हुए टैंकर थे, जिनकी कुल संख्या 817 थी;

(ख) वर्ष 2019 में 250 विभागीय, 407 WTDMS तथा 405 किराये पर रखे हुए टैंकर कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 1062 है;

(ग) 407 WTDMS टैंकरों में जी.पी.एस. लगा हुआ है और सभी कार्यरत हैं; और

(घ) टैंकरों के माध्यम से लगभग 05 MGD जल प्रतिदिन सप्लाई किया जाता है?

16. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड–17 में एस–सीमापुरी, चाणक्य प्लेस पार्ट–2 तथा महावीर एन्क्लेव पार्ट–2 व 3 में राजस्व विभाग की भूमि का पंजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर;

(ग) वार्ड 17–18 में राजस्व विभाग की भूमि का ब्यौरा तथा जिन्होंने इस भूमि पर अतिक्रमण किया है, उनका ब्यौरा;

(घ) इस प्रकार के अतिक्रमणों के विरुद्ध विभाग ने कब और क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या इन अतिक्रमणों को हटाने की सरकार की कोई योजना है, संपूर्ण विवरण दें; और

(च) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 17–18 की उनकॉलोनियों का संपूर्ण विवरण जहाँ संपत्तियों का पंजीकरण किया जा रहा है और वर्ष 2016 से 2018 के दौरान ऐसी पंजीकृत संपत्तियों की संख्या;

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) राजस्व विभाग की भूमि का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ग) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अन्दर आने वाले सभी गांव शहरीकृत हो चुके हैं। अतः राजस्व विभाग की कोई भूमि इस क्षेत्र में नहीं है;

(घ) और (ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(च) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2016 से 2018 तक पंजीकृत सम्पत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

वर्ष	महावीर एंक्लेव पार्ट –2/3	सीतापुरी
2016	07	–
2017	17	13
2018	45	04

17. श्री पवन कुमार शर्मा: क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार की ''स्टार्ट–अप इंडिया योजना'' को दिल्ली में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2019 के बाद से इस योजना के लाभार्थियों की क्या संख्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिये क्या मानदंड हैं; और

(घ) क्या इस योजना में दलित वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिये कोई विशेष प्रावधान है?

माननीय उद्योग मंत्रीः (क) ''स्टार्ट–अप इंडिया योजना'' की तर्ज पर दिल्ली में यह पॉलिसी लागू करने की स्वीकृति अभी नहीं हुई है; और

(ख) से (घ) उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं होता?

18. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि ब्रार स्क्वेयर और किर्बी प्लेस की झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्य मंत्री ने कोई बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का ब्यौरा और वे विभाग तथा अधिकारी जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया;

(ग) क्या, जैसा इस बैठक में निर्णय किया गया था, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री को कोई पत्र लिखा गया;

(घ) यदि हां, तो इस पत्र की विषय वस्तु का ब्यौरा; और

(ङ) क्या इस पत्र के उत्तर में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी कर दिया गया?

ऊर्जा मंत्रीः (क) और (ख) जी हां, ब्रार स्क्वेयर और किर्बी प्लेस की झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा 21.03.2018 को बैठक बुलाई गई थी, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है (सलंग्नक 'क');

(ग) और (घ) माननीय ऊर्जा मंत्री, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 02. 05.2018 को माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखा गया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'ख'); और

(ङ) जी नहीं?

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER:
GOVT. OF NCT OF DELHI, 3RD LEVEL, A-WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

No. CMO/2018/535-546 Dated : 08/03/2018

MEETING NOTICE

A meeting has been convened by the Honhle Chief Minister on 21st March 2018 at 12 Noon in his chamber at Delhi Secretariat regarding power connections to Brar Square Jhuggies, Kirbi Place Dhobi ghat Jlmggies situated in Delhi Cantonment area.

You are requested to kindly make it convenient to attend the meeting on the scheduled date and time.

(Pravesh R. Jha)
Joint Secretaiy to CM

To

1. Commando Surender Singh, Hon'ble MLA, Delhi Cantonment.
2. Director General, Directorate General of Defence. Estates, Raksha Sampada Bhawan, Ulaanbaatar Marg, Delhi Cantt.
3. Chairman, DERC, Malviya Nagar, New Delhi.
4. Secretary (Power), GNCTD.
5. President, Delhi Cantonment Board.

6. CEO, Delhi Cantonment Board.

7. CEO, North Delhi Power Limited.

8. ENC, Military Engineer Services, Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi.

9. Chief Engineer, Military Engineer Services, Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi.

Copy to information to :

1. Special Secretary to CM.

2. Joint Secretary to CM(A).

3. Office Superintedent (Admn), CM Office.

संलग्न 'ख'

सत्येन्द्र जैन

Satyendar Jain

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

Govt. of National Capital Territory of Delhi

स्वास्थ्य, उद्योग लोक निमार्ण,
ऊर्जा, गृह, एवं शहरी विकास मंत्री

'ए' विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय
'A' Wing, 7th Level, Delhi Secretariat

Minister of Health, Industries, PWD, Power, Home & Urban Development

आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002
LP. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/ Tele No. : 23392116, 23392117 Fax: 23392044

E-mail : moh.delhi@gov.in
D.O. No. Minhealth/3326
Date : 02/05/20118

Dear Madam

I am writing this letter to bring to your kind notice the plight of residents of Civilian Settlements near Kirbi Place, Brar Square and Kendriya Vidyalaya No.l in Delhi Cantonment Board Area. These residents are not being allowed to avail electricity connections by the authorities of Cantonment Board and they are forced to live without electricity right in the middle of Delhi, the National Capital of India. The residents of these areas are people of economically weaker sections / low income groups facing hardships in their day to day lives in absence of electricity and they have approached us multiple times for resolution of this problem.

Electricity supply in Cantonment area is undertaken by Military Engineering Services (MES) as a deemed Distribution licensee. The matter was taken up with MES and Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) for providing electricity to these consumers.' After many meetings and deliberations it was informed by MES that decision for extending electricity supply to such non-military consumers/areas can only be taken by the Ministry of Defence. Government of India.

As this problem has been pending since long, I request for your kind personal intervention in this matter to get it resolved at the earliest. Kindly issue necessary instructions to the concerned office for providing proper electricity connection to all the residents of Delhi Cantonment Board area being civilians or non-civilians. An early action in this regard will be very helpful for the affected residents as they would also be able to live a comfortable life in the approaching harsh summer season.

Yours sincerely,
(Satyendara Jain)
Minister (Power)

Smt. Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Minister of Defence,
Govt. of India,
104, South Block, New Delhi

19. श्री पंकज पुष्करः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली जलबोर्ड ई.ई. (नॉर्थ–1) के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा जिनका स्थानांतरण 2015 से जुलाई, 2017 के बीच किया गया;

(ख) इन स्थानांतरणों के प्रशासनिक व अन्य कारण, संपूर्ण ब्यौरा;

(ग) क्या यह सत्य है कि फील्ड स्टाफ के स्थानांतरण से कार्यक्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है;

(घ) इन स्थानांतरणों से होने वाले प्रभाव के मूल्यांकन का ब्यौरा; और

(ङ) क्या पूर्ववर्ती या वर्तमान जनप्रतिनिधियों को इन स्थानांतरणों की जानकारी दी गई थी?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) 2015 में जिनका विभागीय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया गया।

1. Sokat Ali, Emp. Code-40012698
2. Ram Nath, Emp. Code-40013778
3. Sunder, Emp. Code-40014820
4. Hari Charan, Emp. Code-400139047
5. Raj Kumar, Emp. Code-40015539
6. Veena Sharma, ASO
7. Pradeep Kumar, ASO
8. Rajeev Kumar, UDC (Sr. Asstt.)

9. Narender Kumar, SO
10. Prit Sing Dahiya, JE(C)
11. Sunil Dutt, AE(C)
12. Taran Singh, AE(C)
13. Ranjit Singh, AE(C)
14. Vikash Kumar, JE(C)
15. Mahender Kumar Sinha, AE(C)
16. Suresh Kumar Goel, AE(C)

2016 में जिनका विभागीय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया गया–

17. Jay Bhagwan, Emp. Code-20009970
18. Sushil Kumar, Emp. Code-20016112
19. Rakesh Kumar, Emp. Code-20015609
20. Pawan Kumar, Emp. Code-20010005
21. Ashok Kumar, Emp. Code-20013409
22. Anil Kumar, Emp. Code-40010048
23. Jagbir Singh, Emp. Code-40011313
24. Sanjay Sharma, Emp. Code-40012981
25. Dharam Pal, Emp. Code-40003132
26. Ram Singh, Emp. Code-40016875

27. Pappu, Emp. Code-20011732
28. Rajender Kumar, Daftri
29. Chandershekhar Sharma, AAO
30. Kishan Kumar Sharma, AAO
31. Harish Chander Madan, ASO
32. Madhu Sharma, ASO
33. Chander Pal Tiwari, ASO
34. Sachin Kumar, CO/DEO
35. Girdhari Lal, ASO
36. Anita Peter, ASO

2017 में जिनका विभागीय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया गया–

37. Mahender Singh, Emp. Code-40009738
38. Asha Muster Roll Employee.
39. Hemant Kumar, PCAMR
40. Saroj Kumar Tiwari, JE(C)

(ग) जी नहीं;

(घ) कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है; और

(ङ) जी नहीं। पूरवर्ती या वर्तमान जनप्रतिनिधियों को स्थानान्तरण की जानकारी देने का कोई नियम उपलब्ध नहीं है?

20. श्री संजीव झाः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. कंपनी के दिल्ली में आने के बाद से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिए गए नए बिजली कनेक्शनों की संख्या;

(ख) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. कंपनी के दिल्ली में आने के बाद से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में डेसू के कितने घरेलू बिजली के कनेक्शन थे; और

(ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि दिल्ली में आने के बाद उनके द्वारा जुलाई 2002 से अब तक बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 130157 बिजली के नये कनेक्शन जारी किये गए हैं;

(ख) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में डेसू के 5408 घरेलू बिजली के कनेक्शन थे; और

(ग) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि दिनांक 14.8.2019 तक कुल 122001 घरेलू बिजली के कनेक्शन सक्रिय है जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः

उपभोक्ता लोड (KW)	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2
1	85489

1	2
2	29615
3	4740
4	992
5	240
6	478
7	170
8	93
9	37
10	18
10 से अधिक	129
कुल	122001

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. श्री जितेंद्र सिंह तोमरः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कितने स्कूल चल रहे हैं व प्रत्येक में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की अलग–अलग संख्या कितनी है;

(ख) इन सभी स्कूलों के नाम, कोड नंबर, एच.ओ.एस. के नाम, तथा सभी स्कूलों में प्रत्येक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के नाम का विवरण क्या है;

(ग) इस विधान सभा क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स और कांट्रैक्ट टीचर्स की संख्या व स्कूल वाईज सबका विवरण क्या है;

(घ) इस विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में किस–किस विषय के कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, विस्तृत विवरण प्रदान करें; और

(ङ) इस विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 राजकीय विद्यालय चल रहे हैं। इन विद्यालयों में 386 अध्यापिकाएँ एवं 191 अध्यापक कार्यरत हैं;

(ख) सूची संलग्न (संलग्नक–1);*

(ग)

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	गेस्ट टीचर्स की संख्या	कान्ट्रैक्ट टीचर्स की संख्या
1	2	3	4
1.	सर्वोदय बाल विद्यालय, आनन्दवास (1411001)	54	01
2.	सर्वोदय बाल विद्यालय, नम्बर–1, शकुरपुर (1411002)	26	00
3.	सर्वोदय विद्यालय कैलाश एन्क्लेव (1411005)	12	03

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

1	2	3	4
4.	राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, शकुरपुर (1411011)	23	04
5.	सर्वोदय कन्या विद्यालय नम्बर–2, शकूरपुर (1411030)	24	04
6.	राजकीय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा (1411032)	32	04
7.	राजकीय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय नारंग कॉलोनी (1411037)	29	08
8.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दवास (1411038)	20	00
9.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दवास कोहाट (1411046)	09	00
10.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नम्बर–1, शकुरपुर (1411125)	04	02

(घ)

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	सर्वोदय बाल विद्यालय, आनन्दवास (1411001)	स. शिक्षक (प्रा.)	03
		ई.वी.जी.सी.	01
		पी.जी.टी. (वाणिज्य)	01
		पी.जी.टी. (हिन्दी)	01
		पी.जी.टी. (राज.)	01
		लाइब्रेरियन	01
		स्पेशल एजु शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	01
		टी.जी.टी. (अंग्रेजी)	04
		टी.जी.टी. (गणित)	02
		टी.जी.टी. (प्रा.वि.)	02
		टी.जी.टी. (पंजाबी)	01
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01

1	2	3	4
2.	सर्वोदय बाल विद्यालय, नम्बर–1, शकुरपुर (1411002)	स शिक्षक (प्रा.)	04
		स्पेशल एजु शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	01
		टी.जी.टी. (अंग्रेजी)	02
		टी.जी.टी. (प्रा.वि.)	02
		टी.जी.टी. (पंजाबी)	01
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
3.	सर्वोदय विद्यालय कैलाश एन्क्लेव (1411005)	स शिक्षक (प्रा.)	04
		ई.वी.जी.सी.	01
		पी.जी.टी. (वाणिज्य)	01
		पी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	02
		पी.जी.टी. (शा.शि.)	01
		स्पेशल एजु शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
		योगा शिक्षक	01
4.	राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, शकुरपुर (1411011)	ड्रॉईंग शिक्षक	01
		स्पेशल एजु शिक्षक	01

1	2	3	4
		टी.जी.टी. (अंग्रेजी)	01
		टी.जी.टी. (प्रा.वि.)	03
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
		योग शिक्षक	01
5.	सर्वोदय कन्या विद्यालय नम्बर–2, शकूरपुर (1411030)	स. शिक्षक (प्रा.)	01
		पी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	02
		पी.जी.टी. (गृह वि)	01
		शा. शिक्षा शिक्षक	01
		स्पेशल एजु शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (संस्कृत)	01
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
		योगा शिक्षक	01
6.	राजकीय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा (1411032)	स. शिक्षक (प्रा.)	02
		गृह विज्ञान शिक्षक	01
		पी.जी.टी. (वाणिज्य)	01
		पी.जी.टी. (गृह वि)	01
		टी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	02

1	2	3	4
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
7.	राजकीय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय नारंग कॉलोनी (1411037)	ड्रॉईंग शिक्षक	01
		ई.वी.जी.सी.	01
		पी.जी.टी. (वाणिज्य)	01
		पी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	01
		स्पेशल एजु शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	01
		टी.जी.टी. (पंजाबी)	01
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
8.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दवास (1411038)	पी.जी.टी. (गृह वि)	01
		पी.जी.टी. (पंजाबी)	01
		शा शिक्षा शिक्षक	02
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
9.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दवास कोहाट (1411046)	पी.जी.टी. (गृह वि)	01
		शा शिक्षा शिक्षक	01
		स्पेशल एजु शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (कम्प्यूटर)	02

1	2	3	4
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
10.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नम्बर–1, शकुरपुर (1411125)	पी.जी.टी. (शा.शि.)	01
		पी.जी.टी. (पंजाबी)	01
		शा शिक्षा शिक्षक	01
		टी.जी.टी. (उर्दू)	01
		योगा शिक्षक	01

- नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक कार्यरत है।

(ङ)

1. पी.जी.टी. के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिएए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड को ऑनलाईन मांग भेजी गयी है। पी.जी.टी. के रिक्त पदों को पदोन्नति कोटे के तहत भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है; और

2. टी.जी.टी./टी.जी.टी. (एम.आई.एल.) के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को ऑनलाईन मांग भेजी गयी है। टी.जी.टी./टी.जी.टी. (एम.आई. एल.) के रिक्त पदों की पदोन्नति कोटे के तहत भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है;

3. सहायक शिक्षक (नर्सरी), सहायक शिक्षक (प्राइमरी), ई.वी.जी.सी. आदि के रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को माँग भेज दी गयी है।

02. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर 10 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी की जा रही है;

(ख) हां, तो दिल्ली में कुल कितने विद्यार्थियों को यह लोन गारंटी दी गई है, पूर्ण जानकारी दी जाए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि किसी विद्यार्थी के पिता के बैंक लोन का डिफॉल्टर होने पर विभाग द्वारा लोन गारंटी नहीं दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे में विद्यार्थियों की कैसे मदद की जा रही है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र में आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज व महर्षि वाल्मीकी कॉलेज का निर्माण होना प्रस्तावित है;

(च) यदि हां, तो इस कार्य में देरी का क्या कारण है;

(छ) यह कार्य वर्तमान में किस स्तर पर है; और

(ज) विभाग द्वारा निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की योजना है?

माननीय उप मुख्यमंत्रीः (क) जी हां, यह सत्य है।

सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर 10 लाख रुपये तक के लोन की गारंटी उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत निर्मित ट्रस्ट "दिल्ली हायर ऐजूकेशन एण्ड स्कील डवलपमेंट क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट" से "दिल्ली उच्च शिक्षा कौशल विकास गारंटी योजना" के अंतर्गत स्वीकृत लोन पर बैंकों को दी जाती है;

(ख) अब तक कुल 323 स्वीकृत लोन आवेदनों (राशि रु. 11,07,37,749/–) पर मेम्बर बैंकों को "दिल्ली हायर ऐजूकेशन एण्ड स्कील डवलपमेंट क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट" के माध्यम से लोन गारंटी दी गई है;

(ग) जी हां, स्वीकृत स्कीम के अंतर्गत पिता एक को–बॉरोवर (Co-Borrower) है तथा पिता/आवेदन कर्ता के डिफॉल्टर होने पर बैंक द्वारा लोन स्वीकृत नहीं किया जाता है (संदर्भः संशोधित स्वीकृत योजना का पैरा 15.7–क्रेडिट स्कोर, अन्य शर्तों के अंतर्गत);

(घ) बैंक द्वारा उपर्युक्त वर्णित कारण से लोन स्वीकृत न होने पर आवेदक छात्र दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकता है;

(ङ) आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज व महर्षि वाल्मीकी कॉलेज ऑफ एजूकेशन का निर्माण सैक्टर–17, रोहिणी, दिल्ली में होना प्रस्तावित है;

(च) और (छ)

(1) आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज के निर्माण हेतु पी.डब्ल्यू.डी. से ई. एफ.सी. मेमो प्राप्त हुआ है तथा इस कार्यालय में विचार करने के बाद कुछ स्पष्टीकरण हेतु पी.डब्ल्यू.डी. को लेटर लिखा गया है।

(2) महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजूकेशन की जमीन से संबंधित मामले के लिए डी.डी.ए. को लेटर लिखा गया है; और

(ज) ऐसी अभी कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

03. श्री अजेश यादवः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि क्रिस्टल कंपनी दिल्ली सरकार के विद्यालयों में सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनी कर्मचारियों को सैलरी किस दिन रिलीज करती है;

(ग) क्या कंपनी ने सभी कर्मचारियों को पी.एफ. नंबर उपलब्ध करवा दिये हैं;

(घ) क्या कर्मचारी के आठ घंटे से ज्यादा कार्य करने पर कर्मचारी को ओवर टाइम दिया जाता है;

(ङ) कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं; और

(च) कंपनी को सरकार/विभाग के साथ हुए एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध करवाये?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) हाँ, यह सत्य है कि क्रिस्टल कंपनी दिल्ली सरकार के कुछ राजकीय विद्यालयों में (क्लस्टर–बी एवं डी के तहत) सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराती है;

(ख) कंपनी द्वारा कर्मचारियों को सैलरी हर महीने की 7 तारीख को या उससे पहले रिलीज करनी होती है;

(ग) कंपनी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को पी.एफ. नंबर उपलब्ध करवा दिये गये हैं;

(घ) निविदा दस्तावेज में ओवर टाइम दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ङ) निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कंपनी को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एवं लागू होने वाले अन्य अधिनियमों के तहत सभी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होती है; और

(च) कॉपी संलग्न है।*

04. श्री अजेश यादवः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सर्वश्री ओरियन कंपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कम्पनी कर्मचारियों को सैलेरी किस दिन रिलीज करती है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कम्पनी ने सभी कर्मचारी को पीएफ नंबर उपलब्ध करवा दिए हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कंपनी के अधिकारी किसी कर्मचारी को नौकरी ज्वाईन करवाने के नाम पर पैसा लेते हैं;

(ङ) एक सुरक्षा कर्मचारी को प्रतिदिन कितना मेहनताना दिया जाता है; और

(च) कम्पनी का सरकार/विभाग के साथ हुए एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध करवायें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ, यह सत्य है कि ओरियन कम्पनी दिल्ली सरकार के कुछ राजकीय विद्यालयों में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराती है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को सैलेरी महीने के 7 तारीख को या उससे पहले रिलीज करनी होती है;

(ग) कंपनी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को पी.एफ. नंबर उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(घ) ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है;

(ङ) प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को न्यूनतम वेतन की वर्तमान दर के अनुसार प्रतिदिन 592 रुपए मेहनताना दिया जाता है; और

(च) कॉपी संलग्न है।*

05. श्री प्रकाश जारवालः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की देवली विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल बनाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो यह स्कूल कहाँ और कब बनाया; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक कितने नये कमरे बनाये गये व और कितने नये कमरे वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में बनाये जायेंगे?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) शिक्षा विभाग द्वारा सी–ब्लॉक संगम विहार में नये विद्यालय भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति अनुमोदन दिया जा चुका है; और

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) प्रथम व द्वितीय चरण में देवली विधानसभा में नये कमरों का निर्माण नहीं हुआ है तथापि, उपरोक्त 'ख' के अनुसार, 'सी' ब्लॉक, संगम विहार में 160 नए कमरों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी जा चुकी है।

06. श्री गिरीश सोनी: क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018–19 में मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने निजी स्कूलों में ईडब्लूएस/डीजी/पीएच कोटा लागू हुआ, उसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) वर्ष 2018–19 में अब तक कितने ड्रॉ ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.एच. कोटा के एडमिशन लिए हुए हैं;

(ग) इस विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने निजी स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस./पी.एच. कोटा लागू हुआ, उसका पूर्ण विवरण दें;

(घ) मादीपुर और शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में अभी ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.एच. कोटा की कितनी सीटें और खाली रह गयी हैं, स्कूल अनुसार पूर्ण विवरण दें;

(ङ) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.एच. कोटे से प्रवेश हेतु कितने नामांकन प्राप्त हुए और कितने छात्रों ने प्रवेश लिये, स्कूल वाइज विवरण दें;

(च) ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.एच कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के बाद कुल कितने छात्रों द्वारा प्रवेश रद्द करवाया अथवा छोड़ा गया, उसका पूर्ण विवरण दे;

(छ) क्या यह सत्य है मादीपुर विधान सभा क्षेत्र के निजी स्कूलों में साधारण सीटें न भरने के कारण ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.एच. कोटे की सीटें खाली रह गयी है; और

(ज) यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण दे और किसी स्कूल द्वारा प्रवेश के बाद ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.एच. छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क वसूल करने पर किसी स्कूल के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करवायें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) सभी निजी स्कूलों में (माईनॉरिटी स्कूल के अतिरिक्त) ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.जी. कोटा आर.टी.ई. के मुताबिक है और यह सभी पर लागू हुआ है;

(ख) वर्ष 2018–19 में अब तक कुल 09 ड्रॉ ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.जी. कोटा के एडमिशन के लिए हुए हैं;

(ग) उपरोक्त क्रम संख्या (क) के अनुसार;

(घ) सभी सम्बन्धित स्कूलों ने आवंटित आवेदकों को दाखिला दे दिया तथा जिन स्कूलों ने उपलब्ध रिक्तियों पर दाखिला नहीं दिया, ऐसी सभी रिक्तियों को आगामी कक्षा नर्सरी की के.जी. तथा के.जी. की कक्षा प्रथम में सम्मिलित किया गया;

(ङ) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निजी स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी./पी.जी. कोटे से प्रवेश हेतु प्राप्त हुए नामांकन/प्रवेश का पूर्ण विवरण इस प्रकार हैः–

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम व आई.डी.	प्राप्त हुए नामांकनों का विवरण	प्रवेश लिए गए छात्रों का विवरण
1.	एस.एम. आर्या पब्लिक स्कूल (1515111)	24	24
2.	एस.डी. पब्लिक स्कूल (1515112)	32	30
3.	हंसराज मॉडल स्कूल (1515115)	102	98
4.	श्री एस.डी. मन्दिर (1515116)	20	19
5.	एन.सी. जिन्दल पब्लिक स्कूल (1515117)	52	52
6.	जसवन्त लाल पब्लिक स्कूल (1515120)	10	00
7.	आदर्श पब्लिक स्कूल (1516145)	50	46

सभी सम्बन्धित स्कूलों ने आवंटित आवेदकों को दाखिला दे दिया तथा जिन स्कूलों ने उपलब्ध रिक्तियों पर दाखिला नहीं दिया, ऐसी सभी रिक्तियों को आगामी कक्षा नर्सरी की के.जी. तथा के.जी. की कक्षा प्रथम में सम्मिलित किया गया।

जहाँ तक जसवन्त लाल पब्लिक स्कूल में आवंटित अभ्यर्थियों का सम्बन्ध है, गलती के कारण कक्षा प्रथम की जगह नर्सरी में आवंटन कर दिया गया था। बाद में विभाग को सम्पर्क करने वाले सभी बच्चों को इस वर्ष के.जी. में प्रवेश दिलाया गया;

(च) ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है;

(छ) ऐसी सभी रिक्तियों को सत्र 2019–20 में आगामी कक्षा नर्सरी की के.जी. तथा के.जी. की कक्षा प्रथम में जोड़ दिया गया; और

(ज) उपरोक्त (छ) के अनुसार।

इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित स्कूल के विरुद्ध शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली स्कूल एजूकेशन एक्ट एण्ड रूल्स, 1973 एवं आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

07. श्री गिरीश सोनीः क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा के साथ स्कूल के बच्चों को खेल–कूद के लिए कोई निधि निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) इस निधि को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है;

(घ) क्या अभी तक इस प्रकार की कोई निधि किसी स्कूल को दी गयी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार के 1023 स्कूलों को खेल–कूद के लिये वित्तीय वर्ष 2019–20 में रुपये 1,24,81000/– दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन को रुपये 5,00,000/– जोनल और इंटरजोनल खेल–कूद में भाग लेने हेतु तथा विद्यार्थियों के जल–पान एवं यातायात के लिए दिया जाता है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) जी हां, उपरोक्त सभी स्कूलों व जोन को दी जा चुकी है।

(ङ)

1. 128 स्कूलों को 6000/– रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 7,68,000/– रुपये दिया गया है।
2. 283 स्कूलों को 10000/– रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 28,30,000/– रुपये दिया गया है।
3. 271 स्कूलों को 12000/– रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 32,52,000/– रुपये दिया गया है।
4. 169 स्कूलों को 15000/– रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 25,35,000/– रुपये दिया गया है।
5. 172 स्कूलों को 18000/– रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 30,96,000/– रुपये दिया गया है।

उपरोक्त राशि प्रत्येक स्कूल को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से दी गयी है।

08. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कुल कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं, उनकी विस्तृत जानकारी दी जाये;

(ख) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में 01.01.2015 से अब तक किये गये सभी प्रकार के खर्चों का विवरण दिया जाये;

(ग) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों वर्ष 2015 से अब तक किये गये व होने वाले विकास कार्यों की राशि व वर्क ऑर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) इन विद्यालयों में वर्तमान में खेल—कूद से संबंधित उपलब्ध सुविधाएं व आने वाले समय में खेल—कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इन विद्यालयों में क्या योजनाएं हैं; पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा पिछले वर्षों में खेल—कूद से जुड़ी संस्थाओं को विद्यालयों में प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना शुरू की गई थी;

(च) यदि हां, तो योजना का विवरण, उसमें पंजीकृत संस्थानों का विवरण व उन्हें आबंटित विद्यालयों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(छ) इस योजना के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले व बाहर के कुल कितने छात्रों को लाभ मिल रहा है, इसका पूर्ण विवरण दिया जाये?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) इस विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कुल दो स्कूल चलाये जा रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार हैः—

(i) केरला उच्च उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एम—ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली।

(ii) राजकीय बिरजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय जे—ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली।

(ख) कुल खर्चों का विवरण 1.1.2015 से अब तक निम्न है—

(1) केरला उच्च उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—रुपए 15,86,40,306 / —

(2) राजकीय बिरजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय, विकासपुरी–रुपए 9,20,40,339/–

(ग) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में 2015 से अब तक सरकारी विद्यालयों में मरम्मत व विकास कार्यों के लिए रुपये 5,09,44,551/– स्वीकृत किये गये हैं।

इसका विस्तृत ब्यौरा संलग्नक 'क' पर दिया गया है;

(घ) शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले सभी जोन/जिला में कम–से–कम एक खेल आधारित संरचना के विकास के लिए एक योजना प्रारम्भिक स्तर पर विचाराधीन है;

(ङ) जी हां;

(च) जिन खेल एकेडमी को प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रशिक्षण देने हेतु पंजीकृत किया गया था, उनकी सूची संलग्न है (संलग्न 'ख'); और

(छ) इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क व 50 प्रतिशत अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शुल्क के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

09. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली छावनी के अंतर्गत दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितने कमरों का निर्माण करवाया गया;

(ख) सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महराम नगर, दिल्ली कैंट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का कार्य कब तक शुरू कर

दिया जाएगा और कितने नए कमरों का निर्माण किया जाएगा, सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए;

(ग) क्या यह सत्य है कि एल. एंड डी.ओ. ने दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग को मोती बाग, रिंग रोड पर स्कूल बनाने के लिए जमीन आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां तो स्कूल बनाने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि सी.बी. नारायणा में वॉटर बाडी पर पी. डब्लू.डी. की जमीन है;

(च) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर इस भूमि पर स्कूल बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो इस योजना का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) प्रथम चरण में दिल्ली छावनी के किसी भी स्कूल में नये कमरों का निर्माण नहीं हुआ है। द्वितीय चरण में सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिल्ली कैण्ट में 16 समकक्ष कमरों का निर्माण कार्य जारी है;

(ख) इस विद्यालय को मॉडल (पायलट) स्कूल बनाने का अभी वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है;

(ग) जी हां;

(घ) इस जमीन के निशानदेही हेतु पत्र एल. एण्ड डी.ओ. को भेजा जा चुका है। उसके उपरान्त आगे की कार्रवाई की जाएगी; और

(ङ) से (छ) ऐसी किसी जमीन का ब्यौरा/दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

10. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली छावनी परिषद को पिछले पांच सालों में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितनी राशि का योगदान किन कार्यों के लिए किया गया है;

(ख) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली छावनी परिषद के कितने विद्यालय स्थित हैं;

(ग) इन विद्यालयों में स्थाई अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की कुल संख्या कितनी है, इन अध्यापकों के नामों की सूची पद व शैक्षिक योग्यता सहित पूर्ण विवरण प्रदान किया जाए;

(घ) दिल्ली छावनी परिषद के स्कूलों में कुल कितने अध्यापक/अध्यापिका ठेकेदारी के माध्यम से कार्यरत है, पद तथा शैक्षिक योग्यता सहित इन अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची प्रदान की जाए;

(ङ) दिल्ली छावनी परिषद क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में कितने कितने विद्यार्थी हैं; और

(च) अध्यापकों की भर्ती हेतु दिल्ली छावनी परिषद के द्वारा ठेकेदारों को किन शर्तों के आधार पर, कब और कितने समय के लिए टेंडर प्रदान किया जाता है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली छावनी परिषद को पिछले 5 सालों में शिक्षा खर्च करने के लिए निम्नलिखित राशि

दी गई है—

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपए)
1.	2014—15	42,889,000.00
2.	2015—16	44,000,000.00
3.	2016—17	50,314,000.00
4.	2017—18	52,074,000.00
5.	2018—19	42,960,000.00

(ख) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली छावनी परिषद के 8 विद्यालय स्थित है जिनमें से 1 विद्यालय स्पेशल बच्चों के लिए है;

(ग) उपरोक्त विद्यालयों में स्थायी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की कुल संख्या 76 है जिनका पूर्ण विवरण संलग्न है (संलग्नक—1); *

(घ) दिल्ली छावनी परिषद के स्कूलों में ठेकेदारी के माध्यम से 159 अध्यापक/अध्यापिकाएँ कार्यरत है जिनकी सूची संलग्न है (संलग्नक—2);

(ङ) दिल्ली छावनी परिषद क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है—

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	मदर सी.बी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, उरी एन्कलेब	399

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

1	2	3
2.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, सी.बी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, मेहराम नगर	580
3.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सी.बी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, डी.आई.डी. लाईन्स	661
4.	एस.वी.पी. सी.बी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सदर बाजार	754
5.	श्रीमती इन्दिरा गांधी सी.बी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल	556
6.	सिल्वर ओक सी.बी. मॉडल स्कूल, सदर बाजार	1115
7.	एम.जे.पी. सी.बी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, झरेरा	765
8.	कृपा स्कूल	140
	कुल	4970

सभी ठेकेदार मानदण्डों को पूरा करने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं एवं ई–प्रॉक्यूरमेन्ट पोर्टल में निविदाएं प्रकाशित की जाती है। तत्पश्चात् ठेकेदारों को एक वर्ष के लिए टेंडर प्रदान किया जाता है।

11. श्री पवन कुमार शर्मा: क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार प्रक्रियारत मास्टर प्लान–2041 में आदर्श नगर विधान सभा में स्कूलों के लिए डी.डी.ए./संबंधित एजेंसी से जमीन की मांग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो आदर्श नगर विधान सभा में कितने अतिरिक्त स्कूलों के लिए मास्टर प्लान–2041 में जमीन की मांग की गई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई बहुत कम स्कूलों में है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार बच्चों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए सभी स्कूलों में साइंस विषय की पढ़ाई शुरू करवाने पर विचार कर रही है;

(च) क्या सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश में भी आरम्भ किए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(छ) क्या सर्वोदय बाल विद्यालय/सर्वोदय कन्या विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ज) आदर्श नगर विधान सभा में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलवाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए कि अगले शैक्षणिक सत्र में इस विधान सभा क्षेत्र में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाए?

माननीय उपमुख्यमंत्री: (क) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 राजकीय एवं 2 सहायता प्राप्त विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की काफी कमी है;

(ख) उपरोक्त (क) के आलोक में लागू नहीं होता;

(ग) मास्टर प्लान–2041 अभी विचाराधीन है और अधिसूचित नहीं हुआ है। स्कूल से संबंधित जमीन की माँग का ब्यौरा विधानसभावार इस विभाग में संकलित नहीं किया गया है;

(घ) जी हां। 330 सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में साइंस पढ़ाई जा रही है;

(ङ) क्षेत्र के विद्यार्थियों की मांग तथा विद्यालय में उपलब्ध जगह के अनुसार विज्ञान विषय की पढ़ाई का प्रबंध किया जाता है;

(च) प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से कम से कम एक सेक्शन में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है;

(छ) विद्यालय खोलना एक निरंतर प्रक्रिया है जो क्षेत्र के विद्यार्थियों की मांग और स्थान/भवन की उपलब्धता पर निर्भर करता है; और

(ज) संबंधित जिले के उप शिक्षा निदेशक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए आवश्यकता की पूर्ति के साथ प्रस्ताव प्रेषित करते हैं जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

12. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिकता–I के अंतर्गत क्लासरूम निर्माण के संबंध में बताएँ कि भवनानुसार और विद्यालयानुसार कितने–कितने कमरे अभी बनाए जाने हैं;

(ख) भवनानुसार और विद्यालयानुसार प्राथमिकता–1 के अंतर्गत हॉर्टीकल्चर, लैंडस्केपिंग सहित कितना काम शेष रह गया है;

(ग) क्या प्राथमिकता–I के अंतर्गत लो.नि.वि. द्वारा लागत में कोई वृद्धि की गई है;

(घ) लागत वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या लो.नि.वि. द्वारा लागू किए जाने से पूर्व इन कारणों का अनुमोदन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) और (ख) प्राथमिकता–1 के अंतर्गत क्लासरूम बनाने एवं अन्य स्वीकृत किए गए कार्यों का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और केवल 72 समकक्ष कमरों का निर्माण शेष है;

(ग) और (घ) विभिन्न प्राथमिक प्राक्कलनों में अनुमानित लागत में कुछ वृद्धि की गई जिसके लिए मुख्यतः निम्नलिखित घटक उत्तरदायी है–

1. प्लीन्थ एरिया में बढ़ोत्तरी।
2. नए घटकों को शामिल करना जैसे एस.टी.पी., आर.डब्ल्यू.एच. इत्यादि।
3. सेवाकर का भुगतान (जो कि पहले लागू नहीं था।)
4. उच्च गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल जैसे बाहरी इमारत पर ब्रिक टाईल कलेडिंग, सीढ़ियों में, प्रयोगशालाओं में व शौचालयों इत्यादि में ग्रेनाईट पत्थर, कक्षाओं व बरामदों में विट्रीफाईड टाईल, प्रधानाचार्यों, उप–प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों के कमरों में, प्रयोगशालाओं में व एम.पी. हॉल में फॉल्स सीलिंग का प्रावधान, सीढ़ियों, बरामदों में स्टीलनुमा रेलिंग का प्रावधान इत्यादि।
5. अन्य विभिन्न कारण इत्यादि; और

(ङ) जी हां।

13. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 में प्राथमिकता–1 के अंतर्गत क्लासरूम बनाए जाने के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा लो.नि.वि. को सिविल वर्क के लिए अनुमोदित परियोजनावार ई.ओ.आर. क्या हैं;

(ख) प्राथमिकता–1 के अंतर्गत व ई.ओ.आर. के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में दोहराव से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता–II के अंतर्गत कितने कमरे और कितनी लागत का अनुमोदन किया गया था; और

(घ) प्राथमिकता–II के अंतर्गत प्रति वर्ग मीटर क्या लागत है और प्रति कमरा क्या लागत है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) ई.ओ.आर. का उपयोग केवल मौजूदा इमारतों में रखरखाव व मरम्मत आदि कार्यों के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा आर्डिनिटी रिपेयर (ई.ओ.आर.) के अन्तर्गत कोई नए क्लास रूम या भवन नहीं बनाए जाते हैं। अतः ई.ओ.आर. का प्राथमिकता–1 में बनाए गए नए कमरों/भवनों से कोई सीधा संबंध नहीं है;

(ख) स्कूल से जो ई.ओ.आर. व्यय स्वीकृति के लिए आती है उसमें प्रधानाचार्य से नो डुप्लीकेसी सर्टिफिकेट लिया जाता है ताकि कार्यों के दोहराव से बचा जा सके। नो डुप्लीकेसी सर्टिफिकेट में प्रधानाचार्य यह लिखित प्रमाण–पत्र देता है कि वह कार्य प्राथमिकता–1 तथा प्राथमिकता–2 के कार्यों में शामिल नहीं है;

(ग) शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता–II के अंतर्गत कुल 12748 समकक्ष कमरों (जिसमें आर.डब्ल्यू.एच., एस.टी.पी. व उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर इत्यादि भी सम्मिलित है) व इस कार्य में विभिन्न सुविधाओं सहित एम.पी.

हॉल का निर्माण, स्टेयर केस, शौचालय का निर्माण, कोरीडोर, प्रयोगशालाएं, लाईब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, आर. ओ., बिजली उपकरण, जमीन का समतलीकरण, आंतरिक सड़कें, हार्टिकल्चर, ऑपरेशन, स्ट्रीट लाईट्स, इत्यादि विभिन्न कार्य अलग–अलग स्कूलों की अलग–अलग परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शामिल है। यह सिर्फ और सिर्फ कमरे निर्माण के कार्य का प्रोजेक्ट नहीं है।

इस निर्माण कार्य हेतु कुल रुपए 2892 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है।

हालांकि यह भी गौरतलब है कि इस तरह के कार्यों में स्वीकृत अनुमोदित राशि एवं वास्तविक व्यय में सामान्य रूप से अंतर रहता है; और

(घ) प्राथमिकता–II के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों का प्रारंभिक प्राकलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युल में निर्धारित दरों पर आधारित है।

इस कार्य के लिए अनुमोदित प्रति वर्ग मीटर रुपए 28 हजार 212 की लागत का आकलन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्य के विस्तृत विवरण को देखते हुए स्वीकृत राशि के आधार पर प्रति कमरा लागत निकालना गलत होगा।

14. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिकता–I के अंतर्गत क्लासरूम निर्माण के संदर्भ में बताएं कि कमरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) तथा व्यय का

अनुमोदन (ई.एस.) प्रदान करने हेतु क्या कोई पूर्व शर्तें हैं, तथा पूर्वस्वीकृति लिए बिना कितनी लागत वृद्धि की अनुमति है;

(ख) प्राथमिकता–I के अंतर्गत प्रति वर्ग मीटर क्या लागत है और प्रति कमरा क्या लागत है;

(ग) प्राथमिकता–II के अंतर्गत प्रति वर्ग मीटर क्या लागत है और प्रति कमरा क्या लागत है;

(घ) क्या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति इनके लिए ली गई थी;

(ङ) यदि नहीं तो लो.नि.वि. के संबद्ध प्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(च) लो.नि.वि. के ठेकेदारों के विरुद्ध अधिक समय लगाने के लिए क्या दंड लगाया गया;

(छ) क्या लो.नि.वि. द्वारा किया गया कार्य विनिर्देशों के अनुरूप है;

(ज) लो.नि.वि. द्वारा सभी मंजिलों पर भवन की बाहरी दीवार पर जल निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप क्या लो.नि.वि. के विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

(झ) प्राथमिकता–I की तुलना में प्राथमिकता–II में क्या अतिरिक्त घटक शामिल किए गए हैं; और

(ञ) जोड़े गए नए घटकों की सूची और उन पर हुए खर्च की सूची क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) इसके लिए निम्नलिखित शर्तों के मानक निर्धारित किए गए हैं–

(i) चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाला कुल व्यय बजट में उपलब्ध निधि से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ii) लोक निर्माण विभाग सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करेगा;

(iii) किसी भी परिस्थिति में लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी;

(iv) किसी भी परिस्थिति में लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी;

(v) यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा; और

(vi) लोक निर्माण विभाग को समय–समय पर उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में स्थिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल अनुसार पूर्व स्वीकृति लिए बिना 10 प्रतिशत लागत वृद्धि की अनुमति है।

हालांकि उपरोक्त शर्तें निर्माण कार्यों के विवरण के आधार पर लागू होती है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग–अलग आवश्यकताओं के आधार पर नया निर्माण कार्य विवरण भी तैयार किया जाता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव की अनुमति नियमानुसार दी जाती है;

(ख) और (ग) प्राथमिकता–1 व 2 के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य का प्रारम्भिक प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित दरों पर आधारित है।

अनुमोदित लागत राशि इस प्रकार है–

1. प्राथमिकता 1–24 हजार 665 रुपए प्रति वर्गमीटर (वर्ष 2015–16 में अनुमोदित)
2. प्राथमिकता 2–28 हजार 212 रुपए प्रति वर्गमीटर (वर्ष 2018–19 में अनुमोदित)

विद्यालय भवनों के निर्माण में विभिन्न सुविधाओं सहित एम.पी. हॉल का निर्माण, स्टेयर केस, शौचालय का निर्माण, कोरीडोर, प्रयोगशालाएँ, लाइब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, आर. ओ., बिजली उपकरण, जमीन का समतलीकरण, आंतरिक सड़कें, हार्टिकल्चर, ऑपरेशन, स्ट्रीट लाईटस, इत्यादि शामिल है। हालांकि, प्राथमिकता–2 में कुछ अन्य घटक जैसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एस.टी.पी. व उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर भी शामिल है।

उपरोक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए तथा कार्य के विवरण को देखते हुए स्वीकृत राशि के आधार पर प्रति कमरा लागत निकालना गलत होगा;

(घ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है;

(ङ) उपरोक्त (घ) के आलोक में लागू नहीं होता;

(च) समय वृद्धि व हर्जाने का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा भिन्न–भिन्न मामलों के आधार पर किया जाता है;

(छ) जी हां;

(ज) यह कार्य एस.पी.एस. भवनों के पिछले प्रचलन के अनुरूप किया गया है;

(झ) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिकता–1 की तुलना में प्राथमिकता–2 में आर.डब्ल्यू.एच., एस.टी.पी. व उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर इत्यादि शामिल किए गए हैं; और

(ञ) जोड़े गए नए घटकों की सूची उपरोक्त बिन्दु झ में उल्लिखित है। यद्यपि उन पर हुए खर्च का ब्यौरा कार्य समाप्ति के पश्चात् दिया जाएगा।

15. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूल प्रबंधन समितियों के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) इस समय कुल कितनी प्रबन्धन समितियाँ विद्यमान हैं;

(ग) इनके कितने–कितने सदस्य होते हैं और कौन–कौन इनके कार्यकाल का पूर्ण विवरण दें;

(घ) कितनी समितियाँ अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं;

(ङ) सरकार किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि इन समितियों का राजनीतिक उपयोग न हो;

(च) क्या यह सत्य है कि प्रबन्धन समितियों को सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो किस प्रकार, पूर्ण विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री: (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 (2) के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित दायित्वों का पालन करेगी–

(क) विद्यालय के समस्त कार्य की निगरानी करना,

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना,

(ग) सरकार या स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करना, जो चिन्हित किए गए हों;

(ख) वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में 1028 स्कूल प्रबंधन समितियाँ विद्यमान है;

(ग) प्रत्येक समिति में निम्नलिखित 16 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है–

क्रम संख्या	वास्तविक पदनाम	समिति में स्तर	कुल सदस्य
1.	प्रधानाचार्य / विद्यालय संचालक	सदस्य / अध्यक्ष	01
2.	बच्चों के माता–पिता / अभिभावक	सदस्य	12
3.	स्थानीय चयनित प्रतिनिधि	सदस्य	01
4.	विद्यालय अध्यापक	सदस्य / संयोजक	01
5.	शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य	01

(घ) वर्ष 2015–2017 में 1013 समितियों ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2017 में 1019 समितियाँ गठित हुई थीं तथा वर्तमान में 1028 समितियां कार्यरत हैं;

(ङ) सभी समितियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा इसके अंतर्गत शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करती है;

(च) जी नहीं; और

(छ) उपरोक्त (च) के आलोक में लागू नहीं है।

16. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के भवनों का पुनर्विन्यास करने का दावा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं;

(ग) इन विद्यालयों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की जान को आसन्न संकट को देखते हुए क्या सरकार की इन स्कूलों के पुनर्विन्यास की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक यह कार्य न करवाये जाने के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के राजकीय विद्यालयों के भवनों पुनर्विन्यास का सतत प्रयास किया जा रहा है;

(ख) जिला पश्चिम 'अ' में कुल 58 राजकीय विद्यालय है जिसमें से राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में 10 विद्यालय भवन आते हैं जिनमें से 15 विद्यालय (प्रातः एवं सायंकालीन) संचालित होते हैं तथा इनमें से 7 विद्यालयों में पुनर्विन्यास का कार्य चल रहा है। 1 विद्यालय पायलट स्कूल घोषित

होने के कारण पृथक से पुनर्विन्यास कार्य होना है। कोई भी विद्यालय जर्जर अवस्था में नहीं है;

(ग) उपरोक्त (ख) के आलोक में लागू नहीं; और

(घ) उपरोक्त (ख) के आलोक में लागू नहीं।

17. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि राजकीय सेकेंडरी विद्यालय, मुस्तफाबाद में 32 कमरे बनाए जाने प्रस्तावित थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि जहां ये कमरे बनने थे, वह जमीन विवादग्रस्त है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जमीन विवादग्रस्त होने के कारण शिव विहार स्थित शिक्षा विभाग की चार दीवारी की गई भूमि पर इन कमरों का निर्माण करना था;

(घ) यदि हां, तो इन कमरों का निर्माण कब तक शुरू कर दिया जायेगा;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इन कमरों का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा और कब तक कार्य पूरा होगा, विस्तार से स्थिति स्पष्ट करें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) कोई वैधानिक विवाद नहीं है किन्तु स्थानीय लोगों द्वारा विरोध है;

(ग) उपरोक्त 32 कमरों में 20 कमरों का निर्माण शिव विहार स्थित भूमि पर होना था;

(घ) और (ङ) लोक निर्माण विभाग द्वारा शिव विहार स्थित भूमि पर नए विद्यालय के लिए भवन निर्माण का कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया था परन्तु स्थानीय निवासियों के व्यवधान एवं विरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका; और

(च) इन कमरों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिस की मदद से प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

18. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के वीर सावरकर अस्पताल, करावल नगर में स्कूल बनाने के लिये एम.सी.डी. से एक रुपये लीज पर जमीन ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूमि पर स्कूल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके नहीं बनने के कारण क्या हैं; और

(घ) यह स्कूल कब तक बनना शुरू हो जायेगा?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) और (ग) भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रारंभिक प्राक्कलन प्राप्त हो चुका है जिसकी स्वीकृति के लिए प्रक्रिया जारी है; और

(घ) व्यय स्वीकृति के पश्चात निर्धारित समय में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जायेगा।

19. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नियमित अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) इनमें से कितने पदों को नियमित अध्यापकों द्वारा तथा कितने पदों को अनियमित अध्यापकों द्वारा भरा गया है;

(ग) अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(घ) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे कितने स्कूल है, जहां प्रधानाचार्यों की तैनाती नहीं की गई है;

(ङ) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू एवं पंजाबी भाषा के लिए नियमित शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं;

(च) इनमें से कितने पद अनियमित शिक्षकों द्वारा भरे गये हैं तथा कितने पद खाली पड़े हैं;

(छ) क्या यह सत्य है कि पंजाबी एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती के लिए सी–टैट की परीक्षा में गणित की परीक्षा भी ली जाती है;

(ज) यदि हां, तो भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए गणित विषय की परीक्षा लिए जाने का क्या कारण है;

(झ) क्या यह भी सत्य है कि उपलब्ध शिक्षकों में से भी बहुत से शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने की बजाए शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ञ) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्यापकों के 64031 पद स्वीकृत हैं;

(ख) इनमें से 35916 पदों को नियमित अध्यापकों द्वारा और 20928 पदों को अतिथि शिक्षकों व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षकों द्वारा भरा गया है;

(ग) अध्यापकों के कुल 7187 पद रिक्त हैं;

(घ) दिल्ली के सभी स्कूलों में प्रधानाचार्यों की तैनाती की गई है। हालांकि, 724 स्कूलों में प्रधानाचार्य का कार्य उप प्रधानाचार्य हेड ऑफ स्कूल के रूप में देख रहे हैं। जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आग्रह किया गया है;

(ङ) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू भाषा के लिए 1105 व पंजाबी भाषा के लिए 1067 नियमित शिक्षकों के पद स्वीकृत है;

(च) उर्दू भाषा के 297 व पंजाबी भाषा के 123 पद अनियमित शिक्षकों द्वारा भरे गये हैं।

उर्दू भाषा के 691 व पंजाबी भाषा के 807 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह किया गया है;

(छ) सी–टैट की परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम व इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही तय करता है;

(ज) उपरोक्त (छ) के आलोक में लागू नहीं होता है; और

(झ) और (ञ) शिक्षा निदेशालय में शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह कार्य सामान्यतः प्रशासनिक अनुभव के न होकर शैक्षिक संबंधी अनुभव वाले होते हैं, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग लिया जाता है।

20. श्री संजीव झाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तराखंड एन्कलेव, बुराड़ी में राजस्व विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को जमीन आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि 2013 में शिक्षा विभाग द्वारा इस जमीन की सुरक्षा हेतु इसकी चारदीवारी किये जाने की योजना थी;

(ग) यदि हां, तो क्या वह चारदीवारी बना दी गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) जी हां;

(ग) जी नहीं;

(घ) जमीन के डिमार्केशन के कारण चारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया था। इसका TSM सर्वे करवा दिया गया है; और

(ङ) और (च) इस भूमि पर चारदिवारी निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही करवा दिया जायेगा।

21. श्री संजीव झाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग की जमीन खाली पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस जमीन का खसरा नं. सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी–कितनी जमीन पर विभाग द्वारा स्कूल या अन्य स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, लाइब्रेरी या अन्य सरकारी निर्माण करने की योजना है; और

(घ) ऐसी कितनी जमीन है जो राजस्व विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को आबंटित होनी बाकी है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि खंडों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. कादीपुर में 62 बीघा 06 बिस्वा जमीन का खसरा नम्बर है–903, 904, 905, 906, 914, 915, 916, 917, 918, 925, 927, 928

   कादीपुर में 43 बीघा 16 बिस्वा जमीन का खसरा नम्बर है–1304 (05–08), 39(4–16), 40 (4–16), 41 (4–16), 42 (4–16), 450 (4–16), 495 (4–16), 496 (4–16), व 521 (4–16)

   कादीपुर में 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन का खसरा नम्बर 450 है।

2. सलेमपुर माजरा में 4 बीघा 16 बिस्वा जिसका खसरा नम्बर 31/22 है। सलेमपुर माजरा में 3 बीघा 11 बिस्वा जिसका खसरा नम्बर 14/21/2 है। सलेमपुर माजरा में 1 बीघा 10 बिस्वा जिसका खसरा नम्बर 47/12 है।

3. इब्राहिमपुर में 05 बीघा 09 बिस्वा व 02 बीधा 16 बिस्वा जिनका खसरा नम्बर 47 व 48/1 है;

(ग) इसमें से 62 बीघा भूमि खण्ड पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल हब बनाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को दिया जा चुका है; और

(घ) राजस्व विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव शिक्षा विभाग के संज्ञान में नहीं है।

22. **श्री नितिन त्यागीः** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने विद्यालय हैं;

(ख) इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कितने अध्यापक वांछित हैं;

(घ) वर्तमान में इन विद्यालयों में कितने अध्यापक (स्थाई/गेस्ट/अस्थाई) पढ़ा रहे हैं;

(ङ) सभी विद्यालयों में अध्यापकों की कितनी रिक्तियां हैं और कब से;

(च) इन रिक्तियों को भरने का उत्तरदायित्व किसका है; और

(छ) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार के अंतर्गत 1031 सरकारी विद्यालय हैं;

(ख) राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1559958 है;

(ग) इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 64031 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं;

(घ) वर्तमान में उपरोक्त विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या इस प्रकार हैः–

स्थाई शिक्षकः 35916

गेस्ट शिक्षकः 19297

एस.एस.ए. कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकः 1631

(ङ) वर्तमान में 7187 पद रिक्त हैं;

(च) शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से; और

(छ)

1. पी.जी.टी. के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को ऑनलाईन मांग भेजी गयी है। पी.जी.टी. के रिक्त पदों को पदोन्नति कोटे के तहत भरने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

2. टी.जी.टी. / टी.जी.टी. (एम.आई.एल.) के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को ऑनलाईन मांग भेजी गयी है। टी.जी.टी. / टी.जी.टी. (एम.आई. एल.) के रिक्त पदों को पदोन्नति कोटे के तहत भरने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

3. सहायक शिक्षक (नर्सरी), सहायक शिक्षक (प्राइमरी), ई.वी.जी.सी. आदि के रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मांग भेज दी गयी है।

23. **श्री नितिन त्यागीः** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाए जाने के लिए आवेदन किया है, सूची प्रदान करें;

(ख) सरकार ने जिस स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दी है, उनकी सूची प्रदान करें;

(ग) उन स्कूलों की सूची प्रदान करें जिनका फीस बढ़ाने का आवेदन सरकार ने निरस्त कर दिया;

(घ) क्या फीस बढ़ाने का आवेदन निरस्त होने के बाद भी कोई स्कूल फीस बढ़ा सकता है; और

(ङ) जिन स्कूलों को लिया गया शुल्क वापस लौटाने के लिए कहा गया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) सत्र 2017—18 के लिए कुल 266 स्कूलों

ने फीस बढ़ाए जाने हेतु आवेदन किया था जिसकी सूची संलग्न है; (संलग्नक–1)

(ख) सरकार ने सत्र 2017–18 के लिए जिन 59 स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दी है, उनकी सूची संलग्न है; (संलग्नक–2)

(ग) जिन 170 स्कूलों के फीस बढ़ाने के आवेदन शिक्षा निदेशालय ने निरस्त किए हैं उनकी सूची संलग्न है; *(संलग्नक–3)

(घ) फीस बढ़ाने का आवेदन निरस्त होने के बाद वह स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता; और

(ङ) जिन स्कूलों को लिया गया शुल्क वापस लौटाने को कहा गया परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके, शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे स्कूलों के विरुद्ध डी.एस.ई.ए.आर. 1973 के सेक्शन 24 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

24. श्री विशेष रविः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रसाद नगर नई दिल्ली के द्वारा स्कूल में बच्चों से फीस लेने की शिकायत की गई थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस शिकायत पर आपके द्वारा इंक्वायरी टीम गठित की गयी थी;

(ग) यदि हां तो उस इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट की पूरी जानकारी दें;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय विधायक द्वारा 26.12.2018 एवं 26.07.2019 को दो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाने का पत्र दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इस पर की गयी कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है;

(छ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा स्प्रिंग्सडेल्स पब्लिक स्कूल पूसा रोड, फेथ अकादमी स्कूल प्रसाद नगर का डिटेल ऑडिट किया जाना है;

(ज) यदि हां, तो अब तक स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल, फेथ अकादमी स्कूल के डिटेल ऑडिट का काम अब तक पूरा नहीं हो पाने के क्या कारण हैं;

(झ) विभाग द्वारा ये डिटेल ऑडिट द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा;

(ञ) क्या यह सत्य है कि सलमान पब्लिक स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई लम्बित है;

(ट) यदि हां, तो कार्रवाई का फैसला न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ठ) सलमान पब्लिक स्कूल, पूसा रोड पर शिक्षा विभाग द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) जी हां;

(ग) रिपोर्ट की प्रति संलग्न है (संलग्नक–अ);

(घ) इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट पर आंध्रा एजुकेशन सोसायटी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, प्रसाद नगर, नई दिल्ली से टिप्पणी/स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ङ) जी हां;

(च) एस.बी.वी., प्लॉट नम्बर 6, झण्डेवालान, नई दिल्ली (2018002) व एस.के.वी., प्रसाद नगर, नई दिल्ली (2128020) को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाने के लिए इन स्कूलों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, किन्तु इसके लिए जगह उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि तीन स्कूलों यथा राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ईस्ट पार्क रोड, राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पहाड़गंज और सर्वोदय कन्या विद्यालय, आराम बाग लेन को दोबारा बनाने के लिए पूरी तरह तोड़ दिया गया था। अतः उपरोक्त दो स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाने का कार्य लम्बित है;

(छ) जी हां;

(ज) और (झ) सम्बन्धित स्कूलों के डिटेल ऑडिट कराने की फाइल प्रक्रियाधीन है और यह जल्द कराने की कोशिश की जा रही है; और

(ञ) से (ठ) इस नाम से इस क्षेत्र में कोई विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि एक जी.डी. सालवान पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है जिसके द्वारा विभिन्न अनियमितताओं के कारण विभाग द्वारा मान्यता वापस ली जा रही है।

संलग्नक अ

ENQUIRY REPORT IN RESPECT OF ANDHRA EDUCATION SOCIETY SR. SEC. SCHOOL, PRASAD NAGAR, NEW DELHI

A. Constitution of Committee of Enquiry

1. With reference to the letter No. D.D.E./Z-28/2018/ 1559 - 1560 dated 24/11/2018, a committee has been constituted to conduct an enquiry at Andhra Education Society Sr. Sec School, Prasad Nagar, New Delhi. The Committee consists of following members:

   (a) Sh. R. P. Mishra, V. PI, GBSSS, Ramjas Lane

   (b) Mr. Arvind Kumar, V. PI/ HOS, SBV, Rani Jhansi Road, New Delhi

   (c) Mrs. Radha, Vice-Principal, SKV Aram Bagh Lane

B. Issue to be Enquired into

2. The Committee was assigned the task of inquiring into:

   Collection of hefty fees; Following the provisions of DSEA 1973 by the School; Various heads of fee under which fee is charged; 7th pay commissions: implementation, payment of arrears; Donation- records; No. of books in library, issuing process, Discard (Condemnation) Process; Installation of Fire safety Devices/ Fire Certificate; Building Health Certificate; Canteen - License and Hygiene conditions; Provision of Clean/ RO water; Reserve Funds, Adequate Sports Material; Appointment of Qualified Staff through written Contract, Diversion of Funds, Maintenance of Personal

Files and Service Books; No. of Students in each Class; safety Rules; DE Nominee; Encroachment of Govt Land; Parking of School Buses on the Footpath.

C. Procedure of Enquiry Adopted

3. In order to conduct a conclusive enquiry, the Committee asked from the school the certified copies of the following documents:

(a) Fee Bills (2016- 17/2017-18/ 2018-19)

(b) Ascension Register/ Issue Register of the Library

(c) Copy of the Fire Safety- Certificate

(d) Building Health Certificate

(e) Canteen License

(f) Section-wise Enrolment

(g) Staff List with Designation, date of Birth and Designation

(h) Vacancy Statement

(i) Safety of Children

(j) List of PTA members with their addresses and phone numbers

4. The Committee also asked the HoS to offer her comments on the complaint and also required from them the facilitation of the interaction with the parents, students and teachers. The committee also decided to inspect the infrastructural facilities on the spot.

D. Enquiry

5. The full committee, as constituted thereon, visited Andhra Education Society Sr. Sec School, Prasad Nagar, New Delhi on 18/12/2018 at 9:30 am. It interacted with the students, teachers and the parents.

6. The School is a govt. aided school, so, many issues, such as payment of salary, fee from students, and other such irregularities do not arise.

7. There was a specific complaint of the school charging fee/ donations from students.

8. The School submitted the following documents:

   a. Statement of the Principal

   b. Student Enrolment

   c. Statement about Donations

   d. Post Fixation

9. The Committee took a round of the school to inspect the infrastructural facilities. It also interacted with the students and teachers.

10. The Committee interacted with the students of Class XII - Science Stream, who gave details of fee paid. Their names & phone numbers are as follows:

Sl. No.	Name	Phone number	Amount paid
1	Manav	9643468100	11660
2	Vranjal	8448507317	11660

Sl. No.	Name	Phone number	Amount paid
3	Vansi	9717194518	11660
4	Mohit	9250917831	11660
5	Mridul	9711803139	11660
6	Shubham	9811950086	11660
7	Karan	9711489037	11660
8	Lakshay Gautam	9643913680	11660

11. Similarly, the Committee interacted with the following parent, their statements are recorded:

Sl. No.	Name	Address	Ph. No.
1	Dayawati	16/ 475, H - Bapa Nagar, Hardhyam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi -110005	9899438207

12. The Committee was given a written stemenent by the following parents, but the Committee could not interact with her:

Sl. No.	Name	Address	Ph. No.
1	Bimla	16/ 137, E - Tank Road, Anand Puri, Karol Bagh, New Delhi - 110005	8375981955

E. Findings of the Committee

The Fmdings of the Committee are as follows:

I. Financial

(a) The statements of the parents and students show that the school has actually been charging fee in the name of Andhra Education Society (Regd). The heads are as follows:

Sl. No.	Heads of Fee	Amount	Remarks
1	Annual Charges	1000	Class VI Student
2	Parent Contribution	7200	
3	Computer Fee	1200	
4	Activity Fee	800	
5	Membership	60	

Class XII Science Section Students have paid Rs 11660 each as Annual Fee.

(b) Numerous Parents have also complained of demand for donation at the time of admission. However, the Principal denied the same.

(c) The fee is collected by a member of the society who is an outsider and comes to collect fee in the school premises. It is true that fee is not collected by any member of the staff.

d) The teachers direct the students to bring the fee.

H. Infrastructural

i. Fire safety devices are installed. The School has the Fire Certificate.

ii. Building is in good condition.

iii. There is no canteen in the school.

iv. RO has been installed. It was found to be functional.

v. Rooms are spacious enough to accommodate students. The sitting arrangement is satisfactory.

vi. Sports material was found to be sufficient.

vii. Personal Files and Service Books of the employees are maintained.

viii. School follows safety procedures for the security of students

ix. The School has a DE Nominee.

x. School does not provide transport to students - it doesn't own buses.

xi. There is no encroachment by school on footpaths and additional are of government.

xii. It is a Linguistic Minority Institution

xiii. Staff Rooms are well furnished and sufficient.

I. Conclusion:

1. Infrastructurally, the school has reasonable facilities. It has good and well stocked library. Labs are in sound condition. Sports facilities exist in required amount. There is provision of drinking water. Safety and security issues are well taken care of by the school.

2. The School runs KG and Nursery Classes.

3. It is verifiably proved that the School charges fee from all students in the garb of funds for the society. The fee is mandatory for all students.

4. There is reasonable likelihood of collection of donation at the time of admission, but, this could not be verified.

The Report is submitted herewith.

25. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों में जनवरी, 2014 के बाद से किए गए/किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा प्रदान करें, जिसमें परियोजना की लागत, आरंभ होने की तिथि, समापन की तिथि/समापन की संभावित तिथि, संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार का विवरण सम्मिलित हो;

(ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में जनवरी 2014 के बाद की अवधि में विद्यार्थियों, अध्यापकों की संख्या, कला वाणिज्य जैसी विषयधाराएँ, उपलब्ध खेल–सुविधाएं आदि का ब्यौरा प्रदान करें, साथ ही इन स्कूलों में जनवरी 2014 के बाद होने वाले गुणात्मक व परिमाणात्मक सुधारों का तुलनात्मक विवरण भी प्रदान करें;

(ग) जनवरी, 2014 के बाद से स्कूलों को सीधे तौर पर अथवा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि के खर्च का संपूर्ण ब्यौरा प्रदान करें व दिल्ली के स्कूलों की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की शक्तियों व दायित्वों का भी ब्यौरा प्रदान करें;

(घ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों

में कक्षा 11वीं व 12वीं में उपलब्ध विज्ञान, वाणिज्य व कला विषयधाराओं का ब्यौरा देते हुए उक्त विषयधाराओं में से प्रत्येक से संबद्ध अध्यापकों व विद्यार्थियों की संख्या भी बताएँ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि राजा राम मोहन रॉय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वाणिज्य का कोई भी अध्यापक नहीं है, यदि यह सत्य है तो ऐसा कब से है और कब तक इस कमी को पूरा किया जाएगा;

(च) क्या शिक्षा विभाग द्वारा एस.एम.सी. सदस्यों के योगदान को देखते हुए उनको सम्मानित करने की कोई योजना है, यदि हां तो इसका ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(छ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में चलने वाली अकादमियां और संगठन कौन–से है जो खेल–प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं और वे नियम क्या हैं जिनके अंतर्गत उन्हें ऐसे सेंटर चलाने की अनुमति है;

(ज) क्या 'जूडो' खेल के लिए दिल्ली में ऐसा कोई खेल प्राधिकरण अथवा फेडरेशन है, यदि हां तो उसके पदाधिकारी कौन हैं और ऐसे पदाधिकारियों के लिए योग्यता मानक क्या हैं; और

(झ) इन पदाधिकारियों को उनका यह पद चयन के द्वारा प्राप्त हुआ है या मनोनयन के द्वारा?

माननीय उपमुख्यमंत्री: (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों में 2014 से अब तक किए गए व किए जा रहे विकास कार्य निम्न प्रकार से हैं–

1. ई.ओ.आर. (मरम्मत कार्य) की सूची संलग्न है (संलग्नक–1);

2. प्राथमिकता–1 में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर में 50 कक्षाओं का निर्माण किया गया है; और

3. प्राथमिकता–2 से संबंधित समकक्ष कमरों में निर्माण का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	समकक्ष कमरों की संख्या
1.	सर्वोदय विद्यालय, सफदरजंग एन्कलेव	40
2.	राजा राम मोहन राय, सर्वोदय कन्या विद्यालय, हौज रानी	64
3.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, बेगमपुर	40
4.	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, बेगमपुर	22
5.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन	40
6.	सर्वोदय विद्यालय, मस्जिद मोठ	82

(ख) विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या व विभिन्न संकायों का विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	विवरण	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19
1.	कुल विद्यार्थी	11826	11053	10786	10508	11140
2.	कुल शिक्षक	415	483	494	482	503

क्र.सं.	विवरण	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19
3.	कुल विद्यालय	11	11	11	11	11
4.	कला संकाय	10	10	10	10	10
5.	वाणिज्य संकाय	8	8	8	9	10
6.	विज्ञान संकाय	3	3	3	3	4
7.	व्यावसायिक शिक्षा	2	2	2	2	2

विद्यालयों में खेल से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं–

1. जूडो (SAI) –
    1. राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, हौजरानी (1923021)
    2. राजा राम मोहन राय कन्या विद्यालय (1923041)
2. निशानेबाजी (लवलीन कौरे)–
    1. सर्वोदय कन्या विद्यालय, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन
3. स्केटिंग (वीरेंदर कुमार)–
    1. राजकीय उच्चतर बाल विद्यालय, बेगमपुर
4. स्केटिंग (किशोर कुमार)–
    1. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर
5. स्केटिंग (किशोर कुमार)
    1. राजकीय उच्चतर बाल विद्यालय, बेगमपुर, एस.टी.सी./एम. एम.टी.सी.

6. टेबल टेनिस (ईगल टेबल टेनिस अकादमी)–

   1. राजकीय सह शिक्षा उच्चतर विद्यालय, सफदरजंग एन्क्लेव

7. एथलेटिक्स (देव क्रिकेट अकादमी)–

   1. राजकीय सह शिक्षा उच्चतर विद्यालय, सफदरजंग एन्क्लेव

स्कूलों में होने वाले गुणात्मक व परिणात्मक सुधारों की सूचि संलग्न है * (संलग्नक–2)।

(ग) स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल के विकास एवं रखरखाव इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए निम्न राशि का प्रावधान किया गया है:–

1. 1500 विद्यार्थियों के नामांकन तक – रुपए 5,00,000/– प्रति वर्ष
2. 1501 से 2500 विद्यार्थियों के नामांकन तक – रुपए 6,00,000/– प्रति वर्ष
3. 2501 एवं उससे अधिक विद्यार्थियों के नामांकन तक – रुपए 7,00,000/– प्रति वर्ष

वर्ष 2019–20 के लिए एस.एम.सी. स्कीम के तहत सरकार द्वारा 69 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21(2) के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित दायित्वों का पालन करेगी:–

(क) विद्यालय के समस्त कार्य की निगरानी करना;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना;

(ग) सरकार या स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करना, जो चिन्हित किए गए हों;

(घ) विवरण संलग्न है (संलग्नक–3 व 4);

(ङ) राजा राम मोहन राय गवर्नमेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, हौज रानी में वाणिज्य अध्यापक के रिक्त पद अक्टूबर, 2012 से भर दिया गया है;

(च) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है;

(छ) विद्यालयों में खेल से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं–

1. जूडो (SAI) –
    1. राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, हौजरानी (1923021)
    2. राजा राम मोहन राय कन्या विद्यालय (1923041)
2. निशानेबाजी (लवलीन कौरे)–
    1. सर्वोदय कन्या विद्यालय, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन
3. स्केटिंग (वीरेंदर कुमार)–
    1. राजकीय उच्चतर बाल विद्यालय, बेगमपुर
4. स्केटिंग (किशोर कुमार)–
    1. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर

5. स्केटिंग (किशोर कुमार)

   1. राजकीय उच्चतर बाल विद्यालय, बेगमपुर, एस.टी.सी./एम. एम.टी.सी.

6. टेबल टेनिस (ईगल टेबल टेनिस अकादमी)–

   1. राजकीय सह शिक्षा उच्चतर विद्यालय, सफदरजंग एन्क्लेव

7. एथलेटिक्स (देव क्रिकेट अकादमी)–

   1. राजकीय सह शिक्षा उच्चतर विद्यालय, सफदरजंग एन्क्लेव

खेल प्रशिक्षण चला रही संगठन सरकार की अनुमोदित योजना जो कि प्रपत्र दिनांक 21.01.2016 एवं 19.01.2018 में रेखांकित है, के अंतर्गत चलाये जा रहे हैं (संलग्नक 5)।

(ज) और (झ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अंतर्गत ऐसा कोई खेल प्राधिकरण/फेडरेशन नहीं है।

26. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए कितने वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान खोले गए, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या इस वर्ष नए विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण दें; और

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालयों में विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की तरह रोल–बॉल, स्केटिंग आदि जैसे अतिरिक्त खेलों को शामिल करने की कोई योजना है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए गुरू गोविंद सिंह विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में कुल 09 वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान खोले गए जिनका ब्यौरा परिशिष्ट–1 में संलग्न है;

(ख) इस वर्ष विभाग में दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तकनीकी शिक्षा एवम् प्रशिक्षण विभाग में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस (University of Applied Sciences) जिसे केबिनेट में स्वीकृति के लिए प्रोसेस किया गया है;

(ग)

1. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्ट्र्स विश्वविद्यालय हेतु मुंडका विधान सभा क्षेत्र में टीकरी कलां गांव, घेवरा मोड़, रोहतक रोड़ के नजदीक लगभग 90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।
2. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्ट्र्स विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु गुरू गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली सरकार के उप–कुलपति की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ड्राफ्ट बिल का निर्माण किया है।
3. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्टस विश्वविद्यालय बिल–2019 पर स्वीकृति के पश्चात् एक कैबिनेट नोट बनाया गया है। यह कैबिनेट नोट अन्य विभागों (कानून, वित्त, प्रशासनिक सुधार, योजना, प्रशिक्षण व तकनीकी) को सुझाव (टिप्पणी) हेतु भेजा गया है।
4. अन्य विभागों से प्राप्त सुझावों को प्रस्तुत बिल में समाहित करने के पश्चात् स्वीकृत दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बिल मंत्री–परिषद् की स्वीकृति हेतु विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. तकनीकी शिक्षा एवम् प्रशिक्षण विभाग में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस (University of Applied Sciences) जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए प्रोसेस किया गया है; और

(घ) उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा जानकारी निम्नांकित है–

1. गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालयः– संबद्ध नहीं है।
2. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्लीः– रोल–बॉल, स्केटिंग आदि को खेलों में शामिल करने की कोई योजना नहीं है।
3. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयः– ऐसी कोई योजना नहीं है।
4. इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली):– रोल–बॉल, स्केटिंग आदि को खेलों में शामिल करने की कोई योजना नहीं है।
5. दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालयः– ऐसी कोई योजना नहीं है।
6. नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालयः–
7. दिल्ली फॉर्मास्यूटीकल साइंसेज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटीः– संबद्ध नहीं है।
8. इन्दिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालयः– ऐसी कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट–1

List of Institutes Approved for B, VOC Programme for 2018 - 2019

Sl. No.	Name of the Institute	Programme	Duration	Inake 2018-10
1	2	3	4	5
1	Ambedkar Institute of Technology, Shakarpur, Delhi 110092	B.Voc (Software development)	3 Yrs.	100
2	Aryabhalt Institute of Technology, Near Shakti Nagar, Tele Exchange. G.T. Karnal Road, New Delhi	B.Voc (Construction Technology)	3 Yrs.	100
3	Bhai Parmanand Institute of Business Studies, Shakarpur, Delhi-110092	B.Voc (Software Development)	3 Yrs	50
4	Guru Nanak Dev- Institute of Technology, Institutional Area, Sector-15, Rohini, Delhi 110080.	B.Voc (Software Development)	3 Yrs	50
5	Integrated Institute of Technology, Sector 9, Dwarka, New Delhi-110075	B.Voc (Software Development)	3 Yrs	50

1	2	3	4	5
6	Kasturba Gandhi Institute of Technology, Pitampura, Muni Maya Ram Marg, New Delhi -110088	B.Voc (Software Development)	3 Yrs	50
	B.Voc (Applied Arts)	50		
7	Meera Bai Institute of Technology, Maharani Bagh, New Delhi-110065 (Existing Institute)	B.Voc (Applied Arts)	3 Yrs	50
		B.Voc (Interior Design)		100
8	Pusa Institute of Technology Pusa, New Delhi - 110012 (New Institute)	B.Voc (Printing & Publishing)	3 Yrs	50
		B.Voc. (Power Distribution Management)		50
		B.Voc (Automobile)		50
9	G. B. Pant Institute of Technology, Okhla, Phase-III, New Delhi (Existing Institute)	B.Voc (Automobile)	3 Yrs	50
		B.Voc (Construction Technology)		50
		B.Voc (Power Distribution Management)		50

27. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय उप–मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुंडका विधानसभा में घेवरा मोड़ पर प्रस्तावित स्पोर्ट्स स्कूल/स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है;

(ख) इसमें होने वाले विलंब का कारण क्या है;

(ग) उपर्युक्त स्पोर्ट्स स्कूल/स्पोर्टस विश्वविद्यालय को आरंभ किए जाने में अभी कितना समय और लगेगा;

(घ) उपर्युक्त स्पोर्ट्स स्कूल/स्पोर्टस विश्वविद्यालय की स्वीकृति और निर्माण से संबंधित अधिकारियों का विवरण क्या है;

(ङ) उपर्युक्त स्पोर्ट्स स्कूल/स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(च) क्या सरकार की मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कोई मेडीकल कॉलेज खोलने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा प्रदान करे?

माननीय उप–मुख्य मंत्रीः (क) और (घ)

1. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हेतु मुंडका विधान सभा क्षेत्र में टीकरी कलाँ गाँव, घेवरा मोड़, रोहतक रोड़ के नजदीक लगभग 90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।
2. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु गुरू गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली सरकार के उप–कुलपति

की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ड्राफ्ट बिल का निर्माण किया है।

3. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के तीन स्तर होंगे, मीडिल स्कूल, सैकेण्डरी स्कूल, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, स्कूल विश्वविद्यालय के लिए विशेष फीडर संस्थान के रूप में काम करेगा और स्कूल से पास होने वाले छात्रों को दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. प्रस्तावित दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बिल–2019 पर स्वीकृति के पश्चात् एक केबिनेट नोट बनाया गया है। यह केबिनेट नोट अन्य विभागों (कानून, वित्त, प्रशासनिक सुधार, योजना, प्रशिक्षण व तकनीकी) को सुझाव (टिप्पणी) हेतु भेजा गया है।

5. अन्य विभागों से प्राप्त सुझावों को प्रस्तुत बिल में समाहित करने के पश्चात् स्वीकृत दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बिल मंत्री–परिषद् की स्वीकृति हेतु विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वर्ष 2019–20 में एक करोड़ रुपये की राशि (टोकन मनी) का प्रावधान रखा गया है;

(च) उच्च शिक्षा निदेशालय एवम् तकनीकी शिक्षा निदेशालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(छ) लागू नहीं।

28. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं;

(ख) इनमें से कितने छठी विधानसभा के दौरान बनवाए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 2016 से 2019 की अवधि में उनमें कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ;

(घ) क्या इन विद्यार्थियों के प्लेसमेंट की कोई गारंटी है;

(ङ) क्या कुछ और ऐसे संस्थान खोले जाने की योजना है; और

(च) यदि हाँ, तो किन–किन स्थानों पर?

माननीय उप–मुख्य मंत्रीः (क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल दो पॉलिटेनिक्स/तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं।

1. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग और
2. आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी;

(ख) कोई नहीं;

(ग) वर्ष 2016–19 की अवधि में विद्यार्थियों का नामांकन निम्न हैः–

2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
6198	5530	6023	5305–Till Date*

*डिप्लोमा एडमिशन 14.08.2019 तक।

(घ) तकनीकी संस्थानों में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी होते हैं जो विद्यार्थियों के प्लेसमेंट में मदद करते हैं।

(ङ) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है; और

(च) लागू नहीं।

29. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में इस समय कितने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हैं;

(ख) भविष्य में और कोई तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान खोलने की सरकार की योजना है; और

(ग) यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली में कुल 19 सरकारी तकनीकी संस्थान हैं जिनका विवरण निम्न है :

सरकारीः 10

निजीः 06

सरकारी सहायता प्राप्त (Govt. Aided) : 02

बी.एस.एफ. द्वारा वित्त पोषितः 01

(ख) नई आई.टी.आई खोलने का कोई प्रस्ताव संज्ञान में नहीं है; और

(ग) लागू नहीं।

1. List of Diploma Level Institutes

Sl. No.	Name of Institute
	Government Institutes
1	**Ambedkar Institute of Technology (AK)** Shakarpur (Opp. Madhuban) Delhi - 110 092. Tel: 011-22440774, 22023594 e-mail id: ap.delhi@nic.in, website: www.ambp.in
2	**Aryabhatt Institute of Technology (AB)** G.T. Karnal Road, Delhi - 110 033 Tel: 011-27465281, 27426263, 27451050 e-mail: principal@abitdelhi.in. abitdelhi@gmail.com websiterwww.abitdelhi.in
3	**Gobind Ballabh Pant Institute of Technology (GB)** Okhla, New Delhi-110 020 Tel: 011-26826620, 26826895 e-mail id: gbpptte.delhi@nic.in Website: www.abpit.in
4	**Guru Nanak Dev Institute of Technology (GN)** Sector - 15, Rohini, Delhi - 110 089 Tel: 011-27860308, 27567819, 27552645 e-mail id: endpolv.delhi@nic.in Website: www.gndit.in
5	**Integrated Institute of Technology (IT)** Sector-9, Dwarka, Delhi Tel: 011-25080585, 25072926,

Sl. No.	Name of Institute
	Fax: 25073128 e-mail id: iitdtte.delhi@nic.in Website: www.iitdwarka.in
6	**Kasturba Institute of Technology (KI)** Pitampura (Near T.V. Tower) Ring Road, Delhi - 110 088 Tel: 011-27319394, 27319495 e-mail: kpwpolv.delhi@nic.in Website:http://kitd.ac.in
7	**Meera Bai Institute of Technology (MB)** Maharani Bagh, New Delhi - 110 065 Tel: 011-26318828 e-mail id: mbpoly.delhi@nic.in
8	**Pusa Institute of Technology (PI)** Pusa, New Delhi-110 012 Tel: 011-25847822, 25843070 Fax: 25843065 e-mail id: pusapoly.delhi@nic.in
9	**Bhai Parmanand Institute of Business Studies (BP)** Shakarpur (Opp. Madhuban) Delhi-110 092 Tel: 011-22543891 e-mail id: bpibs.delhi@nic.in website: www.bpibs.in

Sl. No.	Name of Institute
10	**Rajokari Institute of Technology (RI)** Rajokari, New Delhi-110038 Tel: 011-25060837 e-mail id: raiokariinstitute@gmail.com
	Government Aided Institute
1	Sarada Ukil School of Art (SU) 66/1, Janpath, New Delhi - 110 001 Tel: 23321372 Fax. 23322917 e-mail id: saradaukil@yahoo.in
2	Delhi Institute of Tool Engineering (DI) Wazirpur Industrial Area Delhi — 110 052 Tel: 27372745, 27372618 Website: https://www.dite.delhigovt.nic.in e-mail id: dpdite@gmail.com
	Institute Funded by BSF Education Society
1	Border Security Force Polytechnic BSF, STS Tigri Camp, New Delhi-110080 Tel. 011-26045330 Fax No. 011-29963879 Website: https://www.bsf.nic.in e-mail id: bsrboly.1974@gmail.com (Note: Admission in BSF Polytechnic is carried out by the institute itself and it is only for the wards of BSF personnel/ CRPF/ITBP/SSB/CISF/DP/DEFENCE).

Sl. No.	Name of Institute
	Privately Managed Institutes Affiliated to BTE Delhi
1	**Aditya Institute of Technology (AI)** 107/9, KishanGarh, Vasant Kunj, NewDelhi-110 070 Tel: 26125195, Fax: 26121328 e-mail id: ait.newdelhi@gmail.com Website: www.aitdelhi.in
2	**Baba Hari Dass College of Pharmacy (BH)** Jharoda Kalan, Najafgarh RoadNew Delhi-110 072 Tel: 25315280, 25315268, Fax. 25315280 e-mail id: bhpc_94@yahoo.com
3	**Subramania Barathi College of Science &Technology (SB)** Holambi Khurd, Delhi - 110 082 Tel : 32561050, 32561010, 9210826930. e-mail id: sbcsi1992@gmail.com Web site: sbcstcollege.com
4	**Guru Teg Bahadur Polytechnic Institute (GT)** An institute of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee G-8 Area, Rajori Garden, New Delhi-11064. Ph. No. 011-25120002, 25120003, 25120004 E-mail: info@gtbpi.in/directorgtbpi@gmal.com Website: www.gtbpi.in
5	Chhotu Ram Rural Institute of Technology (CR) Kanjhawala (Ghevra), Delhi - 110 081 Tel: 25953892, Fax :25953489 e-mail id: crrit.principal@gmail.com

Sl. No.	Name of Institute
6	International Polytechnic for Women (IN) 171 A, Khirki Road, Malviya Nagar New Delhi-110 017 Tel: 24624049, 24699855, 24623517, Fax: 24644500 e-mail id: intpoly@yahoo.com

30. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने आई.टी.आई. हैं; संपूर्ण ब्यौरा दीजिए;

(ख) मालवीय नगर स्थित आई.टी.आई. में क्या कभी कोई यूटिलिटी एंड परफॉरमेंस ऑडिट किया गया है;

(ग) यदि हाँ तो इसकी रिपोर्ट प्रदान करें;

(घ) यदि नहीं, तो इस आई.टी.आई. के सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों व पाठ्यक्रमों का ब्यौरा उपलब्ध कराएँ; और

(ङ) क्या मालवीय नगर की इस आई.टी.आई. को कौशल विकास केंद्र के रूप में परिवर्तित करने पर कभी विचार किया गया है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में एक आई.टी.आई. स्थित है;

(ख) ऐसा कोई आडिट संज्ञान में नहीं है। हालांकि कुछ अनपॉपुलर ट्रेड तकनीकी शिक्षा निदेशालय कमेटी की सिफारिश के अनुसार बंद कर दी गई है तथा कुछ नई ट्रेड शुरू कर दी गई है;

(ग) उपरोक्त;

(घ) संबंधित ब्यौरा संलग्न है; और

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव संज्ञान में नहीं है।

संलग्न–अ

ITI Malviya Nagar, New Delhi-110017

As on DT. 16/08/2019

Staff Detail

Sl. No.	Name/ Nomenclature of post	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacant	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Principal	1	1		
2	OS	1		1	
3	AAO	1		1	
4	G.I	3	3		
5	C.I	29	14	15	
6	WSA	7	4	3	
7	Chowkidar	4	1+3*		3*Civil Defence
8	Sweeper	3	1+3#		3#Out Sources

1	2	3	4	5	6
9	Peon	1		1	
10	UDC	3	1	2	
11	LDC	3	2+1^	1	1^ DEO Out sources
Total					

Detail of Trades and Trainees of Malviya Nagar

Sl No.	Trade	Sanctioned Unit/Section	Duration	Session 2018-20 SR.	Session 2019-20 JR.	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	C.O.P.A	1+1	1 Year	----	31	31
2	Comm. Art (SCVT)	0+1	1 Year	----	03	03
3	Welder	1+1	1Year	---	04	04
4	Mech. Two & Three Wheeler	1+1	1 Year	----	13	13
5	Turner	1+1	2 Year	13	03	16
6	Fitter	1+1	2 Year	17	11	28
7	Machinist	2+2	2 Year	22	12	34

1	2	3	4	5	6	7
8	Mech. Reff.&A/C	1+1	2Year	23	12	35
9	Electrician	2+2	37	25	62	
10	Electronics Mech.	1+1	2 Year	22	14	36
11	Draughtsman Civil	1+1	2 Year	17	12	29
	TOTAL=	11 trade	25 unit	151	140	291

31. श्री राजेश गुप्ता: क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र; में हाई–टेंशन तथा लो–टेंशन तार कहां–कहां रिहायशी इलाकों से गुजर रही है;

(ख) क्या इनसे होने वाले खतरे से बचाव के लिए सरकार की इन तारों को हटाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में फेज–3 जनता फ्लैटस में फीडर बाक्स को हटाने का क्या प्रावधान है; और

(च) क्या यह तारें और फीडर बाक्स विधायक निधि से हटाए जा सकते है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) टीपीडीडीएल द्वारा दिया गया वजीरपुर विध ाानसभा क्षेत्र के हाई–टेंशन तथा लो–टेंशन तारों का ब्यौरा संलग्न है। (संलग्नक 'क');

(ख) से (घ) मानव जीवन के लिए खतरनाक ओवरहेड लाईनों को शिफ्ट करने का कार्य ऊर्जा विभाग की नीति No.F.11(09)/2007/Power/ 2609 - 2619 date 30-08-2019 के अनुसार किया जाता है, प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक 'ख');

(ङ) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि फीडर बॉक्स को तकनीकी साध्यता (Technical feasibility) होने तथा संबंधित भूमि मालिक एजेन्सी या प्रभावित उपभोक्ता द्वारा धन उपलब्ध कराने पर हटाया जा सकता है; और

(च) शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एमएलए लैड (MLALAD) दिशा निर्देशों के अनुसार हाईटेंशन एवं लो–टेंशन का स्थांनातरण संबंधित विधायक की सिफारिश एवं विधायक निधि से किया जा सकता है। फीडर बाक्स की शिफटिंग कार्यों की सूची में शामिल नहीं है। प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक 'ग')।

संलग्नक 'क'

EHV Line	HT-11 KV Line	LT O/H Line
Zone501-BU KPM	**Zone 501-BU KPM**	**Zone 501-BU KPM**
1. 33KVO/H Feeder from Tri Nagar Grid to Rampura Grid 2. 33 KVO/H Feeder from Ashok Vihar Grid to A-1 Blk, KPM	1. C-3 to C-5 KPM 2. C-3 S/Light office to C-5 S/Station 3. Tri Nagar Grid to Chander Nagar. 4. Tri Nagar Grid to A-2 LIG 5. Tri Nagar Grid to Old Shanti Nagar 6. Lekhu Nagar to new Shanti Nagar 7. Rampura No. 3 to School Road. 8. Sainiwala p/m to old mother dairy 9. Tri Nagar Grid to Old Mother Dairy	1. A-1, A-2, C-1 to C8 blk, B-2 to B4 blk, Keshavpuram 2. Tri Nagar Area (e.g. Vishram Nagar, Ganesh pura, Joor Bagh, Rampura, Shanti Nagar, Lekhu nagar, Devaram park, totaram bazaar, Onkar Nagar).

EHV Line	HT-11 KV Line	LT O/H Line
	10. Sainiwata p/m to School Road 11. A-2 LIG to Jai Mata Market 12. Tri Nagar grid to Rasika S/Stn.	
Zone 502	**Zone 502**	**Zone 502**
1. 33 KV O/H line at Pathar Wala Bagh, backside of Ashok Vihar Grid 2. 33 KV O/H Line through E Blk & F Blk Phase 1	1. B Blk, Ph-I, Ashok Vihar to KD Blk 2. B Blk, Ph-L Ashok Vihar to E Bik Phase 1 3. F-Blk JJ Cly to E Blk Pathar Wala Bagh, J-3 4. H-Blk, Phase 1 to H-115, H Blk, JJ Cly. 5. Mother Diary JJ Ciy to K,L Blk, Sanjay Market 6. DSJDC JJ Cly, Wazir Pur to a A,B,C,D Blk JJ Cly. 7. G Blk Park to 1 Blk, IB Blk,	1. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, JA, Wazirpur Village, KC, KD, BA, IA, IB, Murga Mkt. Phase 1, Ashok Vihar 2. Nimri Cly, Bunkar Cly, Bharat Nagar, SFS Flats, Delhi Admin. Flats, Phase IV, Ashok Vihar 3. J-3, J-1, Pathar Wala Bagh, J-2, K Blk, L Bik, B Bik, C Blk, O Bik, H Blk, DSIDCJJ Cly, Nalaside & Gridside Jhuggi, Nepali

	G Blk, H Blk, Phase 1, Ashok Vihar 8. Ram Lila Ground to SF5. No. 2, Jhariwala , Ashok Vihar	Jhuggi, Wazirpur Village Jhuggi.
Zone 509	**Zone 509**	**Zone 509**
1.Nil	1. Sagar Ratna S/Stn. To S/Stn. No. 6 2. KD Blk to Sagar Ratna 3. LB College to Satyawati Cly 4. Presidium School to CET Plant 5. Jailor wala Bagh JJ Cluster	1. Ashok Vihar Phase II, Phase III, Satyawati Cly, Shakti Nagar Ext., Sawan Park

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Power)
Delhi Secretariat, 8th Level
B-Wing New Delhi-110002

No; F.II (09)/2007/Power/ 2609-2619 Dated: 03rd August, 2018

ORDER

Sub: Policy on the shifting of HT (11KV, 33KV & 66KV) / LT400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives - Modification of Cabinet decision No.1588-dated 09.11.2009 thereof.

The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide decision no. 2604 dated 31.07.2018 on the subject cited above has considered and approved the following in respect of the existing policy on shifting of HT/LT Lines:

i In case of colonies set up under-20 point programme in the rural area,, the shifting of HT/LT lines would be done, through the fund of Govt. from the budget of Power Department which-would provide for 100% of the cost of shifting.

ii. In-respect of other, rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting/of HT/LT lines would also be made-from the funds of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.

iii. In respect of farm houses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department

iv. In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.

v. In case of HT/LT lines passing through Government Institutions, public authority buildings, schools, hospitals, colleges of public nature and which are owned by the government, 100% of the funding would be met by the concerned department/ agency for shifting of the lines.

vi. In case of private institutions of a public nature like educational and health institutions etc., 100% of the cost of shifting is to be borne by the concerned institution.

vii. Scope of the policy of HT/LT lines will include the HT transmission lines of 11KV, 33KV as well as 66KV and LT lines of 400V.

Copy to :-

1. Pr. Secretan/ to Lt, Governor, Delhi.
2. Spl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.

3. Council of Ministers, GNCTD
4. All MLAs, GNCTD
5. SO to Chief Secretary, GNCTD
6. Addl. Chief Secretary, GNCTD
7. All Pr. Secretaries / Secretaries, GNCTD
8. Pr. Secretary (UD), GNCTD
9. Secretary, DERC
10. Dir (O) DTL
11. CEOs, BRPL, BYPL & TPDDL

Govt. of NCT of Delhi
Urban Development Department
10th Level: Delhi Sachivalaya
I. P. Estate: New Delhi-110002

F.18(267)/A/UD/Plg./2012/ Dated: 10/09/2018
5081-5110

ORDER

In pursuance of the Cabinet Decision no 2623 of the Council of Ministers dated 07.08.2018 under Tabled items/Items Without Written Agenda (Item No. 19) and consequent direction of Hon'ble Minister (UD) vide U.O. No. OSD(UD)/Min.Health/2018/6970 dated 24.08.2018 following works are included in the permissible items of works are included under the MLALAD Scheme:

Annexure A: List of Permissible Works as per existing Guidelines 2012

Sl. No.	Name of Work
1	Construction of school buildings.
2	Construction of community halls/barat ghars/chaupals, other durable assests for public use on public/government land.
3	Construction of sub-ways wherever found technically feasible.
4	Hostels specially for working women or girl schools.
5	Public libraries.
6	Construction of culverts, foot-bridges/bridges.

Sl. No.	Name of Work
7	Publie tOilets at different locations.
8	Sports complexes.
9	Crematoriums or development of burial grounds.
10	Construction of tube-wells and water tanks for providing drinking water to the people in villages, towns or cities, or execution of other works which may help in this respect.
11	Construction of roads and drains including part roads, approach roads, link roads as per approved layouts.
12	Sanitation
13	Development of parks (except earth filling, planting of saplings, apply of compost manure)
14	Computers to schools
15	Street lighting
16	Provision of Common services/community services including maintenance of group toilets, courtyard, common path and similar other services in privately owned katras subject to the stipulations that no ceiling on individual works or on total quantum of works per MLA will be imposed.
17	Bus Stop and Bus 'Q' Shelter
18	Garbage collection Centre like one's in NDMC area.
19	Solar Traffic Lights.

Sl. No.	Name of Work
20	Provision of Ambulances/Refuse Collectors
21	Rain Water Harvesting in government and public buildings and places including buildings and places of Local Bodies.
22	The funds up to the limit of Rs. 35 lakh per MLA per year shall be released on the request of the concerned MLA for Relief to the victims of Natural Disaster / National Calamity declared by the Govt, arid shall be credited into the L.G. / CM. Relief fund.
23	The development / strengthening of common areas / common facilities / common passages balconies / Courtyards / Common stairs / toilet blocks and various facilities in the slum complexes developed by Slum & JJ Department and other such residential complexes is allowed under the Scheme.
24	Shifting of HT/LT lines (funds would be released as per laid down procedure by Power Department, GNCTD)
25	Mobile vans for public library purpose only
26	Benches for public parks.
27	Porta Cabins with over 20 years of durability on Government land after obtaining NOC from the land owning agency.
28	Provision of PVC Overhead Tanks for portable water storage in J.1 Clusters and Unauthorized Colonies.

Sl. No.	Name of Work
29	Provision of Porta Cabins with durability over 20 years in areas other then NDMC and Lutyen's Zone, on Government land after obtaining NOC from land owing agencies, for use as Temporary Offices for Resident Welfare Associations. The construction of Porta Cabins will also be allowed for setting up of Kendriya Bhandar, Mother Dairy Booth, Amul and Safal Outlets etc.

Aunexure B: List of Permissible Works as per Orders of UD Department

Sl. No.	Subject
1	Installation of GynVMachine/Equipmeht in open park.
2	Permission for expenditure, for Rs. 10.00 Lakh per constituency per year for the control of Dengue.
3	Development work to be carried out in all Unauthorized Colonies.
4	Amendment in MLALAD Guidelines for execution of works under MLALAD Scheme regarding carrying out development work inside Co-operative Group Housing Societies.
5	Installation of CCTV Camera System.for Security Surveillance under MLALAD Scheme-Reg. inclusion of one new agency for installation of CCTV Camera i.e. ITI Ltd. (Under the Ministry of Information & Broadcasting)
6	Maintenance of CCTV Camera System for Security Surveillance.

Annexure C: List of Works adopted from MPLAD scheme

Sl. No.	Name of Work
1	Construction of Dining Halls and .Kitchen with Fixed Water Purifier and Solar Geyser for Mid-Day Meal Scheme.
2	Other projects for Government/ Government aided educational institutions
3	Projects for lighting of places
4	Projects of Govt. Agencies for improvement of Electricity distribution infrastructure
5	Buildings for hospitals, family welfare centers, public health care centers, ANM centers
6	Procurement of hospital equipments for Govt. hospitals and dispensaries.
7	Mobile dispensaries
8	Creches and Anganwadies
9	Procurement of Blood bank Mobile Van / Bus and associated fixed and durable assets.
10	Hearse Van
11	Other health and family welfare projects
12	Non-conventional energy system/devices for Community use
13	Construction/Renovation of community centers including construction of additional floors on the existing buildings.

Sl. No.	Name of Work
14	Construction of libraries & reading rooms
15	Buildings for cultural activities .
16	Purchase of motor boats for flood and cyclone prone areas (not for individuals)
17	Boundary walls for buildings permissible in the scheme
18	Public parks
19	Battery operated buses for Govt. agencies
20	Retrofitting of essential lifeline buildings, viz Govt, hospitals, Govt. Schools and public buildings.
21	Construction of Foot Over Bridge (FOB) over roads and Railway tracks for pedestrians.
22	Drains and gutters for public drainage
23	Garbage collection and night soil disposal Systems, earth movers including vehicles for local bodies
24	Buildings for multi-gym
25	Construction of Playfields/Sports facilities
26	Construction of Multi-Purpose Halls for Games
27	Laying of Synthetic Hockey and Football Turfs of permanent nature as per the International Standards.
28	Construction of Vyamshalas (Gymnasium/Fitness Centres)

Sl. No.	Name of Work
29	Construction of Open Air Mini Stadium
30	Other public works for sports activities
31	Sewage / Effluent Treatment Plant for Community at large & not for any individual
32	Construction of Footpaths/Pedestrian ways
33	Construction of segregated Non-Motorized Vehicle (NMV) lanes/ Cycle tracks
34	Construction of Rainwater Harvesting in Community & Parks
35	Purchase of vehicles, including school buses/vans; earth movers and equipment meant for hospitals, educational, sport, drinking water and sanitation purposes. (Only for Government establishments)
36	Welfare of Differently abled persons (upto a maximum of Rs.10 lakhs per year recommend for the purchase of tricycles (manual/ battery operated/motorized), motorized/battery operated wheelchair, hearing Aid," Spectacles and artificial limbs for differently abled deserving persons)

Annexure D: List of Works as recommended by Hon'ble MLAs

1	Construction of press Thadas & Dhobi Ghat Infrastructure.
2	Installation of Sign Board/.Barricades
3	Water Coolers in public offices, parks & religious places.

Sl. No.	Name of Work
4	Automatic barricades in residential colonies for safety
5	Security Gates including concertina coil RBT fencing in Localities
6	Boundary Wall of Residential Colonies & Societies
7	Installation of Swings & Play Structures
8	Installation of AGs, PA System, Computers & Supplying Furniture (Tables & Chairs) in Library and Reading Room

The Executing Agencies shall submit the work estimates prepared as per the GFR. CP WD manual and other orders issued by the Finance Deptt, GNCTD from time to time alongvvith the checklist.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (UD).

F.18(267)/A/UD/Plg./2012/5081-5110 Joint Director (Plg.)

Dated: 10-09-2010

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG, Raj Niwas, Delhi
2. Secretary to Hon'ble C.M, Delhi
3. Secretary to Hon'ble Dy. C.M, Delhi
4. Secretary to Hon'ble Speaker, Vidhan Sabha, Delhi with the request to inform all the Hon'ble Members of Legislative Assembly
5. Secretary to Hon'ble Minister (Development, Labour, GAD), Delhi
6. Secretary to Hon'ble Minister (Revenue, Transport, IT, A-R & Law), Delhi

7. Secretary to Hon'ble Minister (Tourism, Education, Finance, Planning & others), Delhi
8. Secretary to Hon'ble Minister (Food & Supply, Environment & Forest), Delhi
9. Secretary to Hon'ble Minister (Social Welfare, SC & ST), Delhi
10. OSD to Chief Secretary, GNCTD, Delhi Seelt., New Delhi
11. Pr. Secretary (Finance), GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi
12. Pr. Secretary (Planning), GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi .
13. Secretary, (I&FC),GNCTD3 L.M Bund Office Complex, Shastri Nagar, Delhi
14. Pr. Secretary, Public Works Department, 5th Level, B Wing, Delhi Secretariat, LP. Estate, New Delhi-002
15. Secretary, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Parliament Street, New Delhi-11000
16. Secretary, Power Department, GNCTD, 8th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi
17. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
18. Commissioner, North DMC, Dr. SPM Civic Centre, JLNMarg, New Delhi.
19. Commissioner, South DMC, Dr. SPM Civic Centre, JLN Marg, New Delhi.
20. Commissioner, East DMC, Plot No.419, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092

21. Chief Executive Officer (Delhi Cantt. Board DCB), Office of Cantonment. Board, Sadar Bazar, Delhi Cantt., Delhi-110010

22. Managing Director (DSTIDC), Delhi State Industrial And Infrastructure Development, Bombay Life'Bui I'd in g, Cannaught Place, New Delhi-110001

23. Chief Executive Officer (DUSIB), GNCTD, Punarwas Bhawan, LP. Estate, New Delhi, Delhi-02

24. Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi-110005

25. Managing Director, ICS1L. Administrative Building, Above Post Office, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi, Delhi 110020

26. Managing Director (DTTDC), Delhi Tourism And Transport Development Corporation, 18-A, D.D.A. SCO Complex, Defence Colony, New Delhi-110024

27. Special Director General (HQ) (CPWD), Central Public Works Department, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110108

28. Assistant Programmer, Urban Development Department, GNCTD, 9 Level, Delhi Secretariat, New Delhi, with the request to upload on the departmental website.

Copy for information to:

1. Secretary to Minister (UD), UD Department, GNCTD, Delhi Sectt., Delhi

2. PS to Pr Secretary (UD), GNCTD, UD Department, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

Joint Director (Plg.)

Govt. of NCT of Delhi
Urban Development Department
10th Level: Delhi Sachivalya
I.P. Estate: New Delhi - 110002

F.18(267)/A/UD/Plg./2012/5498-5527 Dated: 05/10/2018

Corrigendum

Consequent upon the directions of Hon'ble Minister (UD) and in partial modification to this office order No. F.18(267)/A/UD/Plg./2012/ 5.081-5110 dated 10.09.2018 conveying the list of permissible works included under the MLALAD Scheme, the work namely **"Shifting of HT/LT lines (funds would be released as per laid down procedure by Power Department, GNCTDV"** mentioned at Sl. No. 24 in the table Annexure 'A' of the above said order is substituted with the following:

"HT/LT Lines in all types of colonies, including approved colonies"

Rest of the contents of the above referred order dated 10.09.2018 shall remain unchanged.

Joint Director (Plg.)

Dated: 05-10-2018

F.18(267)/A/UD/Plg./2012/5498-5527 Dated : 05/10/18

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG, Raj Niwas, Delhi
2. Secretary to Hon'ble CM, Delhi
3. Secretary to Hon'ble Dy. CM, Delhi

4. Secretary to Hon’ble Speaker, Vidhan Sabha, Delhi with the request to inform all the Hon’ble Members of Legislative Assembly

5. Secretary to Hon’ble Minister (Development, Labour, GAD), Delhi

6. Secretary to Hon’ble Minister (Revenue, Transport, IT, AR & Law), Delhi

7. Secretary to Hon’ble Minister (Tourism,’Education, Finance, Planning & others), Delhi

8. Secretary to Hon’ble Minister (Food & Supply, Environment & Forest), Delhi

9. Secretary to Hon’ble Minister (Social Welfare, SC & ST), Delhi fill

10. OSD to Chief Secretary, GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi

11. Pr. Secretary (Finance), GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi

12. Pr. Secretary (Planning), GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi

13. Secretary, (I&FC),GNCTD, L.M Bund Office Complex, Shastri Nagar, Delhi

14. Pr. Secretary, Public Works Department, 5th Level, B Wing, Delhi Secretariat, LP. Estate, New Delhi-002

15. Secretary, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Parliament Street, New Delhi-110001

16. Secretary, Power Department, GNCTD, 8th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi

17. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
18. Commissioner, North DMC, Dr. SPM Civic Centre, JLN Marg, New Delhi.
19. Commissioner, South DMC, Dr. SPM Civic Centre, JLN Marg, New Delhi.
20. Commissioner, East DMC, Plot No.419, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092
21. Chief Executive Officer (Delhi Cantt. Board DCB), Office of Cantonment Board, Sadar Bazar, Delhi Cantt., Delhi-110010
22. Managing Director (DSIIDC), Delhi State Industrial And Infrastructure Development, Bombay Life Building, Cannaught Place, New Delhi-110001
23. Chief Executive Officer (DUSIB), GNCTD, Punarwas Bhawan, LP. Estate, New Delhi, Delhi-02
24. Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi-110005
25. Managing Director, ICSIL. Administrative Building. Above Post Office, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi, Delhi 110020
26. Managing Director (DTTDC), Delhi Tourism and Transport Development Corporation. 18-A. D.D.A. SCO Complex, Defence Colony, New Delhi-110024
27. Special Director General (HQ) (CPWD), Central Public Works Department. A-Wing. Nit-man Bhawan, New Delhi-110108

28. Assistant Programmer, Urban Development Department, GNCTD, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi, with the request to upload on the departmental website.

Copy for information to:

1. Secretary to Minister (UD), UD Department, GNCTD, Delhi Sectt., Delhi.

2. PS to Pr Secretary (UD), GNCTD, UD Department, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi- 110002

32. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बिजली कम्पनी द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन को आधार कार्ड से के.वाई.सी. लिंक किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो जिन उपभोक्ताओं का के वाई.सी. किया गया, उनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि बिजली कम्पनियों द्वारा अनाधिकृत कालोनी में बिजली के कनेक्शन देने में आना–कानी की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली की हाई टेंशन तार हटवाने के लिए किस विधान सभा क्षेत्र को कितना बजट दिया है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन को आधार कार्ड से के.वाई. सी. लिंक नही किया गया है;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(ग) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में तकनीकी व्यवहार्यता (Technical feasibility) के अनुसार कनेक्शन जारी किये जाते है। हालाँकि, कनेक्शन केवल उन मामलों में जारी नहीं किये जा रहे है जहाँ आवेदक ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 (संशोधन के साथ) के अनुसार टी.पी.डी.डी.एल. नेटवर्क का अवैध अतिक्रमण किया है या जहॉ नेटवर्क वृद्धि के लिए नए ट्रांसफॉर्मर/पोल को लगाने पर सार्वजनिक प्रतिरोध है; और

(घ) उर्जा विभाग द्वारा दिल्ली की हाई एवं लो टेंशन बिजली की तारों को हटवाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

33. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के सभी बिजली मीटर आवेदकों का विवरण उपलब्ध करें;

(ख) इनमें से कितने मीटर लगने अभी तक लम्बित हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध करें;

(ग) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 2015 से 2019 तक कितने ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं; और

(घ) कितने पेंडिंग है, लिस्ट के साथ पूरा ब्यौरा दें?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) बी.आर.पी.एल. द्वारा सूचित किया गया विवरण इस प्रकार हैः

आवेदन स्थिति	अप्रैल 19	मई 19	जून 19	जुलाई 19	अप्रैल से जुलाई 19
निष्पादित	301	212	218	259	990
अस्वीकृत	269	240	346	391	1246
विचाराधीन	10	35	47	33	125
कुल	580	487	611	683	2361

(ख) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि 125 मीटर लगने अभी तक लम्बित हैं जिसकी सूची संलग्न * है (संलग्नक 'क');

(ग) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 2015 से 2019 तक 26 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं; और

(घ) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि भूमि की कमी के कारण 20 ट्रांसफार्मर लगाए जाने लम्बित है जिसकी सूची संलग्न है (संलग्नक 'ख');

34. श्री एस.के. बग्गाः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में 01.04.2017 से 30.06.2019 तक बिजली के कितने नये कनैक्शन के दिये गये हैं;

(ख) इस क्षेत्र में कितने उपभोक्ताओं की और एक लाख से उपर की रकम बकाया हैं;

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) पिछले एक माह के भीतर ऐसे जिन उपभोक्ताओं के चैक वापस आये हैं या जिनकी और रकम बकाया है, उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) कृष्ण नगर विधानसभा में चैक वापिस आने पर या भुगतान न करने पर कितने उपभोक्ताओं के बिजली के कनैक्शन काटे हैं; उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) इस क्षेत्र में दो लाख से उपर की बकाया राशि वाले जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. की गई है, इसका पूरा विवरण क्या है;

(च) इस विधान सभा क्षेत्र में बिजली की बकाया रकम के लिये चल रहे कोर्ट केसों की संख्या व इसमें एन्वाल्व राशि का पूर्ण विवरण क्या है;

(छ) इस विधान सभा क्षेत्र में 2017—18, 01.04.2018 से 30.06.2018 तक इन्फोर्समेंट ब्रांच ने कितने छापे मारे में तथा इसमें कितनी रकम इन्वॉल्व है; पूर्ण विवरण दें;

(ज) नये बिजली मीटर का कनैक्शन कितने दिनों में उपभोक्ता को दिया जाता है; और

(झ) नये बिजली मीटर कनैक्शन के लिये क्या—क्या डॉक्यूमेंटस रिक्वायर्ड है;

(ञ) इस विधानसभा के झुके हुए तथा खराब हाल वाले बिजली के खम्भों की संख्या और उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(ट) ऐसे मामलों में शिकायत करने पर कितने दिन में शिकायत की सुनवाई होती है; और

(ठ) ऐसे खम्भों को कितने दिन बाद बदलते हैं?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि कृष्णा नगर डिविजन में 01.04.2017 से 30.06.2019 तक 15239 बिजली के नये कनेक्शन जारी किये गए हैं;

(ख) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि क्षेत्र के 198 उपभोक्ताओं पर एक लाख से उपर की रकम बकाया हैं;

(ग) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि पिछले एक माह के दौरान 258 उपभोक्ताओं के चैक बाउंस हुए है जिनकी कुल राशि रु. 37.50 लाख रुपये है;

(घ) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि कृष्णा नगर विधानसभा में चैक वापिस आने पर या भुगतान न करने पर 50 उपभोक्ताओं के बिजली के कनैक्शन काटे गए हैं;

(ङ) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि क्षेत्र में दो लाख से ऊपर की बकाया राशि वाले 141 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. की गई है, विवरण संलग्न* है। (संलग्नक 'क');

(च) बी.वाई.पी.एल. द्वारा विधानसभा क्षेत्र में इन्फोर्समेंट छापों का दिया गया ब्यौरा इस प्रकार हैः

वर्ष	केस	राशि
2017—18	1936	9.14 करोड़ रुपये
01.04.18 से 30.06.18	205	0.65 करोड़ रुपये

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(छ) डी.ई.आर.सी. द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियमन 11 (4) में निर्दिष्ट हैं। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'ख'); और

(ज) डी.ई.आर.सी. द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को समय–समय पर संशोधित डी. ई.आर.सी. आदेश दिनांक 31.08.2017 के संलग्न–1 में निर्दिष्ट किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक 'ग')

(ञ) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि विधानसभा क्षेत्र में झुके हुए तथा खराब हाल वाले 12 बिजली के खम्भे हैं जिनका विवरण संलग्न है (संलग्नक 'घ')

(ट) और (ठ) बी.वाई.पी.एल. ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। क्षतिग्रस्त/खतरनाक बिजली के खम्भों को एक से दो दिन में बदल दिया जाता है।

35. श्री प्रकाश जारवालः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देवली विधानसभा क्षेत्र में कोई बिजली घर बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां तो यह कहां पर और कब तक बनाया जायेगा;

(ग) इस पर अनुमानित व्यय राशि और कार्य आदेश पत्र की कापी उपलब्ध की जाए; और

(घ) इसकी सेवाएं कब से शुरू होंगी?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि देवली विधानसभा क्षेत्र में 66/11KV ग्रिड सब–स्टेशन निर्माणाधीन है;

(ख) यह ग्रिड सब–स्टेशन संगम विहार (नियर बंद रोड़) में बन रहा है तथा इसके 15 दिसंम्बर, 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि सब–स्टेशन और 66 KV इनकमिंग फीड की स्थापना के लिए डी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित कुल लागत रूपये 47.26 करोड़ है; और

(घ) इसकी सेवाएं 15 दिसंम्बर, 2019 से शुरू होने की संभावना है।

36. श्री पवन कुमार शर्माः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार की 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का लाभ दिल्ली में किराए पर रह रहें निवासियों तक भी पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वो क्या प्रावधान है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किराएदारों को इस योजना का लाभ देने के लिए दिल्ली सरकार की योजना प्रक्रिया में है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जाएगी?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) से (ग) ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मालिक/किरायेदार दोनों ले सकते है। किरायेदारों के लिए इसमें अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'क'), यद्यपि डीईआरसी (आपूर्ति कोड और निष्पादन मानक) विनियम, 2017 और समय–समय पर संशोधित डीईआरसी आदेश दिनांक 31.08.2017 में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने पर वितरण लाइसेंसधारी से किरायेदार अलग बिजली कनेक्शन लेने का पात्र हैं, प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक 'ख'); और

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Power)
Delhi Secretariat, 8th Level, B-wing
New Delhi-110002

F-11(111)/2012/Power/Vol.-II/2098 Dated: Aug 07/2019

ORDER

In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Council of Ministers of the National Capital Territory of Delhi vide Decision No.2724 dated 01.08.2019 has approved the following regarding electricity subsidy to domestic consumers of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, consuming upto 400 units (kWh) per month for the financial year 2019-20:-

(i) To extend the electricity subsidy to domestic consumers, @ Rs 2/-per unit on energy charges for the consumption in the slab of 0-400 units and additional subsidy of Rs 100 per connection per month to domestic consumers, having consumption upto 100 units/month, of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, for the period from 1st April 2019 to 31st July 2019, in terms of Cabinet decision No. 2567 dated 09.05.2018

(ii) To extend electricity-subsidy, irrespective of the load, of entire bill amount comprising of fixed charges, energy charges, PPAC, all surcharges and electricity tax of domestic consumers of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna

Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, utilizing upto 200 units in a month during the period from 1st August 2019 to 31st March 2020.

(iii) To extend electricity subsidy of upto Rs 800 per month to the domestic consumers of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, utilizing 201 units to 400 units per month during the period from 1st August 2019 to 31st March, 2020. This category of consumers will not get subsidy at (ii) above.

(iv) DERC to provide trued up figures of subsidy released by GNCTD to the DiSCOMs for the purpose.

(v) DERC to see the fact, through DiSCOMs that electricity connections are not getting sptitted by the consumers in the same premises owner just to avail the benefit of subsidy. Appropriate administrative check and balances be put in place to see that genuine consumers are getting the benefits of subsidy.

(vi) DERC to conduct special audit through external auditor of subsidy released to DISCOMs vis-a-vis actually passed on to the account.

(vii) No subsidy shall be provided to domestic consumers consuming, more than 400 units per month.

(viii) The DISCOMs have not made payment of their outstanding dues of ‘ GNCTD owned utilities viz. DTL and IPGCL-PPCL The cumulative outstanding amount from DISCOMs as on 12.06.2019 is Rs. 13401 Crores (approx). The entire amount of subsidy to be released to DISCOMs shall be credited to

account of IPGCL, PPCL and DTL to the extent of outstanding dues of DISCOMs to these companies.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Power.

(J.S. Rana)
Dy. Secretary (Power)

No. F.11(111)/2012/Power/Vol-II/2098 Dated:- 07/08/2019

To,

The Secretary,
Delhi Electricity Regulatory Commission,
Viniyamak Bhawan, C-Block,
Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110070

Copy to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi
2. OSD to Hon'ble Minister of Power, GNCTD
3. OSD to the Chief Secretary, GNCTD
4. PS to Pr. Secretary (Finance), GNCTD
5. PS to Secretary (Power), GNCTD
6. PS to Spl. Secretary (Power), GNCTD
7. Secretary, NDMC
8. C.E.O, BRPL
9. C.E.O, BYPL
10. C.E.O, TPDDL

(J.S. Rana)
Dy. Secretary (Power)

संलग्नक–ख

CHAPTER - III

NEW AND EXISTING CONNECTIONS

10. New and Existing Connections:-

(1) General:-

(i) The Licensee shall upload all the forms and formats prescribed under these Regulations on its website.

(ii) The Licensee shall make appropriate arrangements for filing and accepting the application by the applicant both in hard copy as well as online.

(iii) The applicant may file the application either online or in hard copy:

Provided that where the hard copy of application is submitted by hand, the Licensee shall verify the application on the spot and if found in order, acknowledge through dated receipt, and if found deficient, issue a written note regarding shortcomings in the application:

Provided further that where application is sent by registered post or speed post at correct postal address, the deficiency if any, shall be sent to the applicant within 2(two) days of receipt of application through registered post or speed post at correct postal address or on registered mobile number through SMS:

Provided also that where the application is submitted online, a system generated acknowledgement shall be issued

forthwith and in case of any deficiency same shall be intimated to the applicant within 2 (two) days of the receipt of the application on registered mobile number through SMS or registered e-mail address, as the case may be.

(iv) The Licensee shall prominently display consumer related information at its website and all its offices:

Provided that no other document or the charges, which have-not been listed, shall be required from the applicant.

(v) On the request of applicant, an independent electric connection shall be given to the owner/lawful occupant on each floor of the premises.

(vi) Wherever, one dwelling unit has been sub-divided and separate kitchen as well as separate entry is available, second electric connection may be given to the lawful occupant.

(vii) The electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or titles over the premises.

(2) Proof of identity of the applicant:-

Any of the following documents shall be accepted as proof of identity:-

(i) electoral identity card;

(ii) passport;

(iii) driving license;

(iv) ration card having photograph;

(v) Aadhar card;

(vi) PAN card;

(vii) photo identity card issued by any Government agency;

(viii) If the applicant is an organization, certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar and proof of authorization /resolution of Board for authorizing the person.

(3) Proof of ownership or occupancy of the premises:

Any of the following documents shall be accepted as the proof of ownership or occupancy of premises:-

(i) certified copy of title deed;

(ii) certified copy of registered conveyance deed;

(iii) General Power of Attorney (GPA);

(iv) allotment letter/possession letter;

(v) valid lease agreement alongwith undertaking that the lease agreement has been signed by the owner or his authorized representative;

(vi) rent receipt not earlier than 3 (three) months alongwith undertaking that the rent receipt has been signed by the owner or his authorized representative;

(vii) mutation certificate issued by a Government body such as Local Revenue Authorities or Municipal Corporation or land owning agencies like DDA/L&DO;

(viii) sub-division agreement;

(ix) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises.

(4) Sub-divided Property:-

(i) Where property/premises have been legitimately sub-divided, the owner/occupier of the respective portion of such sub-divided property shall be entitled to obtain independent connection in his name.

(ii) The Licensee shall provide the connection, to the applicant of respective portion of the legitimately sub-divided property, on payment of outstanding dues on pro-rata basis for that portion, based on the area of such sub-division or as mentioned in sub-division agreement, and the Licensee shall not deny connection to such applicant on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicant(s).

(5) Reconstruction of Existing Property:-

In case of complete demolition and reconstruction of the premises or the building following shall apply:

(i) Supply of electricity from existing connection shall not be allowed to be used and same shall have to be essentially.

37. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में पथप्रकाश के रख–रखाव के लिये उर्जा विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) हिरण कूदना से नीलवाल और नीलवाल से बक्करवाला रोड पर की गयी पथ प्रकाश की व्यवस्था काम क्यों नहीं कर रही है;

(ग) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के शिव विहार, निजामपुर, जैन नगर, आनंद पुर धाम से हाई टेंशन लाईन हटाने की विधायक कार्यालय द्वारा संस्तुति की स्थिति क्या है;

(घ) इस हाई टेंशन लाईन हटाने में इतना अधिक विलंब क्यों किया जा रहा है;

(ङ) टीकरी कलां स्थित दिल्ली ट्रांसको लि. पावर संयंत्र से हिरण कुदना, टीकरीकलां, नीलवाल को बिजली ने दिये जाने के क्या कारण हैं;

(च) 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में कितने डार्क स्पाट को नॉन डार्क स्पाट में परिवर्तित किया गया है, पूरा ब्यौरा दीजिए;

(छ) घरेलु/वाणिज्यिक प्रयोग के लिए कोई विद्युत कनेक्शन हाई टेंशन लाईन से कितनी दूरी तक नहीं मिल सकता है; और

(ज) 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन कराने वाले ग्राहकों के विवरण क्या है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में पथप्रकाश के रख–रखाव की ऊर्जा विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है;

(ख) टी.पी.डी.डी.एल. एवं बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि पी. डब्ल्यु.डी. और उत्तरी नगर निगम द्वारा हिरण कुदना से लेकर नीलवाल रोड तक लाइटें लगाई गई हैं और अभी तक इसका रख–रखाव डिस्कॉम को नहीं सौंपा गया है। नीलवाल से बक्करवाला रोड़ तक स्ट्रीट लाईट का रख–रखाव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित है;

(ग) और (घ) ऊर्जा विभाग में उपलब्ध मुण्डका विधान सभा क्षेत्र की हाई टेंशन लाईन हटाने की विधायक की संस्तुति की स्थिति संलग्न* है। (संलग्नक 'क')

(ङ) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि टीकरी कलां स्थित दिल्ली ट्रांसको लि. पावर संयंत्र/बी.आर.पी.एल. ग्रिड से हिरण कुदना, टीकरीकलां, नीलवाल में पिछले 5 साल से बिजली सप्लाई की जा रही है;

(च) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में 2015 से एम.एल.ए. फंड के द्वारा 13 स्ट्रीट लाईट (High mast fitting) लगाई गई है तथा टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि लगभग 150 स्ट्रीट लाईट ग्राम जोंटी और जीमरपुरा रोड पर एम.पी.लैड (MPLAD) फंड द्वारा लगाई गई है;

(छ) डी.ई.आर.सी. ने सूचित किया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर संशोधित विद्युत आपूर्ति विनियम, 2010 और सुरक्षा से संबंधित अपने उपायों में विद्युत आपूर्ति लाइनों और परिसर के बीच में न्यूनतम दूरी बनाए रखने के बारे में निर्दिष्ट किया है प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक 'ख')

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ज) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि लगभग 1600 वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन 01.01.2015 से जारी किये गये है और टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01.01.2015 से कुल 1077 गैर घरेलु श्रेणी में नये कनेक्शन जारी/परिवर्तित किये गए हैं।

38. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिक्स चार्ज, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जिस तथा पेन्शन ट्रस्ट चार्ज सहित सभी तरह के सरचार्जों के रूप में 30 जून, 2019 तक बिजली कम्पनियों ने कितनी राशि प्राप्त की;

(ख) डी.ई.आर.सी. द्वारा फिक्स्ड चॉर्जेज घटाए जाने का क्या आधार था;

(ग) क्या सरकार बिजली उपभोक्ताओं से वसूल किया गया बढ़ा हुआ उपरोक्त फिक्स्ड चार्ज वापिस दिलवाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह फिक्स्ड चॉर्ज कब तक वापस कर दिया जाएगा?

माननीय ऊर्जा मंत्री: (क) बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा दिया गया ब्यौरा इस प्रकार है (अप्रैल 2019 से जून 2019):

कम्पनी	बी.आर.पी.एल.	बी.वाई.पी.एल.	टी.पी.डी.डी.एल.
फिक्स. चार्ज (करोड़ रु. में)	490	86.06	354.19
पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (करोड़ रु. में)	108	43.99	72.91

कम्पनी	बी.आर.पी.एल.	बी.वाई.पी.एल.	टी.पी.डी.डी.एल.
पेन्शन ट्रस्ट चार्ज (करोड़ रु. में)	93	37.40	61.48
डेफिसिट रेवेन्यु सरचार्ज (करोड़ रु. में)	203	78.96	129.58

(ख) डी.ई.आर.सी. द्वारा सूचित किया गया है कि आयोग डी.ई.आर.सी. (नियम और शर्तें टैरिफ निर्धारण के लिए) विनियम, 2017 और डी.ई.आर.सी. (बिजनेस प्लान) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के समय विभिन्न श्रेणियों के लिए ट्रैरिफ को उचित रूप से संशोधित करता है;

(ग) जी नहीं; और

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

39. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनकपुरी के महावीर एन्क्लेव में 4 मंजिल और 5 मंजिल के मकानों को 2018 से 2019 में कितने नये बिजली के कनेक्शन दिए गये सम्पूर्ण विवरण दें;

(ख) इनमें से कितने मकानों से फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, सबकी कॉपी उपलब्ध करें;

(ग) उत्तम नगर टर्मिनल के आस–पास कितने कनेक्शन सड़क पर दिए गए हैं, पते के विवरण सहित पूर्ण विवरण दें;

(घ) बी.एस.ई.एस. द्वारा 2018 से 2019 तक जनकपुरी में लगाए गए नये ट्रांसफार्मर, बदले गये केबल्स, कंडक्टर का विवरण देते हुए इस पर आयी लागत का पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि बी.एस.ई.एस. के दफ्तर के बाहर बैठने वाले एजेंट्स को विभाग द्वारा परमिशन दी है;

(च) अगर हां, तो किन–किन को किस आधार पर परमिशन दी गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन्हें कार्यालय के बाहर क्यों बैठने दिया जाता है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि लगभग 1500 मकानों को डी.ई.आर.सी. के दिशानिर्देशानुसार बिजली के कनेक्शन जारी किये गये हैं। विवरण संलग्न है (संलग्नक * 'क');

(ख) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि डी.ई.आर.सी. के दिशानिर्देशानुसार इनमें से किसी मकान से फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि उत्तम नगर टर्मिनल के आस–पास सड़क पर 08 अस्थाई (Temporary) कनेक्शन दिए गए है;

(घ) बी.आर.पी.एल. द्वारा दी गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक 'ख');

(ङ) जी नहीं, बी.एस.ई.एस. (बी.आर.पी.एल.) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किसी भी एजेंट को परमिशन नहीं दिया गया है;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है; और

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(छ) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी भी एजेंट/व्यक्ति को अपने कार्यालय के अन्दर बैठने की अनुमति नहीं दी है।

40. सुश्री अलका लाम्बाः क्या **माननीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2012 में सरकार कौन सी बिजली कंपनी से किन दरों पर बिजली लेती थी;

(ख) 2019 में दिल्ली सरकार किस कंपनी से किन दरों पर बिजली ले रही है; और

(ग) 2012 में सरकार बिजली कंपनीज को कितनी सब्सिडी देती थी और 2019 में दिल्ली सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः (क) वित्त वर्ष 2012–13 के लिए बी.आर.पी. एल. बी.वाई.पी.एल. और टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा वास्तविक बिजली खरीद लागत के संबंध में वांछित जानकारी संलग्न हैं प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'क');*

(ख) वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बी.आर.पी.एल. बी.वाई.पी.एल. और टी.पी.डी.डी.एल. के लिए दीर्घकालिक बिजली खरीद की अनुमानित लागत के संबंध में वांछित जानकारी संलग्न है। प्रतिलिपि संलग्न (संलग्नक 'ख'); और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा 2012 और 2019 में जारी की गई बिजली सब्सिडी का ब्यौरा इस प्रकार है :

2011–12	210 करोड़ रुपये
2018–19	1699.29 करोड़ रुपये

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

41. श्री जितेंद्र सिंह तोमरः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के साथ से गुजरने वाले गंदे नाले (नजफगढ़ ड्रेन) पर पिछले कई वर्षों से इंटरसेप्टर लगाने की योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ये कार्य कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है तथा कब तक इस कार्य के पूरे होने की संभावना;

(ग) क्या यह सत्य है कि कर्मपुरा तक इंटरसेप्टर का कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) इस क्षेत्र के साथ लगने वाले गंदे नाले का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) जी हां;

(ख) यह कार्य 89.60 प्रतिशत हो चुका है तथा दिसंबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) जी नहीं; और

(घ) कर्मपुरा क्षेत्र में लगने वाले नाले के ट्रेपिंग का कार्य दिसंबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

42. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के साथ से गुजरने वाले गंदे नाले (नजफगढ़ ड्रेन) की त्रिनगर साइड की दीवार की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है;

(ख) क्या इस दीवार की मरम्मत करवाकर इस पर चित्रकारी करवाने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) इस दीवार को कब तक ठीक कर दिया जाएगा; और

(घ) क्या गंदे नाले के किनारों पर वृक्षारोपण करवाकर प्रदूषण को कम करने की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास कोई योजना है?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) त्रिनगर साइड की दीवार का पलस्तर जगह–जगह पर टूटा है जिसकी मरम्मत करवाने की प्रक्रिया जारी है;

(ख) मरम्मत शीघ्र करा दी जायेगी। फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना नहीं है;

(ग) मरम्मत का कार्य शीघ्र करा दिया जाएगा; और

(घ) त्रिनगर विधानसभा के नाले की त्रिनगर साइड में जगह उपलब्ध न होने के कारण इस जगह वृक्षारोपण संभव नहीं है लेकिन नजफगढ़ नाले के दायीं तरफ इन्द्रलोक रोड से शास्त्री नगर पुल तक वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।

43. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग के सी.डी.–02 द्वारा पिछले 04 वर्षों में किए गए सभी कार्यों की सूची उपलब्ध करवाई जाए;

(ख) क्या यह सत्य है कि विभाग के सी.डी.–02 द्वारा नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने हेतु पिछले 4 वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कुल कितना पैसा खर्च किया गया व ड्रेन का कुल कितना हिस्सा साफ हुआ, पूर्ण जानकारी दें;

(घ) क्या यह सत्य है कि विभाग के सी.डी.–2 द्वारा 89 दिन के मस्टर रोल पर रखे गए कर्मियों को मिनिमम वेज के अनुसार वेतन नहीं मिला, पूर्ण जानकारी दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग की सी.डी.–02 के अंतर्गत आने वाली नजफगढ़ ड्रेन, बुध विहार के पास ड्रेन में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंच रहा है और नाली का दूषित पानी और अधिक दूषित हो रहा है; और

(च) विभाग के सी.डी.–02 में कुल कितने अधिकारी कब–कब से कार्यरत हैं, उनकी पूर्ण सूची उपलब्ध करवाई जाए?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) सूची 'क' संलग्न है;

(ख) जी नहीं, विभाग द्वारा नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने हेतु पिछले 4 वर्षों में कुल 60.17 लाख रुपये खर्च किए गए हैं;

(ग) उपरोक्तानुसार नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने हेतु पिछले 04 वर्षों में कुल 60.17 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। यह राशि ड्रेन के कुल 12 किलोमीटर (बसईदारापुर से यमुना आउट फॉल तक) के हिस्से पर खर्च की गई। इस कार्य को टेंडर प्रक्रिया के अन्तर्गत आबंटित किया गया;

(घ) नहीं, यह सत्य नहीं है;

(ङ) इस विभाग के अन्तर्गत बुध विहार में नजफगढ़ ड्रेन नहीं आती; और

(च) सूची 'ख' संलग्न है।

सुचि–क

List of works of cleaning of NG drain done by CD-II in last 04 year

Sl. No.	Name of work	Rs. in Lacs
1	Name of Work:- A/R. & M/O N.G. Drain. Sub work:- Carraige of slush /malba/earth excavated by mechanical division from the left side of N.G. drain from G.T. Road bridge to Roop Nagar.	Rs. 13,36,922/-
2	Name of Work:- A/R. & M/O N.G. Drain. Sub work:- Removal of rubbish malba from Mall road bridge along NG Drain Bank.	Rs. 2,15,315/-
3	Name of Work:- A/R & M/O N.G. Drain. Sub work:- Carraige of earth/desilted material from (near manohar Park office complex) left bank, of NG Drain and banking at Right Bank of NG Drain from PWD bridge to Shastri Nagar Bridge.	Rs. 4,97,817/-
4	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind ol floating material, garbage, hyacinth, patera wild grass obstructions i.e. dead animals, trees etc. from water surface of the drain to maintain free flow ol water by collecting and its further disposal to the SLF of North MCD for one year from RD 49450m to RD 57106m.	Rs. 10.38 lacs

Sl. No.	Name of work	Rs. in Lacs
5	Carriage of desilted material from up stream or Punjabi Bagh of NG Drain by mechanical transport and banking at right bank of NG Drain from PWD bridge to Shastri Nagar Bridge.	Rs. 11.73 lacs.
6	Comprehensive maintenance of NG Drain from RD 45136m to RD 49450m by collecting all kind of floating material, garbage, clearing of hyacinth, removal of obstruction, etc. from water surface of the drain to maintain free flow and clearing of all vegetation along the bank slope including supply & installation of floating trash barrier at RD 46175 for collecting and its further disposal to the SLF of North MCD.	Rs. 17.56 lacs
	Total expenditure	Rs. 60.17 lacs

सुचि–ख

List of officer posted in CD-II

Sl. No.	Name of Employee	Date of Posting in CD-II
1.	Sh. Sudheer Kumar Arya, EE	09.11.2017 to till date
2.	Sh. Resham singh, AE	12.06.2017 to till date
3.	Sh. Rashid Ali, AE	08.06.2017 to till date
4.	Sh. J. P. Sharma, AE	02.11.2077 to till date

Sl. No.	Name of Employee	Date of Posting in CD-II
5.	Sh. Z. A. Khan, AE (Under Posting)	05.06.2013 to till date
6.	Sh. Satish Kumar, JE	17.08.2012 to till date
7.	Sh. Pranav Kumar Jha, AAO	11.08.2017 to till date

(Sudheer Kumar Arya)
Executive Engineer, CD-II

44. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में 01–01–2015 से अब तक एम. एल.ए. लैंड फंड के अंतर्गत व विभाग द्वारा किये गये विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दें;

(ख) आउटर रिंग रोड से ख्याला ब्रिज तक नाले के साथ जाने वाली सड़क कब तक बनाने की योजना है; और

(ग) इस सड़क पर स्ट्रीट लाईटस लगवाने के लिए विभाग की क्या योजनाएं हैं।

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) इस विभाग के अन्तर्गत तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में 01–01–2015 से विधायक कोष राशि से किये गए कार्यों का ब्यौरा (सूची 'क') में संलग्न है;

(ख) इस विभाग के अन्तर्गत आउटर रिंग रोड से ख्याला ब्रिज तक नाले के साथ जाने वाली सड़क का कार्य करने का निर्णय कर दिया गया है और वर्षा ऋतु के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) इस सड़क पर सोलर स्ट्रीट लाईट्स लगवाने के लिए एक योजना जल्द ही तैयार करके TAC को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

सुचि–क

Works Completed / in progress in Tilak Nagar AC-29 From Jan 2015-July 2019, Civil Division No.l

Sl. No.	Name of work	A/A& E/S amount and date	Name of Agency	Stipulated date of start	Stipulated date of comple-tion	Expen-diture incu-rred (Rs. in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
M.L.A Fund							
1.	Providing and fixing of steel gates at TilakVihar in Tilak Nagar Assembly Constituency.	6.79 2.7.15	M/s Gargi Construction Corp.	17.10.15	16.12.15	6.06	Work Completed
2.	Raising of boundary wall on Triveni Apartment in Vikaspuri in Tilak Nagar Assemoly Constituency. AC-29.	7.93 4.8.16	M/s Balaji Construction	14.11.16	12.1.17	5.76	Work Completed

3.	Reconstruction of street with interlocking tiles under stairs of Gujranwala society in Vikaspuri of Tilak Nagar Assembly Consitituency.	31.10 6.7.16	Shri Aditya Pratap Singh	5.10.16	3.12.16	19.56	Work Completed
4.	Reconstruction of roads in Gujranwala Society in Vikaspuri of Tilak Nagar Assemoly Constituency-AC-29	21.15 10.8.16	Shri Harvinder Singh	14.10.16	12.11.16	-	Work Completed
5.	Providing and fixing of steel gates at 1/6 Ashok Nagar in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29 Agency:	4.22 20.8.16	M/s Shiv Shankar Enterprises	20.10.16	17.12.16	2.00	Work Completed
6.	Reconstruction of boundary wall by providing and fixing marble grit plaster in Gujranwala Society in Vikaspuri of Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.	12.42 19.9.16	M/s Shivam Builders	2.12.16	30.1.17	5.51	Work Completed

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Providing and fixing interlocking tiles and kota stone flooring in S.B.I. Enclave in Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.	28.90 2.11.16	M/s C.S. Construction Co.	18.1.17	18.3.17	22.58	Work Completed
8.	Providing and laying R.M.C. on existing road, construction of drain and rain water harvesting pits in Antariksh Apartment, Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.	54.19 3.6.2017	M/s Satish Panwar	13.8.17	11.11.17	53.78	Work Completed
9.	Providing and fixing outdoor exercise fitness equipment (Open Gym) in P.M. Society Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency-29.	11.05 21.7.17	M/s Kunaj Enterprises	14.9.17	13.10.17	10.28	Work Completed
10.	Improvement of internal roads	34.21	M/s Kunaj	21.9.17	19.12.17	34.20	Work

	& raising of boundary wall in Himgiri Apartment Vikaspuri Ward No.116 of Tilak Nagar AC-29	21.7.17	Enterprises				Completed
11.	Providing and laying RMC on the existing raod in Brotherhood Apartment Vikas Puri Ward No 116 in Tilak Assembly Constituency -29	42.75 21.07.17	Sh. Om Prakash	28.09.17	26.11.17	31.71	Work Completed
12.	Improvement of internal roads in N.P.L. Society Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.	Rs. 18.12 3.8.17	M/s S.P. Builders	13.10.17	9.12.17	17.29	Work Completed
13.	Reconstruction of boundary wall by providing and fixing marble grit plaster at Bijli Co-operative Group Housing Society/Ujjwal Apartments, Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency.	5.00 26.9.17	M/s Sachin Enterprises	16.12.17	13.2.18	3.40	Work Completed

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Reconstruction of boundary wall by providing and fixing marble grit plaster, construction and upgradation of community hall and wash room at neel kamal CGHS Ltd H - Block Vikas Puri, New delhi in Tilak Nagar Assembly Constituency	5.27 22.09.17	M/s Kovida construction & Electricals	16.1.18	16.03.18	-	Work Completed
15.	Providing and fixing kota stone flooring and whitewash in parking area at Laxmi Vihar Co-operative Scciety Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency AC 29.:	6.282 6.7.2013	M/s N.S. Builders	12.10.18	11.11.18	-	Work completed
16.	Providing and Fixing Stainless Steel Railing around the children park and providing and laying granite stone flooring at Laxmi Vihar Co-	6.61 26.7.18	Shri M.K. Mehta	02.12.18	01.03.2019	-	Work completed

	operative Society Vikas Puri in Tilak Nagar Assembly Constituency :						
17.	Demolishing and reconstruction of 1 No. Gali with covered Nali in Dharampuri in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.	34.28 14.10.2016	M/s Suryan Interior	16.03.18	14.06.18	-	Work will be started after completion of DJB/ SDMC work.
18.	Construction of rain water harvesting pit in NDMC Society, Vikaspuri in Tilak Nagar AC-29.	10.85 26.7.2018	M/s Jai Durga Construction Co.	12.1.19	11.4.19	-	Work in progress
19.	Repair/renovation of boundary wall at NPL society, Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency-29.	9.60 30.10.18	M/s Suryan Interior	23.1.19	23.3.19	4.70	Work completed
20.	Providing and fixing children play equipments in the park	4.55 26.7.18	M/s Sachin Enterprises	29.11.18	26.2.19	-	Work Completed

1	2	3	4	5	6	7	8
	of NDMC employees Co-operative Group Housing Society Ltd. Vikaspuri in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.:						
21.	Providing and fixing marble grit wash on existing boundary wall at Antriksh Apartment in Tilak Nagar Assembly Constituency-29.	13.02 30.10.18	M/s Jagdamba Associates	26.2.19	26.4.19	6.40	Work Completed
22.	Providing and fixing Porta cabin in Tilak Vihar double storey in tilak nagar Assembly Constituency	3.77 17.01.19	M/s Abhishek Enterprises	20.03.19	18.04.19	-	Work Completed
23.	Providing and Fixing of Steel gates at Ajay Encalve and Sant Garh Colony in Ward No.13 of Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29	24.15 01.02.19	Shri Ramesh Chander	28.07.19	24.09.19	-	Location yet to be provided Area MLA
24.	Providing and Fixing of Steel	29.80	Shri Ramesh	26.07.19	24.09.19	-	Location

	gates at different locations in Tilak Nagar Assembly Constituency AC-29.	01.02.19	Chander				yet to be provided Area MLA
25.	Providing and installation of 10 Nos. electromegnatic swing type Barriegate, in various location in Tilak Nagar Assembly Constituency Ac-29.	14.75 08.02.19	M/s ASM Services Pvt. Ltd.	22.03.19	20.05.19	-	Work in progress
26.	Providing and fixing 1 No. Porta cabin at DDA Park at Sai Society DDA Flats 12 Block in Tilak Nagar Assembly Constituency.	7.94 10.01.19	M/s Ashoka Construction Ltd.	03.06.19	31.08.2019	-	Site is to be changed by the Hon'ble MLA for new location
27.	Providing and fixing of 50 Nos. SFRC Table benches at various locations in parks Tilak Nagar Assembly Constituency. (AC-29).	9.56 08.02.19	Sh Virender Yadav	03.06.19	01.08.2019	-	Site is being mobilized by the contractor

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Providing and fixing of 50 Nos. S.S. benches at various locations in Parks Tilak Nagar Assembly Constituency. (AC-29).	9.27 08.02.19	Sh Virender Yadav	03.06.19	17.07.19	-	Site is being mobilized by the contractor
29.	Repair/Renovation of existing room in Triveni Apartment at Tilak Nagar Assembly Constituency AC- 29	5.77 08.02.19	M/s Abhishek Enterprises	02.07.19	30.08.19	-	Work in progress
30.	Providing and supplying of 100 Nos. security barriers at various locations in Tilak Nagar Assembly Constituency-29	12.51 28.02.19	M/s Mohit Construction Co.	24.07.19	21.09.19	-	Site is being mobilized by the contractor
31.	Improvement of existing road by providing and laying RMC and providing and fixing of stainless steel indicator sign board at Dharampuri in Tilak Nagar Assembly Constituency, AC-29.	197.11 30.10.18	M/s Ashoka Const. Co. 137.07	03.06.19	29.11.19	-	Work just awarded

32.	Supply installation testing and commissionary of 72 watt LED filling etc in various socity at Tilak Nagar Assembly Constituency.	33.77 11.01.19	M/s Global Const.16.97	03.06.19	31.08.19	-	Work just awarded
33.	Supplying and installation of 25 Nos. of water cooler at various locations in Tilak Nagar Assembly Constituency, AC-29.	21.57 28.02.19	M/s A to Z Engineering Works 16.13	-	-	-	P.G. latter issued
34.	Repair/Renovation of existing hall at Gujranwala society at Tilak Nagar Assembly Constituency, AC-29	12.53 28.02.19	M/s BRN Const. 9.21	-	-	-	P.G. latter issued
35.	Supplying installation testing and commissioning of 72 Watt L.E.D. fitting etc. (1000 Nos.) in various location/society at Tilak Nagar Assembly Constituency, AC-29.	98.91 28.02.19	-	-	-	-	Tender to be opened on 01.08.19.
36.	Repair/Renovation of boundary wall at brotherhood Apartment	25.28 06.03.19	M/s Jagdamba Associates	04.08.19	02.10.19	-	Work just awarded.

1	2	3	4	5	6	7	8
	in Tilak Nagar Assembly Constiency, AC-29		18.17				
37.	Construction of under ground water tank in A Block Khyala.	66.00 13.10.18	M/s Raj Const. Co. 19.93	13.09.10	12.11.10	-	Work completed on 12.04.16
38.	Construction of under ground water tank in B Block Khyala	42.00 13.10.18	M/s Raj Const. Co. 19.93	13.09.10	12.11.10	-	Work completed on 28.11.16
39.	Repair/ Renovation of boundary wall at Brotherhood apartment in Tilak Nagar Assembly Constiency, AC-29	25.28 06.03.19	M/s Jagdamba Assosiates 18.17 lacs	04.08.19	02.10.19	-	Work just awarded
40.	Providing and fixing outdoor exercise fitness equipment (Open Gym) at various location in Tilak Nagar, AC-29	31.84 07.06.19	M/s V.K. Assosiates 23.68 lacs	-	-	-	P.G. letter issued

45. श्री मनजिंदर सिंहः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत आने वाला रघुबीर नगर, राजौरी गार्डन का मेन रोड करीब–करीब हर साल बनाया जाता है, परंतु केवल 6 माह में ही यह टूट जाता है और इसकी मरम्मत करवाने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रोड को पूर्णतः आर.एम.पी. का रोड बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक करवा दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) जी नहीं, इस विभाग से संबंधित नहीं है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) उपरोक्तानुसार; और

(घ) उपरोक्तानुसार।

46. श्री मनजिंदर सिंहः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिम विहार से रघुबीर नगर की ओर आने वाला रोड जो कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले नाले के साथ–साथ बनाया गया है, वह पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं है और जगह–जगह से टूटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रोड को पक्का रोड न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सड़क को कब तक पक्का कर दिया जाएगा?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) जी हां, इस विभाग के अन्तर्गत आने वाले नाले के साथ के रोड की मरम्मत का कार्य दिल्ली जल बोर्ड के कार्य की वजह से पूर्ण नहीं हो पाया है;

(ख) उपरोक्तानुसार; और

(ग) इस कार्य को वर्षा ऋतु के उपरान्त पूर्ण कर दिया जाएगा।

47. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी के पंखा रोड नाले के दोनों ओर की दीवारों का क्या स्टेटस है;

(ख) पंखा रोड नाले की दोनों ओर की दीवारों को बनाने की अनुमति और फंड आज तक न दिए जाने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या भविष्य में इस की दीवारों को बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक;

(ङ) क्या इस नाले में चल रहे सुअर पालन, गाय पालन, कारों की वर्कशॉप, बस पार्किंग की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है;

(च) यदि हां, तो इसका कितना किराया लिया जाता है;

(छ) यदि नहीं, तो इस पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है; और

(ज) पंखा रोड के नाले की सफाई में विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में हर साल कितना खर्च किया गया, पूर्ण विवरण दें?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) इस विभाग के पंखा रोड नाले के दोनों तरफ दीवारों को बनाने के कार्य की योजना (RD 2150 m to RD 3500m) TAC से अनुमोदित हो चुकी है और योजना को प्रशासनिक मंजूरी एवं वित्त स्वीकृति के उपरान्त कार्य करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी;

(ख) योजना की प्रशासनिक मंजूरी एवं वित्त स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है;

(ग) जी नहीं;

(घ) उपरोक्तानुसार;

(ङ) जी नहीं, अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता;

(च) उपरोक्तानुसार;

(छ) उपरोक्तानुसार;

(ज) पंखा रोड नाले की सफाई पर पिछले पांच वर्षों का खर्च का ब्यौरा (सूची 'क') में संलग्न है।

सूचि 'क'

Name of work : Removal of excavated malba/waste material etc from Pankha road from RD 0m to RD 3600m and disposed at N.G. drain and its maintenance for a period of 180 days.

Sl. No.	Year wise	Expenditure incurred
1.	2014-15	Rs. 18,52,046/-
2.	2015-16	Rs. 15,35,433/-
3.	2016-17	Rs. 13,47,464/-
4.	2017-18	Rs. 8,56,263/-
5.	2018-19	Rs. 8,67,756/-

48. सुश्री भावना गौड़: क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महावीर एन्कलेव वार्ड (पालम विधान सभा के अन्तर्गत) फल्ड विभाग द्वारा द्वारकापुरी में बनाये गए दो बारात घर हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दोनों बारात घरों की देखरेख किसके सुपुर्द है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दोनों बारात घरों की देखरेख करने में अनियमितता और लापरवाही की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें अभी तक न बदले जाने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) जी हां, इस विभाग के अन्तर्गत पालम विधान सभा क्षेत्र में दो बारात घर बनाये गये हैं;

(ख) ये दोनों बारात घर इस विभाग द्वारा पंचायत (सचिव) राजस्व विभाग को सुपुर्द कर दिए गए हैं जिनका विवरण (सूची 'क' व 'ख') में दर्शाया गया है;

(ग) इस विभाग को इस प्रश्न की जानकारी नहीं है; और

(घ) उपरोक्तानुसार।

सूची–क

INVENTORY REPORT

Sub:- Handing over of electrical/Civil items for the work of Construction of double storey General chaupal at village Mirzapur (Vijay Enclave) in Palam A.C.

The above mentioned work has been completed on 19.11.2014 from the MLA Fund of Shri Dharam Dev Solanki by this Division. The following electrical/civil items are handed over.

Sl. No.	Description	Qty.
Eelectrical Items		
1.	Ceiling Fan	42
2.	Tube Light Fitting	50
3.	Ceiling light	30
4.	Bulb holder	12

Sl. No.	Description	Qty.
5.	Bulk Head	06
6.	Exhaust Fan	-
7.	HPSV fitting	03
Civil Items		
1.	M.S. Steel door	13
2.	W.C.	4 Western, 4 Indian
3.	Cistern	8 No.
4.	Wash Basin	4 No.
5.	Urinal	2 No.
6.	Engle Ball	20 Nos.
7.	Stop cock	Nil
8.	Pillar cock	4 Nos.
9.	Gate Valve	5 Nos.
10.	Water tank 1000 litre capacity	3x1000 ltrs.
11.	Window	22 Nos.
12.	Ventilator	8 Nos.
13.	Bath Room Mirror	4 Nos.

All civil work, electrical work completed and in good and working condition

Handed Over
Ramesh Kumar
CDI (JE)

Taken Over
(Jagdish Prasad)
E.A.A.

सुचि–ख

INVENTORY REPORT

Sub. Handing over of General Barat Ghar near Nasirpur Kailashpurl chowk at Kh. No. 618 in Palam AC.

The Civil Division-I of I&FC Department has completed the work of Construction of General Barat Ghar near Nasirpur Kailashpuri chowk at Kh.No.618 in Palam AC under the M.L.A. Fund. The completed Barat Ghar building is being handed over to B.D.O. in compliance to this office letter No. AE-III/CD-I/Works/2014-15/10 dated 24.4.2017 The details of civil items being handed over is as under:-

Sl. No.	Description	Qty.
1.	Aluminium door/windows/ventilator with particle board and glasses with all fittings	
2.	Brass locks	8 Nos.
3.	Indian type WC with all fittings	1 No.
4.	W.C. pan with white solid seat cover with all fittings	7 Nos
5.	Wash basin with fittings	7 set
6.	Urinal with PVC system complete	2 set
7.	C.P. Brass with cock	8 Nos.
8.	C.P. Brass with long body	3 Nos.

Sl. No.	Description	Qty.
9.	C.P. brass stop cock	2 Nos.
10.	C.P. brass angle wall	19 Nos.
11.	Mirror	7 Nos.
12.	Rain water pipe	7 Nos.
13.	Manhole with C.I. cover and frame	2 set
14.	S.S. stair case railing and main gates with chajja railings	5 set
15.	Submersible pump 1.5HP	1 No.
16.	G.T Jali	7 Nos.
17.	Water storage tank 1000 Litre	4 Nos.

Handed Over
Ramesh Kumar
CDI (JE)

Taken Over
(Jagdish Prasad)
Panchayat Samity

Annexure: (i) Electrical items inventory attached.

(ii) With all locks and keys handed over to Sh. Jagdish Prashad (P.S.)

49. श्री जगदीप सिंहः क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मायापुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला नाला बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सफाई कब की गई थी; और

(ग) उसके लिए कितना फंड एलोकेट हुआ था?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः (क) जी नहीं। मायापुरी विधान सभा क्षेत्र में कोई नाला इस विभाग के नियंत्रण में नहीं है;

(ख) उपरोक्तानुसार; और

(ग) उपरोक्तानुसार।

50. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी और सीवर के पानी के जल भराव की अनुमानित कितनी मासिक शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) भारत नगर पंपिंग पर कितने पंप हैं, कितने एम.जी.डी. पंप करते हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन पंपों को नया लगाया जा रहा है एवं लाइनों को भी ठीक किया जा रहा है; और

(घ) किसी पंप के खराब हो जाने पर सीवर के पानी को निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) अनुमानित मासिक शिकायतेंः–

1. गंदे पानी – 30
2. सीवर के पानी का जल भराव – 70

(ख) भारत नगर पम्पिंग पर पंपः

06 MGD – 02 nos.

05 MGD – 05 nos. हैं।

10 MGD पम्पिंग करते हैं तथा पंप हाउस की क्षमताः 11 MGD

(ग) नहीं, नए पम्पसैट नहीं लगाए जा रहे हैं। एक नई राइजिंग मैन भारत नगर से डाली जा रही है; और

(घ) प्राप्त मात्रा में स्टैंडबाई पंप उपलब्ध है।

51. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में सीवर सफाई की कितनी मशीनें हैं और कितनी समय–समय पर किराये पर ली जाती हैं;

(ख) कुल कितने कर्मचारी सीवर सफाई के लिए रखे गए हैं;

(ग) क्या इन सफाई कर्मचारियों का कोई रोस्टर है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सभी कर्मचारी शनिवार तथा रविवार को छुट्टी पर रहते हैं;

(ङ) अभी और कितनी मशीनें प्रस्तावित हैं; और

(च) सीवर भराव की कोई शिकायत मिलने पर शिकायत का निवारण कितने समय के भीतर सुनिश्चित किया जाता है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) वर्तमान में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सफाई की कुल तीन मशीनें हैं व तीनों किराये पर ली गई है;

(ख) दस कर्मचारी अनुबंध के आधार पर सीवर सफाई के लिए लिये गये हैं;

(ग) इन सफाई कर्मचारियों से क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाता है;

(घ) नहीं, ये सभी कर्मचारी सरकारी अवकाश व द्वितीय शनिवार व प्रत्येक रविवार को अवकाश पर रहते हैं;

(ङ) अभी एक और मशीन प्रस्तावित है; और

(च) सीवर भराव की कोई भी शिकायत मिलने पर शिकायत का निवारण अमूमन तुरंत ही करने की कोशिश की जाती है।

52. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कितने मीटर लगे हैं, सभी कंज्यूमर्स का पूर्ण विवरण दें; और

(ख) इस विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कितने कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी मासिक खपत 20 हजार लीटर से कम है और जिनका पानी का बिल जीरो आता है, उन सभी कंज्यूमर्स का पूर्ण विवरण दें?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

53. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कितने कनेक्शन हैं, सभी की पूर्ण जानकारी दी जाये;

(ख) वर्ष 2015 में रिठाला विधान सभा क्षेत्र को कुल कितना एम.जी.डी. पानी मिलता था, वर्तमान समय में कुल कितना पानी मिलता है, पूर्ण जानकारी दी जाए;

(ग) इस क्षेत्र में वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक दिल्ली जल बोर्ड में कितने नये कनेक्शन के आवेदन आये व विभाग द्वारा कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन आवंटित किये गये, नाम, पता, टेलीफोन नंबर सहित पूर्ण विवरण दिया जाए;

(घ) सेक्टर–6, रोहिणी दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय पर कुल कितनी शिकायतें विभाग को वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक प्राप्त हुई; सभी शिकायतकर्त्ताओं की पूर्ण जानकारी व शिकायत निवारण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर–16, 17, 11 व 5 की वर्तमान सीवर लाइन आज से 25–30 वर्ष पूर्व में डाली गयी थी;

(च) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में इन सभी की स्थिति खस्ता हालत में है;

(छ) विभाग द्वारा इन्हें बदलने की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें;

(ज) क्या यह सत्य है कि विभाग दिल्ली में सभी वार्ड के हिसाब से सीवर सफाई करने की मशीन देने की योजना पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हाँ तो यह योजना धरातल पर कब आएगी, पूर्ण विवरण दें?

54. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अम्बेडकर नगर, वार्ड–81–एस में पहले पानी रोज आता था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वहां अब अल्टेरनेट डेज पर पानी आता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वार्ड 81–एस में जनता को हो रही पानी की दिक्कत को देखते हुए सरकार की वहां रोज पानी की सप्लाई करने की कोई योजना है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि वार्ड 81–एस में पानी आखिरी छोर पर नहीं पहुँच पाता है; और

(च) यदि हाँ, तो वार्ड 817–एस में पानी को आखिरी छोर तक पहुंचाने की सरकार की क्या योजना है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ। परन्तु उस व्यवस्था में पानी की मात्रा एवं दबाव की उपलब्धता पर्याप्त नहीं थी;

(ख) जी नहीं, ट्यूबवैल द्वारा रोजाना पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा यू.जी.आर. से अल्टरनेट डेज पर की जा रही है;

(ग) यह क्षेत्र ई.एस.आई. जलाशय एवं पम्पिंग स्टेशन के कमान्ड के अन्तिम छोर पर स्थित है, जिस कारण रोजाना पानी देने की व्यवस्था के अन्तर्गत पानी की मात्रा एवं दबाव कम उपलब्धता की समस्या रहती थी।

अतः पानी की उपलब्धता उचित मात्रा एवं दबाव से अन्तिम छोर पर उपलब्ध हो सके, के इरादे से अल्टरनेट डेज पानी देने की व्यवस्था अपनाई गई है;

(घ) जैसे ही पानी उपलब्धता ई.एस.आई. जलाशय में बढ़ती है तो रोज पानी देने की व्यवस्था के बारे में विचार किया जाएगा;

(ङ) जी हाँ। कुछ क्षेत्रों के अन्तिम छोर पर पानी की उपलब्धता कम है; और

(च) वर्तमान में पानी की कमी को टैंकरों द्वारा माँग अनुसार पूर्ति किया जाता रहा है और भविष्य में ओखला वाटर प्लान्ट से ई.एस.आई. जलाशय में पानी बढ़ाने हेतु कार्य किया जा रहा है।

55. श्री एस.के. बग्गाः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधानसभा (ए.सी. 60) के चारों वार्ड, 21 ई., 22 ई., 23 ई. व 24 ई. के दिल्ली जल बोर्ड विभाग के कितने कर्मचारी कार्यरत है उनका पोस्ट वाईज मोबाईल नंबर, आफिस का पता क्या है;

(ख) कृष्णा नगर विधानसभा में सीवर सफाई के लिये कितनी गाड़ियाँ कार्य कर रही हैं, उनका ब्यौरा गाड़ी नंबर सहित उपलब्ध करें;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस विधान सभा क्षेत्र में सीवर सफाई की गाड़ियाँ किराये पर चल रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो किराये की गाड़ियों की डिटेल व पेमेंट डिटेल 2016–17, 2017–18 व 1.4.2018 से 30.6.2018 तक के ठेकेदारों के नाम व पते का विवरण क्या है;

(ङ) कृष्णा नगर विधान सभा ए.सी. 60 में कितनी लेबर कार्य कर रही है; वार्ड वाइज, 21 ई., 22 ई., 23 ई. व 24 ई. का वर्ष 2016–17, 2017–18 व 1.4.2018 से 30.6.2019 तक का पूरा ब्यौरा नाम व पते सहित उपलब्ध करें;

(च) इस विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मीटर रीडर हैं तथा गलत रीडिंग लिखने पर या गलत बिल बनाने पर डी.जे.बी. उनके विरुद्ध क्या एक्शन लेता है;

(छ) वर्ष 2016–17, 2017–18 व 1.4.2018 से 30.6.2018 तक कितनी शिकायतें आई व कितनी शिकायतों पर लीगल कार्रवाई की गई, इसका पूर्ण विवरण दें;

(ज) पानी के लिये नये कनेक्शन लेने के लिए किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत है;

(झ) पानी का नया कनेक्शन देने की क्या समय सीमा तय की गई है; और

(ञ) वर्ष 2016–17, 2017–18, 1.4.2018 से 30.3.2019 तक इस क्षेत्र में कितने पानी के नये कनैक्शन दिये गये हैं, इसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध करें?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र के अनुसार कर्मचारी को पद स्थापित नहीं किया जाता है।

संबंधित विवरण अनुलग्नकः 'अ–1' में संलग्न * है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र, क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय (पूवी)–II, शिवपुरी के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय; (पूवी)–II, शिवपुरी में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक–'अ–2' संलग्न है;

(ख) सीवर सफाई के लिए इस विधान सभा में तीन गाड़िया हैं, जिसका विस्तृत जानकारी अनुलग्नक–2 में संलग्न है;

(ग) जी हाँ;

(घ) संबंधित विवरण अनुलग्नक–3 में संलग्न है;

(ङ) विस्तृत जानकारी अनुलग्नक–4 संलग्न है;

(च) क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय (पूर्वी)–II, शिवपुरी में वर्तमान में कार्यालय में 27 मीटर रीडर है। गलत रीडिंग अथवा गलत बिल बनाने पर जांच की जाती है व जानबूझकर गलती पाए जाने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है;

(छ) क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (पूर्वी)–II, शिवपुरी में वर्ष 2016–17, 2017–18 व 1.4.2018 से 30.6.2019 तक 680 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करके निपटान किया गया;

(ज) नया जल कनेक्शन लेने हेतु निम्नलिखित कागजों/दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:

1. फॉर्म के साथ पहचान का कोई एक प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं बैंक की पासबुक की कॉपी।

2. जिस प्रॉपर्टी पर कनेक्शन का आवेदन किया हो उसका मालिकाना हक से सम्बन्धित कागजात को संलग्न करना होता है (किसी एक की प्रतिलिपि)—रजिस्टर्ड सेल डीड, लीज डीड, रजिस्टर्ड कन्वेन्स डीड,/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटरी द्वारा सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पूरे कागजात की श्रंखला, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी रेजिस्ट्रेड/नोटरी द्वारा सत्यापित एग्रीमेंट टू सेल/बिल। यदि आवेदनकर्ता किरायेदार है तो मकान मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड/फॅमिली सेटलमेंट डीड, रजिस्टर्ड रिलिंकिश डीड, अलोटमेंट लेटर (प्राइवेट बिल्डर) के साथ रजिस्टर्ड हसेल डीड/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, डी.डी.ए. अलॉटमेंट/म्युटेशन लेटर/लैंड, डेवलपमेंट लेटर, कोर्ट क आदेश (यदि कोई है तो)। नए जल कनेक्शन का आवेदन फॉर्म सूचनार्थ संलग्न है;

(झ) नया जल कनेक्शन लेने के लिए जल बोर्ड की निर्धारित अवधि 15 दिन है; और

(ञ) क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय (पूर्वी)—II, शिवपुरी में वर्ष 2016—17, में स्वीकृत जल कनेक्शनों की संख्या 2047 है। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत जल कनेक्शनों की संख्या 1318 है तथा 1.4.2018 से 30.6.2019 तक इस क्षेत्र में 1800 पानी के नए कनेक्शन स्वीकृत किये गए।

56. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर के पुरम विधान सभा क्षेत्र में जल बोर्ड प्रोजेक्ट विभाग द्वारा मुनीरका गांव वसंत विहार, नानकपुरा आदि की मेन बड़ी सीवर लाइन को बदलने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हो, तो इसे कब तक बदला जाएगा, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि स्थानीय विधायक के बार–बार आग्रह के बाद ग्रीन पार्क से मुनीरका गाँव को पीने के पानी की मेन लाइन के बदले जाने हेतु विभाग द्वारा एस्टिमेट तैयार किए गए है;

(घ) यदि हाँ, तो अब तक इस लाइन के न बदले जाने के क्या कारण है; विस्तृत विवरण दें;

(ङ) आर के पुरम और नानकपुरा में लगभग 60 पुरानी खराब पड़ चुकी सीवर लाइन को बदलने की सरकार की क्या योजना है;

(च) क्या यह सत्य है कि बसंत गांव, बसंत अपार्टमेंट आदि को पानी सप्लाई करने के लिए एमवीवी कम्पनी से वसंत एन्कलेव भूमिगत जलाशय जलबोर्ड को देना था;

(छ) यदि हाँ, तो इसे अभी तक न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ज) यह जलाशय कब तक दे दिया जाएगा, इसका पूर्ण विवरण दें;

(झ) आर के पुरम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुनीरका गांव, मुनीरका डीडीए फ्लैट, आर के पुरम सेक्टर–1, नानकपुरा, मोची गांव के यूजीआर के पंप भवनों का पुनः निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा। विवरण सहित उत्तर दें;

(ञ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के सभी गाँवों में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए गाँव के अंदर पंजीकरण दस्तावेज फर्द मांगी जाती है परन्तु पुराना लाल डोरा की न कोई फर्द या दस्तावेज नहीं होते; और

(ट) यदि हाँ, तो इस समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार की कोई योजना है; पूर्ण विवरण दे?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) एवं (ख) आर के पुरम विधान सभा क्षेत्र में जल बोर्ड प्रोजेक्ट विभाग (EE(P)SS-II) द्वारा मुनीरका गांव, वसन्त विहार की मेन सीवर लाईन बदलने की कोई योजना नहीं है बल्कि नेल्सन मंडेला रोड, कुतुब इंस्टीटूशनल एरिया रोड, आउटर रिंग रोड इत्यादि पर पुरानी सीवर लाईन का रिहैबिलिटेशन करने का कार्य होना है, जिसका वर्क आर्डर हो चुका है तथा बरसात के तुंरत बाद कार्य शुरू हो जाएगा, जो की संभवतः मार्च, 2020 तक खत्म हो जाएगा।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ऐसा काई एस्टिमेंट तैयार नहीं किया गया है।

(घ) उत्तर (ग) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है। समय–समय पर आवश्यकतानुसार सीवर लाईन बदलने का कार्य किया जाता है।

(च) जी हाँ।

(छ) एवं (ज) बसंत इन्कलेव जलाशय वर्तमान में बसंत इन्कलेव में पानी सप्लाई करता है। स्कीम के अनुसार बसंत इन्कलेव क्षेत्रों को बसंत विहार जलाशय में बड़े नए पम्प लगाकर पानी देने की योजना है तथा जिसके बाद बसंत इन्कलेव जलाशय नान–पी.पी.पी. क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल होगा। बसंत विहार के लिए नए पम्प का डिजाईन अनुमोदन प्रक्रिया में है, जिसके लगने व चलने पर बसंत इन्कलेव जलाशय पम्प नान–पीपीपी क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

(झ) पंप भवनों का पुन–निर्माण/मरमम्त के कार्यों के लिए आकलन तैयार कर लिए गए है। बजट आवंटन के उपरान्त इन कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

(ञ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गांवों में कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक कागजातों की आवश्यकताओं का सरलीकरण किया जा चुका है। निम्न दस्तावेजों के आधार पर जल कनेक्शन स्वीकृत किया जाता है जैसे किः–

1. फर्द, खतोनी, लाल डोरा प्रमाण पत्र विभाजन/(डपार्टीशन डी) दस्तावेज। (कोई एक)

2. आवेदक की पहचान के लिए कोई एक प्रमाणपत्र जैसे वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली के कनेक्शन के कागजात, पासपोर्ट, राशन कार्ड तथा बैंक पास बुक की प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती हैं।

(ट) अनधिकृत अधिकृत कॉलोनी/शहरीकृत गाँव, स्लम कटरों में जल कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया को और आसान करने के लिए एक प्रस्ताव दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है। इसके तहत, इन इलाकों में यदि किसी वजह से पूरे दस्तावेज नहीं होने पर व उपभोक्ता के बिजली का तीन महीने का बिल यदि उसके अपने नाम पर है तो एक पहचान पत्र की प्रतिलिपि के साथ वह पानी का कनेक्शन ले सकता है।

57. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि काफी समय से जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंताओं की भारी कमी है और काफी समय से उनकी भर्ती भी नहीं निकली है;

(ख) यदि हो, तो सरकार की इन रिक्तियों को कब तक भरने की योजना है;

(ग) मादीपुर विधान सभा में अब तक कितने सफाई कर्मचारी की तैनाती है; उनकी सूची दी जाए;

(घ) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में मादीपुर गांव की लगभग 45 साल पुरानी सीवर लाइन को बदलने की सरकार की क्या योजना है; पूर्ण विवरण दें;

(ङ) वर्ष 2017 से 2019 तक जल बोर्ड द्वारा मादीपुर विधान सभा में सीवर लाइन और पानी की लाइनों की मरम्मत/बदलाव की विस्तृत जानकारी क्या है; और

(च) इस क्षेत्र की किन किन सीवर और पानी की लाइनों को बदलने की योजना सरकार के विचारधारा है, पूर्ण विवरण दें;

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ सिविल अभियंता के कुल 204 पद रिक्त हैं।

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए दिल्ली अधिनस्थ चयन सेवा बोर्ड को पत्र भेजा जा चुका है।

(ग) सफाई कर्मचारी – 26 विभागीय
10 अनुबंधित
कुलः 36

(घ) मादीपुर गाँव में पुरानी सीवर लाईन बदलने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 2017 से 2019 तक निम्नलिखित क्षेत्रों में सीवर की लाईन की मरम्मत एवं बदलने का कार्य किया गयाः–

1. रघुबीर नगर पार्ट ऑफ ब्लॉक बी–3 एम, एन, बी, आर, ए, डी, ब्लॉक।
2. बाली नगर पार्ट ऑफ ब्लॉक सी, डी, ई, जी, एफ ब्लॉक।

3. पार्ट ऑफ रामगढ़ एवं रतन पार्क।

4. पार्ट ऑफ सी–ब्लॉक टैगोर गार्डन एक्स।

5. मादीपुर गाँव ए, बी, डी, एफ ब्लॉक जे.जे. कालोनी मादीपुर।

वर्ष 2017 से 2019 तक निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी की लाईन मरम्मत एवं बदलने का कार्य किया गयाः–

1. फोर स्टोरी टैगोर गार्डन एक्स पार्ट ऑफ शहीद सिंह कॉलोनी।

2. एफ–ब्लॉक बॉली नगर पार्ट ऑफ राज गार्डन बसई दारापुर।

3. लाल क्वार्टर शिवांगी कुँज अरिहंत नगर गली नं. 43 एवं 44 वेस्ट पंजाबी बाग, पंजाबी बाग एक्सटैंशन।

(च) सीवर लाईन बदलने की योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में हैंः–

1. शहीद भगत सिंह कॉलोनी (1040 डी.डी.ए. फलैट्स) मेन सीवर आउट फाल का कार्य।

2. बसई दारापुर में सीवर लाईन बदलने का कार्य (पार्ट)।

3. बी–1 ब्लॉक रघुबीर नगर (पार्ट) में सीवर लाईन बदलने का कार्य।

4. स्वयंम सीदधा कॉलोनी में सीवर लाईन का कार्य।

5. मादीपर गाँव तथा मादीपुर जे.जे. कॉलोनी (पार्ट) में सीवर लाईन बदलने का कार्य।

पानी की लाईन बदलने की योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में हैंः–

1. ए एवं बी ब्लॉक टैगोर गार्डन एक्सटैंशन।

2. रघुबीर नगर (पार्ट)।

3. पंजाबी बाग एक्सटैंशन।

4. मादीपुर गाँव।

5. मादीपुर जे.जे. कॉलोनी (पार्ट)।

58. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा 2008 से 2013 तक तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी तथा कार्य पर व्यय राशि के साथ दी जाए;

(ख) दिसम्बर 2013 से अब तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विकास के क्या–क्या कार्य किये गए उसकी विस्तृत जानकारी राशि के साथ बताई जाए; और

(ग) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवर की सफाई से संबंधित व रख रखाव के लिए कुल कितनी व किस तरह की मशीनें लगायी गयी हैं उनकी भी जानकारी दी जाये?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी व्यय राशि के साथ संलग्नित–1 में वर्णित है;

(ख) दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा दिसम्बर 2013 से अब तक किये गये विकास कार्यों की जानकारी व्यय राशि के साथ संलग्नित–2 में वर्णित है; और

(ग) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवर की सफाई से संबंधित व रख रखाव के लिए कुल 06 मशीनें जिसमें 02 डीसिल्टर तथा 04 सीवर जेटिंग कम सक्शन मशीनें लगाई गई है।

संलग्नक क

Sl. No.	AC	Work Detail	Cost
1	2	3	4
l	29	B/I Tube Wells In Various Parts Of Tilak Nagar Constituency 4 Hqs.	535,552
2	29	Povlding 100 mm dia CI / 01 water line in S-2/16, Gali No-16 new Mahavir Nagar in West-II SH Op Babar A. C. No-29 Tilak Nagar)	901,795
3	29	P/L lCOmm dia water line fromTilak Vihar UGR to E block Tilak Vihar in west-I (AC NO-29 Tilak Nagar)	1,129,751
4	29	P/L 100 MM DIA CI/DI Water Line from House No WZ-353 to Wz-359 & WZ-50 to WZ-10 (Gali No.23) Sant Garh in West II (AC No-29 Tilak Nagar)	615,198
5	29	P/L 65 mm dia GI water line for improvement of water pressure in old age home Tilak Vihar in West-I	526,819
	29	Improvement of S/system by P/L 250 mm dia sewer line from Dr. Saluja Clinic to Tyagi Chakki Road in Guru Nanak Nagar (A.C-29, Tilak Nagar)	334,194
7	29	Improvement of S/system by P/L 250 mm dia sewer line from WZ-50 to WZ-10A Gali No.23 Sant Garh in West-II (A.C-29, Tilak Nagar)	363,654
8	29	Improvement of Sewer system by P/L sewer line at WZ 241 & WZ-252 & near WZ -259 Harijen Colony (80 yds) Tilak Nagar in West-I	154,279

1	2	3	4
9	25	P/L 100 mm dia CI/DI Water Line from H-3 Block T/ Well to Bodhella CGHS Vikash Puri in West I	770.330
10	29	P/L 10 mm dia CI/Di water line in 12.5 & 15 Sq yds HMP flats Raghubir Nagar in West-I ({AC-2S Rajouri Garden)	1.658,154
11	29	Improvement of water supply in Ganga Ram Vatika by 100 mm dia CI./D.I water line in West-I	385,805
12	23	3/1 Tube Wells in Various Parts of Tilak Nagar Constituency 4 Nos.	658,925
13	29	Improvement of water supply in Meenakshi Garden by providing 100 mm dia CI/DI water line in West II M (A.C.No-29 Tilak Nagar)	448,959
		TOTAL	8,483,426
		2009-10	
1	23	Improvement of water supply in B-block Ganesh Nagar by providing 100mm dia CI/DI W/line in West.I. (AC-29 Tilak Nagar)	233,557
2	29	Improvement of sewerage system by P/L 250mm dia sewer line from J-23 Ganga Ram Vatika in West-I.	82,549
	29	Providing and laying of 100 mm. dia CI/DI water line in front side of Ashok Nagar in 1 block in West-I (AC-29 Tilak Nagar)	255,882
4	29	Improvement of water supply in A block Snankar Garden and B Block New Krishna Park in west-I (AC-29 Tilak Nagar)	150,777

1	2	3	4
5	29	P/Laying 250 mm dia sewer line for Panchayati Gurudwara at 14 Black Tilak Nagar in West-II AC-29 Tilak Nagar)	74,681
6	15	P/Laying 250mn dia sewer line in leftout portion of Hind Nagar from WZ-9 to WZ-35 in West-I (AC-29 Tilak Nagar)	43,040
7	23	Reboring of T/well & const of T/Well Room i/c inter connection at D block UC Khayala in West-I (C-29 Tilak Nagar)	549,361
8	29	Improvement of water supply in Krishna purj Gali no 10 by providng 100mm dia CI/DI water line in West-I (A.C. No-29 , Tilak Nagar)	208,922
9	29	Improvement of water pressure in E Block Tilak Vihar by P.L 100 mm dia CI/DI water line from Major Bhupinder Singh Nagar in West-I (AC-29 Tilak Nagar)	444,102
		TOTAL	2,043.381
		2010-11	
1	29	P/L 150 mmd dia water line from NG Road to 6-1 419, Gali mill road for Improvement of water supply in G-1 Block UTN Vikas Puri Constituency in West-I	9,000,805
2	29	Imp. of water supply in 30 Block to 41 Block by 100mm dia CI/DI water line in Ashok Nagar in West-I	475,120
3	29	Provision of 100 mm dia CI/DI water line in C-19 to L-53 Gail No.21 and 22 new Mahavir Nagar in West-I	278,132

1	2	3	4
4	29	P/L 300/250mm dia sewer line Hind Nagar in West-I	353,002
5	29	Improvement of sewerage system by P/L new out fall for main line of D/Story Harijan Colony Tilak Nagar in West-I	959368
		TOTAL	11,066,477
		2011-12	
1	29	Providing cf 100 mmd dia CI/DI water line front of 59 Block and 64 to 65 block Ashok Nagar	2.80
2	29	Improvement of water supply in Site -1 Vikas Puri by providing 100 mm dia CI/DI West –I	2.84
3	29	Upgradation of main sewer line by 450 mm dia RCC NP2 pipe at Ashok Nagar	10.85
4	29	Improvement of water supply by providing water line Gali No.6 Krishna park & S2/34 of Mahavir Nagar K-140 to 148 Krishna Park	3.84
5	29	Replacement of old AC water line Gali No.7 and 10 Krishan Park in West-I	4.90
6	29	Replacement of existing PVC water line by ICO mm dia CI/DI Water line A-45 to A-59 Vikas Puri Extn.	3.37
7	29	Replacement of old damaged 100 mm dia water line in A-Block Tilak Vihar	3.09
8	29	Improvement of water pressure by replacement of existing water line by 100 mm dia CI DI water line from G-58 to 123 Vikas Puri in West-I	3.43

1	2	3	4
9	29	P/L 100 mm dia Cl/DI Water line from M to MS main Raod Vikaspuri	2.30
10	29	Providing laying of sewer line of 250 mm dia and 300 mm dia in Tilak Nagar in West-I	4.47
11	25	Improvement of water supply in Meenakshi Garden by replacement of old 4" water line to 100/150 mm dia CI/DI water main in West-I	10.82
12	29	Replacement of old damaged 6" dia MS water line by 150 mm dia from WZ-1 to A Block (Ganesh Nagar	5.51
13	29	Improvement of sewerage System by reconstruction of damaged manhole at Krishna (Puri main sewer line	4.25
		TOTAL	62.43
		2012-13	
1	29	Improvement of water supply by providing 100/150 mm dia of S-4 Block in old Mahavir Nagar in West-I	527,922
2	29	P/L New sewer line of 250 mm dia outer dia HDPE pipe at 13 Block Tilak Nagar in West-I	236,734
3	29	Improvement of water supply in Ashok Nagar by P/L 200mm dia water line in West-I (AC-29 Tilak Nagar)	784,294
4	29	P/L new sewer line of 280 mm dia OD HDPE in 50 and 60 block Ashok Nagar AC NO.29 in West-I	408,257
5	23	Improvement of water supply in Prithvi Part and laying of 100 mm dia CI/DI water line in Tilak Nagar Constituency AC No.29 in West-I	636,218

1	2	3	4
6	25	Providing new outfall of 300 mm dia to disconnect sewer system from Barrel of Block 17 29 Ashok Nagar in Tilak Nagar Constituency AC 29 under in West-I	3,032.577
7	29	P/L 280 mm dia CD HDPE pipe and shifting of existing connection of new line in Pocket-A Vikas Puri Extn. AC No.29 in West-I	571,033
8	29	Improvement of water supply by P/C 100/150 mm dia CI/DI water line in 36 Block to 41 Block in Ashok Nagar (AC-29) West -I	753,517
9	29	P/L new sewer line in 5A and 3 Block Tilak Nagar Constituency AC No.29 under West-I	541.839
10	29	Improvement of water supply by P/L 150/100 mm dia CI/DI water in KG-2 Vikas Puri West-I	348,357
11	29	Improvement of Water Supply by P/L 100/150 Mm dia CI/DI/Ms Water Line in Double Storey Harijn Colony, Tilak Nagar by Trenachless Technology in West-I (AC-29)	937,408
12	29	P/L new out fall of 355/450 mm dia by Trenchless Technology (HDD) method for E Block Tilak Vihar, Pocket A Vikas Puri Extn. Double Storey Tilak Nagar Constituency AC No.29	4,464,777
		TOTAL	13,243,083

1	2	3	4
		2013	
3	29	B/I of Tubewell and Construction of Tubewell Room including Interconnection in Ward No 115, 116 under EE (West) I AC-29	773,749
4	29	P/L 100 mm Dia CI/DI Water Line in Gali No 1, Krishna Puri in West-I (AC-29)	251, 325
8	29	Improvement of Water Supply by Inter Connection with Existing Tubewell in Ravi Nagar Extension and RZ Block Vishnu Garden (AC-29) Under EE (West) I	1,196,390
9	29	P.L New Sewer line for 20B Block Front side by HDD methoed in Tilak Nagar	1,393,049
12	29	Desilting of sewer line by Vikas Puri (H-Block, H-1, H-3 Block JG-II/III, G-Block J-Block with Super Sucker machine in Tilak Nagar	1,232,912
13	29	Renovation and construction of boundary wall at BPS Tilak vihar Tilak Nagar	1,064,187
14	29	Renovation of SPS at Tenaner Colony Tilak Nagar	1,825,307
15	29	Desiling of sewer line with super sucker machine in Tilak Vihar	1,687,592
16	29	Improvement of sewer system by P/L and replacing old sewer line to new 280 mm dia OD HOPE pipe in various blocks of Ashok Nagar	1.572,973
17	29	Raising and repairing of manhole in Tilak Nagar	778,380

1	2	3	4
18	29	Desilting of sewer line with sewer cleaning machine in Tilak Nagar	196,602
19	29	Shifting of 250 mm dia AC/CI water line with 250 mm dia MS water line crossing outer ring road near Mahavir Nagar in Tilak Nagar	974,997
20	29	P/L 400 mm dia MS pipe by trencbless technology for outfall connection of pocket A Vikas Puri in Tilak Nagar	1,774,260
21	29	Repair of 700 mm dia PSC water line by MS gap piece under traffic police both on NG. Road in front of Vikas Kunj Society in Tilak Nagar	9,227,845
22	29	Shifting of 250 mm dia CI under main to MBS Nagar, BPS cum UGR crossing outer ring road near CRPF Red light Tilak Nagar	826,784
23	29	Shifting of existing 200 mm dia water line coming in alignment for elevated corridor of PWD near JG-I Vikas Puri Tilak Nagar	1,334,017
24	29	Shifting of existing 100/150 mm dia water line by 100/ 150 mm dia MS/DI water line X-ing outer ring road JG-III in Vikas puri Tilak Nagar	1,335,320
25	29	Shifting of main sewer line near outer ring road at pier No.11 PWD by auger boring method in Tilak Nagar	1,389,281
26	29	Replacement of Existing Water Line by 150/100 mm dia CI/DI in G J Block (Partly) Vikas Puri Under EE (West) I AC-29	1,107,656

1	2	3	4
27	29	Removal of contamination by replacement of 100 mm dia water line by 100 mm dia DI water line in C-Block Tilak Vihar, Tilak Nagar	498,684
28	29	Shifting of existing 150 mm dia water line feeder water main to CRPF camp with 150 mm dia DI/MS water line coming in alignment of elevated corridor on outer ring road	696,936
30	29	Traing raising repairing of manholes in the service lane of outer ring road from Anand Kunj Apartment to Himgiri Apartment in Vikas puri in Tilak Nagar	573,697
		TOTAL	31,711,943

2013-14 (Dec 2013 to March 2014)

Sl. No.	AC	Name of Work	Cost
	29	-	0.00
	Total	0.00	

2014-15

Sl. No.	AC	Work Detail	Cost
1	2	3	4
1	29	Improvement of water supply by P/L 100 mm dia D.I water line upto Gali no 13 to 21 Guru Nanak Nagar/ Sant Garh in Tilak Nagar Constituency AC No.29 under	7,34,373

1	2	3	4
2	29	Providing /laying new out fall for Hind Nagar sewerline in Tilak Nagar Constituency AC29 under West-I	4.74.894
3	29	P/L new sewer line from House No. S4-86 to S4-78 old Mahavir Nagar and from WZ 33/4 to WZ-33/1 Gali no. 11, Krishna Puri and also repairing of manholes in Tilak Nagar Constituency AC No.29 under West-I	7,78,487
4	29	Making outfall connection system for Shiv Bhola Mandir on Lata Ganesh Dass Kharti Marg Ganesh Nagar in Tilak Nagar Constituency AC No.29 in West-I	1,09,576
5	29	P/L new Sewer line with 250 mm dia DWC pipe in front of A-153 to A-177 Ganesh Nagar i/c repairing of manholes in 22 Block Tilak Nagar, A-Block Ganesh Nagar in Tilak Nagar Constituency AC No.29 under EE (West)-I	3,58,447
6	29	Improvement of water supply with IOC mm dia D.I. pipe from House No.S-2-73 old Mahavir nagar to Gali No.06 Krishna Park and 8-Block Tilak Nagar for improvement of in Tilak Nagar Constituency AC No.29 under West-I FMS NIT No 22002 Tender ID No.2014- DJB 66413 2	7,95,786
7	29	P/L New outfall for J-Block Vikas Puri (House No. J-112 to 116) by Auger Boring method i/c replacement of various settled portions by DWC pipe in GG-1 and G-B’ock Vikas puri in Tilak Nagar Constituency AC No.29 under West I	11,54,721
		Total	44,06,289

1	2	3	4
		2015-16	
1	29	Providing new S/L for gali no 11 Krishna Puri	1,23,017
2	29	P/L 100 mm Q Dl W/L in RZ-C Block Vishni Garden U/A colony in Tilak Nagar	20,39,501
3	29	imp. of s/s by P/L/J 280mm sewer line in S-1 Block Mahavir Nagar	5,50,162
4	29	Providing newsewer line for 59-Block Ashok Nagar front side DWC HOPE pipe in Tilak Nagar	2.45,058
5	29	Providing a new S/I for G-Block Durga Mandir & replacement of settled portion of House N.115 Double stroey Harizan Basti Tilk Nagar	1,62,672
6	29	Providing new sewer line for S-4 Block old Mahavir Nagar 250 mm dia DWC HDPE pipe in Tilak Nagar Constituency AC NO.29 under EE (West)-I	5,41,029
7	29	Imp. of w/s in gali no.4 Guru Nanak Nagar	7,11,714
		TOTAL	44,73,153
		2016-17	
1	29	P/L New peripheral water line for improvement of water supply in Major Bhupender Nagar Groups of colonies and partly Khayala group of colonies in Tilak Nagar	242,75.091
2	29	P/L 280 mm dia sewer line in gali no 12 Santgarh and replacement of old sewer line in gali no.30 and 31 Santgarh in AC no.29 Tilak Nagar.	5,35.290

1	2	3	4
3	79	P/L/J 100 mm dia DI water line in streets no.04 and 08 in Pathvi Park in Ac No. 29 Tilak Nagar.	5,11,951
		TOTAL	253,22,342
		2017-18	
1	29	P/L 100mm DIA D.I water line left out Gali no.2 and 3 West Block Vishnu Garden in Tilak Nagar Constituency AC-29	6,30,467
2	29	P/L new outfall for JG-I block Vikas Puri and replacement of 250 MM OIA sewr line from 722 to 712 in JG-H Bicok in Vikas Puri in ward No. 116 AC-29 Tilak Nagar Constituency	6,89,849
3	29	Providing and laying of 200 mm d'ta Dlline from MBS nagar UGR to C-block Tilak vihar UGR in ward no 116 Tilak nagar constituency AC 29 under EE (WEST)-I	15,37,083
		TOTAL	28,57,399
		2018-19	
1	29	Providing rew out fall by P/L SOOmm Dia HOPE pipe by Trenchless HOD method from SA/52 Vishnu Garden To Madrasi mandir near E block Khyala JJC in ward no 115 in Tialk Nagar constituency AC 29 under EE (WFST)-I	41,80,013
2	29	Providing and laying new water line in left out portion of Ravi Nagar Extension Dharmpuri and 50 Block) Tilak Nagar Constituency AC 29 under EE (West)-I	34,17,580

1	2	3	4
3	29	P/L new loop line 15' deep in front of C-17 for New Krishna Park in Vikas Puri in Ward NO 14-S in AC-29 Tilak Nagar Constituency Under EE (WEST)-I	8,40,984
4	29	Improvement of water supply by providing 100/150 mm dia water line from WZ-122/7 to WZ-85 Meenakshi Garden in Ward No. 135 in Tilak Nagar Constituency AC 29 under EE (WEST)-I	7,33.663
5	29	P/L 100 mm d!a Di water line from H,Nc.256 to 177 H.No.37 to 26 and park to H.Nc.7 Double Storey near Tilak vihar and replacement of PVC pipe 100 mm dia near WZ-7 in Keshopur in Ward No.125 in Tilak Nagar Constituency AC 29 under	5,11,785
5	29	Improvement of water supply by providing 100/150 mm dia DI water line in S1,S2,S3, A Block Ganesh Nagar, Krishna Park and Krishna Purr in Tilak Nagar Constituency AC 29 under EE(WtSTj-l	18,79,227
		Total	115,63,252
		2019-20	
1	29	Providing laying 400 mm dia DI pipe from Road No 44 Khyaia Village to RZC in Ward NO.012S in AC-29 Tilak Nagar under EE(WEST)-I	22.06,020
2	29	P/L 100 mm dia water line from 62/1 to 41/1A Ashok Nagar in Tilak Nagar Constituency AC 29 under EE (WEST)-I	7,38,251
3	29	P/L 100 mm dia water line for JJ cluster near Tilak Nagar Ind!. Area behind pacific Mail AC 29 Tilak Nagar under EE (West)-l	3,58,632
		TOTAL	33,02,903

59. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी परिषद द्वारा बोरवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है; पूर्ण जानकारी दी जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इस हेतु दिल्ली छावनी क्षेत्र में किन किन स्थानों पर कितने बोरवेल लगाए गए हैं; विस्तृत जानकारी दी जाए'

(ग) इस क्षेत्र में पानी का टी.डी.एस. क्या है;

(घ) क्या क्षेत्र वासियों के स्वास्थ्य के लिए यह पानी हानिकारक है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) बोरवेल का विवरण निम्नलिखित हैः–

वार्ड नंबर 1: 8

वार्ड नंबर 2: ..

वार्ड नंबर 3: 4

वार्ड नंबर 5: ..

झरेरा गाँवः 8

मेहराम नगरः 8

वार्ड नंबर 6:–

गाँव ईस्ट मेहराम नगरः 6

टिग्रिस रोडः 1

गाँव प्रहल्दपुरः 1

वार्ड नंबर 7:–

गाँव ओल्ड नांगलः 6

सी.बी. स्कूल के पासः 1

मस्जिद के पासः 1

सी.वी.डी.: 1

वार्ड नंबर 8:–

सदर बाजारः 7

थिममायाः 1

(ग) पानी का टी.डी.एस. 500 से 1200 तक है; और

(घ) जी नहीं। पानी की गुणवत्ता एन.ए.बी.एल. प्रमाणित लैबोरेटरी से नियमित अंतराल में करवाई जाती है। लैब की संस्तुति के बाद ही जल आपूर्ति की जाती है।

60. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी के अंतर्गत नारायणा गांव में वाटर बॉडी को विकसित करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना पर कब तक कार्य शुरू किया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि नारायणा गांव के तालाब के अलावा दिल्ली कैंट विधान सभा में किसी और तालाब का भी विकास किए जाने की योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है?;

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) दिल्ली छावनी परिषद से प्राप्त उत्तर के अनुसार दिल्ली छावनी सीमा के अन्दर नारायणा गाँव में वॉटर बॉडी स्थित है। दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली तथा लोक निर्माण विभाग के बीच प्रबंधन को लेकर विवाद है। इस कार्यालय ने लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों को क्षेत्र के संयुक्त सीमांकन के लिए अनुरोध किया है।

दिल्ली छावनी परिषद में नारायणा गाँव स्थित मौजूदा वाटर बॉडी के विकास के लिए अभी किसी योजना को सुनिर्णित नहीं किया है; और

(ग) और (घ) दिल्ली छावनी परिषद से प्राप्त उत्तर के अनुसार नारायणा गाँव में वॉटर बॉडी के अतिरिक्त दिल्ली छावनी परिषद के क्षेत्राधीन गाँव झरेरा तथा ईस्ट मेहराम नगर तालाब स्थित है। दिल्ली छावनी परिषद द्वारा गाँव झरेरा के तालाब से गाद निकाला गया है तथा भूस्थल का विकास तेजी से किया जा रहा है, जिसमें लैंडस्कैप डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है की गाँव ईस्ट मेहराम नगर स्थित तालाब की भूमि का प्रबंधन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्राधिकारियों के अधीन है। दिल्ली छावनी परिषद के पास गाँव मेहराम नगर स्थित तालाब के विकास के लिए कोई प्रस्ताव सुनिर्णीत नहीं किया है, क्योंकि इसका प्रबंधन बोर्ड में निहित नहीं है।

61. श्री सुखबीर सिंहः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1/1/2018 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएँ;

(ख) दिनांक 1/1/2015 के बाद से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में बिछाई गई पानी की पाइपलाइनों की कुल लंबाई कितनी है; उनके नाम व पाइपलाइनों की लंबाई की सूची क्या है;

(ग) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1/1/2015 के बाद से सीवर के जो काम (सफाई, गाद निकालना व संस्थापन) पूरे हो चुके हैं, उनका पूरा ब्यौरा प्रदान करें;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निलोठी में एक झील बनाए जाने की योजना की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है; और

(ङ) दिनांक 1/1/2016 के बाद से दिल्ली जलबोर्ड, उद्यान विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रदान करें?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) विवरण अनुलग्नक–'अ' में संलग्न है;

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 एन. और 36 एन. में बिछाई गई पानी की पाईप लाइन का विवरण संलग्नक–'ब' में संलग्न है;

(ग) मुंडका गाँव में आन्तरिक सीवर के कार्य की कुल लागत रु. 12.69 करोड़ थी तथा ये फरवरी–2015 तक पूर्ण हो गया, सिवाय निम्नलिखित स्थानों को छोड़करः–

1. भगत सिंह पार्क।

2. रोहतक रोड क्रासिंग–2 नग

3. मुंडका गाँव का सीवर, इन स्थानों के पूर्ण होने के बाद चालू हो जाएगा।

भगत सिंह पार्क में कार्य प्रगति पर है तथा रोहतक रोड का कार्य चौथी बार निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के परिसर के अंतर्गत एक झील बनाने की योजना प्रस्तावित है। यह योजना 2349.59 लाख रुपये के ब्लॉक एस्टीमेट को दिल्ली जल बोर्ड की 24.12.2018, 143th मीटिंग में पारित किया गया। यह कार्य को लागू करने के लिए टेंडर्स आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है; और

(ङ) विवरण अनुलग्नक–'स' में संलग्न * है।

62. **श्री विजेन्द्र गुप्ताः** क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी पेयजल टैंकरों के लिए सरकार के तय दिशा–निर्देशों की विस्तृत जानकारी क्या है;

(ख) इस समय दिल्ली जल बोर्ड के कितने टैंकर रिहायशी कॉलोनियों में पेयजल की सप्लाई कर रहे हैं;

(ग) सरकारी जानकारी के अनुसार इस समय कितने अवैध टैंकर चल रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा अपने लगभग साढ़े चार साल के कार्यकाल में कितने अनधिकृत टैंकरों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड का कितने प्रतिशत पानी अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचता है

(च) दिल्ली जल बोर्ड की वैबसाइट कब से ठप्प पड़ी है; और

(छ) सरकार टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की छायाप्रति अनुलग्नक–अ में संलग्न है;

(ख) 1062 वाटर टैंकर;

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में कोई अवैध टैंकर नहीं चल रहे हैं;

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकरों द्वारा शत–प्रतिशत पानी अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचाता है;

(च) जी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट दिल्ली सरकार के Department of Information Technology विभाग द्वारा संचालित होती है तथा यह वेबसाइट ठप्प नहीं पड़ी है, चालू हालत में है; और

(छ) ऐसा कोई मामला जानकारी में आने पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

Annexure-A

OFFICE OF THE CHIEF NODAL OFFICER (WATER)
DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
VARUNALAYA PHASE II: KAROL BAGH: NEW DELHI-05

No. DJB/CNO(W)/F-15/2018/847 Dated: 14-08-2018

Instructional Orders

Functioning of Water Emergency/Filling points and Water Tankers.

Circulars/Instructions have been issued from time to time for optimum use of the vehicles for supply of water and for keeping proper record. It was instructed that the vehicles i.e. water tankers engaged shall be of approved models having latest fitness certificate preferably having stainless steel water storage tanks, road tax clearance, insured and certificated for pollution control with licensed drivers having blotless driving record for working 16 hours per day. He should also wear proper uniform of Driver.

It is however revealed by CVO that these instructions are not being complied with during random checking of DJB's water emergencies and filling points. Further, the field staff especially Shift-in-charge/Beldars are quite oblivious of any such instructions/ guidelines.

Taking into considerations these facts, CEO has desired that the instructional order be reiterated and strict compliance of the same be ensured by the supervisory staff after explaining the implications of each and every instruction mentioned below especially those at S.No.s

6 to 10 to lower staff i.e. shift-in-charge and beldars managing the water emergencies and filling points.

Accordingly, the instructions issued vide Instructional Order No. Member(A)/CE (East)/2009/461 dated 20.04.2009 are reiterated with some subsequent amendments as under for strict compliance as desired by CEO and test check by JE/ZE/EEs and SEs concerned.

1. A daily deployment programme of hired as well as departmental vehicles making specified numbers of trips shall be prepared so as to ensure delivery of water to the target areas. This should be displayed prominently in each & every water emergency with copies endorsed to the Nodal Officers/concerned SEs/CEs as well as vigilance for random checking.

2. Number of trips with destination be fixed for each departmental/ hired Mounted Tankers/MMVs (TATA 407) with the signature of concerned EE/ZE/JE on 1st page of Log Book. Proportionate recovery shall be affected for lesser trips made. Any vehicle making lesser trips repeatedly or in case of break down be dis-engaged immediately.

3. It shall be ensured that the optimum use of hired vehicles is made and utmost care is taken to see that the water proposed to be delivered to the target areas actually reaches them by effective supervision and monitoring of tankers deployment and keeping proper record of receipt of water by the beneficiaries. Payment to vehicle operators be made ony after proper verification of actual receipt of water by the beneficiaries.

4. Care must be taken for judicious deployment and optimum utilization of all departmental and hired vehicles so that no area is left un-served. Monitoring of performance at various levels shall be maintained and placed on record.

5. Special monitoring shall be ensured for preventing misuse of precious water. In case of deliberate attempt by private operator to divert the tanker service to the places other than the authorized designated point of not maintaining efficient fixtures on the container to avoid wastage/leakage of water or causing damage to the DJB installed equipment and filing point, minimum penalty of Rs. 500/- per occurance shall be imposed and the same can be raised upto Rs.25000/- depending upon the gravity of the falut.

6. Milo meters of the vehicles must be in working order. These should be properly sealed. Vehicle shall be taken on duty when its Milo meters is in proper working order. Any vehicle found with meter not in working condition or in tempered condition shall be fined minimum penalty of Rs. 5000/- and the same can be raied to Rs.25000/-. The vehicle shall be taken on duty only when the meter is in order. All the journeys shall be recorded in the Log Sheet and signatures should be invariably taken for receipt of water supply by the beneficiaries. Repeated tampering of the equipment, stealing of water and indulging into malpractices may invite stringent penalties such as forfeiture of security and all payments to make good the damage and lodging of FIR.

7. Specified Performa of Log Book of the vehicle, compliant register, movement of vehicles, tanker booking and master

register at filing points have been circulated. Proper log book should be maintained showing the km run and also the timing for which the water tanker delivers the water to any destination. The telephone/Mobile No. of at least one person, actual user should be obtained from the destination point so that the trip can be verified by the water emergency officials or any inspecting officer.

8. Vehicle log book on specified Performa in well stitched and bounded register of the month & authenticated by Executive Engineers concerned shall be maintained at each Water Emergency and no permission o loose log sheet/ paper shall be allowed.

9. All hired water tankers shall have writing with light blue based paint on both sides of body to read as 'ON DELHI JAL BOARD DUTY' and on the rear side the name of Water Emergency and phone number shall be clearly painted in blue base. To distinguish between DJB and hited tankers, a 6" wide yellow stip of tankers body and back be provided.

10. Writing such as Delhi Jal Board or Delhi Sarkar shall be allowed only on Departmental water tankers of Delhi Jal Board with phone number and name of Water Emergency.

11. Numbers of private tankers are to be reduced gradually by examining requirement at each filling point separately and review the performance of such vehicles at regular intervals.

12. A Display Board prominently placed at Water Emergency Cell must indicate the No. of hired tankers as well as departmental tankers and trolley/trailer tankers. It should

also indicate Status of No. of the tankers booked for marriage or other functions etc. date wise. Proper receipt of amount received must be issued.

13. It should be ensured that telephones installed at Water Emergency should be in working order and complaints are heared properly.

14. Defective/rusted/ leaking tankers be got rectified immediately. No leaking tanker be engaged. The responsibility of proper upkeep and maintenance of vehicle shall be of the owner. Leaking tankers without lids of containeds, poor condition, rusting of body, causing more pollution (Beyond acceptable limit) providing no useful services, violating guidelines issued by the department shall not be taken on duty.

15. There should not be any wastage of water at the filling points as well as during transit. Care must be taken to ensure this by keeping all the filling points and tankers in order. The staff and the truck drivers be educated to conserve water.

16. The concerned JE's in charge of Water Emergency will ensure that the water tanker is filled to the maximum capacity before it leaves the Water Emergency.

17. The driver of the tanker will ensure the chlorine test of water by the concerned JE/Supervisor to check presence of chlorine, before the tanker leaves the Water Emergency.

18. Writings such as Delhi Jal Board, Delhi Govt. etc. shall be got defaced while disengaging the vehicle. In case of non-

compliance, matter be reported to police and payment be withheld.

19. The owner will ensure that the container is cleaned and flushed regularly by bleaching powder, which shall be supplied by the Department.

20. The engagement of the tankers in each division be based strictly as per seniority basis framed by the respective division and submitted to the CE office.

21. The tankers should be engaged only on the approved rates, terms and conditions of the department subject to fitness of the vehicles as per fitness certificate issued by the Transport/ Department, Govt. of NCT of Delhi and in conformity with various orders issued by Hon'ble Courts etc. time to time.

22. Every effort, should be made to provide potable water to the residents of Delhi religiously and it should be ensured that no area is left out without providing potable water wherever feasible on ground.

23. SEs may please assess the requirement of infrastructure and actual deployment in various control rooms under their control to ensure effective management of water emergencies.

24. The steps shall also be taken to set up permanent arrangement for water supply wherever and technically feasible so that the non-revenue supply is replaced by revenue generating and cheaper supply methods at the earliest.

25. Complaints received must be served on first come first basis to avoid public cricism of undue delay.

26. The space for the parking under the filling point be painted so that tanker stands at its right place and spilling/ wastage of water is avoided. The floor beneath the filling points and also in the entire Water Emergency be properly got repaired so that there is no spilling over of water.

27. SE in charge of the District should review the condition of the tankers on monthly basis and should ensure 100% Departmental fleet to be road worthy.

28. The tanker owners will be absolutely and solely responsible for any accident that may occur during the operation of vehicle/tanker and for injuries or damage to the person or the property of any description whatsoever which may be caused by or result from the operation of vehicle tanker. To this the owner/vehicle operator shall at his own expense, take over necessary and timely precaution against injuries on accident to any person or property. In the event of accident to any person or persons or death or injury of any description to any person, structure, animal or things, the tanker's owner will be solely responsible for the same and will indemnify Delhi Jal Board on whose behalf the vehicleees/ Tankers are being operated from paying any claim or expenses whatsoever on account thereof.

29. For monitoring the movement, the private water tanker shall also be fitted with GPS as per the directions of DJB. Cost of installation of the equipment will be borne by the department. However, the operators will be fully responsible to ensure safety of the equipment, its, functionality, and

will also be required to deposit certain amount of money with DJB as security against the equipment installed at the cost of DJB. This security amount shall be refundable after the expiry of the contract and return of the. DJB equipment in sound condition.

All the instructions must be got noted by all EEs/ ZEs/ JEs and other staff including those engaged in water emergency at all filling points for strict compliance. Action shall be taken against the individual officials/staff found not complying with the above instructions.

The above Instructional Orders are issued with due approval from the Competent Authority.

EO to CNO(W)

All SEs/ EEs (Maintenance)

Copy for kind information to:

1. CEO
2. Member (F)
3. Member (WS/Dr.)
4. CNO(W)
5. CVO
6. All CEs (Maint.)/CE(W)Pr.
7. Director (F&A)
8. Director Enforcement.
9. Director Project (SAP)
10. EE(RPC)

EO to CNO (W)

63. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैला ढोने तथा हाथ से सफाई करने के काम की रोकथाम और इन्हें करने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास से जुड़े पी.ई.एम.एस.आर. एक्ट, 2013 के अन्तर्गत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत सीवर साफ करते समय मृत्यु होने के कारण अब तक किस–किस अधिकारी तथा ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(ग) जल बोर्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं;

(घ) प्राईवेट क्षेत्र में कितने कर्मचारी हाथ से मैला ढोने तथा सफाई के काम में लगे हैं; और

(ङ) कम चोड़ी सड़कों तथा गलियों में सीवर की सफाई की क्या व्यवस्था है?;

माननीय मुख्यमंत्री: (क) दिल्ली जल बोर्ड में हाथ से सीवर की सफाई पूर्णतया प्रतिबन्धित है। सीवर की सफाई का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है;

(ख) दिल्ली जल बोर्ड सतर्कता विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 06.08.2017 को 03 प्राइवेट सीवर कर्मचारियों की मृत्यु सीवर मेन हॉल, नजदीक संत कंवर राम मन्दिर, जल विहार रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली की सफाई करते हुए हो गई थी तथा इस केस में (1) श्री प्रीति पंत, अधिशासी अभियंता (सिविल) (2) श्री शिव हरी, सहायक अभियंता तथा (3) श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के विरुद्ध कठोर दण्ड के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा

इस मामले में पुलिस ने भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/177/218/467/468/471 तथा मैन्युल स्कवैजिंग एक्ट, 2013 की धारा 7/9 तथा एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(1) के अन्तर्गत एफ.आई. आर. संख्या 354/2017 भी दर्ज कर ली है, जिसमें न्यायालय का आदेश अभी प्रतीक्षित है।

ठेकेदार के विरुद्ध Contract Agreement के तहत कार्रवाई की जाती है;

(ग) जल बोर्ड में कुल 149 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) दिल्ली जल बोर्ड में केवल बोर्ड में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध है; और

(ङ) गलियों में सीवर की सफाई के लिए छोटी सीवर मशीन का उपयोग होता है।

64. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की कम आपूर्ति और दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिलती रहती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्षेत्र वासियों को पर्याप्त मात्रा में पेय जल उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए हाईड्रोलिक सिस्टम का प्रस्ताव दिया गया था;

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(च) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्य क्यों नहीं किया गया है; और

(छ) किये गये कार्य का विवरण, परियोजना तथा वस्तुस्थिति का विवरण दिया जाए?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में कुछ इलाकों से कभी–कभी पानी की कम आपूर्ति और दूषित पानी की शिकायत प्राप्त होती है, जिसे उसी समय दूर करने की कार्रवाई की जाती है;

(ख) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुबह 05. 30 से 07.45 तक व शाम को 5.30 से 07.30 तक की जाती है। विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर अनधिकृत नियमित कॉलोनी है, जिनमें अनियोजित विकास हुआ है, जिनके कारण कुछ क्षेत्रों में पानी कम दबाव व कम समय के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन पानी सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है।

कभी–कभी गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें आती है, उनका तुरंत निवारण किया जाता है। अधिकतर शिकायतें उपभोक्ता के सर्विस पाइप खराब होने के कारण आती है;

(ग) क्षेत्र में जल वितरण प्रणाली की हाइड्रोलिक मॉडलिंग कराई गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित कार्य पूरा होने पर सभी निवासियों को पर्याप्त मात्रा व दबाव पा पानी उपलब्ध होगा। यह कार्य अगले 02 वर्ष में पूर्ण होने का अनुमान है;

(घ) जी हाँ; और

(ङ) से (छ)

जल वितरण प्रणाली की हाइड्रोलिक मॉडलिंग की रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई है। रिपोर्ट में दर्शाये गए कार्यों को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। संपूर्ण कार्य का अनुमानित समय लगभग 02 वर्ष है।

65. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से यू.जी.आर. रैड एम.आई.जी. फ्लैट तथा यू.जी.आर. एल.आई.जी. फ्लैट में दिन के समय में अधिकतर यू.जी.आर. पर किसी भी कर्मचारी के मौजूद न होने की शिकायतें आती रहती हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि हमेशा यहाँ पर कचरा तथा गंदी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही भयंकर स्थिति है;

(ग) क्षेत्रवासियों एवं आस–पास के लोगों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद पानी उपलब्ध कराने हेतु यू.जी.आर. की सुरक्षा एवं साफ–सफाई सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो विभाग ने अभी तक इस क्षेत्र में क्या–क्या कदम उठाए हैं?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) यू.जी.आर. रेड एम.आई.जी. फ्लैट तथा यू. जी.आर. एल.आई.जी. फ्लैट पर विभागीय स्टाफ की कमी के कारण केवल दो शिफ्टों में शाम 4 से 12 तथा रात्री 12 से 08 बजे में स्टाफ लगाया गया है। इन्हीं दो शिफ्टों में यू.जी.आर. से पानी की सफाई की जाती है।

दिन के समय 8 से 4 की शिफ्ट में मेंटेनेंस स्टाफ समय समय पर चैक करते रहते हैं;

(ख) जी नहीं। यहाँ पर कोई कचरा या गन्दी वस्तुएं नहीं हैं। सिविल से सम्बन्धित कार्य के कारण यहाँ कुछ बिल्डिंग मैटेरियल है कार्य पूर्ण होते ही इसे हटा दिया जायेगा; और

(ग) और (घ) क्षेत्रवासियों एवं आस–पास के लोगों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद पानी उपलब्ध कराया जाता है जोकि वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा शोधित है तथा प्लांट पर लैब स्टाफ द्वारा इसकी प्रत्येक घंटे में जाँच होती है। क्षेत्र में भी विभागीय लैब स्टाफ इसकी जाँच करता रहता है। विभागीय स्टाफ द्वारा यू.जी.आर. की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है।

66. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करने के लिये जमीन के नीचे जलाशय का निर्माण करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ तो क्या इस जलाशय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब से शुरू होगा और यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा पूर्ण विवरण दें?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) जी हाँ;

(ग) उत्तर 'ख' के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

67. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र की दस कालोनियों में डाली गई पानी की पाइप लाइनों में अभी तक पानी की कोई आपूर्ति नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र के लोगों को पानी देने हेतु इन पाइप लाइनों में पानी की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पाइप लाइनों में कब तक पानी की नियमित आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) इन पाइप लाइनों में पानी की आपूर्ति के लिए सोनिया विहार जल संयंत्र परिसर में 5.9 मिलियन गैलन क्षमता के भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट डिविजन द्वारा कराया जा रहा है; और

(ग) सोनिया विहार जल संयंत्र परिसर में भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग के निर्माण एवं चालू होने के उपरांत पानी की आपूर्ति मार्च 2020 में शुरू होने की संभावना है।

68. श्री संजीव झाः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पानी के कुल कितने घरेलू कनेक्शन हैं;

(ख) क्षेत्रवार / कालोनियों के अनुसार इन सभी उपभोक्ताओं का विवरण क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र के अंतर्गत तैनात किये गये दिल्ली जल बोर्ड के मीटर रीडरों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाये?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

69. श्री संजीव झाः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने जोहड़ों को पुनर्निर्माण करके विकसित किये जाने की योजना है;

(ख) वे जोहड़ कौन कौन से हैं;

(ग) वर्तमान में इस कार्य के टेंडर प्रक्रिया की क्या स्थिति है; और

(घ) यह कार्य कब से शुरू होगा व कब तक पूरा करने की योजना है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) वर्तमान में 03 जोहड़ों को पुनर्निर्माण करके विकसित करने की योजना है;

(ख) (i) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (a), खसरा नं. 148

(ii) बुराड़ी (4) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (b), खसरा नं. 151 / 1

(iii) बुराड़ी (क) और कमालपुर माजरा बुराड़ी (d), खसरा नं. 193 / 2

(ग) एवं (घ):–

(i) उपरोक्त (i) के लिए टेंडर 5/8/2019 को स्वीकार किए जा चुके हैं और अगस्त, 2019 तक अवार्ड कर दिए जाएंगे और कार्य अगले 6 माह में समाप्त हो जाएगा।

(ii) उपरोक्त (ii) के लिए टेंडर 20/8/2019 को स्वीकार किए जा चुके हैं और अगस्त, 2019 तक अवार्ड कर दिए जाएंगे और कार्य अगले 6 माह में समाप्त हो जाएगा।

(iii) उपरोक्त (iii) के लिए टेंडर 29/7/2019 को स्वीकार किए गये थे NIT नियम को पूरा नहीं कर पाने की वजह से निरस्त कर दिए गए थे। अब टेंडर दुबारा मंगाए हैं जो कि अक्टूबर 2019 में अवार्ड कर दिए जाएंगे तथा अवार्ड के 6 माह बाद कार्य समाप्त हो जाएगा।

70. श्री संजीव झाः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व), संसदीय शाखा, शामनाथ मार्ग दिल्ली से प्राप्त उत्तर के अनुसार,

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने जोहड़ कहाँ कहाँ पर हैं;

(ख) इस क्षेत्र में जोहड़ों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इनकी देखभाल की जिम्मेवारी किस संस्था के अधीन है;

(घ) क्या ये सत्य है कि कुछ जोहड़ों पर भू–माफियाओं का कब्जा है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि जोहड़ों की जमीन पर बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे है; और

(च) यदि हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पालम विधान सभा में चार जोहड़ पालम गांव में है;

(ख) (ग) (घ) (ङ) एवं (च):–

पालम गांव शहरीकृत हो चुका है तथा इस गांव की समस्त ग्राम सभा Section 22 (1) Delhi Development Act, 1957 के दिनांक 19.08.2002 के नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

71. सुश्री भावना गौड़ः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा क्षेत्र में बने हुए कमांड टैंक की क्षमता कितने एम.जी.डी. पानी के लिए है;

(ख) इस क्षेत्र में जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार कितने एम.जी.डी. पानी की आवश्यकता है;

(ग) इस क्षेत्र में इस कमांड टैंक से कितना पानी दिया जा रहा है;

(घ) क्या आने वाले समय में यह कमांड टैंक इस क्षेत्र की जनता को पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने में सक्षम है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका भविष्य के लिए क्या विकल्प सोचा गया है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) पालम विधानसभा क्षेत्र में बने हुए कमांड टैंक की क्षमता 13.22 एम.जी.डी. पानी के लिए है;

(ख) इस क्षेत्र में जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 13.14 एम.जी.डी. पानी की आवश्यकता है;

(ग) इस क्षेत्र में इस कमांड टैंक से लगभग 7.00 एम.जी.डी. पानी दिया जा रहा है; और

(घ) एवं (ङ):–

आने वाले समय में यह कमांड टैंक इस क्षेत्र की जनता को पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने में सक्षम है।

72. श्री आदर्श शास्त्रीः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगदम्बा विहार, शिवपुरी, मदनपुरी, गीतांजली पार्क एवं अन्य कॉलोनी के बड़े हिस्सों में पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है तथा विभाग द्वारा इसके समाधान हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं एवं भविष्य में क्या योजना प्रस्तावित है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछले एक वर्ष से नसीरपुर रोड पर 400 एम.एम. की डाइ मीटर वाली मेन लाईन पर काम करने हेतु पुलिस प्रशासन की सहयोग की मांग करती रही है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि गीतांजलि पार्क गली नंबर 6 के पास एक टी जोड़ देने से बड़े क्षेत्र में पानी की आपूर्ति संभव है;

(च) यदि हां तो इस संबंध में विभाग ने क्या प्रयास किए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इस संबंध में संभावना तलाशने हेतु की गई किसी कार्रवाई का विवरण क्या है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जगदम्बा विहार, शिवपुरी, मदनपुरी, गीतांजली पार्क में पानी की सप्लाई कमांड टैंक–1 (C.T.-1) द्वारका द्वारा करती है। परन्तु आखिरी छोर में कुछ जगहों पर पानी का कम दबाव होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता, वहाँ पानी की सप्लाई टैंकरों द्वारा की जाती है;

(ख) कमांड टैंक–1 (C.T.-1) से पानी की उपलब्धता कम है उसके लिए 400 एम.एम. की लाइन नसीरपुर रोड पर नीची करनी थी लेकिन पब्लिक ने कई बार कार्य में रुकावट पैदा कर दी;

(ग) जी हाँ;

(घ) इस सम्बन्ध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय समय पर कई पत्र लिखे जा चुके हैं उनका विवरण इस प्रकार हैः

1. DJB/EE(SW)I/951 dt 27.6.18
2. DJB/EE(SW)I/1060 dt 7.6.18
3. DJB/EE(SW)I/1182 dt 20.7.18
4. DJB/EE(SW)I/1396 dt 21.8.18
5. DJB/EE(SW)I/1492 dt 28.8.18

6. DJB/EE(SW)I/1686 dt 4.9.18
7. DJB/EE(SW)I/2831 dt 28.11.18
8. DJB/EE(SW)I/485 dt 9.6.19
9. DJB/EE(SW)I/712 dt 12.7.19

(ङ) एवं (च):–

गीतांजलि पार्क, गली नंबर 6 के पास टी जोड़ने से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है; और

(छ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में पानी की संभावना बढ़ाने के लिए 600 एम.एम. कैलाशपुरी रोड पर लाईन नीची करने का प्रावधान है। बड़ी लाइनों में सलूस वाल्व लगाकर उपलब्ध पानी को विनियमित करना। हाईड्रोलिक मॉड्लिंग द्वारा वितरण प्रणाली का आंकलन करके उचित कार्यवाही करना।

73. श्री जगदीप सिंहः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मायापुरी के यू.जी.आर. का कार्य पूरा करने की तिथि मार्च 2019 की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ग) वह कब तक पूरा होगा; और

(घ) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के यू.जी.आर. कार्य कब तक पूरे होंगे?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) जी नहीं। मायापुरी जलाशय के निर्माण कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि जून 2019 थी;

(ख) पेड़ काटने की अनुमति समय पर नहीं मिलने के कारण कार्य में देरी हुई है;

(ग) इस कार्य के मार्च 2020 तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में यू.जी.आर. बनाने का कोई कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नहीं किया जा रहा है।

74. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मालवीय नगर विधान सभा में 2014 से पूर्व दिन में दो बार पानी की सप्लाई की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो किसके आदेश पर इसे बंद किया गया;

(ग) मालवीय नगर विधान सभा में कब तक दिन में दो बार पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी;

(घ) मालवीय नगर वाटर सीवरेज के क्या उद्देश्य थे और उन्हें कहां तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

माननीय मुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ, परंतु कुछ क्षेत्रों में केवल ट्यूबवेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी;

(ख) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पी.पी.पी. क्षेत्र के अंतर्गत मालवीय नगर भूमिगत जलाशय से दो बार जल आपूर्ति की व्यवस्था को

बदलकर एक बार, जून 2016 से किया गया। इसका कारण यह है कि विभिन्न कॉलोनियां जिन में पहले ट्यूबवेल द्वारा पानी की व्यवस्था थी, उनको भूमिगत जलाशय की सप्लाई से जोड़कर फिल्टर सप्लाई दी गई है।

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की कुछ कॉलोनियाँ जैसे सर्वोदय एन्क्लेव, सर्वप्रिय विहार, अध्चिनी एवं बेगमपुर का कुछ भाग में वर्तमान में भी दो समय, सुबह मालवीय नगर यू.जी.आर. से एवं सायंकाल को डियर पार्क से फिल्टर पानी की आपूर्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त मालवीय नगर विधान सभा में 84 ट्यूबवेलों से भी विभिन्न कॉलोनियों में नान सप्लाई ऑवर में पानी की आपूर्ति की जाती हैं

(ग) मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में वांछित मात्रा (80 एम.एल. जो कि वर्तमान मं 65–68 एम.एल. है) में जल आपूर्ति उपलब्ध होने के पश्चात दिन में दो बार पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी;

(घ) इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य है कि परियोजना क्षेत्रों के सभी भागों में जल आपूर्ति की उपलब्धता, गैर राजस्व पानी को कम करना, 100 प्रतिशत मीटरिंग, उपभोक्ता शिकायतों को कम करना व 24/7 पानी आपूर्ति करना है। यह कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 95 प्रतिशत कैपिटल वर्क्स को पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) दिल्ली में वांछित मात्रा में पानी की उपलब्धता की कमी तदानुसार मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में वांछित मात्रा की कमी व अनधिकृत जल कनेक्शनों के कारण।

75. श्री आदर्श शास्त्रीः क्या **माननीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्रामीण विकास बोर्ड की 23 अगस्त, 2018 की बैठक में द्वारका विधान सभा क्षेत्र के 51 कार्यों को मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या हैं;

(ग) इन कार्यों को संपन्न करवाने हेतु संबंधित कार्यकारी एजेंसी को राशि उपलब्ध कब तक हो पाएगी;

(घ) क्या यह विकास विभाग, ग्रामीण विकास बोर्ड के स्तर पर कार्य निष्पादन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित कर रखा है;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं तो उसका कारण क्या है?

माननीय विकास मंत्रीः (क) यह सत्य है। दिनांक 23.08.2018 की बैठक में ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा श्री आदर्श शास्त्री, माननीय विधायक (विधान सभा क्षेत्र द्वारका) के 51 प्रस्ताव कुछ शर्तों के साथ पारित किये गये थे, जिनको पूरा करने में कार्यकारी एजेंसियों को निर्धारित समय से अधिक समय लगने के कारण कैबिनेट के निर्णय संख्या 2665 के तहत इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया व जिला अधिकारियों को फाइलों को भेजने की प्रक्रिया कोखत्म करके शहरी विकास विभाग के तर्ज पर विधायक निधि फंड–2012 को अपना लिया गया। इस प्रक्रिया में और सुधार केबिनेट निर्णय संख्या 2674 के तहत किया गया। इसके उपरान्त माननीय विकास मंत्री के दिनांक 11.02.2019 के निर्देशानुसार दो जांच सूचियाँ और एक छः बिन्दु का प्रमाणपत्र कार्यकारी एजेंसी से लेने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया को माननीय विकास मंत्री के दिनांक 10.06.2019 के निर्णयानुसार

और सरल व तेज करने हेतु दो जांच सूचियों को लेने की प्रक्रिया हटा दी गयी व छः बिन्दु प्रमाण पत्र में से भी पाँचवाँ बिंदु हटा दिया गया है;

(ख) 51 स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति संलग्नक * "अ" के अनुसार हैं;

(ग) प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय अनुमोदन हेतु सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा संलग्नक 'ब' के अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्रामीण विकास विभाग को आबंटित (कैपिटल मद में) रुपये 380 करोड़ में से अब तक 330 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृतियां एवं वित्तीय अनुमोदन तथा कार्यकारी एजेंसियों को फण्ड जारी करने का विस्तृत ब्यौरा संलग्नक * 'स' में है;

(घ) जी नहीं, परीक्षित होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जायेगी। माननीय विकास मंत्री जी के दिनांक 10.07.2019 के निर्देशानुसार विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ वित्तीय अनुमोदन देने के आदेश भी दिये गये हैं। श्री आदर्श शास्त्री के 51 पारित प्रस्तावों में प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय अनुमोदन देने में विलंब होने का मुख्य कारण उप मुख्य नियंत्रक (मुख्यालय) के पद का दिनांक 01.08.2019 से 13.08.2019 तक रिक्त होना और परियोजना निदेशक व विशेष विकास आयुक्त के पदों का दिनांक 24.07.2019 से अब तक रिक्त होना है। जैसे ही इन पदों पर संबंधित अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं वैसे ही माननीय विकास मंत्री जी के दिनांक 10.07.2019 के निर्देशों का अनुसरण करते हुए, श्री आदर्श शास्त्री जी के 51 पारित प्रस्तावों में प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय अनुमोदन देने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी;

---

*सभी संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ङ) उपरोक्त 'घ' अनुसार; और

(च) उपरोक्त 'घ' अनुसार।

76. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनता की सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में पथ–प्रकाश की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है;

(ख) मुख्यमंत्री सदन योजना को गाँवों में लागू न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मुंडका विधान सभा क्षेत्र में पशु–चिकित्सा सुविधाओं में सुधार प्रस्तावित है;

(घ) मुंडका विधान सभा में जिन चार तालाबों को नवीकरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, उन पर संबंधित प्राधिकारियों की ओर से अब तक कोई कार्य न किए जाने के क्या कारण है; और

(ङ) बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांकः 01.01.2015 से कितने किसानों को बीज प्रमाणिकरण की सुविधा प्रदान की गई है, संपूर्ण ब्यौरा प्रदान करें?

माननीय उप मुख्यमंत्रीः (क) यह प्रश्न शहरी विकास विभाग से संबंधित होने के कारण शहरी विकास विभाग को जानकारी देने हेतु भेजा गया था लेकिन शहरी विकास विभाग की जानकारी के अनुसार यह प्रश्न स्थानीय निकाय शाखा से संबंधित नहीं है;

(ख) इस संबंध में स्थानीय निकाय, शहरी विकास विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा निर्देश पत्र संख्या

F.18 (524)/A/UD/Plg./2018-19/5589-5618 dated 09-10-2018 के अनुसार कार्य किये जाते है। (प्रतिलिपि संलग्न है);*

(ग) जी हाँ, मुंडका विधान सभा क्षेत्र में पशु–चिकित्सा सुविधाओं में निम्न अनुसार सुधार प्रस्तावित है :–

1. पशु स्वास्थ्य और कल्याण नीति 2018 को माननीय विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है और नीति के अनुसार यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में एक पशु चिकित्सालय होगा।

2. हाल ही में राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्र सहित मुंडका निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पताल के बेहतर कामकाज के लिए पिछले वर्षो की तुलना में अधिक दवाएं खरीदी गयी है।

3. भविष्य में डायग्नोस्टिक टूल और दवाइयां प्रदान करने के माध्यम से पशुओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बजटीय प्रावधान को बढाया जाएगा;

(घ) यह प्रश्न दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित है और उनको इस आग्रह के साथ अग्रसारित कर दिया गया है कि वे इसका जवाब सीधे विधान सभा प्रश्न शाखा में भेजें; और

(ङ) बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांकः 01.01.2015 से 613 किसानों को बीज प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

क्र.सं.	वर्ष	बीज प्रमाणिकरण कार्यक्रम सुविधा से लाभान्वित किसान
1.	2015—16	100
2.	2016—17	167
3.	2017—18	159
4.	2018—19	187

77. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक सुधार के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने कैमरे लगवाए गए है, विस्तार सहित विवरण दें; और

(ग) सी.सी.टी.वी. कैमरे दिल्ली सरकार के किन–किन विभागों में लगाए गए हैं; विस्तार सहित उत्तर दें?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

78. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा छठ महापर्व के लिए छठ घाटों पर टेंट, साउंड इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गयी थी;

(ख) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने घाटों पर यह व्यवस्था की गयी, विवरण उपलब्ध करवाया जाए;

(ग) विभाग द्वारा रिठाला विधान सभा क्षेत्र में घाटों पर की गयी व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी गई है;

(घ) ये व्यवस्था किस कम्पनी के ठेकेदार के माध्यम से की गयी, पूर्ण जानकारी दें;

(ङ) रिठाला विधान सभा में सभी घाटों पर की गयी व्यवस्था पर हुए कुल व्यय का प्रत्येक घाट के अनुसार विवरण क्या है; और

(च) क्या यह भी सत्य है कि घाट पर टेंट लगाने वाली कम्पनी दो दिन का किराया वसूल करती है?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) जी हाँ;

(ख) चार घाट निम्न प्रकार हैं–

1. पूर्वांचल छठ पूजा समिति विजय विहार रिठाला,
2. महाराणा प्रताप झालवाला पार्क नियर बस स्टैंड रिठाला, दिल्ली,
3. विजय विहार फेस–2 रिठाला नार्थ वेस्ट;
4. बुध विहार फेस–2 टेलीफोन रोड़ रिठाला नार्थ वेस्ट;

(ग) टेंट लाइटिंग, सी.सी.टी.वी, मोबाइल टॉयलेट, बैनर होर्डिंग;

(घ) गुप्ताजी टेंट हाउस;

(ङ) विचाराधीन है; और

(च) जी हाँ।

79. श्री अजय दत्त जी: क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिविल डिफेंस के कुल कितने सेवाकर्मी साउथ डिस्ट्रिक्ट में है;

(ख) इन्हें किस–किस ऑफिस में कितने समय के लिए लगाया गया है, पूरा ब्यौरा दे;

(ग) इन्हें लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने सिविल डिफेंस कर्मियों को लगाया गया है, पूरा ब्यौरा दें?

माननीय राजस्व मंत्री: (क) जिला दक्षिण में कुल भर्ती 2491 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक है। जिसमें से 322 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में तैनात है;

(ख) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	विभाग का नाम	तैनात ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली परिवहन विभाग	170
2.	जिलाधिकारी कार्यालय (दक्षिण)	97
3.	बी.डी.ओ. (दक्षिण)	03
4.	एस.डी.एम.सी.	20

1	2	3
5.	निर्वाचन कार्यालय	10
6.	आई.टी.आई. मालवीय नगर	03
7.	सतर्कता विभाग, दिल्ली सरकार	03
8.	आबकारी विभाग	01
9.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	07
10.	नागरिक सुरक्षा निदेशालय, दिल्ली	08
	कुल नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सं.	322

(ग) नागरिक सुरक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा जारी स्थाई आदेश सं. 06/2015 के निर्धारित नियमानुसार ही ना. सु. स्वयंसेवकों की तैनाती की जाती है; और

(घ) अम्बेडकर विधानसभा के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा मंडल सं. 115 के अंतर्गत कुल 112 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को कार्यालय के माध्यम से कॉल आउट डयूटी पर तैनात किया गया है।

80. श्रीमती प्रमिला टोकस: क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के नाम होने वाली जायदाद की स्टॉम्प डयूटी को कम करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) और (ख) इस तरह की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

81. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व विभाग में कोई भी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी किस अवधि तक एक ही स्थान पर कार्यरत रह सकता है;

(ख) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले एस.डी.एम. कार्यालय में ऐसे कितने सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी हैं जिनका पिछले चार सालों से कोई तबादला नही हुआ है उनका पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(ग) एस.डी.एम. कार्यालय के बाहर घूमने वाले दलालों के विरुद्ध विभाग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दी जाये?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) सक्षम प्राधिकारी/गैर सरकारी कर्मचारी का एक स्थान पर स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण का निर्णय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार लिया जाता है;

(ख) मादीपुर विधान सभा का अधिकांश क्षेत्र पंजाबी बाग में सरकारी कर्मचारियों/गैर सरकारी कर्मचारियों का विवरण जिनका 4 साल से कोई तबादला नहीं हुआ है निम्न प्रकार है–

1. श्री प्रसादी लाल – चौकीदार (सरकारी)
2. श्री जीत पाल – सफाई कर्मचारी (सरकारी)
3. श्री जीत पाल – (सिविल डिफेल वोलेंन्टियर्स) (गैर सरकारी)

4. श्री अहमद रजा – (सिविल डिफेंस वोलेंन्टियर्स) (गैर सरकारी)

5. श्री अशोक नेगी (डी.ई.ओ) (गैर सरकारी)

6. श्रीमती ममता सैनी (डी.ई.ओ) (गैर सरकारी); और

(ग) एस.डी.एम. पंजाबी बाग कार्यालय के बाहर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उस पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह एस.डी.एम. कार्यालय के बाहर नजर न आये।

82. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि 1984 के कत्लेआम पीड़ित परिवारों के लिए सरकार द्वारा रिहायशी मकान/फ्लैट आबंटित किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उन सभी फ्लैटों व कालोनियों की विस्तृत जानकारी दी जाये;

(ग) यह रिहायशी फ्लैट 1984 के कत्लेआम के पीड़ित परिवारों को किस आधार पर और किन कीमतों पर उपलब्ध करवाये गये थे इसका विवरण दिया जाये; और

(घ) क्या यह सत्य है कि 1984 कत्लेआम पीड़ितों व डूसिब विभाग द्वारा आबंटित प्लाटों को फ्री होल्ड करने के लिए सरकार कोई विशेष योजना लेकर आ रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाये?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) जी हाँ, यह सत्य है कि 1984 के कत्लेआम पीड़ित परिवारों के लिए सरकार द्वारा रिहायशी मकान/फ्लैट आवंटित किये गए थे;

(ख) 1984 के दंगों से प्रभावित सिख परिवारों को जहांगीरपुरी, संगम पार्क, गढ़ी, रघुबीर नगर, मादीपुर, कबूल नगर, शाहदरा, कालकाजी, सराय काले खान, इंद्रलोक, रणजीत नगर, तिलक विहार, तिलक नगर में दिये गए थे;

(ग) दंगा पीड़ित परिवारों को राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के एस.डी.एम. द्वारा जारी पात्रता पत्र के आधार पर डूसिब द्वारा आबंटित किये गये हैं। सभी फ्लैटस की कीमत क्षेत्रानुसार अलग–अलग है, जिसकी सूची संलग्न है; और

(घ) जी नहीं। सिख परिवारों को आबंटित इन फ्लैट्स को DUSIB द्वारा मौजूदा नीति अनुसार ही फ्री होल्ड किया जा रहा है, फ्री होल्ड की स्कीम वैकल्पिक है जो भी सिख परिवार अपने फ्लैट को फ्रीहोल्ड करवाने के लिए आवेदन करता है उसका फ्लैट विभागीय नीति के अनुसार फ्रीहोल्ड कर दिया जाता है।

(ङ) **Details of the flat with premium cost allotted to 1984 riot victims**

Sl. No.	Name of the colony	premiumcost of flat	No. of flats allotted to Riot Victim 1984
1	2	3	4
1.	Madipur	31,700/-	297
2.	Ranjeet Nagar	41,800/-	01

1	2	3	4
3.	Inderlok	38,400/-	02
4.	Tilak Vihar	86,800	1008
5.	Samgam Park	41,500	184
6.	Raghubir Nagar	54,400/-	442
7.	Jahangir Puri	37,600/-	198
8.	Sarai Kale Khan	1,54,800/-	03
9.	Garhi	32,200/-	116
10.	Kalkaji	17,400	06

83. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदक के विवरण में परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में ग्राम घेवरा, हिरन कूदना, नीलवाल और टीकरी कलाँ में ग्रामसभा भूमि का संपूर्ण रेवेन्यू मैप प्रदान करें;

(ग) राजस्व विभाग द्वारा 1/1/2015 के बाद से मुंडका विधानसभा क्षेत्र के दोनों जिलों अर्थात उत्तर–पश्चिम और पश्चिम में कितने एन.ओ. सी., म्यूटेशन और रजिस्ट्रियाँ की गई हैं; संपूर्ण सूची प्रदान करें;

(घ) पी.डी.आर.डी. अर्थात ग्रामीण विकास द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों के सीमांकन में राजस्व विभाग द्वारा कितना समय लिया जाना चाहिए, संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराएँ;

(ङ) राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण मोहम्मद पुर माजरी, कंझावला, टीकरी कलाँ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए गए 5 तालाबों को सीमांकन समय पर नहीं किया जा सका; इस लापरवाही का कारण बताएँ; और

(च) पश्चिम और उत्तर–पश्चिम जिलों द्वारा 1/1/2017 के बाद से भर्ती किए गए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची उपलब्ध कराएँ?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) ई–डिस्ट्रिक्ट आवेदन दो प्रकार के हाते हैं:–

1. ऑनलाईन – बेसिक डिटेल और Relevant/Specific Service Change नहीं होते केवल दस्तावेज पर Query लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है।
2. ऑफ लाईन – इसमें आवेदन पत्र को किसी भी स्तर पर ठीक किया जा सकता है;

(ख) रेवेन्यू मैप अनुलग्नक ''क'' पर संलग्न है;

(ग) उत्तर पश्चिम जिला से संबंधित विवरण

1. एन.ओ.सी. – 1640
2. म्यूटेशन – 1090
3. रजिस्ट्रियाँ – 945

पश्चिम जिला से संबंधित विवरण

1. एन.ओ.सी. – 828
2. म्यूटेशन – 3100
3. रजिस्ट्रियाँ – 1435

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है;

(ङ) पैमाईश पत्थर का न मिलना, अतिक्रमण व किसानों द्वारा ऐतराज के कारण विलम्ब हुआ है। टिकरी कलाँ के तालाब का सीमाँकन समय से कर दिया गया था; और

(च)

1. **पश्चिम जिला** से भर्ती सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची अनुलग्नक ''ख'' पर संलग्न * है।
2. **उत्तर पश्चिम जिला** से भर्ती सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची अनुलग्नक ''ग'' पर संलग्न * है।

84. सुश्री भावना गौड़: क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनधिकृत कालोनी महावीर इंक्लेव व मधु विहार वार्ड में राजस्व विभाग द्वारा मकानों की रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो रजिस्ट्रियाँ किस आधार पर हो रही हैं;

(ग) क्या पालम विधान सभा क्षेत्र में राजस्व विभाग की जमीन है;

(घ) यदि हाँ, तो उन जमीनों के खसरा संख्या सहित पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत राजस्व विभाग की कई जमीनों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(च) यदि हाँ, तो उन सारी जमीनों का पूर्ण विवरण दें;

(छ) लोगों द्वारा राजस्व विभाग की जमीनों के कब्जे को हटवाने के लिए राजस्व विभाग प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है; और

(ज) यदि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कब तक कार्रवाई की जायेगी?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) मकान सम्पत्तियों की रजिस्ट्रियां पंजीकरण अधिनियम के अनुसार की जाती हैं;

(ख) उपरोक्त;

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र में आने वाले चारों गाँव पालम, नसीरपुर, मिर्जापुर और डाबरी की गाँव सभा की जमीन Section 507 of DMC Act 1957, Notification के पश्चात् शहरीकृत हो चुके हैं तथा Section 22(1) of DDA, ACT 1957, Notification Dated 19.08.2002 के तहत इन गांवों की ग्रामसभा की सारी जमीन DDA के अधीन हो चुकी है। अतः राजस्व विभाग के अधीन कोई ग्रामसभा भूमि नहीं है; और

(घ) से (ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

85. सुश्री भावना गौड़ः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा के साध नगर क्षेत्र में जेबीएम स्कूल के सामने कुछ जमीन खाली पड़ी है;

(ख) यह जमीन पैमाइश के हिसाब से कितनी है;

(ग) यदि हाँ, तो इस जमीन की देखभाल कौन–सा विभाग कर रहा है;

(घ) क्या यह सत्य है इस खाली पड़ी जमीन पर कुछ भू–माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) से (ङ) यह क्षेत्र Section 22(1), Delhi Development Act, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 19/08/2002 के नोटिफिकेशन के द्वारा शहरीकृत कर दिया गया है अतः यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण विभाग के अधीन आता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस संबंध में सूचना मांगी है।

86. श्री विशेष रविः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेवेन्यू विभाग के अंतर्गत दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक और कितने डीसी हैं;

(ख) इन सभी डिस्ट्रिक पर डी.डी.सी. चेयरमैन के नाम बताये जाएं;

(ग) क्या कारण है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक में डी.डी.सी. चेयरमैन का पद खाली है;

(घ) रेवेन्यू विभाग के हिसाब से सभी डी.डी.सी. चेयरमैन किस वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाए;

(ङ) दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक के डी.डी.सी. चेयरमैन को विभाग द्वारा दी गयी गाड़ियों में से कितनी किराये (प्राइवेट) व कितनी सरकारी गाड़ियाँ, कब से हैं, तिथि अनुसार बतायें;

(च) क्या कारण है कि डी.डी.सी. चेयरमैंन को सरकारी गाडियाँ न देकर रेवेन्यू विभाग द्वारा प्राइवेट गाड़ियाँ दी गयी हैं; और

(छ) जिन डी.डी.सी. चेयरमैन को विभाग द्वारा प्राइवेट गाड़ियाँ दी गयी हैं, उनको नई सरकारी गाड़ी कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) राजस्व विभाग में 11 जिले व 11 जिलाधि ाकारी है;

(ख) से (ङ)

क्र. सं.	जिला का नाम	चेयरमैन का नाम	सरकारी/ किराये पर	कब से
1	2	3	4	5
1.	उत्तर पूर्व जिला	माननीय विधायक श्री फतेह सिंह जी	सरकारी वाहन	14.12.2010
2.	पूर्वी जिला	माननीय विधायक श्री एस.के. बग्गा जी	सरकारी वाहन (नियुक्ति तिथि)	19.08.2019
3.	दक्षिण पूर्व जिला	माननीय विधायक श्री मदन लाल	किराये का वाहन	28.11.2017
4.	शाहदरा जिला	माननीय विधायक श्रीमति सरिता सिंह जी	सरकारी वाहन	14.09.2014
5.	उत्तरी जिला	माननीय विधायक श्री अजेश यादव जी	सरकारी वाहन	03.02.2016
6.	नई दिल्ली जिला	माननीय विधायक श्री प्रवीन देशमुख जी	किराये का वाहन	15.06.2019

1	2	3	4	5
7.	मध्य जिला	माननीय विधायक श्री संजीव झा जी	किराये का वाहन	07.12.2017
8.	दक्षिण जिला	माननीय विधायक श्री नरेश यादव जी	सरकारी वाहन	14.12.2011
9.	दक्षिण पश्चिम जिला	माननीय विधायक श्री गुलाब सिंह जी	किराये का वाहन	05.04.2019
10.	उत्तर पश्चिम जिला	माननीय विधायक श्री विशेष रवि जी	किराये का वाहन	09.09.2015
11.	पश्चिम जिला	माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह जी	सरकारी वाहन	06.04.2011

इस प्रकार मध्य जिले में डी.डी.सी. चेयरमैन का पद खाली नहीं है;

(च) सरकारी गाड़ियाँ उपलब्ध न होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा प्राइवेट गाड़ियाँ दी गई है; और

(छ) संबंधित जिलों से प्राप्त हुए प्रस्ताव प्रोसेस में है। वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने के बाद नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी।

87. श्री सोमनाथ भारती: क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित ऐसे भूखंडों/संपत्तियों का ब्यौरा प्रदान करें जिनमें दिल्ली सरकार आपके विभाग के द्वारा एक पार्टी है; ब्यौरे में केस का नाम, न्यायालय का नाम, केस की विषयवस्तु, केस

के प्रतिष्ठापन की तिथि व वर्तमान स्थिति तथा मामले में आपके विभाग द्वारा लिया गया स्टैंड सम्मिलित हों,

(ख) हौजखास गाँव में खसरा संख्या 277 सम्पत्ति का सीमांकन आपके विभाग द्वारा कितनी बार किया गया है व पहली बार सीमाकंन हो जाने के बाद इस संपत्ति का दूसरी और तीसरी बार सीमांकन किए जाने की क्या गुणात्मक आवश्यकता थी;

(ग) उक्त संपत्ति के तीनों बार किए गए सीमांकन की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनमें यदि कोई अंतर हो तो उस अंतर और उसके कारणों को स्पष्ट करें;

(घ) क्या इस संपत्ति का एक और सीमांकन लंबित है; और यदि हाँ तो क्यों लंबित है और पुनः इस सीमांकन की आवश्यकता का क्या कारण है;

(ङ) जनवरी 2014 के बाद हुई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कितने मुद्दों को उठाया गया है; और

(च) उक्त सभी मुद्दों का ब्यौरा देते हुए बताएँ कि प्रत्येक के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उनका संपूर्ण समाधान कब तक हो जाएगा और इनके समाधान में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) मालवीय नगर विधान सभा में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें दिल्ली सरकार प्रत्यक्ष रूप में पार्टी हो, यद्यपि न्यायालय के आदेशानुसार समय–समय पर निशानदेही की जाती है;

(ख) डी.डी.ए. के आवेदन पर खसरा नं. 277 ग्राम हौज खास की निशानदेही की प्रक्रिया चल रही है। इससे पूर्व दो बार निशानदेही माननीय

लोकायुक्त के निर्देश पर की गई थी, जिसमें खसरा नं. 277 भी सम्मिलित था;

(ग) अन्तरों का अध्ययन नक्शों के अनुरूप किया जा रहा है विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी;

(घ) डी.डी.ए. के आवेदन पर खसरा नं. 277 ग्राम हौज खास की निशानदेही की प्रक्रिया चल रही है। सर्वेयर द्वारा कार्य चल रहा है; और

(ङ) और (च) इस दौरान हुई बैठकों के मिनट्स ऑफ मीटिंग संलग्न * है जिनमें उठाए गए मुद्दे तथा उनका निष्पादन दिया गया है।

88. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक जे एन यू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के विरूद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रद्रोह की चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का इरादा उपरोक्त अनुमति देने का है, और;

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

माननीय गृह मंत्री: (क) विचाराधीन;

(ख) विचाराधीन; और

(ग) विचाराधीन।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

सदन पटल पर माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय उपमुख्य मंत्री अपने विभागों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, आप बैठ जाइए। नहीं, मैं नहीं चाहता। अलका जी, आप बैठ जाइए। आप मुझे मजबूर कर रही हैं अलका जी। मैं बार–बार कह रहा हूँ, आप मजबूर कर रही हैं मुझे। माननीय मुख्यमंत्री।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए। मैं आपको कह रहा हूँ। आप बैठ जाइए प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः XXX[5]

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, बैठ जाइए। ये जितना अलका जी बोल रही हैं, कार्यवाही से हटा दिया जाये। माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उपमुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक–चार के उपबिंदु–एक में दर्शाये गये निम्नलिखित दस्तावेजों की अंग्रेजी एवं हिंदी की प्रतियां[6] सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः

---

xxx[5] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चिन्हित अंश सदन की कार्यवाही से निकाले गये।
[6]पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20576–77 पर उपलब्ध।

(क) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति);

(ख) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 2017–18 हेतु बेलेंस शीट का सारांश (उर्दू एवं पंजाबी प्रति);

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सत्येन्द्र जैन जी माननीय उर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक–चार के उपबिंदु–दो में दर्शाये गए निम्नलिखित दस्तावेजों की अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियाँ[7] सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः

(क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

(ख) दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

(ग) दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन के सारांश (पंजाबी एवं उर्दू प्रति)

(घ) शाहजहाँनाबाद पुनर्विकास निगम का वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

---

[7] पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20578–81 पर उपलब्ध।

(ङ) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2019 के संदर्भ में अधिसूचना संख्या एफ. 17(85)/डी.ई.आर.सी./इंजि./2019–2020/6432/418 दिनांक 27/05/2019 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।